आईटीआई लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

70 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

विश्वव्यापी संचार के लिए संपूर्ण समाधान

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

आईटीआई लिमिटेड की 70वीं वार्षिक सामान्य बैठक में आपका हार्दिक स्वागत है। इस बैठक की सूचना, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे, कंपनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ पहले ही आपके पास हैं और आपकी अनुमति से मैं उन्हें पढ़ा गया समझता हूँ। इसके अलावा, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि कंपनी ने सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया है। आईटीआई और निदेशक मंडल की ओर से, इस वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करना मैं वास्तव में अपना सम्मान समझता हूँ और इसके लिए अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 कंपनी के लिए अपार वृद्धि और संपन्न सफलता का एक और वर्ष रहा । 16 वर्षों तक कड़ी मेहनत और दृढ़ता के बाद हमने लगातार तीसरे वर्ष भी लाभ अर्जित किया। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आपकी कंपनी का कार्य-निष्पादन बहुत ही आशातीत रहा । कंपनी ने 150.86 करोड़ रुपए का कर पश्चात् लाभ अर्जित किया जो पिछले वर्ष की तुलना में 63.02% की बढ़त है और कुल बिक्री बढ़कर 2403.45 करोड़ रुपए हुआ जो 31 मार्च, 2019 को समाप्त पिछली वर्ष की तुलना में 27% अधिक है।

इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि हमारी कंपनी की निवल मूल्य 2 दशक के लंबे अंतराल के बाद पहली बार सकारात्मक हुआ है । मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी वापस लाभ के पथ पर आने, देश के दूरसंचार बाज़ार में फिर से प्रभुत्व और मज़बूत नेतृत्व की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास कर रही है । आज की तिथि में पी.ओ., ए.पी.ओ. और संभावित आदेश सहित हमारी आदेश बही लगभग 19,540 करोड़ रुपए की है और वर्ष 2020-21 के लिए एम.ओ.यू. का लक्ष्य 2,600 करोड़ रुपए है। उपरोक्त तथ्य और आँकड़े पर्याप्त, रूप से दर्शाते हैं कि चालू वर्ष के लिए आपकी कंपनी का उत्कृष्ट प्रदर्शन एक बार की घटना नही है, बल्कि आगे के उज्जवल भविष्य की गारंटी देने के लिए प्रबंधन द्वारा किए गए प्रबल प्रयासों के लिए एक भरोसेमंद सबूत है।

प्रभावी निष्पादन और परियोजनाओं की लगातार निगरानी से वित्तीय कार्य-निष्पादन में यह उत्कृष्टता हासिल हुई है । हमने अपनी परियोजना प्रबंधन शैलियों को नई तरह से परिभाषित किया है और इसकी झलक हमारी टर्नकी परियोजनाओं जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में भारत नेट परियोजना तथा डिफेंस के लिए एनएफएस परियोजनाओं से दिखाई देती है। कोविड महामारी से आई चुनौतियों के बावजूद, गुजरात नेट परियोजना को इस वर्ष के नवबंर तक पूरा करने की उम्मीद है। आईटीआई को गुजरात सरकार द्वारा हमारे अनुकरणीय कार्यों हेतु सराहना प्रमाण-पत्र से पुरस्कृत किया गया जो कि कार्य के प्रति तन्मयता और समय पर निष्पादन के प्रति हमारी वचनबद्धता का प्रमाण है।

आगे, एनएफएस परियोजना को इस वर्ष के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा और महानेट परियोजना को भी तय समय सीमा के अंतराल में पूरा कर लिया जाएगा। इन मेगा टर्नकी परियोजनाओं से हमें इस वर्ष राजस्व में लगभग 80% योगदान प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, हम इन परियोजनओं के लिए एचडीपीई, ओएफसी की आपूर्ति करने में सक्षम रहे हैं, जिसके अंतर्गत कंपनी ने इन उत्पादों के लिए एक बुनियादी ढ़ाँचा विकसित किया है और पहली बार स्थापना होने के बाद उपयोग में लाया जा रहा है। विनिर्माण, परियोजनाओं के विपणन और प्रबंधन की हमारी रणनीति में प्रतिमान परिवर्तन ने हमारे विकास और बेहतर लाभ में योगदान दिया है। आईटीआई की परियोजनाओं में एक और उपलब्धि हाल ही में एस्कॉन चरण-IV संविदा में हस्ताक्षर करना है। इसके लिए प्राप्त 7796 करोड़ रुपये मूल्य का आदेश आईटीआई के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आदेश है और हम इसे निष्पादित करने के लिए तैयार हैं।

दूरसंचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर योगदान हेतु, आईटीआई ने 4जी और 5जी वायरलेस प्रौद्योगिकी, उपकरण विनिर्माण, स्मार्ट सिटी, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्रों में एक साथ काम करने के लिए टेक महिंद्रा के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है, जो डिजिटल व्यापार सेवाएं और समाधान की एक अग्रणीय प्रदाता है। आईटीआई और टेक महिंद्रा के प्रस्ताव के बीच तालमेल बनाकर स्थानीय क्षमता का निर्माण करना है ताकि एक अगली पीढ़ी का वायरलेस नेटवर्क तैयार किया जा सके जो भारत को दूरसंचार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। दूरसंचार उपकरणों का निर्माण करने के लिए अपनी कुशल और नवीनतम अत्याधुनिक सुविधाओं और सक्षमताओं के साथ हमारी कंपनी अपने विभिन्न संयंत्रों में ई.एन.ओ.डी.ई.बी. और 5जी एनआर उत्पादों के विनिर्माण की योजना बना रही है। आईटीआई स्थानीय प्रौद्योगिकियों के परितंत्र द्वारा देशभर में 4जी और 5जी नेटवर्क के लिए संपूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए अन्य भारतीय कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है।

इसी तरह से आईटीआई ने एक प्रमुख आईटी और आईटीईएस सेवा के अग्रणी संगठन टीसीएस के साथ भी समझौते ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। इस तरह के करार के साथ आईटीआई एक आम विनिर्माण भागीदार के रूप में 4जी जिसे 5जी में अपग्रेड किया जा सकता है के दो समाधानों पर कार्य किया जा सकता है।

कंपनी की योजना सुरक्षित (सेक्योर) आईपी / एमपीएलएस राउटर बनाने की भी है जो टीएसपी के नेटवर्कों के साथ-साथ रक्षा नेटवर्क में डेटा के सुरक्षित अंतरण के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इसके लिए आईटीआई ने इस क्षेत्र में बेंगलूरु की अग्रणी स्टार्ट-अप कंपनी के साथ प्रौद्योगिकी करार भी किया है। इसी प्रकार, हमारे कंपनी ई/वी बैंड रेडियो के निर्माण के लिए भी सहयोग करने की योजना बना रही है जो 4जी और 5जी की उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए बहुत आवश्यक है। इन भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी, भारतीय आईपीआर के उत्पादों से न केवल दूरसंचार उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम होगी बल्कि रक्षा संचार का रणनीतिक नेटवर्क तैयार करने संबंधी समस्याएं भी दूर होंगी। एक पीएसयू का निजी क्षेत्र की दो बड़ी और अग्रणी कंपनियों के साथ सहयोग करना भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के प्रति आईटीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कोविड-19 वायरस जैसे आम आदमी समझता है वैसा बिल्कुल नहीं है, यह अपने आप में अनोखा है । यह विषम वायरस का शाप हमारे मानवता, अर्थव्यवस्था, व्यापार और जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है। यह महामारी अभूतपूर्व स्वास्थ्य, आर्थिक और स्थिरता के मामलों को प्रस्तुत करती है । सीमा पर चल रहे तनावों के साथ-साथ यह प्रकोप भारत को समग्र रूप से एक असाधारण झटका दिया है। हालांकि, महामारी ने हमें स्थानीय विनिर्माण, स्थानीय बाजार और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व को समझाया है। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है, ''स्थानीय न केवल हमारी आवश्यकता है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है''। हम आईटीआई में विश्वास करते हैं कि हर प्रतिकूलता अपने स्वयं के अवसरों का सेट लाती है । लॉकडाउन की अवधि के दौरान भी, भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत अभियान के संचालन के उद्देश्य को मजबूत करने के लिए कंपनी की व्यवसायिक निरंतरता बनी हुई है। कंपनी ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ अपने विनिर्माण संयंत्रों में पोर्टेबल वेंटिलेटर के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी (टीओटी) समझौते पर हस्ताक्षर किया। प्रोटोटाइप परीक्षण के लिए तैयार है। यदि डीईबीईएल द्वारा इन्हें मंजूरी दे दी जाती है तो हम देश में रक्षा बलों और अन्य एजेंसियों को बड़े पैमाने पर अपने निर्माण वेंटिलेटर को आपूर्ति करने का इरादा रखते हैं। कंपनी ने अपनी बेंगलूरु यूनिट में फेस शील्ड का विनिर्माण कर रही है जो चेहरे के संपूर्ण क्षेत्र जैसे आँख, नाक और मुँह को स्प्रे और बूँदों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अभिकल्पित है। कंपनी ने पहले ही दो मिलियन फेस शील्ड की आपूर्ति कर दी है और आगामी महीनों में इसके उत्पादन बढ़ने की अपेक्षा है। महामारी के दौरान, आईटीआई लिमिटेड ने सीएसआर उपाय के रूप में लगभग 2500 ज़रूरतमंद परिवारों को खाने का सामान वितरित किया।

आईटीआई ने सिलिकॉन सिटी बेंगलूरु में एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब शुरु करने की पहल की है और इस उद्देश्य के लिए आईटीआई ने पहले चरण में 200 एकड़ भूमि को चिह्नित किया है। इस उद्देश्य के साथ आईटीआई की योजना विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण और देश में इकाइयों की स्थापना के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखला के प्रमुख वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं को आकर्षित करने की है। यह अनूठी पहल इस साल मई के दौरान जारी की गई एमईआईटीवाई की इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) 2.0 योजना के अनुरूप है।

देश में परीक्षण प्रयोगशालाओं की कमी हैं और परीक्षण अवसंरचना की इस कमी को दूर करने के लिए, आईटीआई ने डीओटी और टीईसी के सहयोग से ईएमआई/ईएमसी और सुरक्षा प्रयोगशालाएँ स्थापित की। इसके अलावा, एसएआर और सुरक्षा प्रयोगशालाएँ जल्द ही शुरु की जाएँगी। इससे निर्माण हब और स्टार्ट-अप हब की कंपनियों की सुविधाएँ बढ़ेंगी। आईटीआई ने कौशल भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर संयंत्र में एक स्मार्ट कौशल विकास केंद्र सहित, अपने संयंत्रों में छः प्रशिक्षण केंद्र (टीसी) तैयार किया है।

बेंगलूरु में आईटीआई का 350 रैक का 3 स्तरीय डेटा सेंटर पिछले 10 वर्षों से प्रचालित है और कंपनी ने जिसकी क्षमता बढ़ाकर 1000 रैक विस्तार करने की योजना बनाई है। इसके आगे बढ़ते हुए कंपनी अब क्लाउड सक्षम डेटा केंद्र बनाने जा रही है और इसके तहत यह क्लाउड संबंधी ऐसी सेवाएँ शुरु करेगी जिनमें सेवा के रूप में अवसंरचना (एल.ए.ए.एस.), सेवा के रूप में प्लेटफार्म (पी.ए.ए.एस.),सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर (एस.ए.ए.एस.)और सेवा के रूप में भंडारण (एस.टी.ए.ए.एस.) शामिल होंगे। इस क्लाउड सुविधा से उक्त अवसंरचना का इष्टतम उपयोग किया जा सकेगा और इससे ग्राहकों के लिए विभिन्न आईसीटी-आईओटी आधारित अनुप्रयोग के विकास और परिनियोजन की गति बढ़ेगी। इससे सरकारी और गैर-सरकारी उद्यमों को मांग पर आईसीटी सेवाएँ प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। इससे सरकार की डिज़िटल इंडिया पहल को भी बहुत मदद मिलेगी।

निर्माण के माध्यम से मूल्य वर्धन बढ़ाने के उद्देश्य से, हम अपने सभी करार में प्रौद्योगिकी हस्तातंरण को शामिल कर रहे हैं। इससे न केवल हमारे द्वारा स्थापित अवसंरचना का उपयोग किया जा सकेगा बल्कि सरकार की मेक इन इंडिया पहल भी संवर्धित होगी। हम अपने विभिन्न संयंत्रों में एचडीपीई, ओएफसी, सोलर पैनल, स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट एनर्जी मीटर, वाईफाई एक्सेस प्वाइंट, माइक्रो पीसी के निर्माण के लिए स्थापित सुविधाओं का उपयोग करना चाहते हैं।

विपणन के क्षेत्र में, आईटीआई भारतनेट, स्मार्ट सिटी, 4जी/5जी, एएमआई समाधान, सायबर सुरक्षा, आईओटी, क्लॉउड आधारित डेटा केंद्र समाधान आदि जैसी विभिन्न नई प्रौद्योगिकियों के कारोबार में प्रवेश करते हुए अपने ब्रांड को विस्तारित कर रही है। आईटीआई बाज़ार की अग्रणी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी साझेदारी कर रही है और इन कारोबारी खंडों की निविदाओं में आक्रामक ढंग से बोली लगा रही है। आईटीआई ने एयरटेल जैसे निजी ग्राहकों के लिए भी परियोजनाएँ लेना शुरु किया है। कंपनी अपने देशव्यापी विपणन सेवा और परियोजना कार्यालयों के माध्यम से संपूर्ण भारत में उपलब्ध अवसरों का लाभ लेने के लिए कारोबारी साझेदारों का केंद्रीकृत पैनल तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के लिए कारोबारी अवसरों का लाभ लेने के लिए नई भारतीय प्रौद्यगिकी कंपनियों के साथ सहयोग करना है।

प्रिय शेयरधारकों, पिछले 3 वर्षों में आईटीआई ने अपने कार्य-निष्पादन में सुधार करते हुए अपने आदेश बही की स्थिति मज़बूत की है। कारोबार के प्रति संपूर्ण दृष्टिकोण के साथ हमारी नई रणनीतियाँ आईटीआई को आने वाले वर्षों में देश का एक सर्वश्रेष्ठ पीएसयू बनाने की ओर लक्षित हैं । अपने संपूर्ण दृढ़ता और कठिन मेहनत के साथ कंपनी मिनीरत्न पीएसयू के दर्जे के लिए योग्य है, जिसके लिए आवश्यक आवेदन पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। हमारे लिए यह शुरुआत मात्र है लेकिन हमारा लक्ष्य आगामी 3वर्षों में नवरत्न का दर्जा प्राप्त करना है। हम हर पहलू पर बड़ी गहराई के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वह प्रौद्योगिकी, परियोजना निष्पादन, निर्माण या विपणन हो। इससे आईटीआई अपने कारोबार में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनेगी और अपने कर्मचारियों को आर्थिक रूप से प्रफुल्लित रखेगी। इसके साथ ही, यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आपने शेयरधारकों को आईटीआई में उनके उल्लेखनीय निवेश के लिए बेहतर प्रतिफल प्रदान करें। जैसा कि हमने वादा किया है, हम बीते समय के अपने पुराने गौरव प्राप्त करने के पथ पर उल्लेखनीय प्रगति की है।

हम अपने क्षतियों को दूर करते हुए इसे लाभ अर्जित करने वाली कंपनी में परिवर्तित किया है । मिनीरत्न का दर्जा हासिल करने और नवरत्न की ओर बढ़ने के लिए हमें ऋण मुक्त होने की जरूरत है। हमें अपनी सभी प्रतिभाओं और बड़े लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सरलता लानी होगी । इसे हासिल करने के लिए, हमारी प्रतिबद्धता अडिग है। हमारा उद्देश्यत दृढ़ है । दूरसंचार विभाग तथा भारत सरकार के सहयोग के साथ, हम मार्केट टर्ब्युलन्स के माध्यम से वित्तीय आत्मनिर्भरता को बनाए रखने की ओर बढ़ेंगे।

नई पहल, नए दृष्टिकोण, नए कारोबारी खंडों के मिश्रण से, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आईटीआई अपने सभी हितधारकों के लिए स्थिर प्राप्तियाँ सुनिश्चित करने के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान हासिल प्रगति को बनाए रखना जारी रखेगी।

मैं भारत सरकार, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, दूरसंचार आयोग, बीएसएनएल, एमटीएनएल, यूएसओएफ, रक्षा, टीसीआईएल, भारतीय रेल, केंद्र और राज्य सरकारों के सभी विभाग तथा अन्य बहुमूल्य ग्राहकों, जमाकर्ताओं, बैंक, वित्तीय संस्थान, विदेशी सहयोगकर्ताओं, लेखा परीक्षकों, लोक उपक्रम समिति (सीओपीयू), स्थायी सूचना प्रौद्योगिकी समिति और लोक उद्यम स्थायी सम्मेलन (एससीओपीई) को उनके निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए अपना आभार प्रकट करता हूँ। मैं इस अवसर पर अपने सभी कर्मचारियों और शेयरधारकों को भी उनके समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ ।

धन्यवाद

स्थान - बेंगलूरु

आर एम. अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नोट : ध्यान दें, यह 70वीं वार्षिक सामन्य बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड नहीं है।

वार्षिक रिपोर्ट 2019–20

विषय सूची

विवरण.....पृष्ठ संख्या

निदेशक मंडल.....04

प्रबंधन.....04

सूचना.....05

दस वर्ष के संक्षिप्त आँकड़े.....09

आँकड़े – एक झलक.....11

निदेशक की रिपोर्ट.....13

एकल वित्तीय विवरण

- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ.....72
- तुलन पत्र.....78
- लाभ और हानि का विवरण.....80
- नकद प्रवाह विवरण.....81
- वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी.....82
- लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट.....117

समेकित वित्तीय विवरण

- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ.....125
- तुलन पत्र.....131
- लाभ और हानि का विवरण.....133
- नकद प्रवाह विवरण.....134
- वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी.....135
- लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट.....169

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी.....174

निदेशक मंडल*

श्री राकेश मोहन अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं निदेशक विपणन का अतिरिक्त प्रभार

श्री शशि प्रकाश गुप्ता
निदेशक – मानव संसाधन

श्री डी वेंकटेश्वरलु
निदेशक–उत्पादन

श्री राजीव श्रीवास्तव
निदेशक–वित्त

लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सभरवाल, एवीएसएम, वीएसएम, सिग्नल ऑफिसर-इन-चीफ
सरकार द्वारा नामित निदेशक

डॉ. राजेश शर्मा
उप महानिदेशक (एसयू), दूरसंचार विभाग
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री राजेन विध्यार्थी
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. अखिलेश दूबे
स्वतंत्र निदेशक

श्री मयंक गुप्ता
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. के.आर शनमुगम
स्वतंत्र निदेशक

मुख्य वित्त अधिकारी
श्री राजीव श्रीवास्तव

कंपनी सचिव
श्रीमती एस. शनमुगा प्रिया

सांविधिक लेखापरीक्षक
मेसर्स जी आर एस एम एण्ड एसोसिएटस, बेंगलूरु

शाखा लेखापरीक्षक
मेसर्स आरके चारी एण्ड कं., लखनऊ (रायबरेली)
मेसर्स जीके अरोरा एण्ड एसोसिएटस, इलहाबाद (नैनी)
मेसर्स पीएनजी एण्ड कं., फैजाबाद (मनकापुर)
मेसर्स एआरजीईई एण्ड. कं., पालक्काड (पालक्काड)
मेसर्स अमिर जैन एण्ड एसोसिएटस, श्रीनगर (श्रीनगर)

लागत लेखापरीक्षक
मेसर्स जीएनवी एसोसिएटस, बेंगलूरू
मेसर्स अमन मालवीय एवं एसोसिएटस, लखनऊ

सचिवीय लेखापरीक्षक
श्री डी. वेंकटेश्वरलु, बेंगलूरू

बैंकर
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ बड़ौदा
केनरा बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन बैंक

प्रबंधन*

निगमित कार्यालय

श्री राकेश मोहन अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं निदेशक विपणन का अतिरिक्त प्रभार

श्री शशि प्रकाश गुप्ता
निदेशक–मानव संसाधन

श्री डी वेंकटेश्वरलु
निदेशक–उत्पादन

श्री राजीव श्रीवास्तव
निदेशक–वित्त एंव मुख्य वित्त अधिकारी

श्री शैलेंद्र कुमार वर्मा
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री सुनील कुमार
महाप्रबंधक–प्रचालन

श्री सुरेश बाबू के टी
महाप्रबंधक– आंतरिक लेखापरीक्षा

श्री संजय कुमार श्रीवास्तव
महाप्रबंधक–मा.सं.(ईडी एवं ओडी)

श्री शशिधरन के
महाप्रबंधक–परियोजना एवं योजना एवं निगमित विपणन

श्री सुभाषिश सोम
महाप्रबंधक–सतर्कता

श्री संजय कुमार गुप्ता
महाप्रबंधक– एनएफएस एवं राजभाषा

श्रीमती एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

यूनिट

मनकापुर प्लांट
श्री राजीव सेठ
महाप्रबंधक

नेटवर्क सिस्टम्स यूनिट
श्री ए.के.बजोरिया
महाप्रबंधक

बेंगलूरु प्लांट और अनुसंधान एवं विकास
श्री संजय सत्यप्रिया
महाप्रबंधक

रायबरेली प्लांट
श्री वी बी सिंह
महाप्रबंधक

नैनी प्लांट
श्री संजय सत्यप्रिया
महाप्रबंधक

पालक्काड प्लांट
श्रीमती जयश्री ई के
महाप्रबंधक

श्रीनगर प्लांट
श्री आई. ए. खान
उप माहप्रबंधक

* 02.11.2020 तक

आईटीआई लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

सीआईएन : एल32202केए1950जीओआई000640
पंजीकृत कार्यालय : आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर, बेंगलूरु – 560016
दूरभाष संख्या : + 91(080) 25614466 फैक्स सं. : + 91(080) 25617525 ई-मेल : cosecy_crp@itiltd.co.in **वेबसाइट :** www.itiltd.in

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आईटीआई लिमिटेड की सत्तरवी (70वीं) वार्षिक सामान्य बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से 04 दिसंबर, 2020 शुक्रवार को पूर्वाह्न 11.30 बजे किया जाएगा :

I. सामान्य कार्य :

1. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण सहित लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उनके साथ उन पर निदेशक मंडल तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक व महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ प्राप्त करना, अनुमोदन देना और विचार करना।

2. श्री शशि प्रकाश गुप्ता (डीआईएन 08254999) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना है तो जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के कारण पुन:नियुक्ति के लिए अपनी सेवाएँ प्रस्तुत करते हैं

3. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

   यह संकल्प किया गया कि कंपनियों की धारा 142 से आईटीआई लिमिटेड के निदेशक मंडल अधिनियम 2013 के तहत बनाए गए नियमों के साथ नियुक्त किए गए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के यात्रा खर्च की वापसी और जेब खर्च सहित पारिश्रमिक और अन्य नियमों और शर्तों को ठीक करने के लिए अधिकृत किया गया है। भारत के नियंत्रक और सामान्य लेखा परीक्षक और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के शाखा लेखा परीक्षक द्वारा।

II. विशेष कार्य :

4. निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना :

   संकल्प किया गया है कि, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत बनाए गए नियमों की धारा 149, 152 के अन्य लागू प्रावधान कोई है तो, सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) अधिनियम 2015 और संचार मंत्रालय के आदेश सं. एफ.सं.ई.14-2/2019-पीएसए दिनांक 15 अक्तूबर, 2020 के संदर्भ में, श्री राजीव श्रीवास्तव (डीआईएन : 08921307) को भारत सरकार द्वारा अनुबंधित किए गए निबंधन एवं शर्तानुसार 15 अक्तूबर, 2020 से पाँच साल की अवधी के लिए कंपनी के निदेशक – वित्त के रुप में नियुक्त किया जाता है। जो सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है।

5. निम्नलिखित पर विचार करना और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के, समान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

   संकल्प किया गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत बनाए गए नियमों की धारा 148 के प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार एवं उस आधार पर पारिश्रमिक 3.16 लाख रु. (साथ ही लागू कर) और कंपनी के वर्ष 2019-20 के सभी इकाइयों के लागत अभिलेखों की और वास्तविक जेब खर्च और वाहन का खर्च सहित के लिए लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति तय की गई है एवं एतद्वारा अनुसमर्थित है।

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर,

बोर्ड के आदेशानुसार
कृते आईटीआई लिमिटेड

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक : 02-11-2020

एस.शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

टिप्पणी :

1. कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') ने अपने सामान्य परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 जिसे सामान्य परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 (जिन्हें सम्मिलित रूप से यहाँ "एमसीए परिपत्र" कहा गया है) और सेबी के परिपत्र सं. सेबी /एच.ओ./सी.एफ.डी./सी.एम.डी.1/परिपत्र/पी/2020/79 दिनांक 12 मई 2020 के साथ पढ़ा जाना है, में एक सामान्य स्थान में सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित करने हेतु अनुमति प्रदान किया है । कंपनी अधिनियम, 2013 ("एक्ट"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण की बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण की अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 ("सूचीकरण के विनियम") और एम.सी.ए. के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की ए.जी.एम. वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार प्रासंगिक व्याख्यात्मक कथन, जो वार्षिक सामन्य बैठक में विशेष व्यवसाय से संबंधित विवरण का वर्णन करता है, को इसके साथ सूचना के अंश बननेवाले **अनुबंध क** में दिया जाता है।

3. सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 नियमन के उपबंध 26 (4) एवं 36 (4) और भारत के कंपनी सचिव के संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठक पर सचिवीय मानक के अनुसार, निदेशक, जो पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं का संक्षिप्त विवरण/रूपरेखा या पूरी जानकारी हेतु मद सं.2 और 4, देखें जो **अनुबंध-ख** के रूप में संलग्न है।

4. चूँकि यह ए.जी.एम. एम.सी.ए. के परिपत्रों के अनुसरण में वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से आयोजित की जा रही है, सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी नियुक्त करने की सुविधा इस ए.जी.एम. में उपलब्ध नहीं होगी, इसलिए, प्रॉक्सी फार्म और उपस्थिति पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं।

5. संयुक्त धारकों के मामले में, ऐसे सदस्य जिनके नाम कंपनी के सदस्यों की पंजी के अनुसार नामों के क्रम में पहले धारक के रूप में दर्शित होते हैं, वे इस बैठक में मतदान करने के हकदार होंगे।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 113 के अनुसार वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में भाग लेने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का आशय रखने वाले कार्पोरेट सदस्य / विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) / वित्तीय संस्थानों से अनुरोध है कि वे मंडल के संकल्प / अन्य दस्तावेज जिनमें बैठक में उनकी ओर से शामिल होने और मतदान करने हेतु उनके प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) को अधिकृत किया गया है, की प्रमाणित प्रति, उनके नमूने के हस्ताक्षरों के साथ ईमेल irg@integratedindia.in, cosecy_crp@itiltd.co.in और helpdesk.evoting@cdslindia.com द्वारा कंपनी को भेजें।

7. वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के प्रयोजनार्थ की जाएगी।

8. कंपनी के सदस्यों की पंजी और शेयर अंतरण बहियाँ वार्षिक सामान्य बैठक (ए.जी.एम.) के प्रयोजनार्थ 28 नवबंर, 2020 से 04 दिसंबर, 2020 (दोनों दिनों सहित) बंद रखी जाएगी।

9. एम.सी.ए. के सामान्य परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के साथ-साथ इस ए.जी.एम. की सूचना केवल ऐसे सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ई-मेल एड्रेस कंपनी / डिपोज़िटरों के पास दर्ज हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के पूर्ण संस्करण के साथ 70वीं ए.जी.एम. आहूत करने की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.itiltd.in पर 'निवेशक सूचना' खंड में अपलोड की गई है जिसे स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है। इस ए.जी.एम. की सूचना सी.डी.एस.एल. (सुदूर ई-मतदान और ए.जी.एम. के दौरान ई-मतदान प्रणाली की सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी प्रसारित की गई है।

10. श्री डी वेंकटेश्वरलु (सी.पी. सं. 7773), पेशेवर कंपनी सचिव, बेंगलूरु को ए.जी.एम. के दौरान मतदान की जाँच-पड़ताल करने और सुदूर ई-मतदान उचित और पारदर्शी ढंग से संचालित करने के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

11. सदस्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 और कंपनी (शेयर पूँजी और ऋणपत्र) नियम, 2014 के नियम 19(1) के तहत वर्णितानुसार, फॉर्म एस.एच.–13 भरकर कंपनी से नामांकन सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।

12. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(सेबी) ने कंपनी के सदस्य द्वारा स्थाई लेखा संख्या, बैंक खाता का विवरण और ई–मेल आईडी प्रस्तुत करना आवश्यक कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, इसलिए वे अपने डीमैट खातों को बनाए रखने के साथ जिसे डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को उनके पैन प्रस्तुत करने का अनुरोध कर रहे हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य आरटीए/कंपनी को अपना स्थाई लेखा संख्या का विवरण, बैंक खाता का विवरण और ई–मेल आई डी प्रस्तुत करे।

13. सदस्यों से अनुरोध है कि यदि आपके पते में कोई परिवर्तन हो तो तुरंत अपने पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, 30 रमण रेजिडेसी, चौथा क्रास, संपिगे रोड़, मल्लेश्वरम, बेंगलूरु–560 003 दूरभाष : 080–23460815–818, ई–मेल : irg@integratedindia.in और अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदारों को सूचित करें।

14. 'हरित पहल' का समर्थन करने के लिए, ऐसे सदस्य जिन्होंने अब तक अपना ईमेल एड्रेस पंजीकृत नहीं कराया है, से अनुरोध है कि वे शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित करने के मामले में अपने डी.पी. के पास और शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करने के मामले में कंपनी के पास दर्ज करा लें।

15. सूचीकरण विनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में, दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से लागू करते हुए, शेयरों के सभी अंतरण अप्रत्यक्षीकृत रूप में किए जाएँगे। शेयरों को वास्तविक रूप में धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स इंटीग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें और अंतरण करने के लिए अपने शेयरों को अप्रत्यक्षीकृत करा लें।

16. सदस्य कंपनी के बारे में अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट www.itiltd.in देख सकते हैं।

17. सदस्यों द्वारा लेखे की जानकारी अपेक्षित होने की दशा में, अनुरोध है कि बैठक की तारीख से कम–से–कम 15 दिन पूर्व कंपनी को लिखें ताकि वांछित सूचना तैयार रखी जा सके।

18. चूँकि यह ए.जी.एम. वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसीलिए मार्ग का नक्शा इस सूचना के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

19. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 जिसे उसके तहत बनाए गए संगत नियमों, सूचीकरण विनियमों के विनियम 44, एम.सी.ए. के परिपत्र और सेबी के परिपत्र के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार, कंपनी ए.जी.एम. के दौरान सुदूर ई–मतदान और ई–मतदान द्वारा सूचना में निर्धारित सभी संकल्पों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने और वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से बैठक में शामिल होने की सुविधा अपने सदस्यों को सहर्ष प्रदान करती है। इस संबंध में सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सी.डी.एस.एल.) के साथ मिलकर कंपनी ने सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ की है। ए.जी.एम. के दौरान सुदूर ई–मतदान और ई–मतदान और वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से बैठक में शामिल होने के अनुदेश इस सूचना के **अनुलग्नक–ग** में दिए गए हैं।

20. सदस्य **अनुलग्नक–ग** में उल्लिखित अनुदेशों का पालन करते हुए बैठक के प्रारंभ होने से 15 मिनट पहले और बैठक शुरु होने के निर्धारित समय के 15 मिनट के भीतर वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में शामिल हो सकते हैं। सदस्य सी.डी.एस.एल. की ई–मतदान वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगिन कर बैठक की कार्यवाही देख सकते हैं। वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में भाग लेने की सुविधा पहले आओ, पहले पाओ आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (जिनका शेयरधारण 2% या उससे अधिक हो), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन व पारिश्रमिक समिति तथा हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे जिन्हें पहले आओ, पहले पाओ आधार पर की सीमा के बिना ए.जी.एम. में शामिल होने की अनुमति होगी।

21. सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 और 189 के तहत रखी गई सांविधिक पंजियाँ ए.जी.एम. के दौरान इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी।

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर,

बोर्ड के आदेश द्वारा

स्थान: बेंगलूरु
दिनांक : 2–11–2020

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

अनुबंध – क

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत आवश्यक व्याख्यात्मक कथन

मद सं. 4

श्री राजीव श्रीवास्तव

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के संदर्भ में, भारत के राष्ट्रपति को समय–समय पर कंपनी के निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति के साथ निहित किया जाता है जो निदेशकों के अधिकार की अवधी को भी निर्धारित करेगा।

श्री राजीव श्रीवास्तव (डीआईएन: 08921307) को बोर्ड में एक अतिरिक्त निदेशक (निदेशक वित्त) के रुप में संचार मंत्रालय के आदेश सं. ई–14–1/2019–पीएसए दिनांक 15 अक्तूबर 2020 के अनुसरण में 15 अक्तूबर, 2020 से अभी तक उनके सेवानिवृति या अगले आदेशों तक, जो भी पहले ही शामिल किया गया है । कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के संदर्भ में, श्री राजीव श्रीवास्तव वार्षिक सामन्य बैठक (एजीएम) को नियुक्त करने की तिथि तक कार्यालय में है ।

श्री राजीव श्रीवास्तव की नियुक्ति का प्रस्ताव करने वाले सदस्यों से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत नोटिस प्राप्त किया गया है । आगामी एजीएम में कंपनी के निदेशक के रूप में हैं ।

02 नवबंर 2020 को आयोजित अपनी बैठक में सदस्यों के रुप में नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने श्री राजीव श्रीवास्तव की नियुक्ति के लिए सिफारिश की है ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के संदर्भ में, प्रत्येक निदेशक को कंपनी द्वारा सामान्य बैठक में नियुक्त किया जाना है। तद्नुसार, सदस्यों के अनुमोदन के लिए वार्षिक सामन्य बैठक से पहले आवश्यक संकल्प प्रस्तुत किए गए हैं।

श्री राजीव श्रीवास्तव को प्रस्तावित संकल्प में उनके कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति की सीमा तक रुची दिखाई गई है ।

सूचना के मद सं. 4 में निर्धारित संकल्प में कंपनी के अन्य निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों के संबंध में कोई चिंतित या इच्छुक विषय नहीं है।

श्री राजीव श्रीवास्तव का कंपनी में अपनी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर या किसी अन्य व्यक्ति के लिए लाभकारी आधार पर कोई हिस्सा नहीं है ।

सूचना में सदस्यों के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित के अनुसार आपके निदेशकगण की नियुक्ति, श्री राजीव श्रीवास्तव की नियुक्ति के लिए साधारण प्रस्तावों की सिफारिश करते हैं ।

श्री राजीव श्रीवास्तव की संक्षिप्त रूपरेखा इस सूचना के **अनुबंध–ख** में दी गई है ।

मद सं. 5

कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के तहत नियुक्त कंपनी के लेखा परीक्षक के लिए निर्धारित पारिश्रमिक के लिए सदस्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता बताई गई है।

तद्नुसार, वर्ष 2020–21 के लिए नियुक्त लागत लेखा परीक्षक के लिए 3.16 लाख रुपये (लागू कर सहित) का पारिश्रमिक और वास्तविक फुटकर व्यय तथा वाहन व्यय, निर्धारित करने हेतु अनुसमर्थन की आवश्यकता बताते हुए आवश्यक संकल्प सदस्यों के समक्ष उनके अनुमोदन हेतु रखा गया है।

कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस संकल्प में हितलाभी नहीं है।

आपके निदेशक सूचना में यथा प्रस्तावित सामान्य संकल्प को सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने की सिफारिश करते हैं।

अनुलग्नक ख

नियुक्ति और पुन:नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

मद सं. 2 :

श्री शशि प्रकाश गुप्ता –

श्री शशि प्रकाश गुप्ता, (डीआईएन08254999), आयु 59 वर्ष उनके पास बी.टेक (यांत्रिकी) में और एम.बी.ए. की डिग्री हैं। वे इंस्टिट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) और राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल एंड क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया के आजीवन सदस्य रहे है। कंपनी के बोर्ड में शामिल होने से पहले उन्होंने औद्योगिक इंजीनियरिंग और सेल उदय परिवर्तन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और इस क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार में सुधार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास सहित कई सीएसआर पहलों की शुरुआत की है।

दो एकीकृत इस्पात संयंत्रों और कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्मिक और प्रशासन, व्यवसाय उत्कृष्टता और सीएसआर के विभिन्न क्षेत्रों में 3 दशकों के समृद्ध अनुभव के साथ, सेल (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) में उत्पादक कार्य संस्कृति को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न मानव संसाधन नीतियों को तैयार करने और उन्हें लागू करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

श्री शशि प्रकाश गुप्ता, बोर्ड ऑफ़ इंडिया सेटकॉम लिमिटेड में निदेशक हैं। इसके अलावा वह किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी के बोर्ड में नहीं है। श्री शशि प्रकाश गुप्ता ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित सभी बोर्ड बैठकों में भाग लिया । श्री शशि प्रकाश गुप्ता जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और लेखा परीक्षा समिति के सदस्य, हितधारक संबंध समिति और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के सदस्य हैं।

श्री शशि प्रकाश गुप्ता या उनके रिश्तेदार कंपनी के किसी भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति से संबंधित नहीं है और कंपनी में कोई शेयर नहीं रखते हैं।

मद सं. 4 :

श्री राजीव श्रीवास्तव

श्री राजीव श्रीवास्तव (डीआईएन–08921307), महाप्रबंधक, निगमित वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी ने भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट निबंधन व शर्तों पर दिनांक 15 अक्तूबर, 2020 को आईटीआई लिमिटेड के निदेशक वित्त का कार्यभार ग्रहण किया। श्री राजीव श्रीवास्तव योग्यता प्राप्त वित्त पेशेवर हैं जिनके पास भारतीय लागत व प्रबंध लेखा संस्थान (आईसीएमएआई) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) की सदस्यता है और उन्हें 29 वर्षों का दीर्घ अनुभव है। आईटीआई लिमिटेड में शामिल होने से पहले, उन्होंने दिसंबर 1990 से दिसंबर 2018 तक भारत सरकार के साथ निदेशक(लेखा)/वरीष्ठ लेखा अधिकारी के रूप में काम किया है।

उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.कॉम और एम.कॉम और डीएवी लॉ कॉलेज से एलएलबी और आईसीएमएआई से सीडब्ल्यू ए तथा आईसीएसआई से सीए की डिग्री प्राप्त की।

श्री राजीव श्रीवास्तव किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी के बोर्ड में नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक में श्री राजीव श्रीवास्तव की उपस्थिति लागू नहीं होती है क्योंकि उन्हें चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान बोर्ड की बैठक में शामिल किया गया है। श्री राजीव श्रीवास्तव या उनके रिश्तेदार कंपनी के किसी भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति से संबंधित नहीं है और कंपनी में कोई शेयर नहीं रखते हैं।

अनुलग्नक ग

सुदूर ई–मतदान के लिए शेयरधारकों के अनुदेश इस प्रकार हैं –

1. मतदान की अवधि 01 दिसंबर, 2020 सुबह 10.00 बजे से प्रारंभ होकर 03 दिसंबर, 2020 अपराह्न 5.00 बजे को समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान कंपनी के ऐसे शेयरधारक जो 27 नवबंर 2020 की निर्दिष्ट तिथि (रिकार्ड तिथि) में शेयरों को वास्तविक रूप में या अप्रत्यक्षीकृत रूप में धारित करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इस अवधि के बाद ई–मतदान मॉड्यूल सी.डी.एस.एल. द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
2. शेयरधारक जिन्होंने सुदूर ई–मतदान द्वारा पहले ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, वे बैठक के स्थान पर मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
3. शेयरधारक www.evotingindia.com पर सी.डी.एस.एल. की ई–मतदान वेबसाइट में लॉग ऑन करें
4. "शेयरहोल्डर्स" टैब पर क्लिक करें।
5. अपने यूजर आई डी को प्रविष्ट कीजिए।
   (क) सीडीएसएल के लिए: 16 अंकों का लाभार्थी आईडी,
   (ख) एनडीएसएल के लिए: 8 संप्रतीक का डीपी आईडी तथा 8 अंक का ग्राहक आईडी,
   (ग) शेयरों को वास्तिक रूप में धारित करने वाले शेयरधारक कंपनी में दर्ज फोलियो संख्या दर्ज करें।
6. अब प्रदर्शित छाप सत्यापन प्रविष्ट करें तथा लॉगिन पर क्लिक करें ।
7. यदि आपका शेयर डीमैट रूप में है और www.evotingindia.com पर लॉग ऑन हैं तथा किसी कंपनी में पहले ही वोट दिये हैं तो अपना वर्तमान पासवर्ड इस्तेमाल करें ।
8. यदि आप प्रथम बार के प्रयोक्ता हैं तो निम्न चरणों का अनुगमन करें :

	डीमैट रूप तथा प्रत्यक्ष रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंक का अल्फा–न्यूमरिक पैन डालें (डीमैट तथा प्रत्यक्ष दोनों शेयरधारकों के लिए लागू) जिन शेयरधारकों ने अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उन्हें अनुक्रम संख्या प्राप्त करने के लिए irg@integratedindia.in पर आरटीए से संपर्क करें।

9. इन विवरणों को समुचित रूप से भरने के उपरांत "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें।
10. अब, प्रत्यक्ष रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारक कंपनी चयन स्क्रीन पर सीधे पहुंच जाएंगे । तथापि, डीमैट रूप में शेयरधारक अब 'Password Creation' मेनू में पहुंच जाएंगे, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अनिवार्य रूप से अपना लॉगिन पासवर्ड नये पासवर्ड क्षेत्र में डालें । कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों द्वारा किसी अन्य कंपनी के संकल्प प्रस्ताव के लिए वोट हेतु, जिसके लिए वे वोट देने के पात्र हैं, इसी पासवर्ड का प्रयोग किया जाना है बशर्ते वह कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई–वोट का चयन करे । इसकी सख्त सिफारिश की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें ।
11. प्रत्यक्ष रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक, सूचना में निहित संकल्प प्रस्ताव पर ई–वोट के लिए ही विवरण का प्रयोग करें ।
12. जिसे आपने वोट करने के लिए चुना हैं, आईटीआई लिमिटेड हेतु ईवीएसएन पर क्लिक करें।
13. वोट पृष्ठ पर आप "RESOLUTION DESCRIPTION" देखेंगे और इसके सापेक्ष वोट देने के लिए "YES/NO" विकल्प होगा । अपनी इच्छानुसार YES अथवा NO विकल्प का चयन करें । YES विकल्प इंगित करता है कि आप प्रस्ताव से सहमत हैं तथा NO विकल्प इंगित करता है कि आप प्रस्ताव से असहमत हैं ।
14. यदि आप पूरा प्रस्ताव विवरण देखना चाहते हैं तो "RESOLUTIONS FILE LINK" पर क्लिक करें ।
15. अपने द्वारा निर्णीत प्रस्ताव के चयन के उपरांत "SUBMIT" पर क्लिक करें । एक संपुष्टि बॉक्स प्रदर्शित होगा । यदि आप अपने वोट को संपुष्ट करना चाहते हैं तो "OK", पर क्लिक करें अन्यथा अपने वोट को बदलने के लिए "CANCEL" पर क्लिक कर तदनुसार अपने वोट को संशोधित करें ।
16. एक बार आप प्रस्ताव पर अपने वोट को "CONFIRM" कर लेते हैं तो पुन: इसके संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
17. आप वोट पृष्ठ पर "Click here to print" विकल्प पर क्लिक कर अपने द्वारा दिये गये वोट का प्रिन्ट ले सकते हैं ।
18. यदि डीमैट खाताधारक अपना लॉगइन पासवर्ड भूल जाते हैं तो यूजर आईडी तथा प्रतिबिंब सत्यापन कोड में प्रवेश कर, Forgot Password पर क्लिक करें तथा सिस्टम द्वारा मांगे गये विवरण को भरें ।

19. शेयरधारक सीडीएसएल के मोबाइल ऐप "एम–वोटिंग" का उपयोग करके भी अपना वोट डाल सकते हैं। "एम–वोटिंग" ऐप को संबंधित स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अपने मोबाइल पर मतदान करते समय कृपया मोबाइल ऐप द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें।

ऐसे शेयरधारक, जिनके ईमेल पता इस सूचना में प्रस्तावित संकल्पों के लिए ई–मतदान करने हेतु लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए डिपोज़िटरियों के पास दर्ज नहीं हैं, के लिए प्रक्रिया –

1. वास्तविक रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए – कृपया **आर.टी.ए. / कंपनी की ईमेल आईडी** में फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण–पत्र की स्कैन की गई प्रति (सामने और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रणामित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रणामित स्कैन की गई प्रति) जैसे आवश्यक विवरण प्रदान करें।

2. अप्रत्यक्षीकृत रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के लिए – कृपया **आर. टी.ए. / कंपनी की ईमेल आईडी** में डीमैट खाते के विवरण (सी.डी.एस.एल.–16 अंकों का हितलाभी आई.डी. या एन.एस.डी.एल.–16 अंकों की डीपी आईडी + सीएल आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्वप्रणामित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रणामित स्कैन की गई प्रति) की प्रति के विवरण प्रदान करें।

वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. द्वारा ए.जी.एम. में शामिल होने वाले शेयरधारकों के लिए अनुदेश इस प्रकार हैं –

1. शेयरधारकों को सी.डी.एस.एल. की ई–मतदान प्रणाली द्वारा वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में शामिल होने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शेयरधारक सुदूर ई–मतदान के विवरण का उपयोग करते हुए शेयरधारकों / सदस्यों के लॉगिन के तहत https://www.evotingindia.com में इस सुविधा को देख सकते हैं। वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. का लिंक शेयरधारक / सदस्य के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी का ई.वी.एस.एन. प्रदर्शित होता है।

2. वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में शामिल होने की सुविधा ए.जी.एम. के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले शुरु की जाएगी जो सदस्यो के लिए पहले आओ, पहले पाओ आधार पर उपलब्ध होगी।

3. शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप / आई पैड द्वारा बैठक में शामिल हों।

4. इसके अलावा, शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी प्रकार के व्यवधान से बचने के लिए कैमेरा और अच्छी स्पीड के इंटरनेट का उपयोग करना होगा।

5. कृपया नोट करें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से अथवा मोबाइल हॉटस्पॉट के ज़रिए कनेक्ट होने वाले लैपटॉप से जुड़ने वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क में उतार–चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो में बाधा हो सकती है। इसलिए, यह सुझाव दिया जाता है कि वे स्थिर वाई–फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करें ताकि इस तरह का व्यवधान कम हो।

6. जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार रखना चाहते हैं / प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर उल्लेख करते हुए बैठक से 7 दिन पहले अग्रिम रूप से अपना अनुरोध cosecy_crp@itiltd.co.in में भेजते हुए स्वयं को स्पीकर के रूप में दर्ज कराएँ।

7. जो शेयरधारक ए.जी.एम. के दौरान कुछ बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन कुछ पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर उल्लेख करते हुए **बैठक से 7 दिन पहले अग्रिम रूप से अपना** अनुरोध cosecy_crp@itiltd.co.in में भेजें। उनके प्रश्नों के उत्तर कंपनी द्वारा ईमेल के माध्यम से दिए जाएँगे।

8. ऐसे शेयरधारक जिन्होंने स्पीकर के रूप में स्वयं को दर्ज कराया है, केवल उन्हें बैठक के दौरान अपने विचार / प्रश्न रखने की अनुमति होगी। कंपनी ए.जी.एम. में समय की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए स्पीकरों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

ए.जी.एम. के दौरान ई–मतदान के लिए शेयरधारकों हेतु अनुदेश इस प्रकार हैं –

1. ए.जी.एम. के दिन ई–मतदान की प्रक्रिया सुदूर ई–मतदान के लिए ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के समान होगी।

2. केवल ऐसे शेयरधारक जो वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. की सुविधा द्वारा ए.जी.एम. में उपस्थित होंगे और जिन्होंने दूर से ई–मतदान द्वारा संकल्पों पर अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है और जो अन्यथा ऐसा करने के लिए बाधित नहीं किए गए हैं, ए.जी.एम. के दौरान उपलब्ध ई–मतदान सुविधा के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगें।

3. यदि ए.जी.एम. के दौरान उपलब्ध ई–मतदान के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा कोई मतदान किया जाता है और ऐसे शेयरधारकों ने वी.सी. / ओ.ए.वी.एम. सुविधा द्वारा बैठक में भाग नहीं लिया है तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा किए गए मतदान को अवैध माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई–मतदान की सुविधा केवल ऐसे शेयरधारकों के लिए उपलब्ध होगी जो बैठक में शामिल हुए हैं।

4. जिन शेयरधारकों ने दूर से ई–मतदान द्वारा मतदान किया है, वे ए.जी.एम. में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे ए.जी.एम. में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

5. **गैर–वैयक्तिक शेयरधारकों और अभिरक्षकों के लिए टिप्पणी**

- गैर–वैयक्तिक शेयरधारकों (जैसे व्यक्ति, एच.यू.एफ., एन.आर.आई. आदि के अलावा) और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com में लॉग ऑन करना होगा और स्वयं को "कार्पोरेट मॉड्यूल" में दर्ज कराना होगा।

- पंजीकरण फार्म की स्कैन की गई प्रति जिसमें निकाय की मोहर और हस्ताक्षर होंगे, को ईमेल helpdesk.evoting@cdslindia.com में भेजी जाएगी।

- लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद, एडमिन के लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक कमप्लायंस यूज़र बनाया जाएगा। कमप्लायंस यूज़र उस खाते / उन खातों को लिंक करेंगे जिनके लिए वे मतदान करना चाहते हैं।

- लॉगिन से जुड़े खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com में मेल की जाएगी और खातों को अनुमोदित किए जाने पर वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

- बोर्ड के संकल्प और मुख्तारनामे (पी.ओ.ए.) जिसे उन्होंने अभिरक्षक, यदि कोई हो, के पक्ष में जारी किया है, की स्कैन की गई प्रति सत्यापन करने के लिए सिस्टम में पीडीएफ फार्मेट में संवीक्षक के लिए अपलोड की जाएगी।

- वैकल्पिक रूप से, गैर–वैयक्तिक शेयरधारकों को विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरी, जो मतदान करने के लिए प्राधिकृत हैं, की अनुप्रमाणित नमूने के हस्ताक्षर के साथ बोर्ड के संबंधित संकल्प / प्राधिकरण पत्र संवीक्षक और कंपनी को इमेल पता cosecy_crp@itiltd.co.in पर भेजना होगा, यदि उन्होंने वैयक्तिक टैब से मतदान किया है और उसका सत्यापन कराने के लिए संवीक्षक हेतु सी.डी.एस.एल. की ई–मतदान प्रणाली में अपलोड नहीं किया है ।

6. यदि आप ई–मतदान के संबंध में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो www.evotingindia.com में सहायता खंड में उपलब्ध फ्रीक्वेंटी आस्क्ड क्वेश्चन्स ("एफ.ए.क्यू.") और ई–मतदान मैनुअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ईमेल भेज सकते हैं या 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं।

7. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान करने की सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें या जिन सदस्यों को ए.जी.एम. से पहले या उसके दौरान किसी तकनीकी सहायता की ज़रूरत हो, वे श्री राकेश दलवी, प्रबंधक (सी.डी.एस.एल.), सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड, एन एम जोशी मार्ग, लोवर परेल (पूर्व), मुंबई – 400013 से संपर्क कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल कर सकते हैं या 1800225533 पर कॉल कर सकते हैं।

अन्य अनुदेश

1. संवीक्षक ए.जी.एम. में मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद, सबसे पहले ए.जी.एम. में किए गए मतदान की गणना करेंगे और उसके बाद सुदूर ई–मतदान द्वारा किए गए मतों को खोलेंगे और ए.जी.एम. समाप्त होने के अधिकतम 48 घंटों के भीतर पक्ष और विपक्ष, यदि कोई हो, में डाले गए कुल मतों की समेकित संवीक्षक रिपोर्ट अध्यक्ष को या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति, जो रिपोर्ट पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे, को पेश करेंगे।

2. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.itiltd.in पर और सी.डी.एस.एल. की वेबसाइट www.evotingindia.com पर तुरंत डाले जाएँगे। इसके साथ ही कंपनी परिणामों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बी.एस.ई. लिमिटेड, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को अग्रेषित करेगी।

दस वर्ष के संक्षिप्त आंकड़े

करोड़ रु. में

परिचालन परिणाम	2019–20	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16	2014–15	2013–14	2012–13	2011–12	2010–11
सेवाओं सहित बिक्री	**2403**	1894	1703	1611	1253	620	770	921	993	2139
स्टॉक में अभिवृद्धि / (ह्रास)	**40**	11	(12)	18	0	(2)	(2)	(11)	3	(87)
उत्पादन मूल्य	**2443**	1905	1691	1629	1253	618	768	910	996	2052
अन्य आय**	**184**	336	381	542	598	86	40	33	34	78
प्रत्यक्ष सामग्री	**508**	605	545	605	670	185	137	235	315	1662
संस्थापन एवं अनुरक्षण पर प्रभार	**1113**	784	526	642	318	214	382	409	422	190
कर्मचारी लागत **	**231**	204	226	301	332	321	337	393	402	389
मूल्यह्रास	**42**	37	25	17	13	15	17	18	21	22
वित्तपोषण व्यय	**141**	106	153	153	157	157	122	85	85	80
स्थापना और रखरखाव को छोड़कर अन्य आय पर कम शुल्क	**441**	412	367	187	124	110	159	163	154	148
लाभ	**151**	93	230	266	238	(298)	(346)	(360)	(369)	(361)
पूर्व अवधि समायोजन	**–**	–	–	–	–	1	2	48	(1)	3
असाधारण मद	**–**	–	–	–	–	–	–	130	–	–
कराधन के पहले लाभ	**151**	93	230	266	238	(297)	(344)	(182)	(370)	(358)
कर / आस्थगित कर / एफआरबी के लिए प्रावधान	**–**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
जोड़े : पिछले वर्षों हेतु प्रस्तावित कर अधिक समय के लिए आवश्यक नहीं	**–**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कराधन के बाद लाभ	**151**	93	230	266	238	(297)	(344)	(182)	(370)	(358)
अन्य व्यापक आय	**4**	18	5	39	17	–	–	–	–	–
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (व्यापक लाभ/ (हानि) अवधि के लिए अन्य व्यापक आय)	**155**	111	235	305	255	–	–	–	–	–

वित्तीय स्थिति	2019–20	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16	2014–15	2013–14	2012–13	2011–12	2010–11
इक्विटी	**925**	897	760	560	288	288	288	288	288	288
अधिमान शेयर *		–	–	–	–	300	300	300	300	300
अधिमान शेयर - आवेदन		–	–	–	–	–	–	–	–	–
पैसा प्राप्त आबंटन लंबित	**–**	55	137	–	192	192	–	–	–	–
आरक्षित निधि तथा अधिशेष	**3282**	2847	2824	2814	2769	2735	2718	2709	2700	2701
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	**2330**	2335	2339	2348	2354	2360	2374	2390	2406	2424
बट्टे खाते में डाले गए विविध व्यय		–	–	–	–	–	–	–	–	–
लाभ और हानि लेखा (नामे)	**4206**	4340	4432	4663	4929	5166	4869	4527	4345	3975
निवल मूल्य निधि पुनर्मूल्यांकन	**2331**	1794	1628	1059	674	713	819	1172	1413	1807
आरक्षित के साथ बट्टे खाते में डाले गए डीआरई पर पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निवल मूल्य निधि	**1**	(541)	(711)	(1289)	(1680)	(1647)	(1555)	(1218)	(993)	(617)
सहायता अनुदान	**–**	–	–	–	–	4	8	12	64	69
बांड	**–**	–	–	–	–	–	–	2	2	2
अन्य उधार और आस्थगित ऋण	**1036**	959	926	879	839	921	876	606	483	341
सकल ब्लाक #	**2814**	2775	2663	2524	3737	3690	3696	3695	3691	3684
मूल्यह्रास #	**121**	80	43	18	1279	1267	1243	1210	1175	1137
निवल ब्लाक	**2693**	2695	2620	2506	2458	2423	2453	2485	2516	2547
पूँजीगत चालू वर्ष	**189**	165	149	102	92	33	21	1	2	7
परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम: (चालू और गैर-चालू)										
मालसूची	**173**	149	156	142	104	93	96	105	113	118
देनदार	**3120**	2659	3086	2196	2743	2219	2152	4067	4268	4979
अन्य	**1509**	1292	996	566	436	572	366	348	333	409
कुल	**4802**	**4100**	**4238**	**2904**	**3283**	**2884**	**2614**	**4520**	**4714**	**5506**

वर्ष 2017-18, 2016-17, 2015-16, 2014-15, 2013-14, 2012-13 और 2011-12 के उत्पाद शुल्क और सेवाएं कर, कुल बिक्री और उत्पादन मूल्य, के साथ सम्मिलित है, जबकि शेष वर्षों के लिए केवल उत्पाद शुल्क सम्मिलित है। वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए उत्पादन का कुल बिक्री और मूल्य में केवल जीएसटी शामिल है।

* 2012-13 के कुछ आंकड़ों को संशोधित अनुसूची-III के अनुसार पुर्नवर्गीकृत किया गया है ।

** भारत सरकार से प्राप्त वित्त पोषित वीआरएस के खाते में वित्तीय वर्ष 2019-20, वित्तीय वर्ष 2017-18 और वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 4.39 करोड़ रुपये 2.86 करोड़ रुपये और 33.72 करोड़ रुपये कर्मचारियों की लागत और अन्य आय शामिल हैं।

आईएनडी एएस कार्यान्वयन के कारण 01.04.2016 से, खातों की किताबों में समेकित लागत के रूप में शुद्ध वाहक मूल्य लिया गया है ।

वित्तीय स्थिति	2019–20	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16	2014–15	2013–14	2012–13	2011–12	2010–11
देयता और प्रावधान (चालू और गैर-चालू) $	**4138**	3907	4153	3274	4021	3406	3393	5227	5335	5911
कार्यशील पूँजी	**(407)**	(498)	(642)	(1054)	(1478)	(1311)	(1501)	(1259)	(621)	(405)
प्रयुक्त पूँजी (निवल स्थाायी परिसंपत्तियाँ + कार्यशील पूँजी)	**2286**	2197	1978	1452	980	1112	952	1226	1895	2142
निधियों के स्रोत:										
शेयरधारकों का निधि	**2331**	1794	1628	1059	674	713	819	1172	1413	1807
उधार	**1216**	1259	1226	1179	1139	1223	876	608	485	343
निवल गैर चालू देयताएं	**(36)**	268	199	195	98	131	155	57	–	–
आस्थगित कर	**–**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**3511**	**3321**	**3053**	**2433**	**1911**	**2067**	**1850**	**1837**	**1898**	**2150**
निधि का विनियोग										
निवल स्थाई परिसंपत्तियाँ	**2693**	2695	2620	2506	2458	2423	2453	2485	2516	2547
कार्यशील पूँजी (नकदी ऋण के अलावा)	**628**	460	283	(176)	(640)	(390)	(625)	(650)	(621)	(405)
पूँजीगत चालू कार्य	**189**	165	149	102	92	33	21	1	2	7
निवेश	**1**	1	1	1	1	1	1	1	1	1
कुल	**3511**	**3321**	**3053**	**2433**	**1911**	**2067**	**1850**	**1837**	**1898**	**2150**
वित्तीय अनुपात	**2019–20**	**2018–19**	**2017–18**	**2016–17**	**2015–16**	**2014–15**	**2013–14**	**2012–13**	**2011–12**	**2010–11**
कार्यशील पूँजी अनुपात										
चालू अनुपात	**0.92:1**	0.89:1	0.87:1	0.73:1	0.69:1	0.66:1	0.62:1	0.75:1	0.88:1	0.93:1
उत्पादन मूल्य के माह की सं. में कार्यशील पूँजी	**लागू नहीं**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्पादन मूल्य के माह की सं. में कार्यशील	**0.85**	0.94	1.11	1.05	1.00	1.81	1.50	1.38	1.36	0.69
विक्रय और सेवाओं के माह में देनदार (अग्रिम का निवल)	**12.26**	12.85	16.31	14.13	18.28	38.76	30.22	30.18	30.89	18.12
कार्यशील पूँजी से कुल परिसंपत्तियॉ। (%)	**लागू नहीं**	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
प्रत्यक्ष सामग्री की लागत से उत्पादन मूल्य उत्पाद शुल्क सहित (%)	**20.79**	31.76	32.23	37.14	53.47	29.94	17.84	25.82	31.63	80.99
प्रत्यक्ष सामग्री की लागत एवं संस्थापन प्रभार से उत्पादन मूल्य उत्पाद शुल्क सहित (%)	**66.35**	72.91	63.34	76.55	78.85	64.56	67.58	70.77	74.00	90.25
शेयरपूंजी अनुपात को ऋण	**2.30**	2.88	3.30	–	–	–	–	–	–	–
इक्विटी (आरओई)/ शुद्ध मूल्य अनुपात पर वापसी	**54.06**	(0.17)	(0.14)	–	–	–	–	–	–	–
निवल लाभ मार्जिन (%)	**7.33%**	5.55%	6.82%	–	–	–	–	–	–	–
देनदारी/ प्राप्य कुल बिक्री अनुपात	**0.71**	0.58	0.54	–	–	–	–	–	–	–
इन्वेंट्री कुल बिक्री अनुपात	**11.96**	11.90	9.48	–	–	–	–	–	–	–
ब्याज कवरेज/ऋण सेवा कवरेज अनुपात	**1.52**	1.01	1.01	–	–	–	–	–	–	–
परिचालन लाभ मार्जिन (%)	**7.82%**	1.00%	-3.25%	–	–	–	–	–	–	–
वित्तीय अनुपात	**2019–20**	**2018–19**	**2017–18**	**2016–17**	**2015–16**	**2014–15**	**2013–14**	**2012–13**	**2011–12**	**2010–11**
संवृद्धि अनुपात :										
उत्पादन मूल्य में वार्षिक संवृद्धि (%)	**28.24**	12.66	3.81	30.01	102.75	(19.53)	(15.60)	(8.63)	(51.46)	(55.68)
सकल निरुद्ध पूँजी में वार्षिक संवृद्धि पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर (%)$	**10.00**	35.80	84.09	(87.27)	3.98	(0.58)	0.10	0.39	0.68	0.29
अन्य आंकड़े	**2019–20**	**2018–19**	**2017–18**	**2016–17**	**2015–16**	**2014–15**	**2013–14**	**2012–13**	**2011–12**	**2010–11**
कुल विक्रय संघटन										
बीएसएनएल / एमटीएनएल	**309**	974	1188	1083	592	239	260	181	206	1963
अन्य	**2094**	920	515	528	661	381	510	740	787	176
कुल	**2403**	**1894**	**1703**	**1611**	**1253**	**620**	**770**	**921**	**993**	**2139**
मूल्य वृद्धि	**463**	276	324	283	177	153	164	166	164	328
31 मार्च तक कार्मिकों की संख्या	**3498**	3520	3576	4052	5229	6177	7311	8516	9512	10616
प्रति कार्मिक मूल्य वृद्धि (₹)	**1319464**	777903	849502	609848	310363	226868	207241	184158	162957	293473
प्रति कार्मिक उत्पादन वृद्धि (₹)	**6962097**	5369222	4433665	3510398	2197089	916370	970493	1009541	989666	1835995

$1. सरकारी अनुदान का अनुचित हिस्सा (अनुदान दस्तावेज की शर्तों के अनुसार) को अन्य इक्विटी से अलग वर्गीकृत किया जाता है और गैर-मौजूदा देनदारियों के रूप में दिखाया जाता है।

$2. चूंकि वरीयता शेयर गैर परिवर्तनीय और अतिदेय हैं, वही शेयर पूंजी से हटा दिया गया है और वर्तमान वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। (कोष्ठक में प्रस्तुत आंकड़े ऋणात्मक आंकड़े है)

आँकड़े – एक झलक

करोड़ रु. में

तुलन पत्र	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
क. कंपनी स्वामित्व की संपत्तियाँ				
स्थाई परिसंपत्तियाँ		2814		2775
घटाएं : मूल्यह्रास		121		80
निवल ब्लाक		2693		2695
पूँजीगत चालू कार्य		189		165
निवेश				1
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	4444		4097	
	4851		4596	
घटाएं : चालू देयताएं		(407)		(499)
		358		2
जोड़े: गैर–चालू परिसंपत्तियाँ,		2833		2364
ख. घटाएं कंपनी की देनदारियाँ				
गैर – चालू देयताएं		502		570
ग. शेयरधारकों की निधि (क) – (ख)		2331		1794
निम्नलिखित द्वारा अधिशेष :				
शेयर पूँजी		925		897
आरक्षित निधि तथा अधिशेष	3282		2902	
पुनर्मूल्यांकन आरक्षित	2330		2335	
अनुदान सहायता	0		0	
घटाएं : लाभ और हानि खाता (डेबिट)	4206		4340	
		1,406		897
		2,331		1,794

करोड़ रु. में

लाभ और हानि लेखा	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) कंपनी अर्जन		
सेवाओं सहित विक्रय (जीएसटी सहित)	2,403	1,894
अन्य आय*	184	336
प्रक्रियाधीन कार्य भंडार माल और विनिर्मित घटक में वृद्धि / (ह्रास)	40	11
	2,627	2,241
(ख) कंपनी का व्यय		
सामग्री	1,621	1,389
कर्मचारी लागत*	231	204
मूल्यह्रास	42	37
वित्तपोषण व्यय	141	106
अन्य व्यय (जीएसटी सहित)	441	412
	2,476	2,148
(ग) कर (क–ख) पूर्व लाभ/(हानि)	151	93
(घ) घटाएं : कराधान का प्रावधान	0	0
(ङ) कर के बाद लाभ**	151	93
(च) अन्य व्यापक आय	4	18
(छ) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (व्यापक लाभ/(हानि) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय)	155	111

* भारत सरकार से प्राप्त वित्त पोषित वीआरएस के खाते में 4.39 करोड़ रुपये कर्मचारी लागत और अन्य आय शामिल हैं ।

**151 करोड़ रुपए का लाभ और 93 करोड़ रुपए लाभ क्रमश: 85.40 करोड़ रुपए और अनुदान में शून्य रुपए की सहायता के बिना है।

करोड़ रु. में

निधियों के स्रोत और उपयोग	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
निधियों के स्रोत		
1. मूल्य ह्रास	**42**	37
2. उधार में वृद्धि	**77**	32
3. कार्यशील पूँजी में कटौती	**0**	0
4. प्राप्त राजस्व अनुदान सहायता	**85**	0
5. प्राप्त पूँजीगत अनुदान सहायता	**414**	55
6. गैर–चालू देयताओं में वृद्धि	**0**	65
7. गैर मौजूदा परिसंपत्ति में कमी	**0**	5
8. क) कर पूर्व लाभ*	**66**	93
ख) अन्य व्यापक आय	**4**	18
	688	305
निधियों के उपयोग		
1. करोपरांत हानि	**0**	0
2. उधार में कमी	**0**	0
3. कार्यशील पूँजी में वृद्धि	**191**	177
4. स्थाई परिसंपत्तियाँ	**71**	128
5. प्रयुक्त पूँजीगत सहायता अनुदान	**0**	0
6. प्रयुक्त राजस्व सहायता अनुदान	**0**	0
7. गैर चालू देयताओं में कमी	**68**	0
8. गैर–मौजूदा परिसंपत्तियों में वृद्धि	**358**	0
	688	305

नोट:

*66 करोड़ रुपए का लाभ और 93 करोड़ रुपए का लाभ क्रमश: 85.40 करोड़ रुपए और अनुदान में शून्य रुपए की सहायता के बिना है ।

निदेशकों का प्रतिवेदन

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल की 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ लेखा परीक्षक रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा लेखों पर टिप्पणी के साथ-साथ कंपनी के व्यावसायिक संचालन पर 70वीं निदेशकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हमें बेहद हर्ष है ।

फरवरी 2014 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कंपनी के लिए अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 तक 1892.79 करोड रूपये अनुमोदन सहायता के रूप में और 769.00 करोड़ रुपये की कैपेक्स निधि इक्विटी के रूप में (2264 करोड़ रुपये की अनुमोदित राशि में से) प्राप्त किया । वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 105 करोड़ रुपये केपेक्स निधि के रूप में प्राप्त हुआ तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजह में 105 करोड़ रुपये कैपेक्स निधि के रूप में आबांटित किया गया ।

आईटीआई की विभिन्न यूनिटों में विनिर्माण अवसंरचना के उन्नयन के लिए कैपेक्स निधि का निवेश किया गया ताकि दूरसंचार उद्योग में उभरती प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके । इन परियोजनाओं से आईटीआई को अपनी विनिर्माण ताकत दोबारा हासिल करने में मदद मिली। पुनरुद्धार पैकेज निधियों के तहत स्थापित अत्याधुनिक अवसंरचना ने भारत सरकार के मेक इन इंडिया मिशन के तहत घरेलू बाज़ार की माँगों को पूरा करने के लिए विनिर्माण शक्तियों को बढ़ावा दिया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से लाभ की घोषणा कर रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी की निवल मालियत धनात्मक हुई है।

वित्तीय कार्य-निष्पादन

पिछले वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी (एकल आधार पर) का निष्पादन निम्नानुसार रहा :

(करोड़ रु. में)

क्र सं	विवरण	2019-20	2018-19
1	सेवाओं सहित विक्रय	2403	1894
2	उत्पादन मूल्य	2443	1905
3	कर से पहले हानि/लाभ	151	93
4	करोपरांत हानि/लाभ	151	93
5	अन्य व्यापक आय	4	18
6	कुल व्यापक आय	155	111
7	वित्तपोषण व्यय	141	106
8	मूल्यह्रास	42	37
9	प्रयुक्त पूँजी (निवल स्थाई परिसंपत्तियाँ + कार्यशील पूँजी)	2286	2197
10	अनुसंधान एव ंविकास व्यय	14	22

समेकित आधार पर, वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रचालनों से कुल राजस्व वित्तीय वर्ष 2018-19 के 1668.37 करोड़ रुपये की तुलना में 2058.87 करोड़ रुपये था । वित्तीय वर्ष 2018-19 के 92.54 करोड़ रुपये के पीबीटी और पीएटी के समक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 का पीबीटी और पीएटी 150.86 करोड़ रुपये रहा।

प्रचालनीय कार्य-निष्पादन

कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 1894 करोड़ रुपये की बिक्री के समक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 2403.45 करोड़ रुपये की बिक्री हासिल की है। पिछले नौ वर्षों में यह उल्लेखनीय रूप से सर्वोच्च कारोबार है। आईटीआई लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 150.86 करोड़ रुपये के कर पश्चात् लाभ (पीएटी) की घोषणा की है जो पिछले वर्ष 2018-19 के 92.54 करोड़ रुपये के लाभ की तुलना में 63.02% अधिक है।

प्रमुख बातें

वित्तीय वर्ष 2019-20 के कुल बिक्री में मुख्य रूप से भारतनेट चरण II परियोजनाओं का निष्पादन जैसे गुजनेट और महानेट परियोजनाएँ, नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम (एनएफएस) परियोजना, निगमित विपणन और एमएसपी कार्यालयों द्वारा किया गया कारोबार, एचडीपीई पीएलबी टेलीकॉम डक्ट का निर्माण, रक्षा क्षेत्र के साथ किया गया कारोबार जैसे एस्कॉन चरण III एएमसी, रक्षा उत्पाद की आपूर्तियाँ और उनकी एएमसी, एमएलएलएन परियोजनाओं की एएमसी से संबंधित बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ किया गया कारोबार, एनजीएन की एएमसी, वाईफाई हॉटस्पॉट की संस्थापना और कार्यारंभ, डेटा सेंटर का कारोबार और ईईएसएल को स्मार्ट एनर्जी मीटर की आपूर्ति, मिनी पीसी की आपूर्ति, सोलर पैनर का निर्माण, सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की आपूर्ति,ईएमआई/ईएमसी लैब सेवाएं,झारखंड और ओडीशा राज्यों में भारतनेट चरण II की परियोजनाओं की तृतीय पक्षकार लेखा परीक्षा, ई-गवर्नेंस और आधार आधारित सेवाएं, 3 डी प्रिंटिंग सेवाएं, कंपोनेंट स्क्रीनिंग, मॉड्यूल असेंबली और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (वीएसएससी) के लिए परीक्षण सेवाएं आदि शामिल हैं।

कंपनी भारत सरकार की प्रमुख परियोजना "भारत नेट" जैसे राष्ट्रीय महत्व की टर्नकी परियोजनाओं को लागू कर रही है, जिसका लक्ष्य भारत के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में उच्च गति की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है । भारतनेट चरण I और II के तहत, आईटीआई ने 2073 जीपॉन ओएलटी और 51369 ओएनटी का सफलतापूर्वक निर्माण, आपूर्ति और कमीशन किया है। आईटीआई भारतनेट चरण II परियोजना के तहत गुजनेट और महानेट के आदेशों पर कार्य कर रही है। संपूर्ण गुजरात राज्य में ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी समाधानों के कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड (जीएफजीएनएल) से 1417 करोड़ रुपये मूल्य का आदेश प्राप्त हुआ है। आईटीआई ने अब तक 1070 करोड़ रुपये कुल मूल्य का आदेश निष्पादित कर दिया है जिसके समक्ष 2018-19 में 13.39 करोड़ रुपये, 2019-20 में 1056.68 करोड़ रुपये और 2020-21 में 17.32 करोड़ रुपये के आदेश मूल्य निष्पादित किए गए । संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी समाधान के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र सूचना प्रौद्योगिकी निगम लिमिटेड (एमआईटीसीएल) से 3111.66 करोड़ रुपये मूल्य का आदेश प्राप्त हुआ है । आईटीआई ने अब तक 1381.43 करोड़ रुपये कुल मूल्य का आदेश निष्पादित कर दिया है।

आईटीआई को ओडीशा और झारखंड राज्यों में भारतनेट चरण II परियोजना के कार्यान्वयन के लिए तृतीय पक्षकार लेखा परीक्षा सेवाएँ (टीपीए) प्रदान करने के लिए 18.06 करोड़ रुपये मूल्य के आदेश भी मिले हैं । इसके अलावा, आईटीआई को 15 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की टीपीए सेवाओं के लिए बीबीएनएल से 11.64 करोड़ रुपये मूल्य के आदेश भी मिले हैं ।

निष्पादित की जा रही अन्य महत्वपूर्ण परियोजना भारत के रक्षा बलों के लिए 2985 करोड़ रुपये की एनएफएस (नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम) परियोजना है जिसमें ऑप्टिकल फायबर केबल, पीएलबी एचडीपीई डक्ट और देश के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में टर्नकी आधार पर अनन्य ऑप्टिकल एनएलडी बैकबोन तथा ऑप्टिकल एक्सेस रूट का निर्माण करने के सहायक उपकरणों की आपूर्ति, ट्रेंचिंग, बिछाने, स्थापना, परीक्षण और रखरखाव शामिल है। आईटीआई ने लगभग 13,539 किलो मीटर लंबे ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए इन 2 क्षेत्रों का आदेश प्राप्त किया है। कुल 13,539 किलो मीटर केबल बिछाने में से, लगभग 11475 किलो मीटर एफ और जी पैकेज दोनों में रखे गए हैं। आईटीआई ने 85% काम पहले ही पूरा कर लिया है और वित्तीय वर्ष 2020-21 तक पूरी परियोजना का काम पूरा कर लिया जाएगा ।

रक्षा के मोर्चे पर,कंपनी आर्मी स्टेटिक स्विचड कम्युनिकेशन नेटवर्क (एस्कॉन) चरण IV परियोजना के मेगा टेंडर में जीत हासिल किया है और भारत भर में रक्षा बल के लिए सेना के आधुनिक संचार नेटवर्क के चरण IV की तैनाती और अनुरक्षण के लिए रक्षा मंत्रालय से 7796 करोड़ रुपये मूल्यवाले आदेश प्राप्त हुआ है। उक्त परियोजना में बुनियादी ढांचे और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, आईपी एमपीएलएस राउटर जैसे उपकरणों के संस्थापन, कमीशनिंग और अनुरक्षण, माइक्रोवेव रेडियो, सैटेलाइट टर्मिनल, एनएमएस और परीक्षण उपकरण शामिल हैं।

रक्षा क्षेत्र और अन्य रक्षा एजेंसियों के लिए आवश्यक एन्क्रिप्टेड दूरसंचार उपकरणों का विनिर्माण भी हाल के वर्षों में कंपनी का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। आईटीआई को रक्षा की एनएफएस परियोजना और 1 जीबी आईपी एन्क्रिप्शन के तहत मल्टी-चैनल एन्क्रिप्शन यूनिटों (एमसीईयू) की डिजाइन, विकास, विनिर्माण, आपूर्ति और एएमसी के लिए रक्षा से क्रय आदेश प्राप्त हुआ है और यह परियोजना प्रगति में है । इसके अलावा, आईटीआई के पास 48 1जीबी आईपी एन्क्रिप्टर्स की आपूर्ति और एएमसी के लिए आदेश हैं । आईटीआई को गृह मंत्रालय (एमएचए) से आईपी एन्क्रिप्टरों और उनके सहायक उपकरणों की आपूर्ति और एएमसी के लिए आदेश प्राप्त हुए हैं। आईटीआई रक्षा क्षेत्र के एन्क्रिप्शन उपकरणों की आपूर्ति के लिए अधिक निविदाओं के लिए बोली लगा रही है।

आईटीआई को राज्य की नोडल एजेंसी (एसएनए) के रूप में उत्तराखंड राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूआरईडीए) की ओर से, सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइन प्रणाली की आपूर्ति, संस्थापना और एएमसी के लिए ईईएसएल से 40.41 करोड़ रुपये मूल्य का आदेश प्राप्त हुआ है।

कंपनी को महानेट परियोजना के लिए 10,000 किलो मीटर के एचडीपीई पीएलबी दूरसंचार डक्ट और 20,000 सोलर पैनल के निर्माण और आपूर्ति के लिए 61.36 करोड़ रुपये और 6.72 करोड़ रुपये मूल्य के आदेश भी प्राप्त हुए हैं। आईटीआई ने अब तक 6700 किलो मीटर एचडीपीई डक्ट और 9500 नग सोलर पैनल की आपूर्ति की है।

आईटीआई ने विविध उत्पादों/सेवाओं/समाधानों में विविधीकरण करने का भी प्रयास किया है जैसे ओएफसी/एचडीपीई डक्ट निर्माण, स्मार्ट कार्ड निर्माण, रेडियो मॉडेम, वाई-फाई हॉट स्पॉट, डेटा सेंटर सेवाएँ, एसएएएस, आधार आधारित प्रमाणीकरण सेवाएं आदि, आई.ओ. टी. कारोबार के उत्पाद/ समाधान, कम्पोनेंट स्क्रीनिंग, इसरो के लिए वैमानिकी मॉड्यूलों का निर्माण और आपूर्ति, मिनी पीसी, स्मार्ट एनर्जी मीटर निर्माण, स्विच मोड पॉवर आपूर्ति

(एसएमपीएस), 3 डी प्रिंटिंग सेवाएँ, ईएमआई / ईएमसी, सुरक्षा प्रयोगशाला सेवाएं, सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन (एसएनवीएम), स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम आदि।

आईटीआई रक्षा क्षेत्र में ऐसी अनेक निविदाओं में और स्मार्ट सिटी परियोजना, वाईफाई एक्सेस पॉइंट, एचडीपीई पाइप निर्माण, ओएनटी / ओएलटी आदि की आपूर्ति आदि जैसी अन्य निविदाओं में भी भाग ले रही है। ओएफसी केबलों और ओएफसी लैइंग की आपूर्ति के लिए आईटीआई बीएसएनएल की निविदाओं, एयरटेल एफटीटीएच की आवश्यकताओं, तमिलनाडु निविदा आदि जैसी विभिन्न निविदाओं में भी भाग ले रही है। आई टी आई ने एस्कॉन चरण IV के बड़े आदेश के समक्ष 11000 किलोमीटर के ओएफसी केबलों के निर्माण और आपूर्ति की योजना बनाई है। आईटीआई ने चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विकास में भी विविधीकरण किया है। कोविड–19 की मौजूदा महामारी के विरुद्ध अपनी लड़ाई में भारत सरकार के प्रयास के तहत, आईटीआई फेस शील्ड, फेस मास्क, फेस मास्क वेन्डिंग/डिस्पोज़ल मशीनें, मैनुअल हैंड सैनिटाइज़िंग डिस्पेंसर (पैडल चलित), स्वचालित हैंड सैनिटाइज़िंग डिस्पेंसर आदि का निर्माण और आपूर्ति कर रही है। आईटीआई को 16.71 लाख फेस शील्ड की आपूर्ति करने के लिए 6.45 करोड़ रुपये मूल्य का आदेश प्राप्त हुआ है और इसकी आपूर्ति प्रगति में है। आईटीआई ने सिंगल आउटलेट स्वचालित रीसस्टीटेटर–पोर्टेबल वेन्टीलेटरों और यू वी डिसइन्फेक्शन सिस्टम के विकास के लिए डीआरडीओ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है।

कंपनी का संपूर्ण निष्पादन इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

क्रम. सं.	उत्पाद /परियोजनाएँ	2019–20 (जीएसटी सहित)	2018–19 (ईडी और सेवाकर और जीएसटी सहित)
1	गुजनेट	1056.68	13.31
2	महानेट	619.05	426.19
3	निगमित विपणन और एमएसपी	217.73	413.89
4	एनएफएस परियोजना	214.37	274.94
5	रक्षा व्यवसाय और एएमसी/एस्कॉन एएमसी	97.24	121.51
6	जीएसएम – दक्षिण अंचल एएमसी	36.02	46.08
7	एमएलएलएन/एसएसटीपी हेतु एमएलएलएन/एएमसी	28.00	72.48
8	एचडीपीई पाइप विनिर्माण	26.00	0.00
9	3 डी प्रिंटिंग, आधार आधारित व्यवसाय /मिनी पीसी / घटक स्क्रीनिंग / ई–गवर्नेंस परियोजना / विविध सेवाएं ।	18.29	9.69
10	डाटा सेन्टर	17.59	19.28
11	सीसीएमएस/ऑनलाइन आरपीएफ परीक्षा	15.33	39.14
12	ओसीबी एएमसी व्यवसाय	13.93	20.23
13	स्मार्ट एनर्जी मीटर	11.98	30.84
14	झारखंड और ओडिशा में भारत परियोजना के लिए टीपीए	9.75	0.00
15	एसएमपीएस एवं मरम्मत	5.41	11.55
16	एनजीएन एएमसी	5.15	6.98
17	वाई–फाई हॉटस्पॉट आई एवं सी	2.64	37.04
18	जीएसएम सुविधा	2.63	4.22
19	सोलर पैनल/सोलर स्ट्रीट लाइट	2.39	0.00
20	बैंकिंग उत्पाद/अनुबंध उत्पाद/सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन	1.84	20.97
21	जीपॉन(ओएनटी, ओएलटी, एसपीवी और आई एवं सी)	1.43	55.20
22	एनजीएन/सीपीएएन अनुबंध विनिर्माण	0.00	234.86
23	जीएसएम पश्चिम अंचल एएमसी	0.00	27.61
24	सी–डॉट एनआरएएक्स / पीसीएम एमयूएक्स–	0.00	8.01
	कुल	**2403.45**	**1894.02**

शेयर पूंजी :

वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी में कोई बदलाव नहीं हुआ। भारत सरकार के आदेश सं. 20–86 / 2014–एफएसी–II दिनांक 29 अगस्त 2019 को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा अधिमान शेयरों को भुनाने के लिए कंपनी को सहायता के रूप में 300 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। तदनुसार, निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ, कंपनी ने अधिमान शेयरों के बाद भुनाया है:

(i) 1,00,00,000 8.75% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर 100 रुपये प्रत्येक एमटीएनएल के बराबर;

(ii) 2,00,00,000 7.00% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर 100 रुपये प्रत्येक बीएसएनएल के बराबर ;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बीआईएफआर के आदेश के अनुसार, 23 मार्च 2020 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2018–19 और वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त 160 करोड़ रुपये के कैपेक्स अनुदान के समक्ष 56.90 रुपये (46.90 रुपये के प्रीमियम पर) की दर पर 2,81,19,508 इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य10.00 रुपये प्रत्येक) आवंटित किए। तदनुसार, 31 मार्च, 2020 को चुकता इक्विटी शेयर पूँजी 8,97,00,00,000 रुपये से बढ़कर 9,25,11,95,080 रुपये हो गई।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने स्टॉक विकल्प या स्वेट इक्विटी शेयर नहीं दिए हैं । 31 मार्च 2020 के अनुसार कंपनी का कोई भी निदेशक कंपनी के किसी भी शेयर का धारण नहीं किया है।

आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ)

21 मार्च 2018 को सम्पन्न अपनी बैठक में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने आईटीआई लिमिटेड के आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव ("एफपीओ") को मंजूरी दे दी, जिसमें पुस्तक निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किए जानेवाले 10 रुपए के अंकित मूल्य के 18 करोड़ के ताजा इक्विटी शेयर जारी करने से संबंधित है । इसके अतिरिक्त, फ्रेश इश्यू टू पब्लिक (18 करोड़ इक्विटी शेयर) के 5% तक अतिरिक्त इक्विटी शेयर कंपनी के कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगे । एफपीओ का उद्देश्य नई परियोजनाओं के लिए कार्यशील पूंजी जुटाना, अपने ऋण दायित्वों को कम करना और सेबी की न्यूनतम 25% सार्वजनिक शेयरधारण की आवश्यकता को पूरा करना है ।

सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन से कंपनी ने 24 जनवरी 2020 को इश्यू पेश किया जिसे 05 फरवरी 2020 तक दो बार बढ़ाया गया । निदेशक मंडल ने 22 जनवरी 2020 को आयोजित बैठक में एफपीओ के माध्यम से प्रस्तावित शेयरों की मूल्य सीमा तय कर 72 रुपये – 77 रुपये कर दी जिसे संशोधित कर 71 रुपये – 77 रुपये किया गया। हालांकि, बाजार की मौजूदा स्थितियों के कारण, एफपीओ को 05 फरवरी 2020 को वापस ले लिया गया।

कंपनी सेबी की न्यूनतम 25% सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकता को पूरा करने के लिए निधि जुटाने के विकल्प तलाश रही है।

लाभांश

जैसा कि आपकी कंपनी अभी भी घाटे में है, निदेशक,वर्ष 2019–20 के लिए किसी भी लाभांश की सिफारिश करने की स्थिति में नहीं हैं।

आरक्षित

जैसा कि कंपनी ने अभी भी संचित घाटे में है, उसने किसी भी राशि को आरक्षित में स्थानांतरित नहीं किया है।

उत्पादन संयंत्रों और सेवा इकाइयों का परिचालनीय प्रदर्शन:

बेंगलूरु संयंत्र

I. कार्य–निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2019–20 में, बेंगलूरु संयंत्र ने 710.89 करोड़ रुपये का कुल बिक्री हासिल किया। इस कुल बिक्री में ग्राहकों को प्रदान की गई आपूर्ति, परियोजनाएं और सेवाएं शामिल हैं ।

* आपूर्ति शीर्ष के तहत–रक्षा के लिए 2.50 करोड़ रुपये मूल्य के गुप्तता उपकरण, पीएसयू/निजी कंपनियों के लिए 0.97 करोड़ रुपये मूल्य के संविदा निर्माण, पीएसयू, चिकित्सा संस्थानों, निजी कंपनियों के लिए 0.45 करोड़ रुपये की 3 डी प्रिंटिंग की आपूर्ति संयंत्र द्वारा की गई।
* परियोजना शीर्ष के तहत–यूनिट ने महानेट परियोजना के तहत 619.05 करोड़ रुपये मूल्य का कार्य–निष्पादन किया।
* सेवा शीर्ष के तहत – यूनिट ने 36.02 करोड़ रुपये मूल्य का जीएसएमएसज़ेड की एएमसी का कार्य निष्पादित किया; 10.45 करोड़ रुपये मूल्य का रक्षा की एएमसी; 5.15 करोड़ रुपये मूल्य के एनजीएन उपकरण की एएमसी; 17.59 करोड़ रुपये मूल्य की डेटा सेंटर सेवाएँ; ईईएसएल के लिए 14.40 करोड़ रुपये मूल्य की एलईडी स्ट्रीट लाइटों के लिए केंद्रीकृत नियंत्रण और निगरानी प्रणाली (सीसीएमएस) की

स्थापना और कार्यारंभ; बीएसएनएल के लिए 2.64 करोड़ रुपये मूल्य के वाईफाई हॉटस्पॉट की स्थापना और कमीशनिंग, 0.74 करोड़ रुपये मूल्य का आधार आधारित व्यावसायिक सेवाएँ; 0.93 करोड़ रुपये मूल्य के आरपीएफ के लिए ऑनलाइन परीक्षा ।

II. वर्ष 2019–20 के दौरान निष्पादित/ निष्पादन के तहत परियोजनाएँ

* भारतनेट चरण–।। परियोजना के लिए महानेट
* डाटा सेंटर सर्विस
* रक्षा व्यवसाय/एएमसी
* सीसीएमएस/ऑनलाइन आरपीएफ परीक्षा
* जीएसएम दक्षिण क्षेत्र एएमसी / एनजीएन एएमसी
* आधार आधारित सेवाएं
* 3डी प्रिंटिंग
* वाई–फाई हॉटस्पॉट

III. वर्ष 2019–20 के लिए बेंगलूरु यूनिट की मुख्य बातें :

भारतनेट चरण–II परियोजना के लिए महानेट :

आईटीआई को महाराष्ट्र राज्य में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए महानेट–I (भारतनेट–II) परियोजना के पैकेज ए और सी के कार्यान्वयन के लिए, महाराष्ट्र सूचना प्रौद्योगिकी निगम लिमिटेड से आदेश मिला है।

इस परियोजना में ओएफसी (23300 किलो मीटर भूमिगत, 14400 किलो मीटर एरियल केबल) बिछाना और आईपी एमपीएलएस, माइक्रोवेव रेडियो, वाई–फाई हॉटस्पॉट, नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर (एनओसी) की स्थापना शामिल है। इस परियोजना का कुल मूल्य लगभग 3111.66 करोड़ रुपये है। आईटीआई ने इस परियोजना को कुल 1381.43 करोड़ रुपये निष्पादित किया है। इसमें से, 419.19 करोड़ रुपये के आदेश 2018–19 में और 619.05 करोड़ रुपये के आदेश वर्ष 2019–20 के दौरान तथा 343.19 करोड रूपये के आदेष 2020–21 में निष्पादित किए गए । अब तक, 10357 किलो मीटर की टी एंड डी, 5784 किलो मीटर की फाइबर ब्लोइंग, कुल 1873 किलो मीटर की एरियल रूटिंग और कुल 265 जीपी बिछाई गई है।

डेटा केंद्र सेवाएं :

वर्तमान में आईटीआई के बेंगलूरु संयंत्र में वर्ष 2009 से इसका अत्याधुनिक स्तर 3 + अनुरूप डेटा केंद्र वर्तमान में 2,00,000 वर्ग फीट से अधिक जगह पर फैला हुआ है जिसमें 350 रैक क्षमता की विश्व–स्तरीय सुविधाएँ मौजूद हैं। यहाँ अत्यधिक सुरक्षित और स्थिर परिवेश में स्टार्ट–अप ग्राहकों के साथ–साथ पीएसयू, बैंकों, कार्पोरेट और निजी कंपनियों को कोलोकेशन (होस्टिंग), व्यवस्थित बैंडविड्थ और ईमेल सेवा जैसी विभिन्न सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। कंपनी दो चरणों में अतिरिक्त 1000 रैक क्षमता स्थापना करते हुए इस डेटा सेंटर का विस्तार कर रही है। 343 रैक का प्रावधान करते हुए चरण I का कार्य पहले ही पूरा कर दिया गया है और 343 रैक के लिए टीआईए 942–बी स्तर–3/श्रेणी–3 का प्रमाण–पत्र 15 अक्तूबर 2020 को प्राप्त हुआ है। 343 रैक का प्रावधान करते हुए चरण I का कार्य पहले ही पूरा कर दिया गया है और 343 रैक के लिए टी.आई.ए. 942–बी स्तर–3/श्रेणी–3 का प्रमाण–पत्र 15 अक्तूबर 2020 को प्राप्त हुआ है। विद्यमान सेवाओं के अलावा, एसएएएस, पीएएएस और एलएएएस जैसी सुरक्षित क्लाउड सेवाएँ भी इस नए डेटा केंद्र द्वारा प्रस्तुत की जा रही हैं। विद्यमान डेटा केंद्र सेवाओं से वर्ष 2019–20 के दौरान कुल कारोबार 17.59 करोड़ रुपये रहा।

रक्षा परियोजनाएँ/ एएमसी :

आईटीआई को रक्षा की एनएफएस परियोजना के तहत 710 मल्टी–चैनल एन्क्रिप्शन यूनिटों (एमसीईयू) की आपूर्ति और एएमसी के लिए 85 करोड़ रुपये का आदेश प्राप्त हुआ ।

आईटीआई को अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) – एड्रिन से 48 1जीबी आईपी एन्क्रिप्टर की आपूर्ति और रखरखाव के लिए 4.41 करोड़ रुपये मूल्य का आदेश मिला है। उपर्युक्त के अलावा, आईटीआई को गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार से 860 आईपी एन्क्रिप्टर की आपूर्ति और एएमसी के लिए 25.48 करोड़ रुपये मूल्य का भी आदेश मिला है । सभी आदेश निष्पादन के अधीन हैं। रक्षा के लिए आपूर्ति किए गए उपकरणों हेतु आईटीआई ने 10.45 करोड रूपये के एएमसी के आदेश निष्पादित किए ।

3 डी प्रिंटिग :

3 डी प्रिंटिंग एक क्रांतिकारी निर्माण विधि है जिसके द्वारा हम आर एंड डी प्रोटोटाइप के लिए विभिन्न प्रकार के तीन आयामी (ठोस) भागों का निर्माण कर सकते हैं; यह प्रस्तुति मॉडल, विस्तृत प्रोटोटाइप और विनिर्माण उद्योगों के लिए मास्टर पैटर्न, चिकित्सा उद्देश्य आदि के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। बेंगलूरु संयंत्र में पॉली जेट और एफडीएम (फ्यूज्ड डिपोज़िशन मॉडलिंग) 3 डी प्रिंटर स्थापित किया गया है जो सीएडी फाइल का उपयोग कर विभिन्न सामग्रियों का प्रोटोटाइप बनाने में सक्षम है। संयंत्र ने इससे वित्तीय वर्ष 2019–20 में 0.45 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया ।

आधार प्रमाणीकरण सेवाएँ :

कंपनी आधार प्रमाणीकरण सेवाएं, ई–केवाईसी सेवाएं, प्रमुख बैंकिंग एप्लिकेशन, मोबाइल वॉलेट एप्लिकेशन आदि सेवाएं प्रदान कर रही है। इन सेवाओं से वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 0.74 करोड़ रुपये का मूल्य प्राप्त हुआ।

पी.एम.के.वी.वाई. :

बेंगलूरु संयंत्र ने प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) नामक एक अत्याधुनिक विकास योजना तैयार की है ताकि जरूरतमंदों को व्यावहारिक प्रशिक्षण जीई प्रमाणित पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षण दिया जा सके। इस कार्यक्रम के तहत, यूनिट ने ओएफसी स्प्लिसिंग तकनीक पर कुल 70 छात्रों को दो बैचों को प्रशिक्षित किया और ऑनलाइन परीक्षा में भाग लेने वाले सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की । इस प्रयास से 2.85 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ ।

ईएमआई/ईएमसी प्रयोगशाला चैंबर :

ईएमआई/ईएमसी प्रयोगशाला चैंबर और परीक्षण प्रणाली ने जून 2019 में कार्य करना प्रारंभ किया था। बाहरी ग्राहकों और संस्थागत आर एंड डी के लिए परीक्षण शुरु करने से जुलाई 2019 में राजस्व प्राप्त होना शुरू हुआ। बाहरी ग्राहकों के लिए डिवाइस अंडर टेस्ट (डीयूटी) में रक्षा, एरोस्पेस, पर्यावरणीय, दूरसंचार और औद्योगिक स्वचालन के बाहरी ग्राहक शामिल थे। ईएमआई/ईएमसी परीक्षण संस्थागत आर एंड डी उत्पाद जैसे 1जीबी आईपी एन्क्रिप्टर, एमसीईयू आदि के लिए किए गए। अतिरिक्त प्रणालियों को स्थापित किया जाना है जिससे राजस्व सृजन 20–30% तक बढ़ने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्राप्त राजस्व 0.30 करोड़ रुपये है ।

संरक्षा प्रयोगशाला :

आईटीआई, संरक्ष प्रयोगशाला की सेवाए जून 2019 से प्रारंभ की । आईएस 13252/ आईएस 616/आईएस 304/आईईसी 60950–1/आईईसी 61010–1/आईईसी 60601–1/ आईईसी 60335–1 के अनुसार 52 से भी अधिक परीक्षण किए जा सकते हैं।

स्टार्ट–अप हब (विन्यास) की स्थापना :

भारत सरकार के स्टार्ट–अप इंडिया मिशन के तहत, आईटीआई देश में स्टार्ट–अप को प्रोत्साहित करने के लिए अपने बेंगलूरु संयंत्र में चरणबद्ध तरीके से 1000–सीटर स्टार्ट–अप हब स्थापित कर रही है । 150 सीटर स्टार्ट–अप हब जिसमें समर्पित कॉर्पोरेट हब मीटिंग रूम, डेमो रूम, अत्यधिक सुरक्षित वाई–फाई कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं। स्टार्ट–अप हब के ग्राहक इस सुविधा से अपने संचालन को बढ़ाने के लिए हमारी विनिर्माण सुविधाओं जैसे पीसीबी, एसएमटी, फैब्रिकेशन, दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला और 3 डी प्रिंटिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिक्स, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स, योजक निर्माण और आईओटी जैसे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 64 स्टार्ट–अप विन्यास से काम कर रहे हैं।

सीएमएमआई स्तर 3

आईटीआई डेटा सेंटर, आईटी और आईओटी सेवाओं के लिए सीएमएमआई स्तर 3 से प्रमाणित है। संगठन की क्षमता / परिपक्वता स्तर उसे कार्य–निष्पादन को चिह्नित करने का एक तरीका प्रदान करता है। आईटीआई डेटा सेंटर सेवाओं और आईओटी के कारोबार में है और सुधार करते हुए आईटीआई ने डेटा सेंटर, सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स के क्षेत्र में अपनी सेवाओं के लिए सीएमएम संस्थान से दिसंबर 2019 में क्षमता परिपक्वता मॉडल, स्तर 3 प्राप्त किया है।

इसके साथ ही आईटीआई आईटी, आईओटी और डेटा सेंटर निविदाओं में भाग ले सकेगी क्योंकि लगभग सभी आईटी निविदाओं में यह पात्रता मानदंड होता है।

आईटीआई इन क्षेत्रों में सीएमएमआई स्तर–3 को अपना रही है और 2 वर्षों तक इसका अभ्यास करने और आवधिक लेखा परीक्षाएँ करने के बाद इसका अगले स्तर यानी सीएमएमआई स्तर–5 (जो इष्टतम स्तर है) की दिशा में काम करेगी।

अनुसंधान एवं विकास

बेंगलूरु संयंत्र में स्थित अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) विनिर्माण को समर्थन देने और संचार तथा आईओटी के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ गति बनाए रखने के लिए संचार उपकरणों की डिज़ाइन और विकास कार्य किए जा रहे हैं। संचार नेटवर्क को सुरक्षित करने और नेटवर्क समाधानों को विकसित करने में एन्क्रिप्शन सिस्टम की डिजाइन और विकास में आर एंड डी प्रमुख ताकत होती है। आर एंड डी की ताकत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के विकास में विशेषज्ञता के साथ इसकी कुशल डिजाइन टीम में निहित है। डिजाइन और विकास में सहायता के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा परीक्षण यंत्रों, सॉफ्टवेयर डिजाइन टूल, सीएडी डिजाइन टूल, विश्वसनीयता प्रयोगशाला, ईएमआई/ईएमसी टेस्ट प्रयोगशाला और दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में उपलब्ध है। आर एंड डी की टीम क्षेत्र पारेषण और टर्मिनल उत्पादों में संबद्ध उत्पादों को विकसित करती है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में विकसित प्रमुख उत्पाद / प्रणालियाँ :

आर एंड डी ने निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्पाद विकसित किए –

* रक्षा के लिए एन्क्रिप्शन सिस्टम
* संचार नेटवर्क के लिए नेटवर्क समाधान
* बिजली आपूर्ति मॉड्यूल
* एकीकृत चयन प्रणाली

वित्तीय वर्ष 2019–20 में विकसित सफल उत्पाद समाधान हैं –

उत्पाद :

* एकीकृत चयन प्रणाली
* हाई स्पीड रेडियो सिस्टम
* रक्षा नेटवर्क के लिए एन्क्रिप्टर

एन्क्रिप्शन उत्पादों ने ग्राहकों के फील्ड परीक्षण और परीक्षण और मूल्यांकन से सफलतापूर्वक गुजरना पडा । इसके अलावा, ये डीआरडीओ प्रयोगशाला के प्रमाणन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में की गई नई पहल

वर्ष 2019–20 में आर एंड डी ने रक्षा के लिए सैटेलाइट रिसीवर जैसे नए उत्पादों के विकास की पहल की।

निम्नलिखित उत्पाद विकास के अधीन हैं :

1) अर्ध सैनिक बलों के लिए सुरक्षित फैक्स

2) आईआरएनएसएस रिसीवर

3) उच्च क्षमता का रेडियो रिले

4) एकीकृत चयन प्रणाली

5) सृदृढ़ एमसीईयू

6) स्मार्ट एनर्जी मीटर

7) ईवीएम और मल्टी–पोस्ट आईएसएस (ईवीएम)

मनकापुर संयंत्र

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए मनकापुर यूनिट का वार्षिक कार्य–निष्पादन

I. कार्य–निष्पादन

मनकापुर संयंत्र ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 45.87 करोड़ रुपये का कारोबार हासिल किया । उक्त कारोबार में ग्राहकों को प्रदान की गई आपूर्ति और सेवाएं शामिल हैं, जो इस प्रकार है:

* आपूर्ति शीर्ष के तहत – संयंत्र ने बीएसएनएल के लिए तितली ओएनटी, राष्ट्रीयकृत बैंकों को बैंकिंग उत्पाद और विभिन्न ग्राहकों को स्वच्छता वेंडिंग मशीनें के लिए 0.84 करोड़ रुपये की आपूर्ति की है; मनकापुर ने गुजनेट के आदेशों के समक्ष एसएसयू आधार पर रायबरेली को 5211 नग ओएनटी का निर्माण और आपूर्ति की और इस आपूर्ति का कुल बिक्री रायबरेली संयंत्र द्वारा दर्ज किया गया ।
* सेवा शीर्ष के तहत – संयंत्र ने 35.21 करोड़ रुपये की एनएफएस परियोजना निष्पादन की; झारखंड और ओडीशा राज्यों में ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी के लिए 9.75 करोड़ रुपये मूल्य की तृतीय पक्षकार लेखा परीक्षा सेवाएँ।

II. वर्ष 2019–20 में निष्पादित परियोजनाएँ

* एनएफएस
* झारखंड और ओडीशा के लिए टीपीए
* जीपॉन ओएनटी
* विविधीकृत उत्पाद – टीआईटीएलआई ओएनटी, बैंक यांत्रिकी उत्पाद (एनसीएम / एफएनडी) एसएनवीएम (सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन)

III. वर्ष 2019–20 के लिए मनकापुर यूनिट की मुख्य बातें :

स्पेक्ट्रम परियोजना (एनएफएस) के लिए नेटवर्क:

आईटीआई मनकापुर को आबंटित रक्षा नेटवर्क के लिए विशेष ऑप्टिकल एनएलडी बैकबोन और टर्नकी आधार पर ऑप्टिकल एक्सेस मार्ग के निर्माण के लिए पैकेज एफ के लिए प्रतिष्ठित एनएफएस परियोजना एएमसी को छोड़कर 843.83 करोड़ रुपये मूल्य रहा। इनमें से वित्तीय वर्ष 2019–20 में केबल बिछाने और सेवाओं के लिए 35.21 करोड़ रुपये मूल्यवाले कार्य पूरे हो चुके हैं।

जीपॉन :

संयंत्र ने गुजनेट परियोजना के तहत और बीबीएनएल तथा बीएसएनएल की पुर्जों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रायबेरली यूनिट के लिए ओएनटी 11 के 5211 नगों का निर्माण और आपूर्ति की। दिनांक 01.04.16 से 31.03.19 तक, 3 वर्षों में आईटीआई रायबरेली और मनकापुर दोनों द्वारा पी.ओ. पहले ही दिए जा चुके हैं। ओएनटी 11 के कुछ उपकरण सीधे विभिन्न एजेंसियों को भी बेचे गए हैं। संयंत्र ने विभिन्न विविध आदेशों के समक्ष ओएनटी टीआईटीएलआई ओएनटी के माध्यम से 0.04 करोड़ रुपये मूल्य के आदेश निष्पादित किए ।

तृतीय पक्षकार आधारित लेखा परीक्षा (टीपीए) :

आईटीआई मनकापुर ने झारखंड में झारखंड संचार नेटवर्क लिमिटेड (जेसीएनएल) के तहत और ओडीशा में ओडीशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओपीटीसीएल) के तहत भारतनेट चरण– II परियोजना के कार्यान्वयन के लिए तृतीय पक्षकार लेखा परीक्षा (टीपीए) गतिविधियाँ शुरू की हैं। इस परियोजना के माध्यम से 9.75 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है ।

आईटीआई मनकापुर को 15 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 4849 ग्राम पंचायत साइटों में उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड उपकरण और सौर शक्ति संयंत्र की स्वीकृति और परीक्षण के लिए टीपीए गतिविधियों के लिए 11.64 करोड़ रुपये मूल्य के आदेश भी प्राप्त हुए हैं।

नोट गिनने की मशीन / जाली नोट डिटेक्टर :

संयंत्र नोट गिनने की मशीन (एनसीएम) सहित बैंकिंग व्यापार के विभिन्न उत्पादों की आपूर्ति और सर्विसिंग में भी है। नोट की गिनती के अलावा, जाली नोटों का पता लगाने के लिए, यूनिट ने इसमें यूवी फेक नोट डिटेक्टर (एफएनडी) की अतिरिक्त विशेषता को शामिल करते हुए एक नया मॉडल विकसित किया है। उक्त उत्पादों से 0.53 करोड़ रुपये मूल्य के आदेश निष्पादित किए गए।

सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन (एसएनवीएम) की आपूर्ति :

महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता की दिशा में एक कदम बढाते हुए संयंत्र ने एक नए उत्पाद – "फ्लोरा–सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन" का विकास और आपूर्ति करके सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों की स्थापना में योगदान दिया है । यह सिक्कों को स्वीकार करते हुए सेनेटरी नैपकिन के वितरण के लिए एक स्वयं सेवा वेंडिंग मशीन है। इस उत्पाद से वित्तीय वर्ष 2019–20 में 0.34 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ ।

कौशल विकास :

कर्मचारी विकास केंद्र (ईडीसी) "फिनिशिंग स्कूल्स" के तत्वावधान में इंजीनियरिंग/डिप्लोमा छात्रों के लिए कौशल औद्योगिक प्रशिक्षण का आयोजन कर रहा है। प्रयास है कि उद्योग–संस्थान की प्रभावी सहभागिता हो, जिससे हमारे संगठन में परियोजना इंटर्नशिप के माध्यम से छात्रों को व्यावहारिक मुद्दे के बारे में पता चले। इंजीनियरिंग/इंजीनियरिंग इतर छात्रों के लिए ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण/परियोजना प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है। फिनिशिंग और ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण के अलावा, कर्मचारी विकास केंद्र एनआईईएलआईटी गोरखपुर के माध्यम से यूपी के विभिन्न केंद्रों में सीसीसी परीक्षा भी आयोजित करता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान ईडीसी द्वारा लगभग 0.74 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया गया।

माननीय अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर.एम. अग्रवाल ने दिनांक 02.03.2020 को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। एनएसक्यूएफ पाठ्यक्रम और "पीसी की स्थापना और रख–रखाव" पर कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया । आईटीआई मनकापुर ने विभिन्न सरकारी पॉलिटेक्निक के साथ समझौता ज्ञापन भी किया है । इसका मुख्य उद्देश्य अपने छात्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है जो आगे चलकर राजस्व सृजित करेगा।

मनकापुर संयंत्र अब 5 साल की अवधि के लिए दूरसंचार क्षेत्र कौशल परिषद (टीएसएससी) का एक सहयोगी सदस्य है।

नए उत्पाद :

आईटीआई मनकापुर विविध उत्पादों में भी कारोबार कर रहा है। शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में प्रयास करते हुए आईटीआई मनकापुर ने हाल ही में संस्थागत डिज़ाइन से विकसित उत्पाद–3 डी प्रिंटर लॉन्च किया है जिसे 3 डी आधारित मॉडल और प्रोटोटाइप के निर्माण के लिए आईआईटी इलाहाबाद के सहयोग से किया गया है। इसमें रैपिड प्रोटोटाइप और कॉन्सेप्ट मॉडलिंग की सुविधा है, जिसके परिणामस्वरूप कम लागत और बेहतर गुणवत्ता के साथ तेजी से उत्पादन होता है।

मनकापुर संयंत्र ने कोविड–19 को फैलने से रोकने में मदद करने के लिए फेस मास्क डिस्पोज़ल मशीन, डिटैचेबल फिल्टर के साथ फेस मास्क, स्वचालित हैंड सैनिटाइज़र डिस्पेंसर, टनल और मैनुअल सैनिटाइज़िंग डिस्पेंसर, पैर से संचालित हैंड सैनिटाइज़र जो विभिन्न प्रकार की बोतलों के लिए पूरी तरह अनुकूल है, आदि जैसे चिकित्सा उत्पाद विकसित किया

है। इस संयंत्र ने "यूवी डिसइन्फेक्शन सिस्टम" नामक यूवी ब्लास्टर के लिए मेसर्स लेज़र साइंस एंड टेक्नालॉजी सेंटर (एलएएसटीईसी), डीआरडीओ के साथ एक टीओटी करार पर हस्ताक्षर किया है और इसके प्रोटोटाइप विकसित किए हैं। इन प्रोटोटाइपों का मूल्यांकन डीआरडीओ द्वारा किया गया है। आवश्यक प्रमाणीकरण प्राप्त करने के बाद इस संयंत्र में यू.वी. डिसइन्फेक्शन सिस्टम का बृहद् निर्माण किया जाएगा।

नैनी संयंत्र

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए नैनी यूनिट का वार्षिक कार्य–निष्पादन

I. कार्य–निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान नैनी संयंत्र ने कुल 2.40 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इन कारोबार में ग्राहकों को की गई आपूर्तियाँ शामिल है, जो इस प्रकार है –

आपूर्ति शीर्ष के तहत – संयंत्र ने महानेट आदेश के लिए 0.94 करोड़ रुपये के सोलर फोटोवोल्टाइक उपकरण की आपूर्ति की; ईईएसएल से प्राप्त आदेश के लिए सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट प्रणाली। इसके अलावा, संयंत्र ने बीबीएनएल/बीएसएनएल को आपूरित जीपॉन उपकरण के रख–रखाव के लिए पुर्जों की आवश्यकता पूरी करने के लिए 0.60 करोड़ रुपये मूल्य की 1157 सीसीयू यूनिटों की आपूर्ति एनएसयू को की है ।

II. वर्ष 2019–20 के दौरान निष्पादित परियोजनाएँ :

* महानेट परियोजना के लिए सोलर फोटो वोल्टाइक (एसपीवी) पैनल
* सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट सिस्टम
* चार्ज कंट्रोल यूनिट (सीसीयू)

III. वर्ष 2019–20 के लिए नैनी यूनिट की मुख्य बातें :

महानेट (भारतनेट चरण–II) परियोजना के लिए एसपीवी पैनल :

नैनी यूनिट को महानेट परियोजना के लिए 60 वॉट के एसपीवी पैनल की 20,000 नगों की आपूर्ति के लिए 6.82 करोड़ रुपये मूल्य का क्रय आदेश प्राप्त हुआ है। । नैनी यूनिट 2019–20 के दौरान 0.94 करोड़ रुपये के एसपीवी पैनल के 2,500 नग पहले ही भेज चुकी है। इसके अलावा, 2020–21 में 7000 नागों का पैनलों की आपूर्ति की जा चुका है और शेष 10500 नग पहले से ही निर्मित और प्रेषण के तहत हैं।

नैनी यूनिट को टीईसी जीआर सं. जीआर/एसपीवी–02/03 मई 2008 के लिए हाइब्रिड सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली के लिए टीएसईसी वैधता विस्तारण प्राप्त हुआ और टीएसईसी की संशोधित वैधता 31.01.2023 है। इस हाइब्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली का उपयोग जीपॉन ब्रॉड बैंड सिस्टम के ओएनटी उपकरण में अबाधित बिजली प्रदान करने के लिए किया जाता है।

सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट प्रणाली :

नैनी यूनिट को 19,665 नग सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट सिस्टम के 5 वर्ष की व्यापक रखरखाव वारंटी के साथ सर्वेक्षण, डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कार्यारंभ के लिए उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण (उरेडा) से मांग–पत्र (एलओआई) प्राप्त हुआ है । पीओ का कुल मूल्य 40.41 करोड़ रुपये है। नैनी संयंत्र ने 2300 एलईडी स्ट्रीट लाइट सिस्टम की आपूर्ति यूआरईडीए को की है।

चार्ज कंट्रोल यूनिट :

यूनिट ने भारतनेट चरण–II परियोजना के लिए नेटवर्क सिस्टम यूनिट (एनएसयू) को 0.60 करोड़ रुपये मूल्य की पुर्जों की ज़रूरतों के लिए चार्ज कंट्रोल यूनिट (सीसीयू) की 1157 यूनिटों की आपूर्ति की है।

आईएसओ लेखा परीक्षा, पीएमएमएम और पीसीएमएम स्तर II :

क. नैनी यूनिट ने आईएसओ 18001: 2007 से आईएसओ 45001: 2018 तक सफलतापूर्वक अपग्रेड किया है। यह प्रमाण–पत्र 22 मार्च 2023 तक वैध है।

ख. यूनिट ने आईएसओ 14001: 2015 और आईएसओ 9001: 2015 की दूसरी वार्षिक निगरानी लेखा परीक्षा पूरी की है।

ग. नैनी यूनिट ने स्तर II के लिए पीएमएमएम और पीसीएमएम लेखा परीक्षा को भी सफलतापूर्वक पूरा किया है।

कौशल विकास :

क. आईटीआई नैनी परिसर के अंदर और बाहर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । यह एमओयू मार्च 2020 महीने में आईटीआई नैनी और सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली (जीआरएएस) दिल्ली के बीच किया गया।

ख. यूनिट के कर्मचारियों को संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान किया गया । बी–टेक और डिप्लोमा धारकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया जिसके माध्यम से 0.04 करोड़ रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ।

वर्ष 2019–20 के दौरान हस्ताक्षर किए गए एमओयू :

* नैनी यूनिट ने उरेडा को सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट सिस्टम की आपूर्ति के लिए मेसर्स ओकाया पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ।
* नैनी यूनिट ने सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली (जीआरएएस) दिल्ली के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ।

पालक्काड संयंत्र

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए पालक्काड यूनिट का वार्षिक कार्य–निष्पादन

I. कार्य–निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान पालक्काड संयंत्र ने कुल 62.46 करोड रूपये का कारोबार किया । इस कारोबार में ग्राहकों को की गई आपूर्तियाँ शामिल है, जो इस प्रकार है–

* आपूर्ति शीर्ष के तहत – संयंत्र ने विभिन्न ग्राहकों को 12.08 करोड़ रुपये के मिनी पीसी की आपूर्ति की; महानेट परियोजना के लिए एचडीपीई डक्ट 5.49 करोड़ रुपये; ईईएसएल को 11.98 करोड़ रुपये के स्मार्ट ऊर्जा मीटर; वीएसएससी (विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र) को 4.09 करोड़ रुपये मूल्य की घटक स्क्रीनिंग सेवाएं;
* सेवा शीर्ष के तहत – संयंत्र ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को आपूर्ति किए गए एमएलएलएन उपकरणों के लिए 28 करोड़ रुपये की एएमसी सेवाओं को निष्पादित किया; 0.79 करोड़ रुपये मूल्य की ई–गवर्नेंस परियोजनाएँ ।

II. वर्ष 2019–20 के दौरान निष्पादित परियोजनाएँ :

* एमएलएलएन के लिए एएमसी समर्थन
* स्मैश पीसी
* घटक स्क्रीनिंग व्यवसाय
* एचडीपीई डक्ट विनिर्माण
* स्मार्ट एनर्जी मीटर
* ई–गवर्नेंस
* स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम

III. वर्ष 2019–20 के लिए पालक्काड यूनिट की मुख्य बातें :

स्मार्ट ऊर्जा मीटर :

आईटीआई को आईएस 16444 तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप जीपीआरएस आधारित स्मार्ट ऊर्जा मीटरों के विनिर्माण, आपूर्ति और अनुरक्षण के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) से पुरस्कार सम्मान पत्र (एलओए) से सम्मानित किया गया । आईटीआई पालक्काड को दो तकनीकी हेतु आईएस 16444 तकनीकी विशिष्टताओं के अनुपालन के लिए सिंगल फेज़ स्मार्ट ऊर्जा मीटर के लिए टाइप अनुमोदन और बीआईएस प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। स्मार्ट ऊर्जा मीटर के थोक निर्माण, अंशांकन, परीक्षण और आपूर्ति के लिए यूनिट में सुविधाएं और बुनियादी ढांचा स्थापित किया गया। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, यूनिट ने अब तक यूपी और हरियाणा में डीआईएससीओएम के लिए 91000 नग स्मार्ट एनर्जी मीटर का विनिर्माण और आपूर्ति की ।

मिनी पीसी :

आईटीआई पालक्काड ने मिनी पीसी की असेंबली और विपणन शुरू की है, जो पारंपरिक डेस्कटॉप के लिए प्रतिस्थापन है। यह उत्पाद "माइक्रो पीसी" के रूप में जेम पोर्टल में पंजीकृत है। इसका ट्रेड मार्क पंजीकृत है और इसके लिए बीआईएस, सीई, एफसीसी, आरओएचएस और एनर्जी स्टार प्रमाणन प्राप्त हुए हैं। इस उत्पाद में ग्रिड और सोलर के रूप में दोहरे पॉवर इनपुट के साथ स्मार्ट पॉवर स्टेशन और 3 घंटों का बैकअप, वास्तविक सुरक्षा के लिए स्मार्ट लॉक जैसी अतिरिक्त सुविधाएँ शामिल की गई हैं।

इस उत्पाद को विभिन्न ग्राहकों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है और आईटीआई पालक्काड ने ई–स्वास्थ्य परियोजना के लिए केएसईडीसी, एयर इंडिया, वन विभाग, केरल वित्त विभाग, तमिल नाडु ई–स्वास्थ्य, अमृता विश्व विद्यापीठम, मिधानी और मेसर्स वेहांत आदि जैसे विभिन्न ग्राहकों से वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 12.08 करोड़ रुपये मूल्य के आदेश निष्पादित किए हैं। आईटीआई ने केरल के विश्वविद्यालयों के विभिन्न कॉलेजों को "स्मैश कनेक्ट" के ब्रांड नाम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोडेक की भी आपूर्ति की है।

इसका लक्षित बाजार केंद्रीय / राज्य सरकार के विभाग, विश्वविद्यालय, अस्पताल, अनुसंधान संगठन, सार्वजनिक / निजी निगम, बैंक, शैक्षणिक संस्थान आदि हैं। इसके लिए देश भर के विभिन्न कॉर्पोरेट फर्मों के साथ कई नए बड़े व्यापारिक संगठनों के साथ बातचीत प्रगति पर हैं।

वीएसएससी और अन्य अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों के साथ व्यवसाय :

आईटीआई पालक्काड़ का वीएसएससी (विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर) और एलपीएससी (लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर) के साथ व्यापार संबंध है, जो तिरुवनंतपुरम स्थित इसरो की दो इकाइयाँ हैं। ये दोनों इकाइयां इसरो के विभिन्न अंतरिक्ष अभियानों के सभी प्रक्षेपण वाहनों – पीएसएलवी, जीएसएलवी आदि के विनिर्माण, परीक्षण और एकीकरण में लगी हुई हैं।

इस व्यवसाय में परिचालन की दो अलग-अलग धाराएँ शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कारोबार अवसर के खिलाफ कुलबिक्री 4.09 करोड़ रुपये है।

1. **विभिन्न प्रकार के पैकेटों की सहायता और परीक्षण :**

   संयंत्र में अंतरिक्ष और मिलिटरी ग्रेड असेंबलियों के निर्माण के लिए एक विशेष अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक फैब्रिकेशन केंद्र कार्यरत है। उक्त सुविधा प्रक्षेपण वाहनों (पीएसएलवी, जीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क III) में इलेक्ट्रॉनिक असेंबलियों की प्राप्ति से जुड़ी सभी गतिविधियों के लिए वीएसएससी द्वारा मान्यता प्राप्त है।

2. **घटक स्क्रीनिंग प्रयोगशाला :**

   लांच वाहनों में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्क्रीनिंग और बर्न-इन के लिए अत्याधुनिक उपकरणों के साथ 7000 वर्ग फीट के पूरी तरह वातानुकूलित ईएसडी सुरक्षित क्षेत्रफल में एक अनन्य सुविधा आईटीआई पालक्काड में स्थापित की गई है। परीक्षण और मूल्यांकन (टी एंड ई) नामक इस सुविधा का विस्तार अतिरिक्त असेंबली और उप-असेंबली की स्क्रीनिंग के लिए भी किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में वीएसएससी कारोबार के लिए कुल हस्तस्थ आदेश 7.46 करोड़ रुपये मूल्य के हैं।

   मेसर्स बॉश, मेसर्स टाटा एलक्सी, मेसर्स बीपीएल और मेसर्स सोरीउ कनेक्टर्स से छोटे प्रायोगिक आदेश प्राप्त किए गए और उन्हें सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया।

एचडीपीई दूरसंचार डक्ट निर्माण :

आईटीआई पालक्काड में निर्मित पीएलबी एचडीपीई दूरसंचार डक्ट को मार्च 2019 में टीसीसी का अनुमोदन प्राप्त हुआ। इस उत्पाद को 8 अलग-अलग रंगों (नारंगी, लाल, हरा, भूरा, नीला, वॉयलेट, हल्का भूरा और पीला) को शामिल किया गया। मार्च 20 के अंत की महत्वपूर्ण अवधि में लगाए गए अचानक लॉकडाउन की विपरीत परिस्थिति के बावजूद, संयंत्र ने पालक्काड को 2000 किलो मीटर के आबंटन में से अब तक कुल 1300 किलो मीटर को पूरा किया। अतिरिक्त लाइन के साथ डक्ट निर्माण सुविधा की क्षमता बढ़ाई जा रही है।

ई–गवर्नेंस परियोजना :

आईटीआई पालक्काड ने वित्तीय वर्ष 2019–20 में केरल सरकार के जल संसाधन विभाग के तहत सिरुवाणी बांध के लिए 5 वर्षों के रख-रखाव सहित, प्रवाह मापन साधित्र, जल स्तर निगरानी सेंसर, स्वचालित वर्षा गेज स्टेशन और आईओटी आधारित स्ट्रीट लाइटिंग प्रणाली से एकीकृत तारयुक्त नेटवर्क कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए केरल सिंचाई विभाग से 0.79 करोड़ रुपये मूल्य का आदेश निष्पादित किया ।

एएमसी के आदेश :

आईटीआई पालक्काड ने बीएसएनएल और एमटीएनएल की व्यवस्थित पट्टाधारित लाइन नेटवर्क (एमएलएलएन) परियोजनाओं को 24X7 तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल से 28.00 करोड़ रुपये मूल्य के एएमसी आदेश निष्पादित किए।

डाक विभाग के लिए स्मार्ट पार्सल वितरण प्रणाली :

आईटीआई पालक्काड ने डाक विभाग के लिए पार्सल डिलीवरी चुनौतियों को दूर करने और अंतिम दूरी की डिलीवरी प्रक्रिया की दक्षता में सुधार लाने के लिए एक अभिनव उत्पाद-**स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम (एसपीडीएस)** विकसित किया है। उत्पाद सत्यापन के सफलतापूर्वक आपूर्ति और स्थापित करने के लिए कुल 8 प्रणालियों की आपूर्ति के लिए सीपीएमजी कार्यालय, बेंगलूरु से 0.24 करोड़ रुपये का प्रायोगिक आदेश प्राप्त हुआ है, इस उत्पाद के लिए अधिक आदेश प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कौशल विकास :

आईटीआई ने केरल राज्य के 31 वीएचएसई (व्यावसायिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय) के छात्रों को विशेषज्ञ इंटरैक्शन और अंत: कार्य प्रशिक्षण प्रदान करने का आदेश निष्पादित किया है। फील्ड टेक्नीशियन और कम्प्यूटिंग विषयों का अध्ययन करने वाले द्वितीय वर्ष के लगभग 900 छात्रों को प्रशिक्षण का लाभ मिला। प्रत्येक विद्यालय के लिए यह प्रशिक्षण 11 दिनों के लिए था।

प्रमाणन :

आईटीआई ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और मास्टर कार्ड प्रमाणन द्वारा रूपे कार्ड वैयक्तिकरण के लिए मान्यता प्राप्त करने वाले पहले पीएसयू की मान्यता अर्जित की है।

आईटीआई पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 14001: 2015 और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 9001: 2015 से प्रमाणित है।

प्रशस्तियाँ :

आईटीआई पालक्काड ने बड़े कारखानों (इंजीनियरिंग) की श्रेणी में वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए राष्ट्रीय संरक्षा परिषद (केरल चैप्टर) द्वारा स्थापित सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त किया।

रायबरेली संयंत्र

वित्तीय वर्ष 2019–20 में रायबरेली यूनिट का वार्षिक कार्य–निष्पादन

I. कार्य–निष्पादन :

वित्तीय वर्ष 2019–20 में, रायबरेली संयंत्र ने 208.09 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इन कारोबार में ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली आपूर्ति और सेवाएं शामिल हैं।

- आपूर्ति शीर्ष के तहत – संयंत्र ने महानेट परियोजना के लिए 20.51 करोड़ रुपये मूल्य के एचडीपीई डक्ट की आपूर्ति की; बीएसएनएलआर को 5.41 करोड़ रुपये मूल्य के एसएमपीएस उपकरणों की आपूर्ति की।
- सेवाओं शीर्ष के तहत – संयंत्र ने एनएफएस परियोजना के 179.16 करोड़ रुपये मूल्य के आंशिक आदेश का निष्पादन किया; 2.63 करोड़ रुपये मूल्य के जीएसएम शो रूम की बिक्री की।

II. वर्ष 2019–20 के दौरान निष्पादित परियोजनाएँ :

- पैकेज जी के लिए एनएफएस केबल बिछाने की सेवाएं
- महा आईटी परियोजना के लिए एचडीपीई डक्ट विनिर्माण
- एसएमपीएस और मरम्मत
- जीएसएम शोरूम की बिक्री

III. वर्ष 2019–20 के लिए रायबरेली यूनिट की मुख्य बातें :

स्पेक्ट्रम (एनएफएस) पैकेज जी के लिए नेटवर्क:

संयंत्र ने रक्षा नेटवर्क के लिए टर्नकी आधार पर विशेष ऑप्टिकल एनएलडी बैकबोन और ऑप्टिकल एक्सेस मार्ग के निर्माण के लिए पैकेज जी के लिए एनएफएस केबल बिछाने के लिए 179.16 करोड़ रुपये मूल्यवाले कारोबार हासिल किया है।

एसएमपीएस और जीएसएम शोरूम की बिक्री :

इसके अलावा, संयंत्र ने एसएमपीएस की आपूर्ति और मरम्मत के माध्यम से 5.41 करोड़ रुपये और जीएसएम शोरूम बिक्री और विविध सेवाओं की ओर 2.63 करोड़ रुपये का कुलबिक्री प्राप्त किया है।

एचडीपीई डक्ट निर्माण :

आईटीआई रायबरेली ने एचडीपीई विनिर्माण लाइनों की 3 लाइनें स्थापित की । कोविड़ महामारी की महत्वपूर्ण अवधि में अचानक लॉकडाउन के कारण,महानेट परियोजना के खिलाफ यूनिट ने उसे आबंटित 8000 किलो मीटर में से अब तक कुल 5400 किलोमीटर की आपूर्ति किया है। अतिरिक्त 4 लाइनों के साथ डक्ट के विनिर्माण सुविधा की क्षमता में वृद्धि हो रही है।

प्रमाणन :

क. रायबरेली यूनिट ने 24एफ, एडीएसएस, 24एफ, एनज़ेडडीएस, 48एफ रिबन टाइप और 96 एफ रिबन टाइप ओएफसी के लिए टीएसईसी का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया।

ख. रायबरेली यूनिट ने क्यूएमएस 9001: 2015 और ईएमएस 14001: 2004 के लिए आईएसओ का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया।

श्रीनगर संयंत्र

वित्तीय वर्ष 2019–20 में श्रीनगर यूनिट का वार्षिक कार्य–निष्पादन

I. कार्य–निष्पादन :

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए, श्रीनगर यूनिट ने कुल 0.11 करोड़ रुपये का करोबार प्राप्त किया है।

II. प्रचालनीय कार्य–निष्पादन और उत्पादन :

संयंत्र के कौशल विकास केंद्र में कौशल विकास संबंधी गतिविधियों के माध्यम से 11 लाख रुपये का कारोबार प्राप्त हुआ। इस केंद्र की स्थापना जून 2019 में श्रीनगर यूनिट में की गई थी।

नेटवर्क प्रणाली यूनिट (एनएसयू)

I. कार्य–निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2019–20 में, एनएसयू ने कुल 1156.29 करोड़ रुपये का कारोबार प्राप्त किया ।

इस कुल बिक्री में भारतनेट चरण–II परियोजना के भाग के रूप में गुजनेट के लिए आदेश का निष्पादन, रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के एस्कॉन आदेश हेतु एएमसी के साथ–साथ बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए ओसीबी आदेशों के लिए एएमसी का निष्पादन शामिल है।

इस कारोबार में निष्पादित परियोजना और ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मूल्य शामिल हैं।

- परियोजना शीर्ष के तहत – यूनिट ने गुजरात राज्य में ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी के लिए जीएफजीएनएल से प्राप्त आदेश के समक्ष 1056.68 करोड़ रुपये मूल्य की गुजनेट परियोजना निष्पादित किया ।
- सेवा शीर्ष के तहत – यूनिट ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को आपूरित ओसीबी उपकरण के लिए 13.93 करोड़ रुपये मूल्य के आदेश; रक्षा के लिए एस्कॉन एएमसी के 84.29 करोड़ रुपये के आदेश; बीबीएनएल / बीएसएनएल को आपूरित जीपॉन उपकरणों की स्थापना और कार्यारंभ के लिए 1.39 करोड़ रुपये के आदेश निष्पादित किए ।

II. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निष्पादित परियोजनाएं :

- **गुजनेट परियोजना**
- **एस्कॉन (रक्षा मंत्रालय) के लिए एएमसी**
- **ओसीबी के लिए एएमसी**
- **जीपॉन आई एवं सी सेवाएं**

III. वर्ष 2019–20 के लिए नेटवर्क सिस्टम यूनिट की मुख्य बातें –

भारतनेट चरण–।। परियोजना के लिए गुजनेट:

आईटीआई को भारत नेट चरण II परियोजना के तहत गुजरात राज्य की ग्राम पंचायतों को ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी के लिए टर्नकी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए गुजरात फाइबर ग्रिड नेटवर्क लिमिटेड (जीएफ़जीएनएल) से 1417.71 करोड़ रुपये मूल्यवाले आदेश प्राप्त हुआ है। उक्त परियोजनाओं में ऑप्टिक फाइबर केबल (“ओएफसी”) का बिछान, एक्सेस उपकरण और अन्य संबंधित उत्पादों की आपूर्ति के साथ–साथ अनुरक्षण सेवाएं भी शामिल हैं। यूनिट ने वित्तीय वर्ष 2019–20 में 1056.68 करोड़ रुपये के कुलबिक्री प्राप्त किया है।

एस्कॉन– एएमसी

आईटीआई लिमिटेड की टर्नकी परियोजना का कार्यान्वयन और सेवा इकाई संचार नेटवर्क और वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध (एएमसी) की टर्नकी परियोजनाओं के निष्पादन में अपनी मुख्य शक्ति रखती है। इसमें स्थिर विकास और निरंतर लाभप्रदता का ट्रैक रिकॉर्ड है। संयंत्र ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 84.29 करोड़ रुपये मूल्यवाले एएमसी आदेश को निष्पादित किया है।

ओसीबी – एएमसी:

आईटीआई बीएसएनएल और एमटीएनएल को फिक्स्ड लाइन स्विच का प्रमुख आपूर्तिकर्ता था। वर्तमान में, आईटीआई ओसीबी एक्सचेंजों के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल को अनुरक्षण सहायता प्रदान कर रहा है। वर्ष 2019–20 के दौरान 13.93 करोड़ रुपये मूल्यवाले ओसीबी आदेश का निष्पादन किया गया है।

विपणन सेवाएँ और परियोजनाएँ (एमएसपी)

I. कार्य–निष्पादन

आईटीआई लिमिटेड के भारत में 8 क्षेत्रीय कार्यालय सहित कुल 25 कार्यालय हैं, जो बेंगलूरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और नई दिल्ली में स्थित हैं और इसके क्षेत्रीय कार्यालय पूरे भारत में विपणन सेवाओं और परियोजना निष्पादन का प्रबंधन करते हैं। आईटीआई के एमएसपी में विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार के लिए दूरसंचार, आईटी, आईओटी और संबद्ध व्यवसाय किया जाता है। एमएसपी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 में 217.34 करोड़ रुपये का कुलबिक्री प्राप्त किया है और वित्तीय वर्ष 2020–21 में कई निविदाएं और व्यावसायिक प्रस्तावों पर कार्य प्रगति में हैं।

II. वर्ष 2019–20 में एमएसपी की मुख्य बातें :

एमएसपी – बेंगलूरु :

- वित्तीय वर्ष 2019–20 में एमएसपी बेंगलूरु ने कुल 12.05 करोड़ रुपये का कारोबार प्राप्त किया।
- बीएनजी चरण II और III की आपूर्ति के लिए 211 करोड़ रुपये मूल्य के एपीओ उपलब्ध हैं।

एमएसपी– दिल्ली :

- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एमएसपी दिल्ली ने कुल 109.41 करोड़ रुपये का कारोबार प्राप्त किया ।
- एमएसपी–दिल्ली को 5 वर्षों की अवधि के लिए गुरुग्राम विश्वविद्यालय, हरियाणा से शैक्षणिक प्रबंधन प्रणाली के साथ शिक्षा संवर्धन और डिजिटल परिवर्तन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए 39.86 करोड़ रुपये मूल्य के आदेश प्राप्त हुए ।
- एमएसपी को एमएचए, दिल्ली और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, नई दिल्ली में आईपी आधारित सीसीटीवी निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए 30 करोड़ रुपये के आदेश भी प्राप्त हुए ।
- एचडीडीसीएफ, पंचकूला में ऑनलाइन डेयरी प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए 3.69 करोड़ रुपये मूल्य के आदेश प्राप्त हुए।
- एमएसपी दिल्ली विभिन्न सरकारी विभागों/संस्थानों/पीएसयू के लिए एसआईसीओएम के डेटा केंद्र, ई–नीलामी/ई–निविदा समाधान स्थापित में भी कार्यरत है।

एमएसपी–लखनऊ :

- वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एमएसपी लखनऊ ने कुल 73.17 करोड़ रुपये का कारोबार प्राप्त किया ।
- एमएसपी ने स्मार्ट कक्षाओं की आपूर्ति के लिए 22.28 करोड़ रुपये मूल्य के आदेश निष्पादित किए ।
- एमएसपी – लखनऊ ने सोलर स्ट्रीट लाइट, सिंथेटिक मिंक ब्लैंकेट, सैनिटरी नैपकिन और लार्ज ब्लैंकेट की आपूर्ति के लिए 31.40 करोड़ रुपये मूल्य के आदेश निष्पादित किए। ये आदेश उत्तराखंड श्रम विभाग के अधीन उत्तराखंड भवन और अन्य विनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (यूकेबीओसीडब्ल्यू), देहरादून से प्राप्त हुए थे।
- एमएसपी – लखनऊ को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संपत्ति कर के निर्धारण के लिए मेरठ, कानपुर, झांसी और गोरखपुर शहरी स्थानीय निकायों में जीआईएस आधारित सर्वेक्षण का संचालन करने के लिए चुना गया। इसके लिए एमएसपी द्वारा 19.13 करोड़ रुपये मूल्य के आदेश निष्पादित किए गए ।

एमएसपी–मुंबई :

- एमएसपी मुंबई ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 9.76 करोड़ रुपये मूल्य के आदेश निष्पादित किए।
- एमएसपी मुंबई को एकीकृत निर्माण कल्याण बोर्ड प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र भवन तथा अन्य विनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से 88.60 करोड़ रुपये मूल्य का प्रतिष्ठित आदेश प्राप्त हुआ जो निष्पादन के अधीन है।
- एमएसपी ने शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर में साइबर प्रयोगशाला और डेटा विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 1.68 करोड़ रुपये मूल्य के आदेश निष्पादित किए।
- एमएसपी – मुंबई नवी मुंबई नगर निगम और ठाणे नगर निगम और गांधीनगर स्मार्ट सिटी से जियो फेंसिंग और मैनपावर ट्रैकिंग सिस्टम आदेश भी पूरा कर रहा है।

एमएसपी कार्यालयों ने वित्तीय वर्ष 2019–20 में 178.75 करोड़ रुपये मूल्य के संचयी आदेश प्राप्त किए । निगमित विपणन ने रेलटेल आईपी आधारित सीसीटीवी निगरानी के लिए 2000 करोड़ रुपये की निविदाएँ और झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड (जेसीएनएल) की वाईफ़ाई परियोजना के लिए 60 करोड़ रुपये मूल्य के आदेश पूरे किए । एमएसपी – बेंगलूरु को ओएफबी केबल बिछाने के आदेश के लिए एल–1 के रूप में दक्षिणी रेलवे चेन्नई द्वारा चुना गया । लगभग 16 करोड़ रुपये मूल्य के 3 अन्य ओएफसी निविदाएँ प्राप्त की गईं।

- एमएसपी कार्यालय आईओटी, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट लाइटिंग/स्मार्ट बिल्डिंग, ई मार्केट प्लेस, जियो फेंसिंग और मानवशक्ति ट्रैकिंग/वाहन ट्रैकिंग आदि के क्षेत्र में नए व्यापार के अवसरों का पता लगाने, संबोधित करने और लेने के प्रयास कर रहे हैं।

- स्मार्ट सिटी घटकों के लिए एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र।
- सरकार के विभागों/संस्थाओं/स्थानीय निकाय आदि के लिए जीआईएस सर्वेक्षण/जीआईएस मैपिंग और जीपीएस आधारित समाधान।
- सीसीटीवी निगरानी, आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नेंस, डेटा केंद्र, ईआरपी समाधान, सौर ऊर्जा संयंत्र आदि।

समझौता ज्ञापन की रेटिंग

वर्ष 2017–18 के लिए कंपनी की रेटिंग 60.59 के सम्मिश्रित स्कोर के साथ ''उत्तम'' रही है। वित्तीय वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए एमओयू रेटिंग को डीपीई द्वारा अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। वर्ष 2020–21 के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

भावी दृष्टिकोण

कंपनी ने कुलबिक्री को बढ़ावा देने और पुनरुद्धार योजना को कार्यान्वयन करने के लिए कई पहल/परियोजनाएँ शुरू की हैं।

जी–पॉन उत्पाद विनिर्माण:

आईटीआई ने भारतनेट चरण I परियोजना के लिए जी–पॉन टर्नकी परियोजना निविदाओं में भाग लिया था, जो देश भर में 1 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए परियोजना थी और बीबीएनएल, बीएसएनएल और गुजनेट से आदेश हासिल करने में सफल रही। आईटीआई द्वारा मार्च 2020 तक लगभग 2073 ओएलटी यूनिट और 51369 ओएनटी को सफलतापूर्वक निर्मित, आपूर्ति, स्थापित और चालू किए गए। आईटीआई इन उत्पादों का विनिर्माण रायबरेली और मनकापुर संयंत्र में सी–डॉट प्रौद्योगिकी के साथ घटक स्तर से कर रहा है। भारतनेट चरण II परियोजना के तहत भारत सरकार के लिए ओएफसी तैनाती की भारी आवश्यकता को देखते हुए,भारतनेट चरण–।। के लिए जीपॉन उत्पादों और समाधानों की समान आवश्यकताएं होंगी।

एचडीपीई पाइप और ऑप्टिकल फाइबर केबल निर्माण :

ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछाने का कार्य पीएलबी एचडीपी (स्थाई चिकने उच्च सघनता वाले पॉलीएथिलीन पाइप) में से किया जाना है। कई सरकारी परियोजनाओं जैसे भारत नेट, 4 जी/5 जी तैनाती हेतु टावरों के क्वाटरिंग का फाइबराइजेशन आदि के कारण एचडीपीई पाइप की मांग बहुत बढ़ गई है। ओएफसी/एचडीपीई की एस्कॉन परियोजना में भी अत्यधिक आवश्यकता है। भारत सरकार के ''डिजिटल इंडिया कार्यक्रम'' के अंतर्गत पूरे देश के ग्रामीण और शहरी भौगोलिक क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट की स्थापन हेतु ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित किया जाना आवश्यक है। इसलिए एचडीपीई डक्टा और ओएफसी केबल की बहुत अधिक मांग है। बीएसएनएल, एमटीएनएल तथा बीबीएनएल के अतिरिक्त अन्य सेवा प्रदाताओं को भी उनकी दूरसंचार सेवाओं के लिए पीएलबी एचडीपीई पाइप की आवश्यतकता है आईटीआई द्वारा रायबरेली यूनिट में एचडीपीई उत्पादन की 3 लाइन की स्थापना की गई है तथा पालक्काड यूनिट में उत्पादन की एक लाइन की स्थापना की गई है। आईटीआई को महानेट के लिए 10,000 किलोमीटर एचडीपीई डक्ट की आपूर्ति के लिए आदेश मिला है और अब तक 6700 किलोमीटर से अधिक की आपूर्ति की गई है। शेष की आपूर्ति अगले 3 से 4 महीने के समय में की जाएगी ।

आईटीआई पालक्काड में निर्मित पीएलबी एचडीपीई टेलीकॉम डक्ट को मार्च 2019 में टीईसी का अनुमोदन प्राप्त हुआ है । रायबरेली संयंत्र को रायबरेली में एचडीपीई डक्ट का विनिर्माण करने हेतु टीएसईसी का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इस अनुमोदन में 8 विभिन्न रंगों (नारंगी, लाल, हरा, भूरा, नीला, बैंगनी, धूसर और पीला) में उत्पाद का निर्माण शामिल है। 10 अतिरिक्त लाइनों (रायबरेली–4; मनकापुर –3; पालक्काड –1; बेंगलूरु–2) के साथ डक्ट निर्माण सुविधा की क्षमता बढ़ाने का कार्य प्रगति में है।

ओएफसी की एक विनिर्माण लाइन रायबरेली यूनिट में चालू की गई है। संयंत्र ने 24एफ एडीएसएस ओएफसी, 24एफ एनज़ेडडीएस ओएफसी और 48/96एफ रिबन प्रकार का ओएफसी भी प्राप्त किया है। स्थापित क्षमता का उपयोग आईटीआई में एस्कॉन और भारतनेट चरण II के आदेशों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

भारतनेट चरण II परियोजना :

देश भर में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को उच्च गति ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट चरण II परियोजना के तहत, आईटीआई व्यवसाय को सुरक्षित करने के लिए बीएसएनएल, बीबीएनएल और अन्य राज्य सरकार से निविदाओं को संबोधित कर रहा है। आईटीआई में जी–पॉन(ओएलटी और ओएनटी), सोलर पैनल, ओएफसी, एचडीपीई पाइप, वाई–फाई और रेडियो समाधान जैसे आवश्यक एंड–टू–एंड कनेक्टिविटी के लिए सभी उत्पाद उपलब्ध हैं। ये सभी उत्पाद आईटीआई द्वारा निर्मित और आपूर्ति किए जाते हैं। आईटीआई ने भारतनेट चरण II के तहत महानेट (लगभग 3111 करोड़ रुपये)की परियोजना को निष्पादित करते हुए गुजनेट की टर्नकी परियोजना (लगभग 1417.71 करोड़ रुपये) का निष्पादन किया है। आईटीआई कई अन्य भारतनेट चरण II निविदाओं के लिए भी बोली लगा रही है जिसके माध्यम से हम अतिरिक्त व्यवसाय की उम्मीद करते हैं।

रक्षा सेनाओं के लिए गुप्तता उत्पाद

हमारे अनुसंधान एवं विकास केंद्र के द्वारा रक्षा सेनाओं के संचार नेटवर्क के लिए गुप्तता उत्पाद डिजाईन किए जा रहे हैं तथा आईटीआई के द्वारा काफी समय से इनके उत्पादन, आपूर्ति एवं रखरखाव संबंधी कार्य किया जाता है। आईटीआई इस क्षेत्र में अग्रणी है। डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी के विकास के अनुरुप उत्पादों में भी निरंतर सुधार हुआ है। रक्षा सेनाओं को उनके एनएफएस नेटवर्क, एस्कॉन नेटवर्क आदि के लिए कूटलेखी उत्पादों की बहुत आवश्यकता होती है। कंपनी को एनएफएस परियोजना के अंतर्गत लगभग 85 करोड़ रुपये के मूल्य के बहू चैनल कूटलेखी यूनिट के डिजाइन, निर्माण तथा आपूर्ति का आदेश प्राप्त हुआ है। कंपनी रक्षा सेनाओं की निविदाओं में भी भाग ले रही है तथा हमें और कार्य मिलने की सम्भावना है।

सौर पैनल निर्माण :

उपकरणों को सौर ऊर्जा आपूर्ति से सशक्त बनाने के प्रयास में, सौर पैनलों की आवश्यकता को देखते हुए, आईटीआई ने नैनी यूनिट में 18 मेगावाट सौर पैनल विनिर्माण सुविधा स्थापित की है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में, आईटीआई ने भारतनेट चरण II परियोजना के तहत लगभग 5000 सौर पैनलों की आपूर्ति की । वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, आईटीआई को नवंबर 2019 में महानेट परियोजना के तहत 20000 नग सोलर पैनल आपूर्ति करने का आदेश मिला है। इनमें से हमने 20000 पैनलों का निर्माण पहले ही कर लिया है और 9500 नगों को पहले से ही आपूर्ति किया गया है। भारत सरकार के राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत देश में सौर पैनलों की भारी मांग है, जिसमें सरकार ने 2020 तक देश में 100 गीगावॉट तक सौर क्षमता स्थापित करने का निर्णय लिया है। आईटीआई इस व्यापार अवसर का उपयोग करना चाहेगी।

स्मार्ट ऊर्जा मीटर का विनिर्माण :

विविधीकरण रणनीति के तहत, आईटीआई ने स्मार्ट एनर्जी मीटर निर्माण में प्रवेश किया है, जिसमें पुराने ऊर्जा मीटरों को स्मार्ट ऊर्जा मीटरों से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। ये मीटर ऊर्जा की खपत को दर्ज करते हैं और इनमें आवश्यकता पड़ने पर डेटा स्टोर करने और पुन: पेश करने की सुविधा होती है। ये मीटर मीटर और केंद्रीय प्रणाली के बीच दो–तरफ़ा संचार सक्षम बनाते हैं। आईटीआई लिमिटेड को आईएस 16444 तकनीकी विनिर्देशों का अनुपालन वाले जीपीआरएस आधारित स्मार्ट ऊर्जा मीटरों के विनिर्माण, आपूर्ति और रखरखाव के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेस लिमिटेड (ईईएसएल) से प्रशस्ति पत्र (एलओए) प्रदान किया गया है। आईटीआई पालक्काड को दो तकनीकों के लिए आईएस 16444 तकनीकी विनिर्देशों का अनुपालन करने वाले सिंगल चरण स्मार्ट एनर्जी मीटर के लिए टाइप अनुमोदन और बीआईएस प्रमाण–पत्र प्राप्त हुआ है। स्मार्ट ऊर्जा मीटरों के थोक निर्माण, अंशांकन, परीक्षण और आपूर्ति के लिए यूनिट में सुविधाएं और बुनियादी ढांचा स्थापित किया गया है। इस यूनिट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के डिसकॉम के लिए अब तक 91000 स्मार्ट एनर्जी मीटरों का निर्माण किया है। आपूर्ति बढ़ाने के लिए, बेंगलूरु संयंत्र में विनिर्माण क्षमता बढ़ाई जा रही है। आईटीआई एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (एएमआई समाधान) नामक स्मार्ट एनर्जी मीटर समाधान प्रदान करने के लिए बिजली वितरण कंपनियों के साथ कारोबार बढ़ाने पर बातचीत भी कर रही है।

स्मैश पीसी :

आईटीआई पालक्काड ने ''स्मैश'' ब्रांड की माइक्रो पीसी की असेंबली और विपणन शुरू कर दी है, जो पारंपरिक डेस्कटॉप के लिए एक प्रतिस्थापन है। यह उत्पाद अब जेम पोर्टल में ''माइक्रो पीसी'' के रूप में पंजीकृत है। इसका ट्रेड मार्क पंजीकृत है और इसके लिए बीआईएस, सीई, एफसीसी, आरओएचएस और एनर्जी स्टार प्रमाणन प्राप्त हुए हैं। इस उत्पाद में ग्रिड और सोलर के रूप में दोहरे पावर इनपुट के साथ स्मार्ट पावर स्टेशन और 3 घंटों का बैकअप, वास्तविक सुरक्षा के लिए स्मार्ट लॉक जैसी अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान की गई हैं ।

इस उत्पाद को विभिन्न ग्राहकों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है और आईटीआई पालक्काड ने ई–स्वास्थ्य परियोजना के लिए केएसईडीसी, एयर इंडिया, वन विभाग, केरल वित्त विभाग, तमिल नाडु ई–स्वास्थ्य, अमृता विश्व विद्यापीठम, मिधानी और मेसर्स वेहांत आदि जैसे विभिन्न ग्राहकों से वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान 12.08 करोड़ रुपये मूल्य के आदेश निष्पादित किए हैं। आईटीआई ने केरल के विश्वविद्यालयों के विभिन्न कॉलेजों को ''स्मैश कनेक्ट'' के ब्रांड नाम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोडेक की भी आपूर्ति की है। इसका लक्षित बाजार केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग, विश्वविद्यालय, अस्पताल, अनुसंधान संगठन, सार्वजनिक/निजी निगम, बैंक, शैक्षणिक संस्थान आदि हैं। इसके लिए देश भर के विभिन्न कॉर्पोरेट फर्मों के साथ कई नए बड़े व्यापारिक संगठनों के साथ बातचीत प्रगति पर हैं।

स्मार्ट कार्ड का विनिर्माण:

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) परियोजना को क्रियान्वित करने के अनुभव के साथ, आईटीआई देश में स्मार्ट कार्ड–आधारित सेवाओं/समाधानों के निर्माण के विशाल अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। नागरिक के लिए पहचान पत्र की आपूर्ति, असंगठित श्रमिकों के लिए स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मोटर वाहन पंजीकरण आदि के संबंध में अवसर हैं। आईटीआई पालक्काड संयंत्र में पेमेंट कार्ड उद्योग (पीसीआई) के लिए तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप नवोन्मेष बुनियादी ढांचे की स्थिति से सुसज्जित है। आईटीआई को एनपीसीआई से रुपे चिप कार्ड वैयक्तिकरण और मास्टरकार्ड से मास्टरकार्ड प्रमाणन के लिए मान्यता

मिली है। बुनियादी ढांचे में स्मार्ट कार्ड असेंबली के लिए आधुनिक विनिर्माण उपकरण और मिलिंग और एम्बेडिंग, निजीकरण आदि के लिए अनुकूलन शामिल हैं। हम आदेश पाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों जैसे एसबीआई और अन्य ग्राहकों के साथ कारोबार कर रहे हैं। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के मद्देनजर, स्मार्ट कार्ड ने हर क्षेत्र में देश भर में नकदरहित लेनदेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसके लिए भारी मांग होगी।

घटक स्क्रीनिंग परियोजना :

घटक स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के स्क्रीनिंग परीक्षणों की उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आईटीआई पालक्काड में वीएसएससी (इसरो) की परियोजना है, क्योंकि स्क्रीनिंग घटक नियमित रूप से उनके सभी अंतरिक्ष मिशनों के लिए वीएसएससी के लिए आवश्यक होते हैं। वर्ष 2017 में वीएसएससी द्वारा कुछ चुनिंदा वस्तुओं के साथ संयंत्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्क्रीनिंग की आधारभूत सुविधा स्थापित की गई जो वीएसएससी द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस परियोजना को इसरो के विभिन्न लॉन्च वाहनों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक पैकेजों के निर्माण और परीक्षण के लिए अतिरिक्त सुविधाएँ स्थापित करने के लिए विस्तारित किया गया और प्रत्यायन प्राप्त किया गया। अब तक, घटक स्क्रीनिंग और परीक्षण सुविधा वीएसएससी, त्रिवेंद्रम द्वारा 22 प्रकार की सक्रिय और निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटकों की स्क्रीनिंग, 48 प्रकार की उप-असेंबली जिसमें 2 प्रकार के स्केट शामिल हैं, के लिए प्रत्यायित है। इसके अलावा, यह सुविधा इसरो पैकेज के 73 प्रकार के विनिर्माण और परीक्षण के लिए प्रत्यायित है। इसके आदेश लगातार प्राप्त और निष्पादित किए जा रहे हैं। हाल ही में, घटक स्क्रीनिंग सुविधा को इसरो की गगनयान परियोजना की स्क्रीनिंग आवश्यकताओं के लिए अर्हता प्राप्त हुई है, जिसके लिए प्रायोगिक मात्रा की जांच की गई और सफलतापूर्वक वितरित किया गया। अधिक प्रकार के घटकों और असेंबली के लिए परीक्षण स्थापना विकसित की जा रही है। नए व्यावसायिक अवसरों में प्रवेश के साथ वीएसएससी के साथ कारोबार बढ़ाया जा रहा है।

इस केंद्र में 62000 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक घटकों और 200 असेंबली की जाँच की गई है। लॉन्च वाहनों में उपयोग किए जाने वाले 2000 से अधिक पैकेजों का निर्माण और परीक्षण किया गया । आईटीआई पालक्काड के इस अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक प्रभाग के उत्पादों का उपयोग इसरो के प्रतिष्ठित चन्द्रयान मिशन सहित सभी लॉन्च वाहनों- जीएसएलवी, पीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क-III- में किया जा रहा है और अब इसका उपयोग गगनयान परियोजना में किया जाएगा।

डेटा केंद्र और आईटी व्यवसाय :

आईटीआई का अत्याधुनिक 3+ स्तरीय डेटा केंद्र वर्तमान में 2,00,000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है जिसमें 200 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के साथ विश्व स्तर की सुविधाएँ हैं जो आईएसओ 20000-1: 2011 और आईएसओ 27001:2013 प्रमाणित हैं। इसमें हजारों आईटी अवसंरचना उपकरण रखने की क्षमता है और यह अत्यधिक सुरक्षित और स्थिर वातावरण में मूल्य वर्धित सर्वोत्तम सेवाओं के साथ कोर होस्टिंग सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कंपनी आधार प्रमाणीकरण सेवाएं, ई-केवाईसी सेवाएं, कोर बैंकिंग एप्लिकेशन, मोबाइल वॉलेट एप्लिकेशन आदि प्रदान कर रही है। अन्य सेवाओं में उच्च घनत्व होस्टिंग सेवाएं, क्लाउड सेवाएं, प्रबंधित सुरक्षा सेवाएं, मांग पर दी जाने वाली सेवाएँ, पेशेवर सेवाएँ और सुरक्षा और प्रबंधित आईटी सेवाएँ शामिल हैं। आईटीआई ने डेटासेंटर, सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) के क्षेत्र में अपनी सेवाओं के लिए सीएमएम संस्थान द्वारा दिसंबर 2019 में क्षमता परिपक्वता मॉडल (सीएमएमआई) स्तर 3 प्राप्त किया है। इसके साथ ही आईटीआई आईटी, आईओटी और डेटा सेंटर निविदाओं में भाग ले सकेगी। डेटा सेंटर व्यवसाय की उच्च मांग और भारत में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए, पुनरुद्धार योजना के तहत, बेंगलूरु यूनिट में 1000 रैक क्षमता के साथ एक नया डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है जिसका प्रमाणीकरण स्तर III से अधिक होगा।

वाई-फाई उत्पाद :

हर नागरिक को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की स्थापना के लिए वाई-फाई उत्पादों को डिजिटल भारत कार्यक्रम का हिस्सा बनाने की उम्मीद है। आईटीआई विभिन्न ग्राहकों के लिए वाई-फाई समाधान में व्यवसाय अवसरों का पता लगा रही है । भारत सरकार की महात्वाकांक्षी योजना 2020 तक 10 मिलियन वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने और साथ ही बीबीएनएल भारत भर में भारतनेट चरण II परियोजना के तहत वाई-फाई हॉटस्पॉट तैनात करने की योजना बना रहा है। अपेक्षित मांग को देखते हुए, देश की ब्रॉडबैंड नेटवर्क अवसंरचना के लिए योगदान देने की दूरदृष्टि से, आईटीआई ने वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट बनाने के लिए प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी भागीदार के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहयोग कर रही है। आईटीआई ने एसकेडी विनिर्माण के लिए उत्पादन लाइन स्थापित की है। आईटीआई सीकेडी उत्पादन लाइन स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इस संबंध में आईटीआई अपने प्रौद्योगिकी भागीदार से सीकेडी अंशांकन उपकरणों की खरीद करेगी। आईटीआई महानेट परियोजना के लिए 25,480 नग वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट के निर्माण के लिए कलपुर्जों की खरीद भी कर रही है। प्वाइंट टू प्वाइंट रेडियो उपकरणों के निर्माण के लिए एक दूसरी टीओटी भी पूरा किया गया है जो वाई-फाई स्थापित करने के लिए आवश्यक है।

प्रबंधित लीज्ड लाइन नेटवर्क (एमएलएलएन) उपकरण

वर्ष 2002-03 से बीएसएनएल को नेटवर्क उपकरणों की आपूर्ति, संस्थापन, समेकन, कमीशनिंग, परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए टर्नकी समाधान सहित एमएलएलएन उत्पांदों एवं सेवाओं को आपूर्ति करने में आईटीआई हमेशा अग्रणी रहा है। आज की तिथि तक मौजूदा एमएलएलएन नेटवर्क को आईटीआई द्वारा संस्थापित करके अनुरक्षण किया जा रहा है। आईटीआई पालक्काड ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए एमएलएलएन परियोजनाओं के लिए 24x7 तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बीएसएनएल / एमटीएनएल से 28 करोड़ रुपये के एएमसी आदेश निष्पादित किए हैं।

डाक विभाग के लिए स्मार्ट पार्सल वितरण प्रणाली :

आईटीआई पालक्काड ने डाक विभाग की पार्सल वितरण संबंधी चुनौतियों को दूर करने और अंतिम स्तर की वितरण प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए एक अभिनव उत्पाद - स्मार्ट पार्सल डिलिवरी सिस्टम (एसपीडीएस) विकसित किया है। एसपीडीएस समय पर वितरण और सामान का पिकअप करने के लिए एक स्मार्ट, इलेक्ट्रॉनिक, स्वचालित, सुरक्षित लॉकर प्रणाली है। इससे पार्सल के प्राप्तकर्ता अपनी सुविधानुसार पूरे सप्ताह-चौबीसों घंटे अपने आदेश प्राप्त कर सकते हैं और इसे सार्वजनिक स्थानों जैसे डाक घर, निर्देशित सामुदायिक केंद्र, शॉपिंग मॉल, किराना दुकान, और रेलवे स्टेशन, अपार्टमेंट में स्थापित किया जा सकता है। एक सुरक्षित पहुंच प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एसपीडीएस प्रणाली का संचालन किया जा रहा है। डाक विभाग के ई-कॉमर्स क्षेत्र में प्रवेश करने से, पार्सल सुपुर्दगी के लिए एसपीडीएस एक दक्ष और अभिनव प्रौद्योगिकी है। जीपीओ बेंगलूरु में इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पूरा किया गया और इसकी एक यूनिट ट्रैंक्विलिटी अपार्टमेंट, बेंगलूरु में लगाई गई है, जिसका उपयोग अपार्टमेंट में निवासियों के सामान के दैनिक वितरण के लिए किया जा रहा है। उत्पाद सत्यापन के तहत कुल 8 प्रणालियों की आपूर्ति के लिए सीपीएमजी कार्यालय, बेंगलूरु से 24 लाख रुपये का प्रायोगिक आदेश प्राप्त हुआ है । इस उत्पाद के लिए अधिक आदेश प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कारोबार / संविदा विनिर्माण :

आईटीआई पहले से ही बीईएल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सी-डॉट, सीडेसी जैसी सरकारी फर्मों और मेसर्स लिब्रे वायरलेस, मेसर्स जीएआईए, मेसर्स हनीवेल, मेसर्स कोरील टेक्नोलॉजीज, मेसर्स स्माइल टेक्नोलॉजीज, मेसर्स पेनिनसुला इलेक्ट्रॉनिक्स और मेसर्स यूनीसेम आदि जैसे निजी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए जॉब कार्य पहले से कर रही है। आईटीआई में अवसंरचना के उन्नयन के साथ, संविदा विनिर्माण के क्षेत्र में नए कारोबार प्राप्त करने की बहुत बड़ी संभावना है जिसका अनुसरण किया जा रहा है।

आईओटी और स्मार्ट सिटी :

आईटीआई इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे सामान्यत: ''आईओटी'' कहा जाता है, के क्षेत्र में धावा बोल रहा है, जो दुनिया भर में आम आदमी के दैनंदिन जीवन में एक बड़ा रास्ता बना रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, स्थानीय क्षेत्र का विकास है। स्मार्ट समाधानों का उपयोग, बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं में सुधार के लिए शहरों को प्रौद्योगिकी, सूचना और डेटा के उपयोग में सक्षम बनाना है। आईटीआई ने कई स्टार्ट-अप के साथ समझौता किया है जिन्होंने ''स्मार्ट'' समाधान विकसित किए हैं जो आईओटी क्षेत्र के अभिन्न अंग हैं। आईटीआई स्मार्ट शिक्ष, स्मार्ट स्वास्थ्य, स्मार्ट पर्यावरण, स्मार्ट परिवहन आदि के लिए समाधान प्रदान करने की योजना बना रहा है। आईटीआई व्यापार को सुरक्षित करने के लिए स्मार्ट शहर निविदाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला:

दूरसंचार उपकरण के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन (एमटीसीटीई) के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारत में उपयोग हेतु आयात किए गए सभी दूरसंचार उपकरणों को बिक्री से पहले अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन से गुजरना होगा। इस संबंध में, आईटीआई, दूरसंचार विभाग और टीईसी के सहयोग से, आईटीआई बेंगलूरु संयंत्र में ईएमआई/ईएमसी, सुरक्षा, एसएआर और दूरसंचार सुरक्षा प्रयोगशाला जैसी 4 परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की प्रक्रिया में है। ईएमआई/ईएमसी प्रयोगशाला और सुरक्षा प्रयोगशाला पहले से ही संस्थापित हैं। अन्य दो प्रयोगशालाओं की स्थापना प्रगति पर है।

स्टार्ट-अप और विनिर्माण हब :

आईटीआई हमेशा से ही राष्ट्र निर्माण और भारत सरकार की नीतियों के कार्यान्वयन में अग्रणी रही है। भारत सरकार के स्टार्ट-अप इंडिया मिशन के लिए योगदान देने की दृष्टि से, आईटीआई देश में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए अपने बेंगलूरु संयंत्र में चरणबद्ध तरीके से 1000 सीटर स्टार्ट-अप हब स्थापित कर रही है। स्टार्ट-अप हब के लिए आईटीआई की दूरदृष्टि स्टार्ट-अप्स को एक छत के नीचे रैपिड प्रोटो-टाइपिंग सुविधाओं के माध्यम से अपने नवोन्मेष को तेज़ी से प्रायोगिक उत्पादों में बदलने में मदद करना है। हमारा उद्देश्य संस्थागत रूप से सफल उत्पादों का निर्माण करना और उनका विपणन करना है। कार्पोरेट हब बैठक कक्ष, डेमो कक्ष, अत्यधिक सुरक्षित वाई-फाई कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं के साथ 64 सीटर का स्टार्ट-अप हब प्रचालित है। स्टार्ट-अप बेंगलूरु संयंत्र में स्थित रैपिड प्रोटोटाइप सुविधाओं और परीक्षण सुविधाओं और अतिरिक्त विनिर्माणी स्थलों का उपयोग करने के लिए विभिन्न स्टार्ट अप के साथ समन्वय किया जा रहा है।

नए व्यापारिक क्षेत्र :

कंपनी नए उत्पादों का निर्माण शुरू करने और भविष्य के लिए नई तकनीक,जैसे ई-बैंड रेडियो, राउटर्स, प्वाइंट टू प्वाइंट रेडियो फॉर बैकहॉल, सीएलआईपी फोन हैंडसेट, आदि, अपनाने के लिए संभावित साझेदारों के साथ सहयोग कर रही है। आईटीआई नए व्यावसायिक क्षेत्रों में विविधता ला रहा है और भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (आईआरएनएसएस) रिसीवरों के निर्माण के लिए एसएसी-इसरो के साथ टीओटी और सीएसआईआर-सीईईसीआरआई के साथ लिथियम आयन बैटरी के निर्माण को पता लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्तमान में आईटीआई की आर एंड डी टीम सुरक्षा सुविधाओं जैसे मूल्य-वर्धन के साथ आईआरएनएसएस-आरएस रिसीवर के फील्ड प्रोग्रामेबल ग्रिड ऐरे (एफपीजीए) संस्करण के प्रोटोटाइप मॉड्यूल का विकास कर रही है।

* आईटीआई ने 4जी तथा बेतार प्रौद्योगिकी, उपकरण निर्माण, स्मार्ट सिटी, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के क्षेत्रों में मिलकर काम करने के लिए टेक महिन्द्रा के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। यह पहल अगली पीढ़ी का बेतार नेटवर्क तैयार करने के लिए आईटीआई और टेक महिन्द्रा की क्षमताओं को संयोजित करते हुए स्थानीय क्षमता निर्मित करने के लिए की गई है। कंपनी की योजना दूरसंचार उपकरणों का निर्माण करने के लिए अत्याधुनिक एवं नवीनतम सुविधाओं और सक्षमताओं के साथ अपने विभिन्न संयंत्रों में ईएनओडीईबी निर्मित करने की है। आई.टी.आई. बीएस.एन.एल. द्वारा आमंत्रित की जाने वाली 4जी निविदा में भाग लेने की तैयारी कर रही है।

* विभिन्न आईटी परियोजाओं और समाधानों में काम करने के लिए, आई.टी.आई. ने अग्रणी आईटी तथा आईटीईएस सेवा संगठन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस (टी.सी.एस.) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया ।

* आईटीआई ने देश में साइबर जोखिमों से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियों, रक्षा तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मेक-इन-इंडिया, विश्व-स्तरीय पहचान और पँहुच प्रबंधन (आईएएम) प्रदान करने के लिए इलान्टस टेक्नालॉजीस के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, आईटीआई और इलान्टस पहचान और पँहुच प्रबंधन जो एक ही उत्पाद में सभी विशेषताओं को शामिल करने वाला दुनिया का एकमात्र समाधान है, द्वारा आज के विघटित पहचान वाले परिदृश्य की चुनौतियों को दूर करेंगे।

राजकोष में सहयोग

वर्ष के दौरान कंपनी ने शुल्क एवं कर के प्रति 351.14 करोड़ रुपये का सहयोग दिया है।

सार्वजनिक जमा

कंपनी ने वर्ष 2019-20 के दौरान किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया। भुगतान हेतु कुल 0.24 करोड़ रुपये का जमा पूरा हो चुका है, किंतु नियत तारीख को दावा नहीं किया गया।

क्रेडिट रेटिंग

कंपनी के विभिन्न ऋण विलेखों के लिए रेटिंग एजेंसियों द्वारा सौंपी गई क्रेडिट रेटिंग कॉपरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान की गई है।

संयुक्त उपक्रम

इंडिया सैटकॉम लिमिटेड (आईएसएल)

आईएसएल का निगमन वर्ष 1987 में किया गया था और आईएसएल में आईटीआई की वर्तमान हिस्सेदारी इसकी शेयर पूंजी का 49% और क्रिस टेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड की हिस्सेदारी 51% है। पुनरुद्धार के तहत, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने बैंकों द्वारा आईएसएल के खिलाफ दायर मामलों का निपटारा किया है। आईएसएल ने अपनी अचल संपत्ति को विकसित करने के लिए संयुक्त विकास करार किया था और यह परियोजना नियोजन और डिजाइन के चरण में है। वर्तमान में सभी बैंकों के ऋण चुकाए जाते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी नहीं बन सकी, न ही कंपनी का सहयोग रुका।

कंपनी के संयुक्त उद्यम की मुख्य विशेषताएं एओसी-1 के रूप में प्रस्तुत की गई हैं जो इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक –1** के रूप में संलग्न है।

गुणवत्ता

आईटीआई की गुणवत्ता नीति हमारे ग्राहकों को उत्कृष्ट उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना है, जबकि लाभप्रदता के मामले में निरंतर व्यावसायिक विकास प्रदान करना और स्थिर और अनुभवी श्रमिकों के साथ गुणवत्ता-केंद्रित संस्कृति तैयार करके और निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रित करके नियोजित पूंजी पर वापसी करना। व्यापार प्रणाली सुधार के प्रमुख तत्वों में ग्राहक की जरूरतों को समझने और परिश्रमपूर्वक निरीक्षण प्रक्रियाओं को समझने के लिए कठोर प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

हमारा लक्ष्य एक ग्राहक केंद्रित अभिनव दूरसंचार कंपनी होना है जो लगातार हमारे ग्राहकों की अपेक्षाओं से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं की अपूर्ति करता है।

* बेंगलुरू, पालक्काड, मनकापुर, रायबरेली और नैनी में हमारे पांच विनिर्माण संयंत्रों की विनिर्माण सुविधाओं को आईएसओ 9001-2015 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 14001-2015 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के साथ मान्यता प्राप्त है। रायबरेली संयंत्र को आईएसओ: 10002: 2018 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन - ग्राहक संतुष्टि और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए टीएल 9000:आर6.2 और आर5.6 की मान्यता प्रदान की गई है।

* नैनी यूनिट की सोलर मॉड्यूल विनिर्माण सुविधा भी ओएचएसएएस 18001 से प्रमाणित है और आईएसओ 45001: 2018 के उन्नयन की प्रक्रिया के तहत है जो व्यावसायिक स्वास्थ्य और संरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक है। समय-समय पर निगरानी लेखा परीक्षा और पुनर्प्रमाणन लेखा परीक्षाएँ सफलतापूर्वक पूरी की गई हैं।

* दूरसंचार उपकरणों के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन (एमटीसीटीई) के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारत में उपयोग के आयात किए गए सभी दूरसंचार उपकरणों को बिक्री से पहले अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन से गुजरना होगा। इस संबंध में, आईटीआई, दूरसंचार विभाग और टीईसी के सहयोग से, आईटीआई के बेंगलूरु संयंत्र में विभिन्न मापदंडों के परीक्षण के लिए ईएमआई/ईएमसी, सुरक्षा, एसएआर और सुरक्षा प्रयोगशाला जैसी 4 परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की प्रक्रिया में है। ईएमआई/ईएमसी तथा और सुरक्षा प्रयोगशाला पहले से ही स्थापित हैं।

* आईटीआई लिमिटेड की विभिन्न विनिर्माण सुविधाओं पर निर्मित विभिन्न उत्पादों और प्रदत्त सेवाओं को मान्यता प्राप्त निकायों से अनुमोदन/प्रमाणन प्राप्त है, यथा

* हाइब्रिड सौर फोटोवोल्टिक (पीवी), कार्यकारी टेलीफोन प्रणाली (ईटीएस- 04), सीएलआईपी और टू-वे स्पीकर फीचर (टाइप- I) के साथ इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट और बेस स्टेशन पैनल एंटेना के लिए जीपॉन के लिए - ओएनटी और ओएलटी, एनएफएस जीपॉन 24एफ एडीएसएस ओएफसी, 24एफ एनज़ेडएसएस, पीएलबी एचडीपीई दूरसंचार डक्ट हेतु **टीएसईसी** (क्यूए और बीएसएनएल के निरीक्षण सर्कल द्वारा जारी **तकनीकी विनिर्देश मूल्यांकन प्रमाण-पत्र**)

* सौर पीवी मॉड्यूल का **आईईसी (अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो-तकनीक आयोग)** प्रमाण पत्र,

* **बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो)** स्मार्ट एनर्जी मीटर, क्रिस्टलीय सिलिकॉन फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल और माइक्रो पीसी का प्रमाणन ।

* एनपीसीआई द्वारा **रूपे कार्ड प्रमाणन** और बैंकिंग कार्ड निजीकरण के लिए **मास्टर कार्ड प्रमाणन।**

* उड़ान पैकेजों के घटक स्क्रीनिंग, परीक्षण और मूल्यांकन, असेंबली और परीक्षण के लिए वीएसएससी (विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, त्रिवेंद्रम) की मान्यता।

* एचडीपी टेलकॉम डक्ट के लिए **टीईसी (दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र)** प्रकार का अनुमोदन प्रमाण-पत्र ।

मानव शक्ति

आपकी कंपनी प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करने में अपने मानव संसाधन के महत्व और योगदान को पहचानती है। कंपनी उत्पादकता में सुधार लाने के लिए अपने कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को उन्नत करने पर महत्व देती है। कंपनी नए और रणनीतिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ आयोजित कर रही है, ताकि इससे कर्मचारी आने वाले वर्षों में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हों। मानव संसाधन की पहलें टीम भावना, कर्मचारी सशक्तीकरण की विकास और विभिन्न सुधार गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर ध्यान रखना हैं। सभी मानव संसाधन प्रयास व्यावसायिक प्राथमिकताओं के साथ और नवीनतम प्रौद्योगिकी के लिए शांत रूप से संक्रमण के उद्देश्य के साथ सरेखण में हैं।

कर्मचारियों की शक्ति

31 मार्च, 2020 के अनुसार कर्मचारियों की संख्या 3498 थी जिसमें से 506 महिला कर्मचारी थी।

31 मार्च,2020 के अनुसार अनुसूचित जाति 590 तथा अनुसूचित जनजाति के 57 कर्मचारी थे।

वर्ष 2019-20 के दौरान 73 पदावधि अधिकारी,2 संविदा तकनीशियन,19 अनुबंध ऑपरेटर्स तथा 7 विशेषज्ञों की भर्ती की गयी।

वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की सूची में विकलांग व्यक्ति से संबंधित 43 कर्मचारी तथा भूतपूर्व सेना की श्रेणी के 11 कर्मचारी थे।

औद्योगिक संबंध

आईटीआई में एक अनुकूल कर्मचारी-नियोक्ता संबंध वातावरण के निर्माण और बनाए रखने की महान परंपरा है। वर्ष के दौरान कंपनी में औद्योगिक संबंध परिदृश्य सौहार्दपूर्ण रहा। कर्मचारी संघ और अधिकारी संघ ने सुचारु कार्य प्रवाह सुनिश्चित करने में अपने सहयोग और समर्थन को बढ़ाया और कंपनी के उद्देश्य को पूरा करने में मदद की।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुक्रम में, कंपनी ने आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन किया है, जिसमें वरिष्ठ महिला कार्यपालक शामिल होते हैं जो हमारी सभी यूनिटों में प्राप्त यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों का निवारण करती हैं। इस नीति के तहत सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदाजन्य, अस्थायी, प्रशिक्षु) आते हैं । नए कर्मचारियों को इस नीति के बारे में बताया जाता है और लिंग संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कंपनी ने आईसीसी के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है और वर्ष के दौरान अधिनियम के तहत कोई भी मामला / शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

कर्मचारियों की क्षमताओं और दक्षताओं को विकसित करना

आपकी कंपनी का मानना है कि कर्मचारियों के विकास और कल के लिए उन्हें तैयार करना चुनौतियों को प्रभावी ढंग से सामना करने की कुंजी है।

1.1 प्रशिक्षण और विकास

बेहतर उत्पादकता और आर्थिक विकास के लिए, कार्मिकों की प्रभावशीलता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तकनीकी अस्थिरता और वैश्वीकरण, कौशल और क्षमता निर्माण के महत्वपूर्ण तंत्र है। कौशल निर्माण व्यक्तियों को उनके कार्य-निष्पादन और विकास को बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव के कारण कंपनी के लिए आवश्यक कौशल का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने और उनसे निपटने के लिए कौशल सेट प्राप्त करने पर गहन ध्यान दिया जाता है। किसी संगठन की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी आवश्यक हैं। कौशल और ज्ञान विकास और स्थिरता की शक्तियों को चला रहे हैं। कंपनी में कुशल श्रमशक्ति की कमी वर्तमान में एक वास्तविक चुनौती है, जो योग्य और अनुभवी कर्मियों के ध्यान का परिणाम है। अधिकाधिक हद तक कौशल सेट की कमी एक सावधान और एक योजनाबद्ध प्रशिक्षण और विकासात्मक पहल के माध्यम से संवर्धित है। आईटीआई लिमिटेड ने एक रणनीति अपनाई है जो प्रशिक्षण की जरूरतों की पहचान, डिजाइनिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अनुकूलित करने आदि के माध्यम से कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण को एक सुव्यवस्थित और आवश्यकता आधारित योजना प्रक्रिया के माध्यम से निर्देशित करता है।

कंपनी दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में नवीनतम प्रवृतियों को अपनाने के लिए और कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्यों, कर्मचारी-केंद्रित प्रौद्योगिकीय व प्रबंधकीय कौशल विकास, गुणवत्ता और ग्राहक संबंध के साथ संयंत्र के मानव संसाधन -कर्मचारी विकास केंद्र द्वारा मानव संसाधन संबंधी ज्ञानार्जन के प्रयासों और विकास संबंधी कार्यकलापों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रतिभा विकास: अनुभव के साथ-साथ ज्ञान भी बढ़ता है। कौशल कुछ बेहतर करने की क्षमता है। अच्छी तरह से विकसित कौशल से व्यक्ति क्षेत्र-विशेष में विशेषज्ञ बन सकता है। कौशल सीखा भी जा सकता है। इससे कर्मचारी के कार्य-निष्पादन में सुधार होता है - जो कर्मचारी आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करता है उसका कार्य-निष्पादन बेहतर होता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम से आपको ऐसे कौशल को मजबूत करने का अवसर मिलता है जिसे प्रत्येक कर्मचारी को सुधारने की आवश्यकता होती है। विकास कार्यक्रम से सभी कर्मचारी उच्चतर स्तर पर आते हैं क्योंकि उन सभी के पास समान कौशल और ज्ञान होता है। कौशल प्रशिक्षण को कर्मचारियों को लक्षित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो उन्हें अपने कार्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक ज्ञान और क्षमताएँ प्रदान करता है। जब कभी नई प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाएँ या प्रणालियाँ आरंभ होती हैं, तब कर्मचारियों को पुन: शिक्षित और पुन: प्रशिक्षित करने के लिए कौशल प्रशिक्षण का उपयोग किया जा सकता है।

निगमित प्रबंधन ने आईआईएम, आईआईटी जैसे विभिन्न अग्रणी संस्थानों में बैच-वार आईटीआई के कार्यपालकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है ताकि वे अपनी अभिवृत्ति, कौशल-ज्ञान और नई प्रौद्योगिकी के बारे में जान सकें और उन्हें विकसित कर सकें। इन प्रयासों से उन्हें परिवर्तन का प्रबंधन करने की क्षमता; नवीन विचारों और दृष्टिकोणों को अपनाने, महत्वपूर्ण सोच बढ़ाने, विश्लेषणात्मक, पारस्परिक और नेतृत्व कौशल को बढ़ाने और साथ ही उच्च-कार्य-निष्पादन कार्य संस्कृति के निर्माण के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलती है।

आईटीआई ने वरिष्ठ और मध्यम स्तर के ऐसे प्रबंधकों की पहचान की है जिनका कार्य-निष्पादन बेहतर है और जो उच्च पदों पर पहुंचने और नेतृत्वकारी भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं। कंपनी की अनुक्रम योजना के तहत, इन अधिकारियों को प्रबंधन की भूमिका में पदोन्नत करने के लिए, हम चाहते थे कि ये अधिकारी निश्चित रूप से दूसरों को प्रबंधित करने में बेहतर साबित हों, ताकि वे उच्चतर जिम्मेदारियों को निभा सकें, परिवर्तन का आगे बढ़कर नेतृत्व करें और व्यावसायिक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संभाल सकें। कंपनी ने आईआईएम और आईआईटी द्वारा एक प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कंपनी के चुनिंदा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। आईआईएमके (25) में 1 कार्यक्रम और आईआईटी धारवाड़ के माध्यम से 2 प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम (5जी संचार -53, मशीन लर्निंग -80) आयोजित किए गए थे, जिसमें 158 प्रतिभागियों ने भाग लिया । उपरोक्त के अलावा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न एजेंसियों/संस्थानों जैसे आईआईसीए/सीबीआई/स्कोप अकादमी आदि द्वारा आयोजित बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ कार्यशालाओं के लिए 31 अधिकारियों को नामित किया गया ।

दूरसंचार पीएसयू के बीच तालमेल लाने के उद्देश्य से, आईटीआई, नई प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दूरसंचार विभाग के माध्यम से दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी) आदि से विशेषज्ञता/संकाय सहायता प्राप्त कर रही है । ''5जी और आईओटी'' पर दूसरा कार्यक्रम रायबरेली में आयोजित किया गया जिसमें 71 लोगों को प्रशिक्षित किया गया । साथ ही कौशल विकास/संवर्द्धन के लिए दूरसंचार पीएसयू के पास उपलब्ध प्रशिक्षण अवसंरचना का उपयोग भी किया गया।

आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है

कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण			कुल प्रशिक्षित
	आंतरिक	बाह्य	प्रमुख संस्थान	
कार्यक्रमों की संख्या	72	17	3	92
कुल प्रशिक्षित	2041	31	158	2230
हासिल प्रशिक्षण मानवदिवस	2461.5	55	790	3306.5
% प्रशिक्षित	63.3% (उपलब्ध जनशक्ति 3522)			
प्रशिक्षित पुरुष कर्मचारी	1758	26	116	1900
प्रशिक्षित महिला कर्मचारी	283	5	42	330
प्रशिक्षित अ.जा/ अ.ज.जा कर्मचारी	306	7	40	353

कंपनी ने एचआरडी सिस्टम के संबंध में समझौता ज्ञापन पर प्रतिबद्धता जताई और वर्ष 2019-20 के लिए भी 'उत्कृष्ट रेटिंग' हासिल की।

1.2 कौशल विकास और क्षमता निर्माण :

कौशल विकास छात्र / प्रशिक्षुओं के समग्र विकास में महत्वपूर्ण होता है। व्यक्तिगत विकास, सीखने के कौशल से न केवल अवसरों में वृद्धि होगी बल्कि इससे व्यक्ति सशक्त भी बनता है । प्रमुख कौशल और संप्रेषण जैसी दक्षताएं छात्रों / प्रशिक्षुओं के समग्र विकास में दीर्घकाल तक सहयोग करती हैं। कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से छात्रों का कौशल विकास करने से रोजगार, कैरियर विकास, व्यक्तिगत विकास, अपने स्थानीय उद्योग के ज्ञान और समझ में वृद्धि जैसे अनेक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होते हैं।

कंपनी न केवल संयंत्रों में स्थित अपने मानव संसाधन-कर्मचारी विकास केंद्रों के माध्यम से अपने स्वयं के कर्मचारियों के कौशल सेट विकसित करती है, बल्कि प्रशिक्षुता प्रशिक्षण, ग्रीष्मकालीन प्लेसमेंट, इंटर्नशिप परियोजनाओं परिष्करण स्कूलों आदि के माध्यम से युवा दिमाग को व्यावसायिक ट्रेडों में शिक्षित और प्रशिक्षित करती है। कंपनी ने इंजीनियरिंग, प्रबंधन के

छात्रों को सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्था–उद्योग कौशल अंतराल को पाटने के प्रयास के रूप में प्रारम्भ किया है। कंपनी के संयंत्रों में फिनिशिंग स्कूल देश में छात्रों के समुदाय के लिए पूर्वव्यापी सेवाएँ कर रहे हैं।

आईटीआई सक्रिय रूप से विभिन्न मॉड्यूलों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने में टेलीकॉम स्किल सेक्टर काउंसिल (टीएसएससी)/इलेक्ट्रॉनिक स्किल सेक्टर काउंसिल ऑफ़ इंडिया (ईएसएससीआई) छात्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए नौकरी की भूमिका और आईटीआई मॉड्यूल शामिल है। 'कौशल भारत' प्रमुख कार्यक्रम के एक अंश के रूप में, आईटीआई ने युवाओं/प्रशिक्षुओं/छात्रों को आईटीआई के विभिन्न संयंत्रों में कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान करना शुरू किया, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी और उनके रोजगार के अवसर और उद्यमशीलता बढ़ेगी।

आईटीआई द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण की कुछ जॉब भूमिकाएँ इस प्रकार हैं – ऑप्टिकल फाइबर तकनीशियन; ऑप्टिकल फाइबर स्प्लेसर; सोलर मॉड्यूल असेंबली तकनीशियन; पीसीबी फैब्रिकेटर; सर्किट इमेज ऑपरेटर (पीसीबी विनिर्माण); पिक–एंड–प्लेस असेंबली ऑपरेटर; थ्रू होल–असेंबली ऑपरेटर; क्षेत्र तकनीशियन कम्प्यूटिंग संबंधी उपकरण (एफटीसीपी); एनएसक्यूएफ कोर्स असेंबली और पीसी का रखरखाव; घरेलू डेटा एंट्री ऑपरेटर (आईटी–आईटीईएस एसएससी); फैशन डिजाइनिंग (एएचएफएसएससी) और बीएसएस सपोर्ट इंजीनियर। उपरोक्त के अलावा, आईटीआई शिक्षुता अधिनियम / राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)के तहत विभिन्न ट्रेडों में स्नातक इंजीनियर, डिप्लोमा (तकनीशियन) और ट्रेड अपरेंटिस को नियोजित कर प्रशिक्षण भी दे रही है। सीएसआर और क्षमता निर्माण के तहत, कंपनी इंजीनियरिंग / प्रबंधन के छात्रों को अपनी इंटर्नशिप और परियोजना पूरी करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या का विवरण इस प्रकार है :–

क्रम सं.	कौशल विकास क्यूपी/मॉड्यूल	प्रशिक्षितों की संख्या
1	ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसर – टीएसएससी क्यूपी	125
2	पीसीबी–परिपथ इमेज ऑपरेटर –ईएसएससीआई क्यूपी (एएसएपी)	29
3	बीएसएस सपोर्ट इंजीनियर	47
4	डमेस्टिक डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (आईटी–आईटीईएस एसएससी)	30
5	फैशन डिजाइनिंग (एएचएफएसएससी)	55
6	फील्ड नेटवर्क तकनीशियन	120
7	तेलंगाना अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम सीमित (टीएससीसीडीसीएल)	38
8	फील्ड तकनीशियन कांप्यूटिंग परिफ्रेल्ज़ (एफटीसीपी)	119
9	पीसी–एनएसक्यूएफ कोर्स का असेंबली और मेन्टनन्स	21
10	अपरेंटिस– आईटीआई ट्रेड (एनएसी)	124
11	डिप्लोमा तकनीशियन अपरेंटिस	19
12	ग्रेजुएट इंजीनियर्स अपरेंटिस	31
13	इन–प्लांट / इंटर्नशिप प्रशिक्षण (आईटीआईएल मॉड्यूल)	1259
14	परियोजना प्रशिक्षण (आईटीआईएल मॉड्यूल)	220
15	फिनिशिंग स्कूल (आईटीआईएल मॉड्यूल)	98
16	अपनाए गए आईटीआई को विशेष औद्योगिक प्रशिक्षण (आईटीआईएल मॉड्यूल)	649
	कुल	**2984**

आईटीआई लिमिटेड ने एनएसडीसी, एसएससी जैसे टीएसएससी, ईएसएससीआई आदि के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है, ताकि कौशल विकास प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जा सके।

जन क्षमता परिपक्वता मॉड्यूल (पीसीएमएम) :

जन क्षमता परिपक्वता मॉड्यूल (पीसीएमएम) एक परिपक्वता ढांचा है जिसमें किसी संगठन की मानव संपत्ति के प्रबंधन और विकास में निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जन क्षमता परिपक्वता मॉड्यूल किसी संगठन के कार्यबल की क्षमता में सुधार के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस सर्वोत्तम पद्धतियों से कौशल में कमी की पहचान करने, निचले स्तर के कार्यप्रवाह के अवरोधों को समाप्त करने और संगठन की सफलता में मदद करने वाले कौशल विकसित करने में टीम के सदस्यों को सशक्त बनाने में मदद मिलती है। आईटीआई लिमिटेड जो जन, गुणवत्ता और ग्राहक–केंद्रित है के लिए पीसीएमएम फायदेमंद हो सकता है और चूँकि कंपनी व्यावसायिक कार्य–निष्पादन, जन विकास और संगठन की रणनीति और लक्ष्य संरेखण के बारे में गंभीर है, आईटीआई में यह मॉड्यूल उपयुक्त है।

वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी की एक एचआरएम परिमापी और एमओयू का लक्ष्य ''आईटीआई लिमिटेड में पीसीएमएम (जन क्षमता परिपक्वता मॉडल) या समकक्ष प्रणाली के अनुरूप स्तर का उन्नयन है।'' इस अंतर की पूर्ति और प्राप्ति के लिए लक्ष्य परिपक्वता स्तर पीसीएमएम वर्शन 2.0 का परिपक्वता स्तर 2 (व्यवस्थित स्तर) है। पीसीएमएम स्तर 2 के लिए पीसीएमएम अंतर पूर्ति की प्रक्रिया 31.1.2020 तक पूरी की जानी है जबकि यह लक्ष्य 30.11.2019 तक प्राप्त कर लिया गया है और इस तरह एमओयू का ''उत्कृष्ट'' स्कोर हासिल किया है।

मूल्यांकन के दौरान अभिचिह्नित शक्तियाँ इस प्रकार हैं – प्रौद्योगिकी चलित संगठन; मजबूत संप्रेषण पद्धतियाँ – पत्रिकाओं, पोस्टर, सूचना पट्ट, एनओसी, इंट्रानेट और सरकारी पोर्टलों का प्रकाशन; नीतियों और प्रक्रियाओं के लिए सुपरिभाषित संरचना; कारोबारी प्रक्रियाओं का स्वचालन – ईआरपी, एपीएआर, फ़ाइल ट्रैकिंग सिस्टम, सतर्कता ट्रैकिंग प्रणाली, एपीआर (वार्षिक संपत्ति विवरणी), पीसीएमएम / पीएमएमएम मूल्यांकन प्रबंधन टूल और संपूर्ण संगठन में पीसीएमएम मॉडल की बेहतर समझ। सुधार के क्षेत्रों में कागज आधारित दस्तावेजों के उपयोग का अनुकूलन; सभी प्रक्रिया क्षेत्रों को शामिल करने के लिए प्रक्रिया मापन और विश्लेषण ढांचे की स्थापना/उन्नयन; और प्रक्रिया के सभी क्षेत्रों में औपचारिक अभिविन्यास लागू करना है।

नवंबर 2019 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार, आईटीआई लिमिटेड के लिए वर्तमान समग्र परिपक्वता स्तर पीसीएमएम स्तर 2 (प्रबंधित) है।

परियोजना प्रबंधन परिपक्वता मॉडल (पीएमएमएम) मूल्यांकन

अपनी परियोजना प्रबंधन पद्धतियों की परिपक्वता के स्तर का मूल्यांकन और सुधार करने के लिए, आईटीआई ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में परियोजना प्रबंधन परिपक्वता मॉडल (पीएमएमएम)पर अपनी पीएम पद्धतियों का प्रारंभिक मूल्यांकन किया था। पीएमएमएम में परिपक्वता बढ़ाने के 5 स्तर हैं जो संगठनों को संगठन में परियोजना प्रबंधन पद्धतियों की परिपक्वता को व्यवस्थित रूप से सुधारने में सक्षम बनाता है। विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रक्रिया सुधार ढांचा सीएमएमआई (क्षमता परिपक्वता मॉडल एकीकरण) – विकास वर्शन 1.3 मॉडल का उपयोग पीएमएमएम के लिए समकक्ष के रूप में किया गया था। उस मूल्यांकन से परिपक्वता स्तर 1 (प्रारंभिक स्तर) पर पाया गया ।

इसके बाद, आईटीआई ने पीएमएमएम परिपक्वता में सुधार करने का निर्णय लिया। यह वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के एमओयू के लिए एमओयू परिमापी और लक्ष्य ('परियोजना प्रबंधन परिपक्वता मॉडल (पीएमएमएम) के अनुरूप स्तर का उन्नयन या आईटीआई लिमिटेड में समकक्ष प्रणाली') में से एक था । प्राप्त किया जाने वाला लक्ष्य परिपक्वता स्तर पीएमएमएम के परिपक्वता स्तर 2 (प्रबंधित स्तर) के लिए निर्धारित किया गया ।

तदनुसार, वर्ष 2019–20 के लिए अंतर पूर्ति परियोजना को स्तर 2 (प्रबंधित स्तर) के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया । इसे प्राप्त करने के लिए निर्धारित समयावधि 31.01.2020 थी। हालांकि, परिपक्वता स्तर 2 कासफल मूल्यांकन 30.11.2019 तक पूरा कर लिया गया, जिससे कंपनी इस परिमापी पर उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त कर सकी।

नवंबर 2019 में किए गए मूल्यांकन के अनुसार, आईटीआई लिमिटेड के लिए वर्तमान समग्र परिपक्वता स्तर पीएमएमएम स्तर 2 (प्रबंधित) है।

राजभाषा अधिनियम, 1963 का कार्यान्वयन

सभी यूनिटों/विपणन सेवाएं और परियोजना (''एमएसपी'') द्वारा राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रयास को और अधिक प्रभावी बनाएं रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर जाँच बिन्दु स्थापित किए गए हैं जिन पर प्रत्येक यूनिट/एमएसपी में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति नज़र रखती है।

निगमित कार्यालय सहित अधीनस्थ यूनिटों/विपणन सेवाएं और परियोजना में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा, निगमित कार्यालय में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा समय– समय पर की जाती है।

नैनी, रायबरेली, मनकापुर, नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और निगमित कार्यालय जैसी यूनिटों/विपणन सेवाएं और परियोजनाओं में 80% से अधिक कर्मचारी वर्ग द्वारा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने के कारण इन यूनिटों/विपणन सेवाएं और परियोजनाओं को राजभाषा नियमावली, 1976 के नियम 10(2) और (4) के अंतर्गत भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया जा चुका है।

आईटीआई लिमिटेड, निगमित कार्यालय द्वारा संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली तथा उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, बेंगलूरु को नियमित रूप से तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजी जा रही है। तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के पश्चात उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, बेंगलूरु द्वारा निगमित कार्यालय को विगत एक वर्षों से प्रशंसनीय पत्र प्राप्त, हो रहें हैं।

दिनांक 17 जून, 2019 को श्री पी.सी. विश्वकर्मा, परामर्शदाता (राजभाषा) एवं श्री विजय सिंह रावत, सहायक अनुभाग अधिकारी, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली द्वारा आईटीआई लिमिटेड, निगमित कार्यालय, राजभाषा विभाग का राजभाषा कार्यान्वयन नीति से संबंधित निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के साथ-साथ श्री पी.सी. विश्वकर्मा, परामर्शदाता (राजभाषा) द्वारा बेंगलूरु स्थित यूनिटों एवं क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित नियमों व प्रावधानों तथा सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रयोग में उनकी झिझक और कठिनाइयों को दूर करने हेतु एक विशेष कार्यशाला का आयोजन बेंगलूरु प्लांट के आरएवंडी सम्मेलन कक्ष में पूर्वाह्न 10.30 बजे किया गया ।

निरीक्षण के पश्चात श्री पी.सी. विश्वकर्मा, परामर्शदाता (राजभाषा) दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भेजे गए समीक्षा रिपोर्ट में प्रशंसनीय पत्र प्राप्त हुए।

पुनः श्री आर.के.खंडेलवाल, उप महानिदेशक (समन्वय एवं प्रशासन) एवं श्री पी.सी. विश्वकर्मा, परामर्शदाता (राजभाषा), दूरसंचार विभाग, द्वारा 22 जनवरी, 2020 को निगमित कार्यालय, राजभाषा विभाग का राजभाषा कार्यान्वयन नीति से संबंधित निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात दिनांक 24 जनवरी, 2020 को अपराह्न 2.00 बजे बेंगलूरु स्थित यूनिटों एवं क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों, बीएसएनएल-सीजीएम एवं सी-डॉट के अधिकारियों हेतु संयुक्त रूप से बेंगलूरु प्लांट के आरएवंडी सम्मेलन कक्ष में एक विशेष हिंदी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

निरीक्षण के पश्चात श्री आर.के.खण्डेलवाल, उप महानिदेशक (समन्वय एवं प्रशासन), संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भेजे गए समीक्षा रिपोर्ट में प्रशंसनीय पत्र प्राप्त हुए।

कर्मचारियों में राजभाषा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए आंतरिक/बाह्य संकाय के सहयोग से आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा, कर्मचारियों को हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा परीक्षा में भाग लेने हेतु भी प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके लिए योग्य कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाता है।

वर्ष 2019-20 में सभी इकाईयों/विपणन सेवाएं और परियोजनाओं में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया और पखवाड़े के दौरान कार्मिकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलूरु द्वारा संयुक्त हिंदी माह के दौरान आयोजित की प्रतियोगिताओं में इकाई/विपणन सेवाएं और परियोजनाओं के कार्मिकों ने भाग लिया और लगभग 11 पुरस्कार जीतें। कंपनी की वेबसाइट को नियमित रूप से द्विभाषी (अर्थात हिंदी और अंग्रेजी) में अद्यतन किया जाता है।

सतर्कता

सतर्कता विभाग ने लोगों को संगठन के लिए उच्चतम नैतिक मानकों को कायम रखते हुए सत्यनिष्ठा, दक्षता और पारदर्शी तरीके से काम करने में सक्षम बनाने के लिए पर्यावरण को सुविधाजनक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 2019-20 के दौरान संगठन में अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए सीवीसी के दिशा-निर्देशों और सरकारी नीतियों की निवारणात्मक सतर्कता गतिविधियों और कार्यान्वयन पर जोर दिया गया ।

उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, निगमित सतर्कता ने कंपनी की वेबसाइट में एनआईटी और 'अनुबंधों के समापन' के प्रकाशन में सुधार, संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यरत कार्यपालकों के चक्रानुक्रम स्थानांतरण के कार्यान्वयन, सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन, कर्मचारियों में ईमानदारी और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर समीक्षा हेतु प्रबंधन को समय-समय पर सुझाव दिए । निवारणात्मक सतर्कता के तहत विभिन्न विभागों को मामला-दर-मामला आधार पर कई प्रणालीगत सुधार के सुझाए भी दिए गए।

प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करते हुए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए, कंपनी ने पहले ही ऑनलाइन वार्षिक संपत्ति विवरणी (एपीआर) प्रस्तुत करने की प्रणाली, ऑनलाइन सतर्कता अनापत्ति प्रणाली (ओवीसीएस), ऑनलाइन वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) प्रस्तुत करने की प्रणाली, ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग प्रणाली की शुरुआत की है। सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, समानता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए, हमारी कंपनी ने ऊपरी सीमा तय करते हुए निष्ठा संधि को शामिल किया है। कंपनी ने बोली लगाने वालों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) नियुक्त किया है। हमारी कंपनी ने सभी विनिर्माणी यूनिटों, कारोबारी संस्थापनाओं और निगमित कार्यालय में 28 अक्तूबर 2019 से 2 नवंबर 2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया।

आईटीआई सेंट्रल स्कूल और विद्यामंदिर स्कूल के 150 छात्रों और शिक्षकों द्वारा 'वॉकथॉन' नामक एक सतर्कता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया जिसमें बेंगलूरु के दूरवाणीनगर में 2.5 किलो मीटर की दूरी तय की गई। मुख्य सतर्कता अधिकारी, आईटीआई लिमिटेड ने विद्यामंदिर स्कूल और आईटीआई के सेंट्रल स्कूल के छात्रों और शिक्षकों का शपथ दिलाई और उसके बाद उन्होंने हरी झंडी दिखाकर छात्रों की रैली रवाना की। आईटीआई के सेंट्रल स्कूल और आईटीआई विद्यामंदिर स्कूल, दूरवाणीनगर, बेंगलूरु में नारा लेखन और निबंध प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं जिनमें 310 से अधिक छात्रों और 40 शिक्षकों ने भाग लिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए 1 नवंबर, 2019 को रायन इंटरनेशनल स्कूल, रायबरेली और केंद्रीय विद्यालय, रायबरेली में भाषण प्रतियोगिता, व्याख्यान और सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा का आयोजन किया गया । इन कार्यक्रमों में दोनों स्कूलों के कक्षा IX, X, XI और XII के छात्रों ने भाग लिया। मनकापुर यूनिट में, सतर्कता टीम ने गांव में आउटरीच गतिविधि संचालित करने के लिए मिश्रोलिया गोशाई ग्राम सभा स्कूल से संपर्क किया। इस स्कूल के 240 छात्रों और शिक्षकों को सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा दिलाई गई। नैनी की सतर्कता टीम ने पूर्व माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय, चाका, नैनी, इलाहाबाद का दौरा किया। स्कूल के शिक्षकों और 250 छात्रों ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। स्कूल परिसर में सतर्कता जागरूकता से संबंधित बैनर / पोस्टर प्रदर्शित किए गए।

समारोह में शपथ ग्रहण समारोह, निबंध / प्रश्नोत्तरी / नारा लेखन प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतिम दिन समापन समारोह का आयोजन किया गया ।

वर्ष 2019-20 के दौरान, सतर्कता विभाग को 10 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 9 का निपटारा किया गया और 1 शिकायत की प्रारंभिक जांच प्रगति में है। इसके अलावा, निपटाए गई 9 शिकायतों में से 1, अनाम / छद्म नाम की थी, 7 प्रशासनिक प्रकृति की थीं और 1 शिकायत को सतर्कता की दृष्टि से शिकायत नहीं माना गया।

विभिन्न यूनिटों में 9 जागरूकता कार्यक्रम और निगमित कार्यालय, सभी यूनिटों, क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए गए।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) का कार्यान्वयन

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, हमें विभिन्न आवेदकों से आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने के 317 अनुरोध प्राप्त हुए । आईटीआई के आरटीआई विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान इनमें से 312 आरटीआई आवेदनों के उपयुक्त उत्तर प्रदान किया। केंद्रीय सूचना आयोग (''सीआईसी'') ने आवेदकों की सुविधा के लिए जानकारी मांगने के लिए ऑनलाइन आरटीआई अनुरोध दायर करने के लिए एक ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल शुरु किया जिसमें 232 मामले प्राप्त हुए । आरटीआई आवेदकों को कुल 312 उत्तर प्रदान किए गए । सीआईसी के पोर्टल में तिमाही ऑनलाइन आरटीआई विवरणियाँ अपलोड की गईं और यही सूचना संचार मंत्रालय को प्रस्तुत की गई और हमारी कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई। संपूर्ण पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए, हमारी वेबसाइट पर प्रथम अपीलीय अधिकारी / केंद्रीय जन सूचना अधिकारी / यूनिटों के जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रत्येक यूनिट को प्रदान किए गए विशिष्ट लिंक के तहत अनुरोध और प्रतिक्रियाएं अपलोड की जा रही हैं। आवेदकों द्वारा द्वितीय अपील के रूप में सीआईसी को भेजे गए सभी मामलों को सफलतापूर्वक निपटाया गया और सीआईसी के निर्णयों के अनुरूप पूर्ण अनुपालन किया गया । आरटीआई अधिनियम की धारा 4.1 (ख) के तहत आज्ञापक प्रकटण कंपनी की वेबसाइट में जून 2019 के दौरान अद्यतन किए गए।

लेखापरीक्षा

- **सांविधिक लेखापरीक्षा**

  मेसर्स शंकरन और कृष्णन, सनदी लेखाकार, बेंगलूरु को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा 2019-20 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। निदेशक मंडल ने सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए एकल के लिए 5 लाख रुपये और समेकित के लिए 0.70 लाख रुपये, एकल और समेकन दोनों हेतु 1 लाख रुपये प्रति तिमाही (3 तिमाही) के लिए पारिश्रमिक और लागू करों को निर्धारित किया है। इसके अलावा, यात्रा और जेब खर्चों को वास्तविक रूप से भी प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदत्त अन्य सेवाओं प्रमाणन शुल्क के लिए भुगतान की गई कुल राशि 1.15 लाख रुपये और एफपीओ असाइनमेंट के हेतु 26.50 लाख रुपये, जीएसटी लेखापरीक्षा (कर रहित) के लिए 2.85 लाख रुपये थी।

- **शाखा लेखापरीक्षक**

  वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के विभिन्न इकायों हेतु शाखा लेखापरीक्षक के रूप में चार्टर्ड लेखाकार के निम्न फर्मों को नियुक्त किया गया।

क्रम सं.	इकाई	लेखापरीक्षक के नाम
1	बेंगलूरु	शंकरन और कृष्णन, बेंगलूरु
2	नैनी	गोयल विनय एवं एसोसिएट, इलाहाबाद
3	रायबरेली	आर के चारी एण्ड कंपनी, लखनऊ
4	मनकापुर	पीएनजी एण्ड कंपनी, फैजाबाद
5	पालक्काड	वैरियर एवं एसोसिएट, पालक्काड
6	श्रीनगर	अमीर जैन एण्ड एसोसिएट, श्रीनगर

– **लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट**

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक लेखे पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और वार्षिक लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 के 143 (6) (बी) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों को इस रिपोर्ट में संलग्न किया गया है। सांविधिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के लिए उत्तर इस रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई है।

– **लागत लेखापरीक्षा**

वर्ष 2019–20 के लिए मेसर्स जीएनवी एंड एसोशिएट्स, बेंगलूरु को बेंगलूरु और पालक्काड़ स्थित इकाइयों की लागत लेखा परीक्षा के लिए और साथ ही कंपनी भर की लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट के समेकन के लिए भी लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया । मेसर्स अमन मालवीय एंड एसोशिएट्स, लखनऊ को नैनी, रायबरेली, मनकापुर और श्रीनगर स्थित इकाइयों की लागत लेखा परीक्षा के लिए शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा की गई थी और 27.12.2019 को संपन्न वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों द्वारा 3.16 लाख रुपये (जीएसटी सहित) के पारिश्रमिक की पुष्टि की गई है। निगमित कार्य मंत्रालय के साथ वर्ष 2018–19 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट का दायर की गई थी।

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके साथ बनाए गए नियमों के साथ पठनीय धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत,कंपनी केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अनुसार अपने लागत अभिलेखों को बनाए रखती है।

– **सचिवालयीन लेखापरीक्षक**

कंपनी ने वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी में प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव श्री डी वेंकटेश्वरलु को कंपनी की सचिवालयीन लेखापरीक्षा हेतु नियुक्त किया। वर्ष 2019–20 के लिए सचिवालयीन लेखापरीक्षक रिपोर्ट को इस रिपोर्ट के **अनुबंध–2** में दिया गया है। सचिवलायीन लेखापरीक्षकों के अवलोकनों पर जवाब निदेशकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

आपकी कंपनी के पास अपने आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था है। इसने अपनी परिसंपत्तियों, सामग्री प्रबंधन नियमावली, मानव संसाधन नीतियों और प्रक्रियाओं, लेखांकन नीतियों, वित्तीय और परिचालन कार्यों के लिए शक्तियों के उप प्रत्यायोजन को सुरक्षित रखने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से स्थापित और प्रलेखित किया है। आंतरिक लेखा परीक्षा कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा दल द्वारा निगमित कार्यालय और इकाइयों में पेशेवर कर्मियों द्वारा संचालित की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की रिपोर्ट कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के अनुपालन की स्थिति का संकेत देती है, आवधिक तौर पर लेखा परीक्षा समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है। आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए लेखा परीक्षा समिति आवधिक तौर पर शाखा लेखा परीक्षकों सहित आंतरिक और सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ समीक्षा करती है। सांविधिक लेखा परीक्षक प्रतिवर्ष वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

अनुपालन के लिए कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का विश्लेषण और लेखा परीक्षा किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट तैयार की जाती है और स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संलग्न की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा संस्थापित वित्तीय विवरणों के मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्र के आधार पर, 31 मार्च, 2020 को ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से प्रचालित थे ।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कारोबारी गतिविधियों के अलावा आपकी कंपनी का प्रयास कारोबार को इस प्रकार संचालित करना है कि समुदायों को सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ प्राप्त हो । अन्य बातों के साथ–साथ सीएसआर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य की देखभाल और स्वच्छता आदि शामिल हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने सीएसआर संबंधी विभिन्न गतिविधियों पर 96.10 लाख रुपये खर्च किए । कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान जिन्हें उनके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी की सीएसआर गतिविधियों पर एक रिपोर्ट, **अनुलग्नक–3** में दी गई है। सीएसआर समिति की संरचना कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दी गई है। कंपनी की सीएसआर नीति को कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/investor%20information/ITI-Corporate%20Social%20Responsibility%20Policy.pdf पर देखा जा सकता है ।

व्यावसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी की व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट को बोर्ड की रिपोर्ट के **अनुलग्नक–4** के रूप में दिया गया है।

निदेशक मंडल तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

02 नवंबर, 2020 तक, आईटीआई लिमिटेड के मंडल में 10 निदेशक शामिल हैं जिसमें 4 पूर्णकालिक निदेशक, 2 सरकार द्वारा नामित निदेशक और 4 गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)।

स्वतंत्र निदेशकों में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, श्री सुरेश चंद्र पंडा ने दिनांक 9 सितंबर, 2019 को कंपनी के निदेशक मंडल से इस्तीफा दिया। इसके अलावा, कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री सदय कृष्ण कनोरिया का कार्यकाल 23 नवंबर 2019 को पूरा हुआ। श्रीमती आशा कुमारी जसवाल का कार्यकाल 05 अप्रैल 2020 को पूरा हुआ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के प्रावधानों के संदर्भ में, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की गई हैं। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों के तहत रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

यथासंशोधित सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम16 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के संदर्भ में, स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 और लिस्टिंग विनियमों में उल्लिखित स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के मानदंडों को संतुष्ट करते हुए स्वतंत्रता की घोषणा प्रदान की है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, दिनांक 23 मार्च 2020 को स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकांश स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

सरकार द्वारा नामित निदेशकों में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने 03 अप्रैल, 2019 दिनांकित अपने आदेशानुसार लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सभरवाल, एवीएसएम, वीएसएम, सिग्नल ऑफिसर–इन चीफ, रक्षा मंत्रालय, को सरकार द्वारा नामित निदेशक नियुक्त किया। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सभरवाल, एवीएसएम, वीएसएम की नियुक्ति की तारीख 12 अप्रैल 2019 से प्रभाव, जो निदेशक पहचान संख्या प्राप्त करने की तिथि थी।

कार्यशील निदेशकों में परिवर्तन

श्री के अलगेशन, निदेशक–उत्पादन जिन्हें 01 जून, 2018 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था, अधिवार्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30 सितंबर 2019 को पदमुक्त हुए।

कंपनी के निदेशक विपणन श्री राकेश मोहन अग्रवाल को दिनांक 01 अक्तूबर 2019 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इसके बाद, भारत सरकार के आदेश सं. एफ सं. ई–14–3 / 2018– पीएसए दिनांक 14 अक्तूबर, 2019 द्वारा श्री राकेश मोहन अग्रवाल को दिनांक 14 अक्तूबर, 2019 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख

यानी 30.06.2022 तक या आगे आदेश दिए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, कंपनी का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया।

भारत सरकार के आदेश सं. ई-14-8 / 2019-पीएसए दिनांक 15 नवंबर, 2019 द्वारा श्री राकेश मोहन अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को दिनांक 14 अक्तूबर, 2019 से निदेशक-विपणन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

कंपनी के निदेशक - मानव संसाधन श्री शशि प्रकाश गुप्ता को 01 अक्तूबर 2019 से 06 नवंबर 2019 तक निदेशक उत्पादन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

तत्पश्चात, भारत सरकार के आदेश सं. एफ नं. ई -14-3 / 2019-पीएसए दिनांक 05 नवंबर 2019 द्वारा श्री वेंकटेश्वरलु को दिनांक 7 नवंबर, 2019 से 31 अगस्त 2022 तक यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख या आगे आदेश दिए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, कंपनी का निदेशक-उत्पादन के रुप में नियुक्त किया।

भारत सरकार ने अपने आदेश सं. एफ. नं. 14-3/2013-पी.एस.ए.(पी.टी.I) दिनांक 11 दिसंबर 2017 द्वारा कार्यग्रहण करने की तारीख यानी 23 मार्च 2018 से छः महीनों की अवधि के लिए श्री चित्तरंजन प्रधान, (आईपी एंड टी लेखा व वित्त सेवा-1995), एसएजी स्तरीय अधिकारी को निदेशक वित्त के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान, भारत सरकार ने समय-समय पर उनके कार्यकाल को विस्तारित किया है। भारत सरकार ने अपने आदेश दिनांक 22 सितंबर 2020 द्वारा निदेशक वित्त के पद के अतिरिक्त प्रभार को 22 दिसंबर, 2020 तक या नियमित पदधारी की नियुक्ति तक अथवा आगे के आदेश दिए जाने तक, 3 महीनों की अवधि के लिए उक्त समनुदेशन को विस्तारित किया है।

श्री राजीव श्रीवास्तव को भारत सरकार के आदेश सं. ई-14-1/2019-पी.एस.ए. दिनांक 15 अक्तूबर 2020 द्वारा दिनांक 15 अक्तूबर 2020 से प्रभावी करते हुए उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या आगे के आदेश दिए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पाँच वर्षों की अवधि के लिए निदेशक वित्त नियुक्त किया गया ।

बोर्ड वर्ष के दौरान जिन निदेशकों का कार्यकाल समाप्त हुआ, उनके द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं की प्रशंसा करता है।

श्री शशि प्रकाश गुप्ता, निदेशक जो आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं, पात्र होने के कारण पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक का विवरण इस वार्षिक प्रतिवेदन की वार्षिक विवरणी के सार तथा कार्पोरेट गवर्नेंस प्रतिवेदन में दिया गया है।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कार्यात्मक निदेशकों के अलावा, मुख्य वित्त अधिकारी और कंपनी सचिव कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पद संभालना जारी रख हैं। श्रीमती मालती मेनन ने 05 जनवरी 2020 तक मुख्य वित्त अधिकारी का पद संभाला और निदेशक मंडल ने श्री राजीव श्रीवास्तव को 06 जनवरी 2020 से कंपनी का मुख्य वित्त अधिकारी नियुक्त किया।

बोर्ड की बैठकों की संख्या

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की 9 बैठकें, 28 मई 2019, 07 अगस्त 2019, 19 सितंबर 2019, 11 अक्तूबर, 2019, 15 नवंबर 2019, 06 जनवरी 2020, 17 जनवरी 2020, 22 जनवरी 2020 तथा 23 मार्च 2020 को बुलाई गईं। कंपनी अधिनियम, 2013 के नियमों के साथ पठनीय धारा 173(1), सूचीकरण विनियमन और डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में बोर्ड की बैठकों की आवृत्ति की आवश्यकताओं के अनुसार अनुपालन किया गया।

लेखा परीक्षा समिति का गठन

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, सूचिबद्ध नियमों के विनियम 18 तथा सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसरण में लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है।

उक्त समिति में डॉ. के आर शनमुगम,स्वतंत्र निदेशक समिति के अध्यक्ष हैं श्री राजेन विद्यार्थी और श्री मयंक गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक और श्री शशि प्रकाश गुप्ता, निदेशक-मानव संसाधन समिति के सदस्य हैं। वर्ष 2019-20 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

बोर्ड, इसकी समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के प्रावधानों के अनुसार एक सूचीबद्ध संस्था को बोर्ड, इसकी समितियों और स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन के औपचारिक मूल्यांकन के तरीके को दर्शाने वाला एक कथन शामिल करने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, उक्त प्रावधानों को सरकारी कंपनियों के लिए छूट दी गई है क्योंकि निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय यानी संचार मंत्रालय द्वारा निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है।

निदेशकों के चयन और नियुक्ति तथा उनके पारिश्रमिक के लिए नीति

योग्यता का निर्धारण, सकारात्मक गुण, निदेशक की स्वतंत्रता के लिए मानदंड सहित निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर नीति से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ई) के प्रावधान और धारा 178 (3) में निहित अन्य मामले सरकारी कंपनियों के लिए छूट प्राप्त है।

जोखिम प्रबंधन नीति

सूचीकरण विनियमों के विनियम 21 के तारतम्य में,कंपनी ने जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। समिति के विवरण और अन्य विवरण कार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिए गए हैं और जोखिम प्रबंधन पर एक विस्तृत टिप्पणी प्रबंधन के विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट में दी गई है। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति वेबसाइट https://www.itiltd.in/investor_information पर उपलब्ध है।

व्हिसल ब्लोअर नीति/सतर्कता तंत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (9), सूचीकरण विनियमों के विनियमन 22 और डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.3 के प्रावधानों के संदर्भ में, आपकी कंपनी के पास वास्तविक चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए ''व्हिसल ब्लोअर नीति'' नामक एक सतर्कता तंत्र है। व्हिसल ब्लोअर नीति कंपनी के वेबसाइट https://www.itiltd.in/vigilance पर उपलब्ध है। नीति का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2015 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले कंपनी का कोई भी कर्मचारी नहीं थे।

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

एक अलग खंड 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' को वार्षिक रिपोर्ट के **अनुलग्नक-5** में शामिल किया गया है और यह निदेशकों की रिपोर्ट का एक अंश है।

कॉर्पोरेट सरकार की रिपोर्ट

सूचीबद्ध नियमों में कॉर्पोरेट प्रशासन शर्तों के अनुपालन पर कॉर्पोरेट शासन पर रिपोर्ट और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा बनते हैं। उपरोक्त कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्थितियों के अनुपालन पर प्रमाणपत्र कंपनी सचिव का अभ्यास करने से प्रमाणपत्र भी निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा बनता है।

वार्षिक प्रतिप्राप्ति का सार

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 की धारा 92(3) तथा नियम 12 के अंतर्गत यथापेक्षित प्रपत्र एमजीटी 9 में वार्षिक प्रतिप्राप्ति का सार इस रिपोर्ट में **अनुबंध-6** में संलग्न हैं।

संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन

कंपनी ने संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन पर एक नीति तैयार की है जो कंपनी की वेबसाइट http://www.itiltd.in/investor_information पर भी उपलब्धा है। वर्ष के दौरान दर्ज संबंधित पार्टियों का लेन-देन सामान्य व्यवसाय जैसा तथा स्वयं स्थापित एवं स्वतंत्र आधार पर था। सामग्री संबंधित पार्टी का लेन-देन नहीं था जैसे वार्षिक समेकित व्यवसाय के दस प्रतिशत से अधिक लेन-देन नहीं था जैसा कि आपकी कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान दर्ज पिछले संपरीक्षित वित्तीय विवरण से स्पष्ट है। तदनुसार, फार्म एओसी 2 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एच) द्वारा अपेक्षित संबंधित पार्टी लेन-देन का प्रकटीकरण लागू नहीं है।

वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन

कोविड–19 महामारी का प्रभाव

कोविड –19 महामारी ने अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व अनिश्चितता पैदा की और कारोबार तथा सामान्य रूप से आर्थिक गतिविधियों को बाधित किया है। सभी यूनिटों में विनिर्माण गतिविधियाँ और परियोजनाओं का कार्य–निष्पादन आवश्यक कर्मचारियों को छोड़कर, भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार 22 मार्च 2020 से बंद कर दिया गया था। इसके बाद 20 अप्रैल 2020 से सभी यूनिटों और निगमित कार्यालय में चरणबद्ध तरीके से कामकाज धीरे–धीरे फिर से शुरू किया गया। घटकों / कच्चे माल, आदेश प्राप्त करने, कार्यशील पूंजी संबंधी बाधाओं के कारण उत्पादन और परियोजनाओं का कार्य–निष्पादन प्रभावित होने की संभावना है, जो कंपनी के कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, मजबूत आर्डर बुक के साथ, कंपनी को पूरा विश्वास है कि वह उत्पादन अंतराल की समस्या का सामना करने में सक्षम होगी।

विविधीकृत उत्पादों के साथ, आईटीआई वित्तीय वर्ष 2020–21 के कारोबार पर इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास करेगी। आईटीआई ने फेस शील्ड, डिटैचेबल फेस मास्क, फेस मास्क डिस्पोजल सिस्टम, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर, सैनिटाइजिंग टनल विकसित किए हैं जिनकी आपूर्ति कोविड के योद्धाओं को की जा रही है। आईटीआई पोर्टेबल वेंटिलेटर के निर्माण के लिए डीआरडीओ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है और इसका प्रोटोटाइप आईटीआई द्वारा विकसित किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि सरकार द्वारा की गई पहल 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' में आत्मनिर्भरता और स्थानीय उत्पादन को महत्व दिया जा रहा है जो कंपनी के कामकाज पर अनुकूल प्रभाव डाल सकता है।

पीएम केयर्स फंड में अंशदान

आपकी कंपनी ने प्रधान मंत्री केयर्स फंड में 1.09 करोड़ रुपये का अंशदान दिया है। आपकी कंपनी के कर्मचारियों ने इस निधि में अपने एक दिन के वेतन का कुल 45 लाख रुपये का अंशदान दिया ।

राहत उपाय

देशव्यापी बंद के कारण तथा सामाजिक उपाय के रूप में, आसपास के लोगों की मदद करने के लिए, कंपनी ने अपने कार्य स्थलों के आसपास के इलाकों में खाने का सामान का किट उपलब्ध कराया।

कंपनी की सक्रिय कारोबार की स्थिति और भावी प्रचालनों को प्रभावित करने वाले विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेशों के विवरण : शून्य

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

निदेशकों ने संपुष्ट किया कि :

क 31 मार्च 2020 को समाप्ति वार्षिक वित्तीय विवरण को तैयार करने में सामग्री प्रस्थान संबंधी समुचित व्याख्या के साथ लागू लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया है;

ख सतत ढंग से ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन एवं इन्हें लागू किया गया है तथा युक्तियुक्त एवं बौद्धिक निर्णय और प्राक्कलन इस प्रकार किए गए हैं कि 31 मार्च 2020 को कंपनी के कार्य की स्थिति तथा उस तारीख को कंपनी के लाभ की सही एवं स्पष्ट दृष्टि करा सकें ;

ग कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखा एवं अन्य अतियमितताओं को रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखाकरण दस्तावेजों के रखरखाव हेतु यथोचित एवं पर्याप ध्यान दिया गया है ;

घ चालू संबंधों के आधार पर वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

ङ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण समुचित स्थान –पर था और वित्तीय नियंत्रण यथोचित था और इसका संचालन प्रभावी ढंग से हुआ ;तथा

च अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली, लागू नियमों के सभी प्रावधानों के अनुरूप थी और ऐसी प्रणाली यथोचित थी और इसका संचालन प्रभावी ढंग से हुआ।

ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत आवृत्त ऋण, गारंटी तथा निवेश का विवरण, वित्तीय विवरण के नोट में दिया गया है।

मनोरंजन व्यय एवं विदेश यात्रा

मनोरंजन पर व्यय 0.87 लाख रुपये था। वर्ष के दौरान कंपनी के कर्मचारियों द्वारा विदेश की सरकारी यात्रा पर व्यय 0.10 लाख रुपये था।

उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बर्हिगमन :

उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा बर्हिगमन के प्रति विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के अंतर्गत, कंपनी (लेखा) अधिनियम, 2014 के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए, प्रकट करना अपेक्षित है जिसे **अनुबंध–7** में संलग्न किया गया है।

70वीं एजीएम की तारीख का विस्तारण

कोविड 19 महामारी की चुनौतियों के कारण, कंपनी पंजीयक (आरओसी), बेंगलूरु ने अपने आदेश दिनांक 08 सितंबर 2020 द्वारा आरओसी, बेंगलूरु के अधिकार क्षेत्र में आने वाली कंपनियों जो नियत तारीख के भीतर एजीएम आयोजित करने में असमर्थ थे, को 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम आयोजित करने के समय में एजीएम आयोजित करने की नियत तारीख से तीन महीनों की अवधि का विस्तारण प्रदान किया ।

आभार स्वीकृति

निदेशक मंडल वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए आईटीआई लिमिटेड के कर्मचारियों के समर्पित और ईमानदार प्रयासों के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करता है। मंडल भारत सरकार, विशेष रूप से संचार मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के साथ-साथ समय-समय पर विभिन्न राज्य सरकारों, नियामकों और वैधानिक प्राधिकरणों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद देता है। बोर्ड अपने सभी हितधारकों, जिसमें बैंकर, निवेशक, सदस्य, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक, आंतरिक लागत लेखा परीक्षक, ग्राहक, विक्रेता आदि शामिल हैं, को उनके निरंतर समर्थन और कंपनी पर किए गए विश्वास के लिए धन्यवाद है।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 2 नवंबर, 2020

राकेश मोहन अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट का अनुबंध

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में किये गये अवलोकनों पर कंपनी का जवाब

बिन्दु सं	सांविधिक लेखापरीक्षकों के अवलोकन	कंपनी की टिप्पणी
योग्यता मात्रा नहीं :		
क)	बेंगलूरु मेट्रोपोलिटन ट्रान्सपोर्ट कॉपोरेशन को पट्टे पर दी गई भूमि (बीएमटीसी को पट्टे पर देने के लिए प्रस्तावित 12.15 एकड़ की सीमा तक जो पहले ही बीएमटीसी के अधिग्रहण में है, आगे हमें बताई गई जानकारी के आधार पर, बीएमटीसी ने अतिरिक्त 1.85 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है), पर पट्टा अनुबंध एवं शर्तों भारत सरकार के लंबित अनुमोदन, आगत किराया को आय के रूप में नहीं लिया गया है। बिक्री हेतु करार के अंतर्गत पूर्व में बीएमटीसी से प्राप्त 285.00 लाख रुपये की राशि को जमा के अंतर्गत रखा गया है। (नोट 31.16 का संदर्भ लें)	एक सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के लिए बीएमटीसी के साथ मामले पर चर्चा चल रही है।
ख)	कर्नाटक पावर ट्रॉन्समिशन कॉपोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल) को पट्टे पर दी गई भूमि (केपीटीसीएल को पट्टे पर देने के लिए प्रस्तावित 5 एकड़ की सीमा तक जो पहले ही केपीटीसीएल के अधिग्रहण में है), पर किराये की आय को पट्टा करार के अंतिम रूप होने में विलंब के कारण आय के रूप में नहीं लिया गया है। (संदर्भ नोट सं. 31.18 का संदर्भ लें)	केपीटीसीएल भूमि मामले के शीघ्र निपटारे हेतु कंपनी द्वारा प्रयास किये जा रहें हैं ।
योग्यता मात्रात्मक		
क)	वसूली की संदेहास्पद मांग के प्रति 5847.90 लाख रुपये का प्रावधान न होना। 31.03.2011 तक सी-डॉट को पट्टे पर दिये गये परिसर पर प्राप्त करने योग्य है, तथा 31.03.2011 के बाद उसी परिसर हेतु कोई किराया नहीं और वसूली की अनिश्चितता के कारण प्रोद्भूत आधार पर लिया गया है । (नोट सं. 31.22 का संदर्भ लें);	कंपनी सी-डॉट से बाकी किराया के लंबित मामले को हल करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ अनुसरण कर रही है, बाद में दूरसंचार विभाग ने आगे की कार्रवाई के लिए अनुशीलन हेतु आईटीआई को आईटीआई बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की सूचना दी है। कंपनी की दृष्टि में ऐसी स्थिति में मामले के अंतिम निपटारा तक 5847.90 लाख रुपये का प्रावधान अपेक्षित नहीं है ।

सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों का उत्तर

सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	कंपनी का स्पष्टीकरण
कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री सदय कृष्ण कनोरिया का कार्यकाल 23 नवंबर 2019 को पूरा होने के परिणामस्वरूप कंपनी ने कंपनी के निदेशक मंडल की रचना के संबंध में एलओडीआर के विनियमन 17 के प्रावधानों (स्वतंत्र निदेशकों का समुचित संतुलन) का अनुपालन नहीं किया है।	आईटीआई लिमिटेड, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, कंपनी के बोर्ड में निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। श्री सदय कृष्ण कनोरिया, स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल दिनांक 23.11.2019 को पूरा हो गया था, जिसके बाद बोर्ड की संरचना सेबी के सूचीबद्ध नियमों के प्रावधानों के अनुसार नहीं थी। हालांकि, कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्रशासनिक मंत्रालय के साथ प्रक्रियाधीन है।

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 2 नवंबर, 2020

राकेश मोहन अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक – 1

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का संलग्नक

प्रपत्र संख्या एओसी–1

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार,

संयुक्त उद्यम से संबंधित कंपनी के नियम 2014 (लेखा) नियम 5 के साथ पठित है

संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं वाले वक्तव्य

भाग ''अ'' : सहायक –लागू नहीं

भाग ''ब'' : सहयोगी और संयुक्त उद्यम

क्रम सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	इंडिया सैटकॉम लिमिटेड
1.	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तिथि	31.03.2020
2.	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा रखी गई संयुक्त उद्यमों के शेयर	10 रुपये प्रत्येक के 16,21,800 इक्विटी शेयर
3.	संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	40.55 लाख रूपये
4.	स्वामित्वि का विस्तार %	49%
5.	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है इसका विवरण	49% की सीमा तक इक्विटी में प्रदत्त
6.	संबद्ध / संयुक्त उद्यम समेकित नहीं होने के कारण	लागू नहीं
7.	पुनर्मूल्यांकन रिजर्व के बिना नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन–पत्र के अनुसार शेयर होल्डिंग के लिए निवल मूल्य जिम्मेदार है।	(1,479.75) लाख रूपये
8.	वर्ष के लिए लाभ / हानि	
	i. समेकन में विचार	जी हाँ
	ii. समेकन में विचार नहीं किया गया	लागू नहीं

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 2 नवंबर, 2020

राकेश मोहन अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक – 2

फार्म सं. एमआर–3

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की सचिवालयीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधन कार्मिक की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में

सेवा में
सदस्य
आईटीआई लिमिटेड
(सीआईएन: एल32202केए1950जीओआई000640)
आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर,
बेंगलूरु – 560016

मैंने लागू सांविधिक उपबंधों के अनुपालन तथा आईटीआई लिमिटेड(सीआईएन:एल32202केए1950जीओआई000640) (इसके बाद कंपनी कहा जाएगा) द्वारा पालन की गई अच्छी कॉर्पोरेट प्रक्रिया में सचिवालयीन लेखा परीक्षा संचालित की है। सचिवालयीन लेखा परीक्षा इस ढंग से संचालित की गई कि कॉर्पोरेट आचरण/ सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन हेतु मुझे एक युक्तियुक्त आधार मिला और उसके अनुसार मैंने विचार व्यक्त किया ।

कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों एवं रिटर्न का मेरे द्वारा किए गए सत्यापन और कंपनी द्वारा बना कर रखे गए अन्य अभिलेखों और सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं, हमें दिए गए स्पष्टीकरण एवं व्याख्यात्मक विवरण और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई छूटों पर विचार करते हुए कोविड–19 वैश्विक महामारी के फैलाव के कारण, मैं एतद्द्वारा रिपोर्ट करता हूँ कि मेरी राय में, कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्त वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान आम तौर पर यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करती रही है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड हैं – प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र सुव्यवस्थित रूप में है, उसके तरीके और उसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन निम्नानुसार है :

मैंने बही, कागजात,कार्यवृत्त बही, फाइल किये गये फार्म एवं वापसी तथा आईटीआई द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों पर 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की जांच निम्न उपबंधों के अनुसार की है :

1 कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंदर बनाये गये नियम,

2 सुरक्षा संविदा (विनियम) अधिनियम,1956 (''एससीआरए'') तथा उसके अंदर बनाये गये नियम,

3 जमाराशि अधिनियम, 1996 तथा उसके अंदर बनाये गये विनियम और उपनियम,

4 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंदर सीधे विदेश निवेश, समुद्रपारीय सीधे निवेश की सीमा तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारी ।

5 कंपनी के लिए लागू सीमा तक भारत के सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड के अंतर्गत निम्न विनियम एवं मार्गदर्शन निर्धारित किए गये:

क. भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर का वास्तविक अर्जन तथा अधिग्रहण) विनियम, 2011;

ख. भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंगी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 ;

ग. भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करना तथा आवश्यकता प्रकटीकरण) विनियम, 2018;

घ. भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना) मार्गदर्शी, 1999/ भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी लाभ पर आधारित शेयर) विनियम, 2014 - **लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं ।**

ङ. भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों को जारी करना एवं सूची बनाना) विनियम, 2008- **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)**।

च. भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (किसी मामले तथा शेयर हस्तांतरण एजेण्टों के पंजीयक) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम 2013 तथा ग्राहकों के साथ व्यवहार के संबंध में।

छ. भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयर को सूची से हटाना) विनियम, 2009; - **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं) ।** तथा

ज. भारत का प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसी खरीद) विनियम, 2018; - **वर्ष के दौरान सूची से कोई वापसी खरीद नहीं की गई ।**

मैंने निम्नलिखितों को लागू खंडों के अनुरूप अनुपालन के लिए भी जांच की है:

i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 (एलओडीआर)।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए और संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों की जांच के बाद, विभागों के प्रमुखों द्वारा बनाए गए अनुपालन प्रमाणपत्र और उन्हें कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए गए, परीक्षण-जांच के आधार पर, कंपनी ने विशेष रूप से कंपनी के साथ लागू निम्नलिखित कानूनों / दिशानिर्देशों / नियमों का अनुपालन किया है :

i) लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देश

ii) संचार मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश

iii) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997

iv) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

v) ई-कचरा/अपशिष्ट(प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2016

vi) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश / विनियम

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि, लागू वित्तीय कानूनों का कंपनी द्वारा अनुपालन जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानून और वित्तीय अभिलेखों और खातों पुस्तकों के रखरखाव की समीक्षा, इस लेखा परीक्षा में नहीं की गई है क्योंकि यह वैधानिक वित्तीय लेखा परीक्षकों, कर लेखा परीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि समीक्षाधीन वर्ष के लिए :

- ***कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री सदय कृष्ण कनोरिया का कार्यकाल 23 नवंबर 2019 को पूरा होने के परिणामस्वरूप कंपनी ने कंपनी के निदेशक मंडल की रचना के संबंध में एलओडीआर के विनियमन 17 के प्रावधानों (स्वतंत्र निदेशकों का समुचित संतुलन) का अनुपालन नहीं किया है।***

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि:

अ. कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है और समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में बदलाव किए गए हैं। हालांकि, कंपनी ऊपर उल्लिखित एलओडीआर के विनियमन 17 के प्रावधानों के तहत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या को नियुक्त करने में सक्षम नहीं हो पाई है।

आ. बोर्ड की बैठक के आयोजन हेतु सभी निदेशकों को कार्यसूची तथा कार्यसूची पर व्याख्यात्मक टिप्पणी की समुचित सूचना कम से कम सात दिन पहले दी गई तथा बैठक के पहले कार्यसूची मदों पर और सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने के साथ ही साथ बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए एक प्रणाली विद्यमान है ।

इ. बोर्ड की बैठक में सभी निर्णयों को अपेक्षित बहुमत से किया जाता है जैसा कि निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत में दर्ज की जाती है जैसा कि मामला हो।

ई. मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि जैसा कंपनी ने प्रस्तुत किया और मैं विश्वस्त हुआ, कंपनी में इसके आकार एवं प्रक्रिया के साथ, लागू कानून, नियम, विनियम तथा मार्गदर्शनों के अनुश्रवण एवं इसे सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली एवं प्रक्रिया विद्यमान है ।

उ. मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के अनुपालन में कंपनी के मामलों पर प्रमुख से प्रभाव डालने वाली घटनाएं/क्रियाएं निम्नलिखित हैं :

i) 05 सितंबर 2019, को कंपनी ने महानगर दूरसंचार निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) द्वारा आयोजित 100 रुपए प्रत्येक मूल्य के 1,00,00,000 का 8.75% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयरों को भुनाया है, जो कुल औसत 100,00,00,000/- रुपये के थे और भारत सरकार से औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण (बीआईएफआर) के लिए बोर्ड के आदेश 8 जनवरी 2013 और वित्तीय सहायता पत्र दिनांकित 24 फरवरी 2014 के अनुसार प्राप्त अनुदान / सहायता की आय में से थे।

ii) 06 सितंबर 2019, कंपनी ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा आयोजित 100 रुपए प्रत्येक मूल्य के 2,00,00,000/- 7.00% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयरों को भुनाया है, जो कुल 200,00,00,000/- रुपये के थे और भारत सरकार से औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण (बीआईएफआर) के लिए बोर्ड के आदेश 8 जनवरी 2013 और वित्तीय सहायता पत्र दिनांकित 24 फरवरी 2014 के अनुसार प्राप्त अनुदान / सहायता की आय में से थे।

iii) 17 जनवरी 2020 को, कंपनी ने कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ रेड हेरिंग सूचीपत्र (आरएचपी) दायर किया था और कंपनी के 180,000,000 इक्विटी शेयरों तक के एक ताजा निर्गमन को शामिल करते हुए आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) के संबंध में आरओसी की पावती को दिनांक 18/01/2020 को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के साथ दायर किया गया और कर्मचारी आरक्षण भाग के तहत रुपये 10/- प्रति इक्विटी शेयर, रुपये 18,18,00,000/- औसतन के कंपनी के पात्र कर्मचारियों को अतिरिक्त 18,00,000 इक्विटी शेयर जारी किए गए। इसे 24 जनवरी 2020 को 72/- से 77/- रुपये प्रति इक्विटी शेयर रुपये के मूल्य बैंड पर खोला गया था, इसे संशोधित मूल्य बैंड 71/- रुपये से 77/- रुपये के साथ 31 जनवरी 2020 तक और आगे 05 फरवरी 2020 तक बढ़ाया गया। हालांकि, बाजार की मौजूदा स्थितियों के कारण बुक रनिंग मर्चेंट बैंकर्स की सलाह के आधार पर, कंपनी ने 05 फरवरी 2020 को एफपीओ वापस ले लिया था।

iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और धारा 62 के प्रावधान और कंपनी (सूचीपत्र और प्रतिभूति का आबंटन) नियम 2014 का नियम 14, कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं क्योंकि 2,81,19,508 इक्विटी शेयर के अधिमान्य मुद्दे के रूप में 10 रूपये/ - 46.90 / की एक प्रीमियम पर प्रत्येक - भारत के राष्ट्रपति के लिए आवंटित बीमार औद्योगिक कंपनियों के पुनर्वास योजना (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के तहत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण (बीआईएफआर) बोर्ड द्वारा अनुमोदित शर्तों के तहत 23 मार्च 2020 को किया गया है।

v) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के पास सेबी के विनियमन 38 (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015, प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के साथ 03 अगस्त 2018 को संशोधित अधिसूचना के साथ पढ़ें, के अनुसार पच्चीस (25%) की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की आवश्यकता के अनुपालन के लिए 03 अगस्त 2020 तक का समय है। समय सीमा को दिनांक 31 जुलाई 2020 की अधिसूचना द्वारा 3 अगस्त 2021 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: 20 अगस्त, 2020

डी. वेंकटेश्वरलु
कंपनी सचिव
एफसीएस सं 8554 : सीपी सं7773
यूडीआईएन : एफ008554बी000596691

इस रिपोर्ट को मेरे इसी तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो अनुबंध ए के रूप में संलग्न है तथा फार्म इस रिपोर्ट का एक अभिन्न भाग है ।

''अनुबंध – क''

सेवा में,
सदस्यगण
मेसर्स आईटीआई लिमिटेड
(सीआईएन: एल32202केए1950जीओआई000640)
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर
बेंगलूरु - 560 016

समदिनांकित तिथि से मेरा यह रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ा हुआ समझे ।

1. सचिवीय रिकार्ड के रखरखाव की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है । मेरी जिम्मेदारी, ऑडिट के आधार पर किए गए इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करने की है।
2. सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए जहाँ तक उपयुक्त थे, मैंने ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है । सही तथ्य सचिवीय रिकार्ड में परिलक्षित हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन के आधार पर परीक्षण किया गया । हम प्रक्रियाओं और प्रथाओं में विश्वास रखते हैं, हम अपनी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं ।
3. मैं, वित्तीय रिकार्ड और कंपनी के खातों की पुस्तक की सत्यता और औचित्यक को सत्यापित नहीं किया है ।
4. जहाँ कहीं आवश्यक हो, मैं कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन के बारे में और घटनाओं आदि से संबंधित, प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है ।
5. निगमित और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालना, प्रबंधन की जिम्मेदारी है । मेरी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन के लिए सीमित था।
6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता के रूप में एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता जिसके साथ कंपनी के मामलों का आयोजन प्रबंधन के साथ किया गया है ।

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: 20 अगस्त, 2020

डी. वेंकटेश्वरलु
कंपनी सचिव
एफसीएस सं8554 : सीपी सं7773
यूडीआईएन : एफ008554बी000596691

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए वेब–लिंक का संदर्भ शामिल है:**

   आईटीआई लिमिटेड दूरसंचार उद्योग में एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी बनने के अपने दृष्टिकोण को पूरा करने और सीएसआर पहल के माध्यम से समाज की आर्थिक स्थिति, पर्यावरण और समाज की चिंताओं को दूर करने का प्रयास करता है। सीएसआर नीति का उद्देश्य नीचे दिया गया है :

   क. सीएसआर गतिविधियों को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से सतत तरीके से संचालित करना जो पारदर्शी और नैतिक हो।

   ख. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और स्थिरता के दर्शन के साथ कंपनी के मुख्य मूल्यों को एकीकृत करना।

   ग. सभी स्तरों पर कर्मचारियों के लिए सीएसआर और स्थिरता की भावना को शामिल करना और कंपनी की सभी गतिविधियों, प्रक्रियाओं, संचालन और लेनदेन में प्रेरित करना।

   घ. कंपनी के सर्वोत्तम हित में और कंपनी के अन्य हितधारकों के लिए समय–समय पर बोर्ड द्वारा उपयुक्त या निर्धारित के रूप में किसी अन्य मामले को लेना।

   कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट http://www.itiltd.in/investor_information पर उपलब्ध है।

2. **सीएसआर समिति की संरचना:**

श्री राकेश मोहन अग्रवाल	–	अध्यक्ष
श्री शशि प्रकाश गुप्ता	–	सदस्य
श्री डी वेंकटेश्वरलु	–	सदस्य
डॉ अकिलेश दुबे	–	सदस्य

3. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत निवल लाभ : 31.67 करोड़ रुपये**

4. **निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 में उल्लिखित राशि का 2%) :0. 63 लाख रुपये**

5. **वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण**

   वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि : 63 लाख रुपये

   खर्च न की गई राशि, यदि कोई, हो : शून्य

   (क) वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का तरीका नीचे दिया जाता है :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्रम सं.	**पहचान की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि**	**क्षेत्र जिसमें परियोजना को कवर किया गया है**	**परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम किए जाते हैं**	**राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम अन्यथा (राशि रुपये में)**	**परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उप–प्रमुख (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स**	**समीक्षाधीन अवधि तक संचयी व्यय**	**खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से**
1	प्रधान मंत्री केयर फंड में योगदान	स्वास्थ्य सेवा (अनुसूची VII का मद सं. viii)	पैन इंडिया	64.00 लाख	प्रत्यक्ष व्यय	लागू नहीं	प्रत्यक्ष
2	''स्नेहालय'' का प्रबंधन: विशेष बच्चों के लिए आईटीआई स्कूल (बौद्धिक रूप से विकलांग)	विशेष शिक्षण (अनुसूची VII का मद सं. ii)	स्थानीय क्षेत्र, बेंगलूरु, कर्नाटक	15.00 लाख	प्रत्यक्ष व्यय	लागू नहीं	प्रत्यक्ष
3.	आसपास के क्षेत्र में बच्चों के लाभ के लिए विभिन्न खेल गतिविधियों में ग्रीष्म कालीन कैंप का आयोजन	व्यावसायिक कौशल (अनुसूची VII का मद सं. ii)	स्थानीय क्षेत्र, बेंगलूरु, कर्नाटक	03.00 लाख	प्रत्यक्ष व्यय	लागू नहीं	प्रत्यक्ष
4.	आईटीआई टाउनशिप में जनरल पार्क का अनुरक्षण, जिसका इस्तेमाल आम जनता करती है	पर्यावरण (अनुसूची VII का मद सं. iv)	स्थानीय क्षेत्र, बेंगलूरु, कर्नाटक	5.00 लाख	प्रत्यक्ष व्यय	लागू नहीं	प्रत्यक्ष
5.	गतिविधि के दिनों में सहायता प्राप्त राजकीय स्कूली बच्चों को आईटीआई जनरल कैंटीन में तैयार भोजन की आपूर्ति।	भूख मिटाना (अनुसूची VII का मद सं. i)	स्थानीय क्षेत्र, बेंगलूरु, कर्नाटक	4.00 लाख	प्रत्यक्ष व्यय	लागू नहीं	प्रत्यक्ष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	बेहतर पर्यावरण के लिए टाउनशिप में खाली जमीन पर और चयनित क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के 1,000 पौधे लगाना।	पर्यावरण (अनुसूची VII का मद सं. iv)	स्थानीय क्षेत्र, बेंगलूरु, कर्नाटक	0.75 लाख	प्रत्यक्ष व्यय	लागू नहीं	प्रत्यक्ष
7.	निकटवर्ती बोवी कॉलोनी के निवासियों को मुफ्त जल आपूर्ति का वितरण	स्वास्थ्य सेवा (अनुसूची VII का मद सं. viii)	स्थानीय क्षेत्र, बेंगलूरु, कर्नाटक	2.00 लाख	प्रत्यक्ष व्यय	लागू नहीं	प्रत्यक्ष
8.	रिंग रोड और बैक्यार्ड की फेस लिफ्टिंग।	पर्यावरण (अनुसूची VII का मद सं. iv)	स्थानीय क्षेत्र, बेंगलूरु, कर्नाटक	1.75 लाख	प्रत्यक्ष व्यय	लागू नहीं	प्रत्यक्ष
9.	जिला सरकारी अस्पताल, पालक्काड को डस्टबिन, सफाई के सामान और सेवाओं का दान ।	स्वच्छता (अनुसूची VII का मद सं. i)	पालक्काड, केरल	0.25 लाख	प्रत्यक्ष व्यय	लागू नहीं	प्रत्यक्ष
10.	दान – जरूरतमंदों (विशु किट) की मदद करना।	भूख और दरिद्रता मिटाना (अनुसूची VII का मद सं. i)	पालक्काड, केरल	0.05 लाख	प्रत्यक्ष व्यय	लागू नहीं	प्रत्यक्ष
11.	कारखाने के वातावरण – छात्रों के लिए शिक्षाण।	पर्यावरण (अनुसूची VII का मद सं. ii)	अन्य क्षेत्र पालक्काड, केरल, तमिलनाडू	0.25 लाख	प्रत्यक्ष व्यय	लागू नहीं	प्रत्यक्ष
12.	हरित क्रांति	पर्यावरण (अनुसूची VII का मद सं. iv)	पालक्काड, केरल,	0.05 लाख	प्रत्यक्ष व्यय	लागू नहीं	प्रत्यक्ष
	कुल			96.10 लाख			

6. **यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी अंश के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, राशि खर्च नहीं करने का कारण कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट में बताएगी।**

   लागू नहीं

7. **सीएसआर समिति का एक उत्तरदायित्व कथन जो कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुपालन में है :**

   एतद्द्वारा यह बताया जाता है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुपालन में है।

स्थानि : बेंगलूरु
दिनांक : 2 नवबंर, 2020

राकेश मोहन अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
समिति के अध्यक्ष

अनुबंध – 4

व्यावसायिक दायित्व रिपोर्ट

भाग क : कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1.	कंपनी का कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	एल32202केए1950जीओआई000640
2.	कंपनी का नाम	आईटीआई लिमिटेड
3.	पंजीकृत पता	आईटीआई भवन, दूरवाणि नगर, बेंगलूरु -560 016
4.	वेबसाइट	www.itiltd.in
5.	ई-मेल आईडी	cosecy_crp@itiltd.co.in
6.	रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष	2019-20
7.	कंपनी के कारोबार का क्षेत्र (औद्योगिक गतिविधि कोडवार)	दूरसंचार प्रौद्योगिकी, टर्नकी परियोजना निष्पादन, संचार प्रणाली और उत्पादन की विनिर्माण और आपूर्ति।
8.	तीन प्रमुख उत्पाद/सेवाओं की सूची दें, जो कंपनी द्वारा निर्मित/प्रदान किया जाता है (तुलन पत्र के अनुसार)	(क) जीपॉन और संबंधित उपकरणों का विनिर्माण, आपूर्ति और अनुरक्षण (ख) भारतीय रक्षा के लिए एन्क्रिप्शन उत्पादों के डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति और अनुरक्षण (ग) ऑप्टिकल संचार नेटवर्क (दूरसंचार उपकरण, ओएफसी और एचडीपीई डक्ट, सोलर, फाइबर बिछाने और नेटवर्क के अनुरक्षण की आपूर्ति और स्थापना) के लिए भारतनेट परियोजना के निष्पादन जैसी टर्नकी परियोजनाएं)
9.	कुल स्थानों की संख्या, जहां कंमनी द्वारा व्यवसाय गतिविधि की जाती है (क)अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या (प्रमुख 5 के विवरण प्रदान करें) (ख) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	 शून्य विनिर्माण इकाइयाँ: बेंगलूरु (कर्नाटक), पालक्काड (केरल), रायबरेली(उत्तर प्रदेश), मानकापुर(उत्तर प्रदेश), नैनी (उत्तर प्रदेश), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) नेटवर्क सिस्टम यूनिट (स्थापना और अनुरक्षण सेवाएं): बेंगलूरु विपणन सेवाएँ परियोजना : बेंगलूरु, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, भुवनेश्वर, लखनऊ और हैदराबाद स्थानीय/क्षेत्र विपणन कार्यालय: तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, पुणे, नागपुर, अहमदाबाद, रांची, दीमापुर, रायपुर, गुवाहाटी, जयपुर, चंडीगढ़, भोपाल, तिरुचि, मदुरै, कोयंबटूर, पटना और देहरादून
10.	कंपनी द्वारा सेवा जा रही बाज़ार - स्थानीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय	राष्ट्रीय

भाग ख : कंपनी का वित्तीय विवरण ।

1.	प्रदत्त पूंजी	925.12 करोड़ रुपये
2.	कुल कारोबार	2403.05 करोड़ रुपये
3.	कुल कर के बाद लाभ	150.86 करोड़ रुपये
4.	कर के बाद लाभ के प्रतिशत के रूप में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय (%)	96.10 लाख रुपये
5.	उपरोक्त 4 में खर्च की गई गतिविधियों की सूची	बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति के अनुसार, विभिन्न जोर क्षेत्रों में सीएसआर परियोजनाएं की जाती हैं। विवरण निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के तहत उल्लिखित हैं।

भाग ग : अन्य विवरण

1.	क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियाँ है?	जी नहीं
2.	क्या सहायक कंपनी/कंपनियाँ मूल कंपनी की बीआर पहल में भाग लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनी/कंपनियों की संख्या दर्शाएं.	लागू नहीं
3.	क्या किसी अन्य संस्था/संस्थाएं (जैसे आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों आदि) जो कंपनी के साथ व्यापार करती है, कंपनी की बीआर पहल में भाग लेती है? यदि हाँ, तो ऐसी संस्था/संस्थाओं का प्रतिशत दर्शाएं - 30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक)	जी नहीं, कंपनी अपने बीआर पहल में आपूर्तिकर्ताओं और भागीदारों को भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बीआर जनादेश कंपनी के व्यापार भागीदारों के तहत कंपनी की कुछ गतिविधियां भी पालन करेंगी।

भाग घ: बीआर सूचना

1. बीआर के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण		
(क)	बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक/निदेशकों का विवरण	
1.	डीआईएन	07333145
2.	नाम	श्री राकेश मोहन अग्रवाल
3.	पदनाम	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
4.	ई-मेल आईडी	cmd@itiltd.co.in
(ख)	बीआर प्रमुख का विवरण	बोर्ड ने विशेष रूप से बीआर प्रमुख के रूप में कार्य करने के लिए किसी निदेशक को जिम्मेदारियां सौंपी नहीं हैं।

2. सिद्धान्त-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियाँ (हाँ/नहीं में उत्तर दें)

राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देशों में उल्लिखित 9 सिद्धांत निम्नानुसार हैं:

सि1	व्यवसायों को आचार, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ स्वयं को आचरण और शासन करना चाहिए।
सि2	व्यवसायों को ऐसी वस्तु और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं और अपने जीवन चक्र की स्थिरता में योगदान दें।
सि3	व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।
सि4	व्यवसायों को हितों का सम्मान करना चाहिए, और सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी, खासतौर पर वे जो वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हैं, होना चाहिए।
सि5	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए।
सि6	व्यापार को पर्यावरण को बहाल करने के लिए सम्मान, रक्षा और प्रयास करना चाहिए।
सि7	व्यवसाय, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे होते हैं, तो उन्हें जिम्मेदार तरीके से उसे करना चाहिए।
सि8	व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास का समर्थन करना चाहिए।
सि9	व्यवसायों को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को जिम्मेदार तरीके से शामिल करना और मूल्य प्रदान करना चाहिए।

क्रम सं.	प्रश्न	सि1	सि2	सि3	सि4	सि5	सि6	सि7	सि8	सि9
1	क्या आपके पास नीति/ नीतियाँ हैं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ
2	क्या संबन्धित हितधारकों के साथ परामर्श करके नीति तैयार की जा रही है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ
		कार्यात्मक प्रमुखों के परामर्श से नीतियां तैयार की गई हैं।								
3	क्या नीति किसी भी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ, तो विनिर्दिष्ट करें (50 शब्दों में)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ
		विभिन्न नीतियाँ भारत सरकार और अन्य नियामक प्राधीकारणों द्वारा जारी विभिन्न कानूनों/दिशानिर्देशों/नियमों आदि के अनुरूप होती है, और समय-समय पर अद्यतन राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के नीतियों को तैयार करते समय देखा जाता है।								
4	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? यदि हाँ, तो क्या एमडी/ मालिक/सीईओ/ उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं ?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ
		शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभिन्न नीतियों की मंजूरी दी जाती है।								
5	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए कंपनी में बोर्ड की विशिष्ट समिति/निदेशक/ आधिकारिक समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	–	हाँ	हाँ
		अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक								
6	नीति को ऑनलाइन में देखने के लिए लिंक का संकेत उपलब्ध है?	नीतियां कंपनी की वेबसाइट http://www.itiltd.in/investor_information पर उपलब्ध हैं।								
7	क्या औपचारिक रूप से सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाहरी हितधारकों को नीति भेजी गई है?	हाँ। उपर्युक्त कंमनी की वेबसाइट पर अपलोड करके नीतियों को हितधारकों को सूचित किया गया है।								
8	क्या नीति/नीतियों को लागू करने के लिए कंपनी की आंतरिक संरचना है?	जी हाँ।								
9	क्या नीति/नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए नीति/नीतियों से संबंधित कंपनी कोई शिकायत निवारण तंत्र है?	जी हाँ।								
10	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्य के संबंध में स्वतंत्र लेखापरीक्षा/मूल्यांकन किया है?	कंपनी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सी एंड एजी लेखा परीक्षा, लागत लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा, सचिवीय लेखा परीक्षा, ऊर्जा लेखा परीक्षा, सुरक्षा लेखा परीक्षा, गुणवत्ता लेखा परीक्षा, पर्यावरणी प्रबंधन प्रणाली लेखा परीक्षा आदि द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फर्म द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षा जैसे विभिन्न लेखापरीक्षाओं के अधीन है। ये लेखापरीक्षाएँ विभिन्न आंतरिक और बाहरी नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करती हैं।								

आईटीआई अपने लाभ के लिए सार्वजनिक और नियामक नीतियों को प्रभावित करने का समर्थन नहीं करता है, इसलिए कोई नीति प्रस्तावित नहीं है। यदि आवश्यक हो, तो कंपनी व्यापार और उद्योग चैंबर और एसोसिएशन और ऐसे अन्य सामूहिक प्लेटफार्मों के माध्यम से उपयुक्त प्राधिकरणों से संपर्क कर सकती है।

3. **बीआर से संबन्धित शासन**

(क) कंपनी के बीआर प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निदेशक मण्डल बोर्ड की समिति या सीईओ के साथ आवृत्ति को सूचित करें। 3 महीने के अंदर, 3–6 महीने, सालाना, 1 वर्ष के अधिक :

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सालाना बीआरआर की समीक्षा करते हैं।

(ख) क्या कंपनी बीआर या एक स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने की हाइपरलिंक क्या है? इसे कितनी अवधि में प्रकाशित किया जाता है?

जी हाँ, कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अंश के रूप में सालाना बीआर रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इसे http://www.itiltd.co.in/investor_information पर देखा जा सकता है।

भाग ङ: सिद्धान्तवार प्रदर्शन

सिद्धान्त 1: व्यवसायों को आचार, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ स्वयं को आचरण और शासन करना चाहिए।

1. **क्या नैतिकता, रिश्वतख़ोरी और भ्रष्टाचार से संबन्धित नीति केवल कंपनी को शामिल करती है? क्या यह समूह/संयुक्त उपक्रम/ आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/गैर–सरकारी संगठन/ अन्य को भी विस्तारित करता है?**

हाँ। पॉलिसी कंपनी को कवर करती है। कंपनी ने एक अखंडता संधि तैनात किया है, जो बोलीदाताओं के साथ हस्ताक्षरित है, ताकि वे आईटीआई के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए किसी भी मुद्दे को उठाने में सक्षम हों या आईटीआई को तीसरे पक्ष के व्यवसायों को एक साथ संबोधित कर सकें या समय–समय पर 100 लाख रुपये के उच्च मूल्य निविदाओं के लिए बोली लगा सकें। उक्त अखंडता संधि के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए उच्च प्रतिष्ठा और अखंडता के लोगों को स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर्स के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में कितने शेयरधारक शिकायतें प्राप्त हुईं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत संतोषपूर्वक समाधान किया ?**

निवेशकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन सभी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल किया गया। कंपनी के सतर्कता विभाग को 10 शिकायतें मिलीं और 9 का समाधान किया गया। इसके अलावा 9 निपटाई गई शिकायतों में से 1, अनाम/ छद्म नाम की थी, 7 प्रशासनिक प्रकृति की थी और 1 शिकायत में कोई सतर्कता कोण नहीं मिला।

सिद्धान्त 2: व्यवसायों को ऐसी वस्तु और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं और अपने जीवन चक्र की स्थिरता में योगदान दें।

1. **आपके 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिनके डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों और/या अवसरों को समाविष्ट किया गया है.**

(i) आईटीआई ने देश में ग्रामीण भौगोलिक क्षेत्रों को उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पूरे देश में जीपॉन फाइबर नेटवर्क और उपकरण स्थापित किए हैं। इससे देश में ग्रामीण जनता तक डिजिटल सूचना पहुंच में सुधार होगा।

आईटीआई ने सौर पैनलों का निर्माण करने के लिए सौर पैनल विनिर्माण आधारभूत संरचना की स्थापना की है जो पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है।

(ii) आईटीआई एक सेवा परियोजना निष्पादित कर रहा है जिसमें विभिन्न नगर पालिकाओं में स्थापित सार्वजनिक शौचालयों में सफाई की निगरानी वायरलेस रूप से की जाती है, इस प्रकार नगर निगम एजेंसियों को सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता में सुधार करने में सक्षम बनाता है। यह भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक परियोजना है।

(iii) आईटीआई ने एक डाटा केंद्र स्थापित किया है और भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कोर बैंकिंग सोल्यूशन, आधार प्रमाणीकरण सेवाएं इत्यादि जैसी सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, इन परियोजनाओं का पूरा उद्देश्य पेपरलेस, नकद रहित समाज का निर्माण करना और डिजिटल रूप से देश के नागरिकों को सशक्त बनाना, डिजिटल डिवाइड को कम करना हैं, ये ऐसी परियोजनाएँ हैं पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करती हैं।

2. **प्रत्येक ऐसे उत्पाद के लिए, संसाधन उपयोग के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें (ऊर्जा, जल, कच्चा माल, आदि) उत्पाद की प्रति यूनिट (वैकल्पिक):**

(क) मूल्य शृंखला के दौरान पिछले वर्ष से प्राप्त सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के दौरान कमी।

(ख) पिछले वर्ष से उपभोक्ताओं (ऊर्जा, जल) द्वारा उपयोग के दौरान की गई कमी ?

आईटीआई द्वारा स्थापित सौर संयंत्र पैनल प्रक्रिया में बहुत कम पानी का उपयोग किया जाता है। ग्राहकों द्वारा सूरज की रोशनी का उपयोग कर बिजली पैदा करने के लिए पैनलों का उपयोग किया जाता है, जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है, इस प्रकार विद्युत उत्पादन की पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है।

नगर पालिकाओं में स्वच्छ भारत अभियान में सार्वजनिक शौचालयों की स्वच्छता की निगरानी के लिए परियोजना को सार्वजनिक शौचालयों में स्थापित छोटे उपकरणों के लिए बहुत कम बिजली की आवश्यकता होती है, ताकि शौचालयों की स्वच्छता पर प्रतिक्रिया दी जा सके। बड़े पैमाने पर जनता के स्वास्थ्य और स्वच्छता को बनाए रखने में यह परियोजना अति सहायक है।

डेटा केंद्रों के माध्यम से किफायती डिजिटल भंडारण ने संगठनों को अपने भौतिक भंडारण की आवश्यकता के लिए क्षमता के साथ सक्षम किया है जिसके परिणामस्वरूप कागजात, दुर्लभ ऊर्जा संसाधनों और बदले में वातावरण में भारी बचत होती है।

3. **क्या कंपनी के पास स्थाई सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएं हैं? यदि हाँ, तो आपके इनपुट का कितना प्रतिशत मात्रा में लाया गया ?**

कंपनी स्थाई सोर्सिंग सुनिश्चित करने हेतु विक्रेताओं के चयन के लिए अनुमोदित मानदंडों का पालन कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ आईएसओ 9000 प्रमाणीकरण रखनेवाले विक्रेता, नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विक्रेता, निर्माता के विभिन्न अधिकृत डीलर शामिल हैं, जिनके पास अनुरक्षित विनिर्देश और अन्य आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री प्रदान करने की क्षमता, निर्धारित वितरण अवधि के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने की क्षमता, विक्रेता पर दिए गए आदेशों का वार्षिक मूल्यांकन सम्पूर्ण प्रदर्शन तय करने के लिए पूरा किया जाता है, एक विक्रेता को मूल्यांकन अवधि के दौरान उनके औसत प्रदर्शन के आधार पर अनुमोदित विक्रेता सूची से हटा दिया/निलंबित कर दिया जाता है, विक्रेता सूची की समीक्षा एक वर्ष में एक बार की जाती है और अपडेट की जाती है।

(i) क्या कंपनी ने कार्यस्थल के आसपास के समुदायों के लोगों को शामिल करते हुए स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाया है? यदि हाँ, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की सामर्थ्य और क्षतमा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कंपनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से वर्ष की खरीद में सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति का अनुपालन करती है। कंपनी जीईएम पोर्टल का भी उपयोग कर रही है जहाँ स्थानीय और छोटे उत्पादकों को पंजीकृत विक्रेता हैं।

(ii) क्या कंपनी के उत्पादों और कचरे को पुनरावृत्ति करने का तंत्र है? यदि हाँ, तो उत्पादों और कचरे के पुनरावृत्ति का प्रतिशत क्या है? (अलग से < 5 %, 5-10%, > 10% के रूप में)?

कंपनी के उत्पादों की प्रकृति और उत्पन्न अपशिष्ट के कारण, पुनर्चक्रण के लिए तंत्र उपलब्ध नहीं है। एकीकरण और परीक्षण सुविधा किसी भी खतरनाक अपशिष्ट का उत्पादन नहीं करती है। हालांकि, उत्पादन के विशिष्ट क्षेत्रों में, जैसे उत्पादन मुद्रित सर्किट बोर्ड,एचडीपीई डक्टं आदि के लिए कंपनी के पास उपयुक्त उपचार संयंत्र हैं जैसे अपशिष्ट तरल पदार्थ देने से पहले रसायनों के साथ दूषित तरल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विनिर्देशों के अनुसार उपचार किया जाता है। इसी प्रकार, सभी आईटीआई संयंत्रों में वाशरूम, रसोई घर आदि से निकलने वाले अपशिष्ट जल के लिए उपचार संयंत्र हैं।

सिद्धान्त 3: व्यवसायों को सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देना चाहिए।

1. कर्मचारियों की कुल संख्या : **2889** (स्थायी कर्मचारी)
2. अस्थायी/संविदात्मक आधार पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या: **609**
3. स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या: **340**
4. विकलांग सहित स्थायी कर्मचारियों की संख्या: **43**
5. क्या आपके पास एक कर्मचारी संघ है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है?: **हाँ।**
6. आपके स्थायी कर्मचारी का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य हैं?: **100%**

7. कृपया बाल श्रम, मजबूर श्रम, अनैच्छिक श्रम, में यौन उत्पीड़न से संबन्धित शिकायतों की संख्या और वर्ष के अंत तक लंबित संख्या का उल्लेख करें

क्रम सं.	संवर्ग	वित्तीय वर्ष के दौरान दायर की गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत में निलंबित शिकायतों की संख्या
1.	बाल श्रम/मजबूर श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2.	यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य
3.	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. **पिछले वर्ष में नीचे दिए गए कर्मचारियों में से कितनी प्रतिशत के कर्मचारियों को सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया था?**

स्थायी कर्मचारी :	52%
स्थायी महिला कर्मचारी:	62%
आकस्मिक/अस्थायी/संविदात्मक कर्मचारी :	38%
विकलांग के साथ कर्मचारी:	29%

सिद्धान्त 4 : व्यवसायों को हितों का सम्मान करना चाहिए, और सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी, खासतौर पर वे जो वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हैं, होना चाहिए।

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों का नक्शा बनाया है?**

   जी हाँ।

2. **उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हितधारकों की पहचान की है ।**

   जी हाँ। कंपनी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की पहचान की है, विकलांग कर्मचारियों को रोजगार के उद्देश्य के लिए वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हितधारकों के रूप में पहचाना जाता है।

3. **क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हितधारकों से जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है? यदि ऐसा है, तो लगभग 50 शब्दों में से, विवरण प्रदान करें।**

   कंपनी उनकी नियुक्ति और पदोन्नति के समय अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षण नीति का पालन करती है। कंपनी ने आवास अ.जा./अ.ज.जा. कल्याण संघ कार्यालयों के लिए भवन/बुनियादी ढांचा प्रदान किया है। अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों के बच्चों के लिए कंपनी द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कंपनी समय-समय पर आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों पर प्रशंसा कार्यक्रम आयोजित करती है। विभिन्न सरकारी योजनाओं/सुविधाओं के बारे में अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए, कंपनी एचआरडी केंद्र द्वारा जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

सिद्धान्त 5: व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए।

1. **क्या कंपनी की मानवाधिकारों पर नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/गैर-सरकारी संगठन/अन्य?**

   कंपनी की मानव संसाधन नीतियां अपने कर्मचारियों के मानवाधिकारों के सभी पहलुओं को कवर करती हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में मानवाधिकारों पर कोई शिकायत नहीं मिली है। कंपनी बाल श्रम को नियोजित नहीं करती है और मजबूर या अनिवार्य श्रम की अनुमति नहीं देती है।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से किस प्रतिशत को हल किया गया था?**

   मानव अधिकारों के संबंध में वर्ष के दौरान कोई हितधारक शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

सिद्धान्त 6: व्यापार को पर्यावरण को बहाल करने के लिए सम्मान, रक्षा और प्रयास करना चाहिए।

1. **क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को कवर करती है या समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/गैर सरकारी संगठन/अन्य को विस्तारित करती है.**

   कंपनी की पर्यावरण नीति केवल कंपनी को शामिल करती है।

2. **क्या जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए कंपनी की रणनीतियां/पहल हैं? यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।**

   जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वॉर्मिंग इत्यादि जैसे वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए कंपनी की अलग-अलग नीति नहीं है। हालांकि, कंपनी के पास एक विस्तृत मैनुअल है जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों ISO14001:2004 की आवश्यकताओं को पूरा करनेवाले पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थापित सामान्य प्रक्रियाओं का वर्णन करता है।

3. **क्या संभावित पर्यावरणीय जोखिम की पहचान और मूल्यांकन करती है?**

   जी हाँ।

4. **क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो लगभग 50 शब्दों में विवरण प्रदान करें. इसके अलावा, यदि हाँ, तो क्या कोई भी पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दायर की जाती है?**

   आईटीआई आईएसओ 14001 पर्यावरण मानकों की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है और इसकी विनिर्माण प्रक्रियाओं में पर्यावरणीय पहलुओं की सभी सांविधिक और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके अलावा, जैसा कि सिद्धांत 1 और 2 के तहत वर्णित है, आईटीआई नगर पालिकाओं में सार्वजनिक शौचालयों में स्वच्छता के संबंध में कचरे के केंद्रीकृत संग्रह के लिए एक परियोजना निष्पादित कर रहा है, जो स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है।

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि पर कोई अन्य पहल की है? यदि हां, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।**

   जैसा कि सिद्धांत 1 और 2 के तहत वर्णित है, आईटीआई ने अपनी इकाइयों में से एक में सौर पैनल विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया है। कंपनी अपनी विनिर्माण प्रक्रियाओं के संबंध में पहले ही आईएसओ 14000 विनिर्देशों का पालन कर रही है। इसके अलावा, आईटीआई ने विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू किया है, नई इमारतों का विद्युतीकरण एलईडी रोशनी के साथ किया जाता है, पारंपरिक सड़क रोशनी बत्ती को एलईडी रोशनी के रूप में प्रतिस्थापन, आदि।

6. **वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमत सीमा के अंदर कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/अपशिष्ट क्या हैं?**

   जी हाँ, विनिर्माण संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र हैं।

7. **वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी नोटिस की संख्या लंबित है (यानी संतोषजनक रूप में समाधान नहीं किया गया है)।**

   वित्तीय वर्ष 2018-19 में, कोई सीपीसीबी/एसपीसीबी के कारण बताओ/कानूनी नोटिस लंबित नहीं हैं।

सिद्धान्त 7: व्यवसाय, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में लगे होते हैं, तो उन्हें जिम्मेदार तरीके से उसे करना चाहिए।

1. **क्या आपकी कंपनी किसी भी व्यापार और चेम्बर या संघ का सदस्य है? यदि हां, केवल उन प्रमुख संस्थाओं का नाम उल्लेख करें जिनके साथ आपका व्यवसाय संबंधित है:**

   (क) सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)

   (ख) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)

   (ग) इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ईएलसीआईएनए)

   (घ) कर्नाटक वाणिज्य और उद्योग के चैंबर (एफकेसीसीआई)

(ड) दूरसंचार उपकरण और सेवाओं का निर्यात संवर्धन परिषद (टीईपीसी)

(च) भारत इलेक्ट्रॉनिक और अर्धचालक संघ(आईईएसए)

(छ) दूरसंचार मानकों का विकास समाज, भारत (टीएसडीएसआई)

2. **क्या आपने सार्वजनिक उपरोक्त संगठनों के माध्यम से प्रगति के लिए / लोगों के अच्छे सुधार के लिए वकालत/पैरवी की है? हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो व्यापक क्षेत्रों को निर्दिष्ट करें (ड्रॉप बॉक्स: शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार सिद्धांत, अन्य)**

आईटीआई उपरोक्त सभी संस्थानों के साथ विभिन्न नीतिगत पहलों, कार्यक्रमों, आयोजनों आदि में सक्रिय रूप से योगदान देकर सहयोग कर रहा है।

सिद्धान्त 8: व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास का समर्थन करना चाहिए।

1. **क्या कंपनी ने सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कार्यक्रम/पहलों/परियोजनाओं को निर्दिष्ट किया है? यदि हाँ, तो विवरण है।**

कंपनी ने समाज के सामाजिक कल्याण के लिए सीएसआर नीति अपनाई है। उसमें उल्लिखित परियोजनाएं कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के अनुरूप हैं और समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं।

2. **क्या कार्यक्रम/परियोजनाएं आंतरिक टीम/स्वयं की स्थापना/बाहरी गैर–सरकारी संगठन/सरकारी संरचनाओं/किसी अन्य संगठन के माध्यम से की जाती हैं?**

कंपनी आंतरिक टीम के माध्यम से सीएसआर(निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) परियोजना शुरू किया है।

3. **क्या आपने अपनी पहल का कोई प्रभाव मूल्यांकन किया है?**

हाँ। आयोजित गतिविधि के प्रभाव को अवलोकन करने के लिए प्रभाव मूल्यांकन महत्वपूर्ण है। आईटीआई परियोजनाओं के बहुमत के लिए परियोजना के एक अंश के रूप में प्रभाव मूल्यांकन आयोजित करता है।

4. **सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है–आईएनआर में राशि और परियोजनाओं के विवरण।**

कंपनी सामुदायिक विकास परियोजनाओं को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में से एक अंश स्वरूप नहीं मान रही है। हालांकि, सीएसआर गतिविधियों के तहत ऐसी परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है। वर्ष 2018–19 के लिए व्यय 64.12 लाख रुपये है।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस समुदाय विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया गया है? कृपया 50 शब्दों में बताएं, या तो।**

जैसा कि ऊपर सिद्धांत 8 के तहत व्याख्या की गई है, कंपनी सीएसआर गतिविधियों के अंश के रूप में सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि, सीएसआर गतिविधियों के अंश के रूप में, किसी भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम को धरती पर बनाए रखने के लिए समुदाय का जुड़ाव सर्वोपरि है। हम नियोजन स्तर पर ही समुदाय को शामिल करना सुनिश्चित करते हैं और उसके बाद कार्यान्वयन स्तर पर उन्हें शामिल करते हैं। यह न केवल धरती पर कार्यक्रम की स्वीकृति सुनिश्चित करता है, बल्कि इसकी निरंतरता और स्थिरता भी है।

सिद्धान्त 9: व्यवसायों को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं को जिम्मेदार तरीके से शामिल करना और मूल्य प्रदान करना चाहिए।

1. **वित्तीय वर्ष के अंत में ग्राहक शिकायतों/उपभोक्ता मामलों का प्रतिशत किस प्रकार लंबित है।**

कंपनी बैक–टू–बैक व्यवसाय में है और अनुबंध में उल्लिखित समय–सीमा के अनुसार ग्राहकों की शिकायतों का समाधान कर रही है।

2. **क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य है, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है? हां / नहीं / लागू नहीं/ टिप्पणियां (अतिरिक्त जानकारी)**

कंपनी उत्पाद की पहचान हेतु हमारे ग्राहकों के लिए प्रासंगिक उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है। हम आम जनता के लिए उत्पाद नहीं बेचते हैं।

3. **क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर जिम्मेदार विज्ञापन और/या विरोधी प्रतिस्पर्धी व्यवहार के संबंध में कंपनी के खिलाफ किसी भी हिस्सेदार द्वारा दायर कोई मामला दर्ज किया गया है और जो वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है। यदि ऐसा है, तो लगभग 50 शब्दों में से, विवरण प्रदान करें।**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनुचित व्यापार प्रथाओं के संबंध में कंपनी के विरुद्ध किसी भी हितधारकों द्वारा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

4. **क्या आपकी कंपनी ने उपभोक्ता सर्वेक्षण/उपभोक्ता संतुष्टि के रुझान किए हैं?**

नहीं। हालांकि, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी हितधारकों से प्राप्त शिकायतों, यदि कोई हो, तुरंत निपटारा किया जाता है।

निदेशक मण्डल और उनकी ओर से

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 2 नवंबर, 2020

(राकेश मोहन अग्रवाल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक – 5

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

I. दूरसंचार उद्योग संरचना

संचार का क्षेत्र विकास और प्रगति के लिए एक अत्यावश्यक अवसंरचना का क्षेत्र बन गया है। मौजूदा महामारी की परिस्थिति में तो यह और भी महत्वपूर्ण बन गया है। दूरसंचार अभिदान तथा इंटरनेट अभिदाताओं की संख्या के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय दूरसंचार उद्योग विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार उद्योग है। पूरे विश्व में इसकी कॉल और डेटा दरें सबसे कम हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) के अनुसार, देश का दूरभाष अभिदाता आधार 86.03% के कुल टेली घनत्व के साथ 1164.00 मिलियन तक पहुंच गया है और 31 जुलाई 2020 के अंत तक ब्रॉडबैंड अभिदाता आधार 705.40 मिलियन तक पहुँच गया है।

स्मार्ट फोन, लैपटॉप के बढ़ते इस्तेमाल और विशाल इंटरनेट डिज़िटल सामग्री की उपलब्धता से, 4 जी और ब्रॉडबैंड बेतार सेवाएं शुरु किए जाने के कारण प्रति उपभोक्ता औसत डेटा की खपत बढ़ रही है। 5 जी सेवाओं के शुरु किए जाने से डेटा का इस्तेमाल 5–7 गुना बढ़ जाएगा जिसके कारण विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए अधिक डेटा गति की ज़रूरत होगी। इस क्षेत्र की कंपनियाँ ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए भावी डेटा ट्रैफिक वृद्धि से निपटने के लिए 4 जी कवरेज और 5 जी प्रौद्योगिकी में सुधार करने के लिए केंद्रीकृत आर.ए.एन. (सी–आरएएन), मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट (एमआईएमओ) जैसी नई प्रौद्योगिकियों में निवेश करने को तैयार हैं। स्मार्ट सिटी और स्मार्ट कारखानों से लेकर स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट हेल्थ केयर और स्मार्ट बैंकिंग तक, 5 जी भारत के स्मार्ट भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारत में 5 जी शुरु करने का यह उचित समय है।

देश का इलेक्ट्रॉनिक निर्माण उद्योग स्थानीय निर्माण परितंत्र का समर्थन करने और तैयार करने के लिए सरकार की मेक इन इंडिया और पीपीपी–एमआईआई नीतियों के कारण प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों का निर्माण करने की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी 2.0) योजना में अगले पाँच वर्षों में स्थानीय निर्माण के लिए भारत सरकार से बड़े प्रोत्साहन मिलेंगे।

सी.आर.आई.एस.आई.एल. की रिपोर्ट के अनुसार, दूरसंचार सेवा उद्योग वित्तीय वर्ष 2019 से 2024 के बीच 12–14% की दर से विकास करेंगे। मोबाइल बनाने वाली दुनिया भर की बड़ी कंपनियों ने अगले पांच वर्षों में 11.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण करने के लिए केंद्र सरकार की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के लिए आवेदन किया है। इससे निश्चित रूप से एक स्वदेशी परितंत्र तैयार होगा जिसमें स्थानीय कंपनियाँ डिज़ाइन तैयार करने, आर एंड डी में मदद करने और सहयोग के साथ विश्व–स्तरीय उत्पाद तैयार करने के परिप्रेक्ष्य में लाभान्वित होंगी। यह देखा गया है कि कोविड–19 महामारी के दौरान, अनेक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक निर्माण करने वाली कंपनियाँ सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन और नई नीतियों के कारण भारत में अपनी सुविधाएँ स्थापित करने लगी हैं।

अर्बन स्टैटिस्टिक्स 2019 के हैंडबुक के अनुसार, अगले पाँच वर्षों के दौरान स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर लगभग 2.05 ट्रिलियन रुपये का निवेश किया जाएगा। इन परियोजनाओं को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक नगर के लिए 5 बिलियन रुपये (निर्धारित निवेश का लगभग 45%) का नियत वित्त–पोषण और प्रत्येक नगर के केंद्रीय स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा जुटाए जाने वाली निधियों का समर्थन मिलेगा । जनवरी 2019 तक, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का मूल्य 1,057.8 बिलियन रुपये, जारी कार्य आदेशों का मूल्य 626.52 बिलियन रुपये और पूरी की गई परियोजनाओं का मूल्य 110.4 बिलियन रुपये था। सीआरआईएसआईएल द्वारा किए गए शोध में यह अनुमान लगाया गया है कि आईसीटी के तहत, इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) का निवेश सबसे अधिक, लगभग 26% होगा। आईसीटी समाधानों का उपयोग करने वाली परियोजनाएँ जो ज्यादातर आईओटी समाधान पर केंद्रित होंगी, प्रथम 99 स्मार्ट सिटी की कुल परियोजना लागत का लगभग 15.7% होंगी जिनका मूल्य 310 बिलियन रुपये होगा। भारतीय बाज़ार में स्मार्ट मीटरों की बड़ी संभावना है और ग्रिड को स्मार्ट बनाने तथा बड़ी तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों से बचने के लिए उपयोगिता सेवा देने वाली कंपनियों के निवेश के साथ आगामी वर्षों में इनकी बड़ी मांग होगी। आने वाले वर्षों में रक्षा क्षेत्र में निवेश की सरकारी योजना बड़ी है और इसमें संचार के क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय हिस्सा तय किया गया है।

मितव्ययी योजनाओं और स्मार्टफ़ोन की आसान उपलब्धता के कारण भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूरसंचार बाज़ार माना जाता है। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि दूरसंचार भारत के समावेशी और निर्वहनीय विकास योजनाओं का मुख्य कारक है।

इसके बावजूद देश की डिज़िटल भिन्नता पूरी तरह दूर नहीं की जा सकी है। भारत की लगभग आधी जनसंख्या के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। भारत के लगभग 1.6 मिलियन विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण अन्य विद्यार्थियों से पिछड़ जाते हैं।

आगे बढ़ते हुए हमें इस कमी को दूर करने और प्रत्येक भारतीय को डिज़िटल दुनिया में शामिल करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा। आवश्यक अवसंरचना तैयार करने से लेकर ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के लिए सेवाएँ प्रदान करने तक, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र की अपनी सीमाएँ हैं क्योंकि कनेक्टेड भारत ही सच्चे अर्थों में एक विकसित और सर्व–समावेशी भारत बन सकता है।

आईटीआई जो दूरसंचार उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का अग्रणी पीएसयू है, के पास देश के इलेक्ट्रॉनिक और संचार बाज़ार में पैदा होने वाले अवसरों का लाभ लेने की विशिष्ट क्षमता है।

II. अवसर और जोखिम

अवसर :

सरकार द्वारा प्रस्तावित नीतियों (''डिज़िटल इंडिया'', ''मेक इन इंडिया'' और पीपीपी–एमआईआई नीति) से भारत के स्थानीय निर्माण में तेजी आएगी। नई डिज़िटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 में स्थानीय निर्माण को बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है और यह डिज़िटल संचार प्रौद्योगिकियों में अभिचिह्नित उत्पाद खंडों के लिए चरणबद्ध निर्माण प्रोग्राम शुरु करने पर लक्षित है। स्टार्ट–अप के साथ आई.टी.आई. की नई पहल में अब इलेक्ट्रॉनिक और संचार क्षेत्र में भारतीय आईपीआर तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिससे एनडीसीपी के उद्देश्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने अपनी 2018 की अधिसूचना में दूरसंचार संबंधी उत्पाद व सेवाओं की खरीद में सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) का पालन करने के दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस नीति और इन दिशा–निर्देशों से दूरसंचार उत्पादों व सेवाओं के क्षेत्र में अनेक अवसर प्राप्त होंगे और स्थानीय निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।

4 जी एलटीई संचार, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर शक्ति उत्पादों और चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के क्षेत्र में अनेक कारोबारी अवसर उपलब्ध हैं। आईटीआई ने विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार उत्पादों का निर्माण करने के लिए अनेक स्टार्ट–अप, प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी साझेदारों के साथ गठबंधन किया है। अमेजन वेब सर्विस तथा माइक्रोसाफ्ट अज्यूर जैसे सेवा प्रदाताओं द्वारा पूरे भारत में सक्रिय रूप से अपने बाज़ार का हिस्सा और उत्पादों को बढ़ाने से हाल के वर्षों में क्लाउड–आधारित भंडारण एवं प्लेटफार्म जैसी सेवाएँ तेज़ी से लोकप्रिय हो रही हैं। डेटा केंद्र क्लाउड आधारित सेवाओं में अनेक अवसर उपलब्ध हैं जिनके लिए आईटीआई अपने डेटा केंद्र के माध्यम से इन सेवाओं और समाधानों को प्रदान करने की योजना बना रही है। सरकारी सेवाओं को डिज़िटल माध्यमों से प्रदान करने पर ज़ोर दिए जाने से, केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर ई–गवर्नेंस समाधान तथा सेवाएँ प्रदान करने के अनेक अवसर उपलब्ध हैं।

इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आई.ई.एस.ए.) और फ्रॉस्ट एंड सुल्लीवान की रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा क्षेत्रों के साथ–साथ, रोबोटिक्स, वर्चुवलाइज़ेशन, एनालिट्क्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, 5 जी, आईओटी/ सेन्सर, ड्रोण, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (ए.आई.), मशीन लर्निंग, अगमेंटेड रियालिटी (एआर) और वर्चुअल रियालिटी (वीआर), गेमिंग तथा मनोरंजन जैसे विध्वंसक प्रौद्योगिकियों की आमद से बाज़ार अधिक तेज नवाचार के लिए तैयार हो रहे हैं। परिवर्तन की इस गति से भारत को उभरते इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में निवेश करने और उनका लाभ लेने के अभूतपूर्व अवसर मिल रहे हैं । आयात पर अधिक निर्भरता के कारण भारत में स्थानीय मांग और स्थानीय आपूर्ति के बीच मौजूदा बड़े अंतर को इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और साफ्टवेयर खंडों में निर्माणी सूचकांक को बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

विविधीकरण की रणनीति के तहत, आई.टी.आई. इन उभरते अवसरों का लाभ लेने के लिए नए उत्पादों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है।

महामारी के कारण, भारतीय सामाजिक संपर्क बनाए रखने और घर से कार्य करने की ओर तत्पर हुए हैं। सरकार ने भी जागरूकता बढ़ाने और संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित व्यक्ति का पता लगाने के लिए दूरसंचार क्षेत्र पर अधिक भरोसा किया है। चूँकि हम इस मौजूदा परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, हमें भावी कारोबार की सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग बुद्धिमत्ता के साथ बढ़ाना होगा।

ग्रामीण अभिदाता आधार वित्तीय वर्ष 20 (दिसंबर 2020 तक) कुल अभिदाता आधार का 43.36% परिकलित हुआ है और इस प्रकार इस पूरे क्षेत्र में विकास को बल मिला है। सरकार ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन शुरु करते हुए वर्ष 2022 तक सभी गांवों में ब्रॉडबैंड एक्सेस देने का वादा किया है।

प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भरता और बढ़ती जुड़ी दुनिया से साइबर अपराध का जोखिम भी बढ़ा है। रिपोर्ट बताते हैं कि साइबर अपराध 2020 की पहली तिमाही में 37% तक बढ़े हैं। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़े साइबर आक्रमण वाला और साथ ही सबसे अधिक डेटा उपयोग वाला देश है। ऐसे समय, हमें अपने प्रत्येक कार्य में सुरक्षा को शामिल करने के उद्देश्य से अपनी सुरक्षा अवसंरचना को सशक्त बनाने पर ध्यान देना होगा। हमें ए.आई. सशक्त सुरक्षा प्लेटफार्म भी बड़ा निवेश करना होगा विशेषकर जब 5 जी सेवाएँ और 5 जी सशक्त प्रौद्योगिकियाँ सामान्य व्यवहार बन रही हैं।

जोखिम –

वर्तमान में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को कम मूल्य वर्धन का औद्योगिक कार्य माना जाता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्माण इसकी उभरती अर्थव्यवस्था से संचालित होता है जो कम लागत के उत्पादन तथा मज़बूत आपूर्ति कड़ी वाले प्रमुख एशियाई देशों के साथ स्पर्धा करने में संघर्ष कर रहे हैं।

बदलते कारोबारी परिवेश में, कंपनी को निम्नलिखित जोखिमों का सामना करना पड़ा है –

1) दूरसंचार क्षेत्र में गहन प्रतिस्पर्धा
2) तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी और उत्पाद।
3) कार्यशील पूँजी के लिए अधिक वित्तीय लागत और अधिक प्रचालनीय लागत।
4) देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए अविकसित पर्यावरण प्रणाली, जिसके कारण अभी भी आयात पर बहुत अधिक निर्भरता है।
5) हाल की कोविड-19 महामारी के कारण आपूर्ति कड़ी और आवाजाही में व्यवधान।
6) कीमतों की लड़ाई के कारण प्रति प्रयोक्ता औसत राजस्व में गिरावट।

III. ताकत और कमजोरी :

ताकत :

1. दूरसंचार/इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की पूरी श्रृंखला के निर्माण के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा।
2. टेलीकॉम उपकरण का निर्माण करने और राष्ट्रीय नेटवर्क के लिए दूरसंचार टर्नकी समाधान प्रदान करने में सात दशकों के समृद्ध अनुभव रखा है।
3. पैन-इंडिया की उपस्थिति (बेंगलूरु, पालक्काड़, रायबरेली, मनकापुर, नैनी और श्रीनगर में 6 विनिर्माण इकाइयाँ) और साथ ही बेंगलूरु, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ और भुवनेश्वर और कई संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में देशव्यापी 8 एमएसपी कार्यालयों के माध्यम से मजबूत विपणन उपस्थिति।
4. रक्षा संचार के लिए दूरसंचार उत्पादों के साथ-साथ एन्क्रिप्शन और सुरक्षा उत्पादों के विकास में सुविज्ञता ।
5. रक्षा के लिए सामरिक दूरसंचार नेटवर्क की बुनियादी ढांचा और अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करना।
6. बहुत अधिक आबादी के कारण उच्च बाजार की मांग, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की बढ़ती खपत।
7. उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की मांग।
8. भारत में ईएमएस क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण नीति की महत्वाकांक्षी विस्तार योजना और क्षमता वृद्धि।
9. आईटीआई का संचार उपकरण निर्माताओं के बीच अग्रणी रहना जारी है।
10. कंपनी ने नए उत्पादों जैसे एचडीपीई डक्ट्स, ओएफसी केबल, सोलर पैनल, स्मार्ट एनर्जी मीटर, वाईफाई उत्पाद, स्मार्ट कार्ड/भुगतान कार्ड, वीएसएससी, इसरो के लिए कंपोनेंट स्क्रीनिंग सेवाओं के निर्माण में विविधता लाई है। इसके अलावा कंपनी ने नए व्यावसायिक क्षेत्र स्मार्ट सिटी समाधान, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स और विविध इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवाएं(ईएमएस) आदि में विविधता ला दी है।
11. डीओटी के दिशानिर्देशों के तहत अनिवार्य परीक्षण और दूरसंचार उपकरण (एमटीसीटीई) के प्रमाणन के तहत दूरसंचार उपकरणों के परीक्षण के लिए दूरसंचार परीक्षण प्रयोगशाला।
12. बीएसएनएल, एमटीएनएल और बीबीएनएल के प्रापण में आरक्षण कोटा (आरक्यू) का प्रावधान।

कमज़ोरियाँ :

1. प्रमुख तकनीकी सूचनाओं के लिए प्रौद्योगिकी साझेदारों पर निर्भरता।
2. संस्थागत प्रौद्योगिकी / उत्पाद विकास और बौद्धिक संपदा (आई.पी.) सृजन में कमी के कारण तेजी से बदलते प्रौद्योगिकी परिदृश्य के साथ गति बनाए रखना।
3. असंशोधित पारिश्रमिकों के कारण अच्छे मानव संसाधन को नियोजित करने और उन्हें बनाए रखने में कठिनाई।
4. सेवानिवृत्ति के कारण अनुभवी जनशक्ति का तेज संघर्षण।
5. नियोजन के समय उचित कौशल वाले संसाधनों की अनुपलब्धता। प्रमुख प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का अब भी उद्योग की मांग के अनुरूप न होना।
6. अपर्याप्त आदेशों के कारण उत्पादन क्षमताओं और जनशक्ति का क्षमता से कम उपयोग।
7. नई प्रौद्योगिकियों को देर से अपनाना।

IV. भावी दृष्टिकोण

दिनांक 01.10.2020 के अनुसार आईटीआई का ऑर्डर बुक लगभग 11319 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुलबिक्री 2600 करोड़ रुपये का समझौता ज्ञापन योजना (निवल)। आईटीआई बड़े पैमाने पर विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसके अलावा मूल्य वृद्धि को बढ़ाने के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) के रूप में टर्नकी परियोजनाओं को लेने की योजना बना रहा है। बाजार में ज़ोर से प्रवेश करने तथा आने वाले दिनों में कारोबार बढ़ाने के उद्देश्य से विपणन समूह को मजबूत किया गया है और विपणन, सेवाएं और परियोजना (एमएसपी) संगठन के रूप में पुनर्गठन किया गया है। सरकार का समर्थन विभिन्न बाज़ार डोमेन में उत्पादों के विनिर्माण के लिए आईटीआई को बड़े पैमाने पर मदद कर रहा है। कंपनी अब वाई-फाई एक्सेस पाईंट और जीपॉन जैसे कई नए दूरसंचार उत्पादों का निर्माण कर रही है। आईटीआई ने सी-डॉट तकनीक वाले जीपॉन उपकरणों की आपूर्ति के लिए बीबीएनएल और बीएसएनएल से अनुबंध जीता है, भारतनेट चरण II, एमएलएलएन/आईपी एमएलएलएन, ब्रॉडबैंड उपकरण, स्मार्ट ऊर्जा मीटर, सौर पैनल आदि से आगे के आदेश मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक एन्क्रिप्टेड दूरसंचार उपकरणों के निर्माण के लिए कंपनी द्वारा विशेष ध्यान दिया गया है।

आईटीआई ने जैसे सोलर पैनल विनिर्माण, स्मार्ट कार्ड निर्माण और डेटा केंद्र सेवा आदि जैसे विविध उत्पादों/सेवाओं को भी लिया है। आईटीआई ने पहले ही अपने रायबरेली संयंत्र और पालक्काड प्लांट में ओएफसी विनिर्माण लाइनों, एचडीपीई विनिर्माण लाइन की स्थापना की है। साथ ही कंपनी अपने मौजूदा डेटा केंद्र के विस्तार की प्रक्रिया में है। विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के लिए अनुबंध निर्माण गतिविधियाँ प्रगति पर हैं। आईटीआई एविओनिक मॉड्यूल के निर्माण के लिए इसरो/ वीएसएससी के भारत के प्रतिष्ठित अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़ा है।

विनिर्माण के लिए पहचाने जाने वाले अन्य उत्पाद एंटीना, रेडियो मॉडेम, स्मार्ट जैमर, एंटी घुसपैठ सिस्टम, सेट टॉप बॉक्स, स्मार्ट एनर्जी मीटर, 3डी प्रिंटिंग, चिकित्सा उत्पाद जैसे पोर्टेबल वेंटिलेटर आदि हैं, जिसके लिए बुनियादी ढांचा स्थापित किया जा रहा है। आईटीआई ने आईओटी और स्मार्ट सिटी अनुप्रयोगों में आवश्यक स्मार्ट समाधानों के लिए कई स्टार्ट-अप के साथ टीम के समझौतों में प्रवेश किया है। भारत में विकसित हो रहे स्मार्ट शहरों के लिए व्यापार पाने की अच्छी गुंजाइश है। आईटीआई देश में विशाल आवश्यकता को पूरा करने के लिए वाई-फाई हॉटस्पॉट और रेडियो जैसे वाई-फाई उत्पादों के विनिर्माण के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ सहयोग कर रहा है। प्रचलित प्रौद्योगिकी रुझानों के अनुरूप, आईटीआई आईओटी के विभिन्न क्षेत्रों में नवीन दृष्टिकोणों पर विचार करेगा और नवीनतम आई ओ टी प्रौद्योगिकियों और अनुकूलित समाधान सहित विश्व स्तरीय नई पीढ़ी के उपकरणों के निर्माण में संलग्न करेगा।

आईटीआई ने हाल ही में 4जी / 5जी समाधान, दूरसंचार उपकरणों की आपूर्ति, आई.टी. उपकरण निर्माण, दूरसंचार एवं आईटी उपकरणों के परीक्षण, स्मार्ट सिटी के अवसर, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक, स्वास्थ्य की देखभाल और आईओटी साधित्रों के निर्माण में सहयोग प्राप्त करने के लिए टेक महिन्द्रा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बीएसएनएल, एमटीएनएल के साथ कारोबारी अवसरों तथा स्मार्ट सिटी, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य की देखभाल, आईओटी साधित्र निर्माण आदि में सहयोग करने हेतु टीसीएस के साथ समझौता ज्ञापन किया गया। डीबेल (डीआरडीओ) की प्रौद्योगिकी और डिज़ाइन के अनुसार स्वचालित रीसस्सीटेटर का निर्माण करने के लिए डीबेल (डीआरडीओ) के साथ एक और समझौता ज्ञापन किया गया। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, आईटीआई ने आइडेंडिटी और एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम (आईएएम) में उपलब्ध कारोबारी अवसरों के लिए ईलान्टस के साथ समझौता ज्ञापन किया है। कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारियों से चलित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में उपलब्ध अवसरों के लिए मेसर्स पोलेटस के साथ एक दूसरे समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें प्रबंधन प्लेटफार्म को परीक्षण प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत किया जाएगा।

VI. जोखिम प्रबंधन

आईटीआई ने एक जोखिम प्रबंधन ढांचा अपनाया है, जो किसी परियोजना की अवधारणा करते समय या किसी परियोजना के निष्पादन आदि के दौरान जोखिम प्रबंधन तकनीकों को शामिल करता है। कंपनी अपने दैनिक व्यवसाय संचालन और वित्तीय प्रबंधन के साथ-साथ आंतरिक और साथ ही बाहरी जोखिम कारकों की निरंतर निगरानी और आकलन कर रही है और इस प्रकार संबंधित संभावित खतरों को प्रभावी ढंग से कम कर रही है। किसी भी अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों की तरह, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र बाज़ार और प्रौद्योगिकी दोनों मोर्चों पर तेजी से बदलाव देख रहा है। कंपनी का व्यवसाय, परिचालन परिणाम और वित्तीय विभिन्न जोखिम और अनिश्चितताओं पर निर्भर होते हैं। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, बाज़ार और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आदि उनमें से कुछ हैं।

कंपनी का मानना है कि गतिशील दूरसंचार क्षेत्र के वातावरण में इसकी वृद्धि और जीवनाधार के लिए महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन है। दूरसंचार उद्योग में प्रमुख जोखिम कारकों को स्मार्ट सिटी, 5जी और आईओटी व्यवसायिक कार्यक्षेत्र जैसी परियोजनाओं में सरकार के उचित निवेश के रूप में देखा जाता है। सूचना सुरक्षा और उचित मानकों की कमी आईओटी उद्योग में प्रमुख चुनौती के रूप में बनी हुई है जो डेटा के अंतर-संगठनात्मक विनिमय को प्रतिबंधित करती है।

कंपनी दूरसंचार ओईएम के रूप में विनिर्माण की अपनी मुख्य शक्ति को मजबूत करते हुए, आईओटी, स्मार्ट सिटी, सौर ऊर्जा समाधान, साइबर सुरक्षा समाधान, सेवा क्षेत्र और अन्य

संबद्ध दूरसंचार/इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधित उत्पादों के विनिर्माण, समाधान जैसे कई अन्य क्षेत्रों में विविधता ला रही है, ताकि टॉप में लाइन में बेहतर सुधार किया जा सके।

परियोजनाओं के प्रभावी प्रबंधन की दिशा में एक अतिरिक्त उपाय के रूप में, कंपनी ने एक परियोजना प्रबंधन मैनुअल प्रकाशित किया है, जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधकों या परियोजना निष्पादन टीमों को प्रभावी तरीके से आदेशों को निष्पादित करने पर मार्गदर्शन करेगा। प्रभावी ढंग से आर्डर। दिसंबर 2019 में, आईटीआई का लेवल -2 में पीएमएमएम और पीसीएमएम के लिए आकलन किया गया है। इससे आईटीआई को परियोजना प्रबंधन के लिए बेहतर प्रबंधन और समन्वय तथा लोगों की क्षमता प्रबंधन में मदद मिलेगी।

VII. मानव संसाधन

31 मार्च 2020 तक, आपकी कंपनी की पिछले वर्ष के अंत में 3,520 की तुलना में कुल कर्मचारियों की संख्या 3,498 थी। मानव संसाधन / औद्योगिक मोर्चे में महत्वपूर्ण विकास की विस्तृत जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट में दी गई है।

VIII. आंतरिक नियंत्रण के उपाय

कंपनी का कॉर्पोरेट कार्यालय और इकाइयों में आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है, जो कंपनी की प्रक्रियाओं और नीतियों के अनुपालन की समीक्षा करता है। उक्त विभाग कंपनी के व्यवहारों में पारदर्शिता लाने के लिए संचालन के सभी प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की इकाई/प्रभागों के साथ समन्वय करता है।

कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है।

IX. वित्तीय प्रदर्शन

आपकी कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 2403 करोड़ रुपये का बिक्री कारोबार हासिल किया है, जबकि पिछले वर्ष में यह 1894 करोड़ रुपये था। परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन की विस्तृत जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट में दी गई है।

X. प्रमुख वित्तीय अनुपात में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2019–20	वित्तीय वर्ष 2018–19	विविधताओं के कारण
1.	देनदार टर्नओवर	0.71	0.58	वर्ष 2019–20 का टर्नओवर मुख्य रूप से गुजनेट और महानेट परियोजना के निष्पादन के कारण बढ़ा है। औसत देनदार संतुलन पिछली अवधि से थोड़ा बढ़ा है, मुख्य रूप से परिचालन से राजस्व में इसी वृद्धि के साथ देनदारों की प्राप्ति/ परिसमापन/समायोजन में देरी के कारण देनदार टर्नओवर अनुपात में वृद्धि हुई है।
2.	मालसूची टर्नओवर	11.96	11.90	बिक्री की लागत में विनियामक आस्थगित खाता संतुलन में निवल संचलन को ध्यान में रखते हुए, चालू वर्ष के लिए बिक्री की लागत में 113.69 करोड़ रुपये वृद्धि हुई है। पिछली अवधि से मालसूची शेष में वृद्धि के कारण औसत मालसूची में 8.72 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। अतः मालसूची टर्नओवर अनुपात में 0.06 से वृद्धि प्रभावित हुई।
3.	ब्याज कवरेज अनुपात	1.52	1.94	देनदारों की प्राप्ति में देरी और सामान्य परिचालन खर्चों को पूरा करने के कारण कार्यशील पूंजी की ओर उधार में वृद्धि। वर्तमान अवधि में ईबीआईटी में सीमांत वृद्धि। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ब्याज खर्च बढ़ गया है, इसलिए ब्याज कवरेज अनुपात में 0.42 की कमी आई है।
4.	वर्तमान अनुपात	0.92	0.89	76.88 करोड़ रुपये की उधारी के बावजूद वर्तमान परिसंपत्ति में 345.97 करोड़ रुपये की वृद्धि और नियामक दायित्व में 255.75 करोड़ रुपये की कमी। इसलिए वर्तमान अनुपात में वृद्धि को 0.03 से प्रभावित करना।
5.	ऋण इक्विटी अनुपात	2.30	2.88	कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 275 करोड़ रुपये के वरीयता शेयरों की देनदारी का भुगतान किया, भारत सरकार को प्रीमियम के साथ 105 करोड़ रुपये के शेयर आवेदन के आवंटन और 150.86 करोड़ रुपये और 3.92 करोड़ के लाभ तथा अतिरिक्त भंडार और अधिशेष के कारण वित्तीय वर्ष 2018–19 में इक्विटी 1793.70 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2019–20 में 2331.39 करोड़ रुपये हो गई है।
6.	संचालन अनुपात मार्जिन (%)	7.82%	1.00%	परिचालन से 390.50 करोड़ रु की शुद्ध राजस्व में वृद्धि हुई है। परिचालन लाभ 16.71 करोड़ रुपये से बढ़कर 75.60 करोड़ रुपये हो गया है। परिचालन व्यय मुख्य रूप से इनके कारण बढ़ा है: (i) डीए में वृद्धि और बीमांकिक मूल्यांकन खर्चों पर प्रावधान के कारण कर्मचारी खर्च में वृद्धि हुई। (ii) अन्य व्यय में वृद्धि। (iii) उपरोक्त बिंदुओं के कारण पिछले वर्ष की तुलना में परिचालन लाभ मार्जिन में सुधार हुआ है।
7.	निवल लाभ मार्जिन (%) या क्षेत्र-विशिष्ट समकक्ष अनुपात, जैसा कि लागू हो	7.33%	5.55%	ऊपर बताई गई अवधि के लिए लाभ में वृद्धि के परिणामस्वरूप शुद्ध लाभ मार्जिन में वृद्धि हुई है।

विस्तृत विवरण के साथ तुरंत पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में निवल मूल्य पर रिटर्न में किसी भी बदलाव का विवरण

निवल मूल्य पर रिटर्न में सकारात्मक सुधार का कारण मुख्य रूप से 92.54 करोड़ रुपये से 150.86 करोड़ रुपये पर 58.32 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ में वृद्धि है। इस अवधि के लिए मार्जिन (गुजनेट और महानेट को छोड़कर) में कमी, उत्पादों के मिश्रण की मार्जिन में कमी के कारण हुई, हालांकि अन्य आय में वृद्धि के कारण इससे 152.58 करोड़ रुपये तक की क्षतिपूर्ति कर ली गई है।

कंपनी के नेट वर्थ में रुपये (541) करोड़ से रुपये 1.21 करोड़ रुपये का सुधार हुआ है।

XI. पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण :

इस संबंध में प्रासंगिक जानकारी निदेशकों की रिपोर्ट में प्रकट की गई है।

XII. सजग कथन

कंपनी के उद्देश्यो अनुमानों, दृष्टिकोण, अपेक्षाएँ, प्राक्कलन तथा अन्यों से संबंधित प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट के कुछ विवरणों से लागू कानूनों और नियमों के अर्थ में ''आगे देख विवरण'' का गठन किया जा सकता है। वास्ताविक परिणाम ऐसे अनुमानों, अपेक्षाओं तथा अन्य से, चाहे व्यक्त या निहित हो, भिन्न हो सकते हैं। कई कारक कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण अंतर बना सकता हैं। महत्वपूर्ण कारक जो कंपनी के प्रदर्शन में अंतर डाल सकते हैं, घरेलू बाजार में मांग/पूर्ति और कीमत की स्थिति को प्रभावित करने वाली आर्थिक स्थितियाँ, जिसमें आपकी कंपनी संचालित होती है, सरकारी नियमों में परिवर्तन, कर कानून, विधियाँ और अन्य आकस्मिक/ संबंधित मामलों में शामिल हैं।

बोर्ड की ओर से

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 02 नवबंर, 2020

(राकेश मोहन अग्रवाल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

पत्र सं.एमजीटी 9

वार्षिक वापसी का सारांश

31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर यथा विद्यमान

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) तथा कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुगमन में

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

1	सीआईएन	एल32202केए1950जीओआई000640
2	पंजीकरण तारीख	25.01.1950
3	कंपनी का नाम	आईटीआई लिमिटेड
4	कंपनी की श्रेणी /उप–श्रेणी	सार्वजनिक कंपनी लिमिटेड/शेयर द्वारा कंपनी लिमिटेड / संघ सरकार कंपनी
5	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर ,बेंगलूरु –560 016 फोन : 080–2561 7486, फैक्स : 080–25618286 ई मेल : cosecy_crp@itiltd.co.in वेबसाइट : www.itiltd.in
6	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	जी हाँ
7	पंजीयक का नाम,पता तथा संपर्क विवरण एवं स्थानांतरण एजेण्ट, यदि हों ।	संघटित रजिस्ट्री प्रबंधन सेवाएं प्राइवेट लिमिटेड, 30, रमन्ना रेजीडेन्सी, चौथा क्रॉस, संपिगे रोड, मलेश्वरम, बेंगलूरु – 560 003. फोन: 080–23460815, फैक्स– 080–23460819 ई–मेल: irg@integratedindia.in

II. कंपनी की मूल व्यवसाय गतिविधियां (कंपनी के कुल व्यवसाय का 10% या अधिक का सहयोग देने वाले सभी व्यवसाय गतिविधियों को बताया जाएगा)

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/ सेवाओं का नाम व विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल व्यवसाय का%
1	टेलीफोन संचार सेवाएं	7520	100%

III. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों के ब्यौरे

क्र. सं.	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	स्वामित्व/ सहायक एसोसिएट	रखे गये शेयर का%	आवेदन खण्ड
1	इण्डिया सैटकॉम लिमिटेड	यू85110केए1987पीएलसी008639	संयुक्त व्यापार	49%	2(6)

IV. शेयर धारण पद्धति (कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी विखण्डन)

(क) श्रेणी–वार शेयर धारण

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ (01–04–2019 को) में रखे गये शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत (31–03–2020 को) में रखे गये शेयरों की संख्या				% वर्ष के दौरान परिवर्तन
	डीमैट	भौतिक	योग	कुल शेयर का %	डीमैट	भौतिक	योग	कुल शेयर का %	
क. प्रोत्साहक									
(1) भारतीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
क)वैयक्तिक/एचयूएफ	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार	807300000	–	807300000	90.00	835419508	–	835419508	90.30	0.30
ग) कॉर्पोरेट निकाय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
घ) बैंक /एफ आई	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ड. अन्य कोई	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप–योग : (क) (1)	807300000	–	807300000	90.00	835419508	–	835419508	90.30	0.30

(2) विदेश			–	–			–	–	–
(क) अनिवासी भारतीय–वैयक्तिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ख) अन्य वैयक्तिक		–				–			
(ग) कॉर्पोरेट निकाय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(घ) बैंक/ एफआई	–	–	–	–	–	–	–	–	–
(ड़) अन्य कोई	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप–योग (क) (2)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल शेयर धारक प्रोत्साहक व प्रोत्साहक समूह (क)=(क)(1)+(क)(2)	**807300000**	–	**807300000**	**90.00**	**835419508**	–	**835419508**	**90.30**	**0.30**
ख. सार्वजनिक शेयर धारक									
1.संस्थाएं									
क) मुचुअल फण्ड	17	–	17	0.00	4612	–	4612	0.00	0.00
ख) बैंक / एफ आई	283079	21700	304779	0.03	124776	21700	146476	0.01	–0.02
ग) केन्द्रीय सरकार	69480690	–	69480690	7.75	69480690	–	69480690	7.51	–0.24
घ) राज्य सरकार	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ड.) जोखिम पूंजी निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
च) बीमा कंपनी	0	800	800	0.00	0	800	800	0.00	0.00
छ) एफआईआई एस	24600	–	24600	0.00	139897	–	139897	0.02	0.02
ज) विदेशी जोखिम पूंजी निधि	–	–	–	–	–	–	–	–	–
झ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
उप–योग (ख) (1):	**69788386**	**22500**	**69810886**	**7.78**	**69749975**	**22500**	**69772475**	**7.78**	**0.00**
2 गैर– संस्थान									
क) कॉर्पोरेट निकाय									
i) भारतीय	1930307	37100	1967407	0.22	1124168	37100	1161268	0.13	–0.09
ii) समुद्रपारीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ख) वैयक्तिक									
i) वैयक्ति शेयरधारक 1 लाख रूपये से अधिक तक कम शेयर	13530410	555914	14086324	1.57	14527571	528774	15056345	1.63	0.06
ii) वैयक्ति शेयरधारक 1 लाख रूपये से अधिक तक कम शेयर	2461100	–	2461100	0.27	2705664	–	2705664	0.29	0.02
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
गैर आवासी भारतीय	394468	55100	449568	0.05	416058	55100	471158	0.05	0.00
समाशोधन सदस्य	924515	–	924515	0.10	532840	–	532840	0.06	–0.04
अन्य श्रेणी	200	–	200	0.00	250	–	250	0.00	0.00
उप–योग (ख) (2):–	**19241000**	**648114**	**19889114**	**2.22**	**19306551**	**620974**	**19927525**	**2.15**	**–0.07**
कुल सार्वजनिक शेयर धारण (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	**89029386**	**670614**	**89700000**	**10.00**	**89056526**	**643474**	**89700000**	**09.70**	**–0.03**
ग. जीडीआर व एडीआर हेतु संरक्षक द्वारा रखे शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल योग (क+ख+ग)	**896329386**	**670614**	**897000000**	**100.00**	**924476034**	**643474**	**925119508**	**100.00**	**0.00**

ख) संवर्धक का शेयर धारण और संवर्धक समूह

क्र सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारण 01.04.2019 से			वर्ष के अंत में शेयर धारण 31.03.2020 से			वर्ष के दौरान शेयर धारण में परिवर्तन %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %	कुल शेयरों के प्रतिज्ञाबद्ध/भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %	कुल शेयरों के प्रतिज्ञाबद्ध/भारग्रस्त शेयरों का %	
1	भारत के राष्ट्रपति	806987500	89.97	–	835107008	90.27	–	0.30
2	कर्नाटक के राज्यपाल	312500	0.03	–	312500	0.03	–	0.00
	योग	**807300000**	**90.00**	–	**8354195008**	**90.30**	–	**0.30**

ग) संवर्धकों और संवर्धक समूह शेयरधारण में परिवर्तन

क्रम सं.	शेयरधारकों के नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता 1.04.2019		तिथि	शेयरधारिता में बढ़त / कमी	कारण	31.03.2020 वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	806987500	89.97	01.04.2019	–	–	806987500	89.97
				23.03.2020	28119508	प्राथमिक आबंटन	835107008	90.27
				31.03.2020	–	–	835107008	90.27
2	कर्नाटक के राज्यपाल	312500	0.03	31.03.2020	–	–	312500	0.03

घ) दस अग्रणी शेयरधारकों की शेयरधारण पद्धति:

(निदेशकों, संवर्धकों और समूह तथा जीडीआर एवं एडीआर के धारकों के अलावा):

क्रम सं.	शेयरधारकों का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता 1.04.2019		तिथि	शेयरधारिता में बढ़त / कमी	कारण	31.03.2020 वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %				शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	स्पेशल नेशनल इन्वेस्टमेन्ट फंड	69480690	7.75	01.04.2019	वर्ष के दौरान कोई विस्थपन नहीं			
				31.03.2020	**0**		**69480690**	**7.51**
2	दिलीप कुमार लखी	338792	0.04	01.04.2019	वर्ष के दौरान कोई विस्थपन नहीं			
				31.03.2020	**0**		**338792**	**0.04**
3	कारव स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड	189483	0.02	01.04.2019			189483	0.02
				05.04.2019	-19706	अंतरण	169777	0.02
				12.04.2019	1217	अंतरण	170994	0.02
				19.04.2019	1222	अंतरण	172216	0.02
				26.04.2019	388	अंतरण	172604	0.02
				03.05.2019	4642	अंतरण	177246	0.02
				10.05.2019	-4644	अंतरण	172602	0.02
				17.05.2019	10	अंतरण	172612	0.02
				24.05.2019	-10315	अंतरण	162297	0.02
				31.05.2019	-10924	अंतरण	151373	0.02
				07.06.2019	2190	अंतरण	153563	0.02
				14.06.2019	5636	अंतरण	159199	0.02
				21.06.2019	4990	अंतरण	164189	0.02
				29.06.2019	5620	अंतरण	169809	0.02
				05.07.2019	-10466	अंतरण	159343	0.02
				12.07.2019	48049	अंतरण	207392	0.02

				19.07.2019	–39666	अंतरण	167726	0.02
				26.07.2019	–2852	अंतरण	164874	0.02
				02.08.2019	–4005	अंतरण	160869	0.02
				09.08.2019	4154	अंतरण	165023	0.02
				16.08.2019	2057	अंतरण	167080	0.02
				23.08.2019	3844	अंतरण	170924	0.02
				30.08.2019	4155	अंतरण	175079	0.02
				06.09.2019	7319	अंतरण	182398	0.02
				13.09.2019	4936	अंतरण	187334	0.02
				20.09.2019	–10427	अंतरण	176907	0.02
				27.09.2019	–13924	अंतरण	162983	0.02
				30.09.2019	–1502	अंतरण	161481	0.02
				04.10.2019	1021	अंतरण	162502	0.02
				11.10.2019	–11354	अंतरण	151148	0.02
				18.10.2019	–14923	अंतरण	136225	0.02
				25.10.2019	–1011	अंतरण	135214	0.02
				01.11.2019	5166	अंतरण	140380	0.02
				08.11.2019	–4228	अंतरण	136152	0.02
				15.11.2019	–5608	अंतरण	130544	0.01
				22.11.2019	–5508	अंतरण	125036	0.01
				29.11.2019	–6976	अंतरण	118060	0.01
				06.12.2019	–109202	अंतरण	8858	0.00
				13.12.2019	–51	अंतरण	8807	0.00
				27.12.2019	–100	अंतरण	8707	0.00
				03.01.2020	–60	अंतरण	8647	0.00
				24.01.2020	–96	अंतरण	8551	0.00
				14.02.2020	–35	अंतरण	8516	0.00
				31.03.2020			**8516**	**0.00**
4	एंजल ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड	184636	0.02	01.04.2019			184636	0.02
				05.04.2019	3340	अंतरण	187976	0.02
				12.04.2019	24581	अंतरण	212557	0.02
				19.04.2019	–18407	अंतरण	194150	0.02
				26.04.2019	–19629	अंतरण	174521	0.02
				03.05.2019	892	अंतरण	175413	0.02
				10.05.2019	–5674	अंतरण	169739	0.02
				17.05.2019	1597	अंतरण	171336	0.02
				24.05.2019	7299	अंतरण	178635	0.02
				31.05.2019	28302	अंतरण	206937	0.02
				07.06.2019	–3671	अंतरण	203266	0.02
				14.06.2019	–21152	अंतरण	182114	0.02
				21.06.2019	–3438	अंतरण	178676	0.02
				29.06.2019	–16861	अंतरण	161815	0.02
				05.07.2019	–36334	अंतरण	125481	0.01
				12.07.2019	39343	अंतरण	164824	0.02
				19.07.2019	20825	अंतरण	185649	0.02

				26.07.2019	12215	अंतरण	197864	0.02
				02.08.2019	-20119	अंतरण	177745	0.02
				09.08.2019	-9251	अंतरण	168494	0.02
				16.08.2019	3456	अंतरण	171950	0.02
				23.08.2019	3693	अंतरण	175643	0.02
				30.08.2019	-31950	अंतरण	143693	0.02
				06.09.2019	-259	अंतरण	143434	0.02
				13.09.2019	-7041	अंतरण	136393	0.02
				20.09.2019	9506	अंतरण	145899	0.02
				27.09.2019	-35541	अंतरण	110358	0.01
				30.09.2019	22410	अंतरण	132768	0.01
				04.10.2019	7270	अंतरण	140038	0.02
				11.10.2019	-17303	अंतरण	122735	0.01
				18.10.2019	357	अंतरण	123092	0.01
				25.10.2019	-15253	अंतरण	107839	0.01
				01.11.2019	22099	अंतरण	129938	0.01
				08.11.2019	-785	अंतरण	129153	0.01
				15.11.2019	13647	अंतरण	142800	0.02
				22.11.2019	-9101	अंतरण	133699	0.01
				29.11.2019	-1114	अंतरण	132585	0.01
				06.12.2019	23261	अंतरण	155846	0.02
				13.12.2019	-6847	अंतरण	148999	0.02
				20.12.2019	-6024	अंतरण	142975	0.02
				27.12.2019	-17490	अंतरण	125485	0.01
				31.12.2019	-10640	अंतरण	114845	0.01
				03.01.2020	2695	अंतरण	117540	0.01
				10.01.2020	6115	अंतरण	123655	0.01
				17.01.2020	20537	अंतरण	144192	0.02
				24.01.2020	-27166	अंतरण	117026	0.01
				31.01.2020	81969	अंतरण	198995	0.02
				07.02.2020	11165	अंतरण	210160	0.02
				14.02.2020	-8707	अंतरण	201453	0.02
				21.02.2020	-1530	अंतरण	199923	0.02
				28.02.2020	-13582	अंतरण	186341	0.02
				06.03.2020	-22543	अंतरण	163798	0.02
				13.03.2020	-5953	अंतरण	157845	0.02
				20.03.2020	-55728	अंतरण	102117	0.01
				27.03.2020	9282	अंतरण	111399	0.01
				31.03.2020	**13626**	**अंतरण**	**125025**	**0.01**
5	एक्सिस बैंक लिमिटेड	149410	0.02	01.04.2019			149410	0.02
				05.04.2019	-19011	अंतरण	130399	0.01
				12.04.2019	5664	अंतरण	136063	0.02
				19.04.2019	-1632	अंतरण	134431	0.01
				26.04.2019	-1576	अंतरण	132855	0.01
				03.05.2019	-2669	अंतरण	130186	0.01

				10.05.2019	5414	अंतरण	135600	0.02
				17.05.2019	–8528	अंतरण	127072	0.01
				24.05.2019	6044	अंतरण	133116	0.01
				31.05.2019	–5351	अंतरण	127765	0.01
				07.06.2019	2945	अंतरण	130710	0.01
				14.06.2019	–34602	अंतरण	96108	0.01
				21.06.2019	–1977	अंतरण	94131	0.01
				29.06.2019	30300	अंतरण	124431	0.01
				05.07.2019	–10317	अंतरण	114114	0.01
				12.07.2019	7037	अंतरण	121151	0.01
				19.07.2019	449	अंतरण	121600	0.01
				26.07.2019	336	अंतरण	121936	0.01
				02.08.2019	3130	अंतरण	125066	0.01
				09.08.2019	–2791	अंतरण	122275	0.01
				16.08.2019	–2297	अंतरण	119978	0.01
				23.08.2019	–1110	अंतरण	118868	0.01
				30.08.2019	–7323	अंतरण	111545	0.01
				06.09.2019	360	अंतरण	111905	0.01
				13.09.2019	–3407	अंतरण	108498	0.01
				20.09.2019	–1973	अंतरण	106525	0.01
				27.09.2019	–23417	अंतरण	83108	0.01
				30.09.2019	4719	अंतरण	87827	0.01
				04.10.2019	15165	अंतरण	102992	0.01
				11.10.2019	–1506	अंतरण	101486	0.01
				18.10.2019	5111	अंतरण	106597	0.01
				25.10.2019	2808	अंतरण	109405	0.01
				01.11.2019	–13886	अंतरण	95519	0.01
				08.11.2019	10558	अंतरण	106077	0.01
				15.11.2019	6565	अंतरण	112642	0.01
				22.11.2019	8602	अंतरण	121244	0.01
				29.11.2019	–4147	अंतरण	117097	0.01
				06.12.2019	–806	अंतरण	116291	0.01
				13.12.2019	4756	अंतरण	121047	0.01
				20.12.2019	–3617	अंतरण	117430	0.01
				27.12.2019	–955	अंतरण	116475	0.01
				31.12.2019	515	अंतरण	116990	0.01
				03.01.2020	–100	अंतरण	116890	0.01
				10.01.2020	–4130	अंतरण	112760	0.01
				17.01.2020	3150	अंतरण	115910	0.01
				24.01.2020	–51395	अंतरण	64515	0.01
				31.01.2020	–1384	अंतरण	63131	0.01
				07.02.2020	2960	अंतरण	66091	0.01
				14.02.2020	5238	अंतरण	71329	0.01
				21.02.2020	2575	अंतरण	73904	0.01
				28.02.2020	–1116	अंतरण	72788	0.01

				06.03.2020	−2822	अंतरण	69966	0.01
				13.03.2020	3915	अंतरण	73881	0.01
				20.03.2020	−3004	अंतरण	70877	0.01
				27.03.2020	−4339	अंतरण	66538	0.01
				31.03.2020	**−6357**	**अंतरण**	**60181**	**0.01**
6	शेयरखान लिमिटेड	140859	0.02	01.04.2019			140859	0.02
				05.04.2019	19483	अंतरण	160342	0.02
				12.04.2019	22880	अंतरण	183222	0.02
				19.04.2019	−27249	अंतरण	155973	0.02
				26.04.2019	−63911	अंतरण	92062	0.01
				03.05.2019	1857	अंतरण	93919	0.01
				10.05.2019	47	अंतरण	93966	0.01
				17.05.2019	−1285	अंतरण	92681	0.01
				24.05.2019	34081	अंतरण	126762	0.01
				31.05.2019	−4405	अंतरण	122357	0.01
				07.06.2019	1317	अंतरण	123674	0.01
				14.06.2019	−23463	अंतरण	100211	0.01
				21.06.2019	−6279	अंतरण	93932	0.01
				29.06.2019	3098	अंतरण	97030	0.01
				05.07.2019	20034	अंतरण	117064	0.01
				12.07.2019	29866	अंतरण	146930	0.02
				19.07.2019	−26123	अंतरण	120807	0.01
				26.07.2019	−17771	अंतरण	103036	0.01
				02.08.2019	11006	अंतरण	114042	0.01
				09.08.2019	−7114	अंतरण	106928	0.01
				16.08.2019	16331	अंतरण	123259	0.01
				23.08.2019	5496	अंतरण	128755	0.01
				30.08.2019	−2275	अंतरण	126480	0.01
				06.09.2019	7358	अंतरण	133838	0.01
				13.09.2019	−8370	अंतरण	125468	0.01
				20.09.2019	9488	अंतरण	134956	0.02
				27.09.2019	−8664	अंतरण	126292	0.01
				30.09.2019	13938	अंतरण	140230	0.02
				04.10.2019	−7365	अंतरण	132865	0.01
				11.10.2019	2500	अंतरण	135365	0.02
				18.10.2019	−2688	अंतरण	132677	0.01
				25.10.2019	9233	अंतरण	141910	0.02
				01.11.2019	14978	अंतरण	156888	0.02
				08.11.2019	−17642	अंतरण	139246	0.02
				15.11.2019	24206	अंतरण	163452	0.02
				22.11.2019	−22388	अंतरण	141064	0.02
				29.11.2019	38483	अंतरण	179547	0.02
				06.12.2019	−50741	अंतरण	128806	0.01
				13.12.2019	36	अंतरण	128842	0.01
				20.12.2019	9619	अंतरण	138461	0.02

				27.12.2019	2416	अंतरण	140877	0.02
				31.12.2019	1639	अंतरण	142516	0.02
				03.01.2020	22840	अंतरण	165356	0.02
				10.01.2020	2358	अंतरण	167714	0.02
				17.01.2020	6583	अंतरण	174297	0.02
				24.01.2020	-4174	अंतरण	170123	0.02
				31.01.2020	-30677	अंतरण	139446	0.02
				07.02.2020	25635	अंतरण	165081	0.02
				14.02.2020	714	अंतरण	165795	0.02
				21.02.2020	-2662	अंतरण	163133	0.02
				28.02.2020	-525	अंतरण	162608	0.02
				06.03.2020	-7787	अंतरण	154821	0.02
				13.03.2020	-9217	अंतरण	145604	0.02
				20.03.2020	4789	अंतरण	150393	0.02
				27.03.2020	-31137	अंतरण	119256	0.01
				31.03.2020	**-92**	**अंतरण**	**119164**	**0.01**
7	औरंग ज़ेब	133040	0.01	01.04.2019	वर्ष के दौरान कोई विस्थपन नहीं			
				31.03.2020	**0**		**1330040**	**0.01**
8	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	123674	0.01	01.04.2019			123674	0.01
				05.04.2019	17300	अंतरण	140974	0.02
				12.04.2019	16538	अंतरण	157512	0.02
				19.04.2019	-248	अंतरण	157264	0.02
				26.04.2019	14112	अंतरण	171376	0.02
				03.05.2019	-3149	अंतरण	168227	0.02
				10.05.2019	4519	अंतरण	172746	0.02
				17.05.2019	-3870	अंतरण	168876	0.02
				24.05.2019	-15099	अंतरण	153777	0.02
				31.05.2019	-3617	अंतरण	150160	0.02
				07.06.2019	7037	अंतरण	157197	0.02
				14.06.2019	-2627	अंतरण	154570	0.02
				21.06.2019	-1951	अंतरण	152619	0.02
				29.06.2019	-2083	अंतरण	150536	0.02
				05.07.2019	52975	अंतरण	203511	0.02
				12.07.2019	-40164	अंतरण	163347	0.02
				19.07.2019	-3274	अंतरण	160073	0.02
				26.07.2019	-11645	अंतरण	148428	0.02
				02.08.2019	3239	अंतरण	151667	0.02
				09.08.2019	-1471	अंतरण	150196	0.02
				16.08.2019	3015	अंतरण	153211	0.02
				23.08.2019	8913	अंतरण	162124	0.02
				30.08.2019	-12539	अंतरण	149585	0.02
				06.09.2019	11228	अंतरण	160813	0.02
				13.09.2019	2113	अंतरण	162926	0.02
				20.09.2019	7793	अंतरण	170719	0.02
				27.09.2019	-33485	अंतरण	137234	0.02

				30.09.2019	-40109	अंतरण	97125	0.01
				04.10.2019	32095	अंतरण	129220	0.01
				11.10.2019	9965	अंतरण	139185	0.02
				18.10.2019	3222	अंतरण	142407	0.02
				25.10.2019	12107	अंतरण	154514	0.02
				01.11.2019	-11067	अंतरण	143447	0.02
				08.11.2019	25145	अंतरण	168592	0.02
				15.11.2019	-12115	अंतरण	156477	0.02
				22.11.2019	6952	अंतरण	163429	0.02
				29.11.2019	-24581	अंतरण	138848	0.02
				06.12.2019	-2818	अंतरण	136030	0.02
				13.12.2019	8829	अंतरण	144859	0.02
				20.12.2019	2716	अंतरण	147575	0.02
				27.12.2019	765	अंतरण	148340	0.02
				31.12.2019	1379	अंतरण	149719	0.02
				03.01.2020	-228	अंतरण	149491	0.02
				10.01.2020	-3591	अंतरण	145900	0.02
				17.01.2020	-6000	अंतरण	139900	0.02
				24.01.2020	29798	अंतरण	169698	0.02
				31.01.2020	20609	अंतरण	190307	0.02
				07.02.2020	-24180	अंतरण	166127	0.02
				14.02.2020	9136	अंतरण	175263	0.02
				21.02.2020	-939	अंतरण	174324	0.02
				28.02.2020	296	अंतरण	174620	0.02
				06.03.2020	-17689	अंतरण	156931	0.02
				13.03.2020	-17395	अंतरण	139536	0.02
				20.03.2020	-18112	अंतरण	121424	0.01
				27.03.2020	-10897	अंतरण	110527	0.01
				31.03.2020	**4254**	**अंतरण**	**114781**	**0.01**
9	एचडीएफसी सेक्युरिटीज लिमिटेड	122902	0.01	01.04.2019			122902	0.01
				05.04.2019	-50476	अंतरण	72426	0.01
				12.04.2019	-14822	अंतरण	57604	0.01
				19.04.2019	9056	अंतरण	66660	0.01
				26.04.2019	-18501	अंतरण	48159	0.01
				03.05.2019	7621	अंतरण	55780	0.01
				10.05.2019	-1296	अंतरण	54484	0.01
				17.05.2019	-2633	अंतरण	51851	0.01
				24.05.2019	22524	अंतरण	74375	0.01
				31.05.2019	17929	अंतरण	92304	0.01
				07.06.2019	-32835	अंतरण	59469	0.01
				14.06.2019	27094	अंतरण	86563	0.01
				21.06.2019	-29151	अंतरण	57412	0.01
				29.06.2019	11145	अंतरण	68557	0.01
				05.07.2019	-10778	अंतरण	57779	0.01
				12.07.2019	6522	अंतरण	64301	0.01

				19.07.2019	–4310	अंतरण	59991	0.01
				26.07.2019	–3916	अंतरण	56075	0.01
				02.08.2019	2082	अंतरण	58157	0.01
				09.08.2019	–3544	अंतरण	54613	0.01
				16.08.2019	5254	अंतरण	59867	0.01
				23.08.2019	–385	अंतरण	59482	0.01
				30.08.2019	–2029	अंतरण	57453	0.01
				06.09.2019	2406	अंतरण	59859	0.01
				13.09.2019	17265	अंतरण	77124	0.01
				20.09.2019	–6012	अंतरण	71112	0.01
				27.09.2019	–1904	अंतरण	69208	0.01
				30.09.2019	–11591	अंतरण	57617	0.01
				04.10.2019	10105	अंतरण	67722	0.01
				11.10.2019	5084	अंतरण	72806	0.01
				18.10.2019	–175	अंतरण	72631	0.01
				25.10.2019	–7043	अंतरण	65588	0.01
				01.11.2019	29346	अंतरण	94934	0.01
				08.11.2019	–5890	अंतरण	89044	0.01
				15.11.2019	–8117	अंतरण	80927	0.01
				22.11.2019	1454	अंतरण	82381	0.01
				29.11.2019	–5180	अंतरण	77201	0.01
				06.12.2019	–20252	अंतरण	56949	0.01
				13.12.2019	15205	अंतरण	72154	0.01
				20.12.2019	18902	अंतरण	91056	0.01
				27.12.2019	–27210	अंतरण	63846	0.01
				31.12.2019	1027	अंतरण	64873	0.01
				03.01.2020	18774	अंतरण	83647	0.01
				10.01.2020	11611	अंतरण	95258	0.01
				17.01.2020	–11650	अंतरण	83608	0.01
				24.01.2020	12912	अंतरण	96520	0.01
				31.01.2020	–12778	अंतरण	83742	0.01
				07.02.2020	4352	अंतरण	88094	0.01
				14.02.2020	–6417	अंतरण	81677	0.01
				21.02.2020	1838	अंतरण	83515	0.01
				28.02.2020	–3061	अंतरण	80454	0.01
				06.03.2020	–17788	अंतरण	62666	0.01
				13.03.2020	9509	अंतरण	72175	0.01
				20.03.2020	–25894	अंतरण	46281	0.01
				27.03.2020	8911	अंतरण	55192	0.01
				31.03.2020	**16676**	**अंतरण**	**71868**	**0.01**
10	उदयनकुमार एन कोठारी	116389	0.01	01.04.2019			116389	0.01
				05.04.2019	12000	अंतरण	128389	0.01
				26.04.2019	–2150	अंतरण	126239	0.01
				18.10.2019	2000	अंतरण	128239	0.01
				22.11.2019	1000	अंतरण	129239	0.01

				14.02.2020	-4925	अंतरण	124314	0.01
				28.02.2020	-2933	अंतरण	121381	0.01
				27.03.2020	-1000	अंतरण	120381	0.01
				31.03.2020			**120381**	**0.01**

ड.) निदेशकों तथा कुंजी प्रबंधकीय कार्मिकों का शेयरधारण :

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशकों तथा कुंजी प्रबंधकीय कार्मिकों का शेयरधारण	वर्ष के प्रारंभ में शेयर धारण		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारण	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %
	वर्ष के प्रारंभ में	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान संवर्धकों के शेयरधारण में तिथि वार बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी - बढ़ोत्तरी/ घटोत्तरी का कारण निर्दिष्ट करते हुए (उदा.आबंटन /स्थानांतरण /बोनस/स्वीट इक्विटी आदि):	-	-	-	-
	वर्ष के अंत में	-	-	-	-

नोट : 31.03.2020 को यथा विद्यमान किसी निदेशक तथा कुंजी प्रबंधकीय कार्मिकों के पास कंपनी का कोई शेयर नहीं है ।

V) ऋणग्रस्तता

ऋणग्रस्तता -कंपनी की ऋणग्रस्तता, बकाया / प्रोद्भूत ब्याज सहित-किन्तु भुगतान हेतु बाकी नहीं

(लाख रुपए में)

	जमा छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	95,870.68	30,000.00	शून्य	1,25,870.68
ii) बाकी ब्याज ,किन्तु भुगतान नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) प्रोद्भूत ब्याज ,किन्तु बाकी नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग (i+ii+iii)	**95,870.68**	**30,000.00**	**शून्य**	**1,25,870.68**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* बढ़ोत्तरी(प्रोद्भूत ब्याज ,किन्तु बाकी नहीं)	शून्य	300.00	शून्य	300.00
बढ़ोत्तरी	7,687.71	शून्य	शून्य	7,687.71
घटोत्तरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध परिवर्तन	**7,687.71**	**300.00**	**शून्य**	**7,987.71**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	1,03,558.39	30,000.00	शून्य	1,33,558.39
ii) बाकी ब्याज, किन्तु भुगतान नहीं	शून्य	300.00	शून्य	300.00
iii) प्रोद्भूत ब्याज, किन्तु बाकी नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	**1,03,558.39**	**30,300.00**	**शून्य**	**1,33,858.39**

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क) प्रबंध निदेशक, पूर्ण कालिक निदेशक तथा/अथवा प्रबंधकों का पारिश्रमिक : **(लाख रुपए में)**

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री के अलगेसन*	श्री राकेश मोहन अग्रवाल	श्री चित्तरंजन प्रधान**	श्री शशि प्रकाश गुप्ता	श्री डी वेंकटेश्वरलू***	कुल राशि
1	सकल वेतन						
	(क) आय कर अधिनियम की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	1,532,915	2,597,628	लागू नहीं	2,380,739	592,084.40	71,03,366.40
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अधिलाभ मूल्य	102,096	387,325	लागू नहीं	351,606	-	8,41,027
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ		-	-	-	-	

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री के अलगेसन*	श्री राकेश मोहन अग्रवाल	श्री चित्तरंजन प्रधान**	श्री शशि प्रकाश गुप्ता	श्री डी वेंकटेश्वरलू***	कुल राशि
2	स्टॉक विकल्प		–	–	–		
3	उद्यम इक्विटी		–	–	–		
4	कमीशन						
	लाभ के % के रूप में		–	–	–		
	अन्य, स्पष्ट करें		–	–	–		
5	अन्य, स्पष्ट करें (कंपनी पीएफ)	27,39,936	311,283	लागू नहीं	282,291	66,428.00	33,99,938
	कुल	**43,74,947**	**3,296,236**	**लागू नहीं**	**3,014,636**	**658,512.40**	**1,13,44,331.40**

* श्री के. अलगेसन, दिनांक 30.09.2019 को निदेशक–उत्पादन/अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रुप में पद से त्याग–पत्र दे दिया, जिसके परिणामस्वरुप उनकी सेवानिवृत्ति हो गई।

** श्री चित्तरंजन प्रधान, निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं।

*** श्री डी वेंकटेश्वरलु को दिनांक 07.11.2019 से निदेशक उत्पादन के रूप में नियुक्त किया गया।

VII. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

(रु. में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम							कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक	**श्री सदय कृष्ण कनोरिया**	**श्रीमती आशा कुमारी जसवाल**	**श्री मयंक गुप्ता**	**श्री अखिलेश दूबे**	**श्री के आर शनमुगम**	**श्री सुरेश चंद्र पांडा**	**श्री राजेन विध्यार्थी**	
	बोर्ड/ समिति बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क	**75,000**	**1,35,000**	**85,000**	**70,000**	**1,00,000**	**25,000**	**90,000**	**5,80,000**
	कमीशन	-	-	-	-	-	-	-	-
	अन्य, स्पष्ट करें ,	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (1)	**75,000**	**1,35,000**	**85,000**	**70,000**	**1,00,000**	**25,000**	**90,000**	**5,80,000**
2	अन्य गैर–कार्यपालक निदेशक	-	-	-	-	-	-	-	-
	बोर्ड/ समिति बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
	कमीशन	-	-	-	-	-	-	-	-
	अन्य, स्पष्ट करें	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (2)	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल (ख)=(1+2)	**75,000**	**1,35,000**	**85,000**	**70,000**	**1,00,000**	**25,000**	**90,000**	**5,80,000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	**75,000**	**1,35,000**	**85,000**	**70,000**	**1,00,000**	**25,000**	**90,000**	**5,80,000**
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग	लागू नहीं							

ग. प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधकों के अलावा कुंजी प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्रम सं	पारिश्रमिक का विवरण	कुंजी प्रबंधकीय कार्मिक			कुल
		सीएफओ		सीएस	
		श्रीमती मालती एम *	**श्री राजीव श्रीवास्तव****	**श्रीमती एस. शनमुगा प्रिया**	
1	सकल वेतन				
	(क) आय कर अधिनियम,1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	12,80,177	451,692	8,48,338	25,80,207
	(ख) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(2) के अनुसार अधिलाभ मूल्य	1,71,894	54,158	1,24,476	3,50,528
	(ग) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	–	–	–	–
2	स्टॉक विकल्प	–	–	–	–

क्रम सं	पारिश्रमिक का विवरण	कुंजी प्रबंधकीय कार्मिक			कुल
		सीएफओ		सीएस	
		श्रीमती मालती एम *	श्री राजीव श्रीवास्तव**	श्रीमती एस. शनमुगा प्रिया	
3	उद्यम इक्विटी	–	–	–	–
4	कमीशन				
	– लाभ के % के रूप में	–	–	–	–
	अन्य, स्पष्ट करें				
5	अन्य, स्पष्ट करें (कंपनी पीएफ)	1,40,085	54,022	1,00,044	2,94,151
	कुल	**15,92,156**	**5,59,872**	**10,72,858**	**32,24,886**

*श्रीमती मालती एम दिनांक 05.01.2020 तक कंपनी की मुख्य वित्त अधिकारी थी।

**श्री राजीव श्रीवास्तव को दिनांक 06.01.2020 से मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और 15.10.2020 से निदेशक वित्त ।

VII. अर्थदण्ड / दण्ड /अपराधों का मिश्रण :

वर्ष के दौरान कंपनी या इसके निदेशक या अन्य अधिकारी के विरूद्ध, गलती से, यदि हो, कंपनी अधिनियम की किसी धारा के उल्लंघन के लिए कोई अर्थदण्ड / दण्ड / मिश्रित अपराध नहीं है ।

कृते निदेशक बोर्ड की ओर से
(राकेश मोहन अग्रवाल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 02 नवबंर, 2020

अनुलग्नक – 7

ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय का संरक्षण :

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ कंपनी के अधिनियम 2013 के धारा 134 को पढे :

(क) ऊर्जा संरक्षण के उपाय :

(अ) ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव;

1. ऊर्जा क्षमता ब्यूरो की संस्तुतियों को समय-समय पर कार्यान्वित किया जाता है।
2. संयंत्र उपयोगिताओं का समुचित उपयोग ।
3. शीतलीकरण संयंत्र/चिलिंग प्लांट की निरर्थक क्षमता को नीचे लाना।
4. नियमित अंतराल पर ऊर्जा घटक की निगरानी ।
5. एक बहुविध अनुकूलतम ऊर्जा देने की क्षमता वाले उपस्करों से उच्च क्षमता के पुराने उपस्करों को बदलना।
6. इलेक्ट्रॉनिक्स बैलास्ट फ्लोरेसेंट ट्राइफासफेट लैम्प फिटिंग द्वारा परंपरागत इलेक्ट्रो मैग्नेटिक बैलास्टश फिटिंग को बदलना।
7. विभिन्न नलकूपों / कंप्रेसरों के संचालन के समय को युक्तिसंगत बनाया गया है।
8. पुराने और कम ऊर्जा देने वाले यूपीएस के स्थान पर सुवाह्य कम क्षमता वाले यूपीएस ।
9. सर्दी के मौसम में केंद्रीय वातानुकूलित प्लांट की ऑफ-लोडिंग।
10. स्ट्रीट लाइटिंग में टाइमर कंट्रोल डिवाइसेस का प्रयोग आदि।
11. नो लोड हानि को कम करने के लिए सिंगल ट्रान्सफार्मर पर लोड को स्थानातंरित करना।
12. ऊर्जा संरक्षण पर कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों / प्रतियोगिताओं का आयोजन।
13. फैक्ट्री और टाउनशिप में सड़क प्रकाश के लिए सीएफएल या एलईडी बल्बों का उपयोग।
14. कारखाने क्षेत्र में पारंपरिक एफटीएल के स्थान पर एलईडी ट्यूब लाइट के साथ प्रतिस्थापन।
15. ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए विभागों का पुनर्वास और विलय।

(आ) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम।

1. ऊर्जा संरक्षण के अपने निरंतर प्रयास में, आईटीआई ने इकाइयों की बढती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नैनी इकाई में 300 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र और रायबरेली इकाई में 1.5 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है।
2. आईटीआई लखनऊ एमएसपी कार्यालय में 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करने की भी योजना है।

(ख) प्रौद्योगिकी आमेलन

अनुसंधान एवं विकास (आर एवं डी) 2019–20

(i) प्रौद्योगिकी समावेश की दिशा में किए गए प्रयास :

अनुसंधान एवं विकास कार्य के विशिष्ट क्षेत्र :

क) नए रक्षा परियोजनाएँ और गैर-रक्षा नेटवर्क के लिए गोपनीयता उत्पादों का अभिकल्प और विकास ।

ख) बिजली की आपूर्ति इकाई और पॉवर एग्रीगेटर के साथ आईओटी का अभिकल्प और विकास।

ग) एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का विकास ।

घ) रक्षा की आपूर्ति और निष्पादित नेटवर्क के लिए विरासत गोपनीयता उत्पादों का समर्थन ।

ड) वर्तमान उत्पादों का मूल्य संवर्धन ।

च) नेटवर्क से संबंधित समाधान के लिए डिज़ाइन उपलब्ध करना ।

(ii) उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणाम स्वरूप होने वाला लाभ :

क) अनुसंधान एवं विकास के द्वारा निम्न लिखित उत्पादों को निर्मित करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके द्वारा कंपनी में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का योगदान हुआ।

1) एसी/डीसी
2) एन्क्रिप्शन उत्पादन
3) टेलीफोन्स

ख) 10 जीई और 1 जीई आईपी एन्क्रिप्टर विकास पूरा हुआ और उत्पाद उत्पादन लाइन में है।

ग) एमसीईयू (मल्टी कैपेसिटी एन्क्रिप्शन यूनिट), एनएफएस परियोजनओं के लिए ऑर्डर के खिलाफ उत्पादन के लिए तैयार है।

घ) रक्षा नेटवर्क के लिए एन्क्रिप्शन उत्पाद के लिए एल्गोरिदम विकास।

iii) आयातित प्रौद्योगिकी :

आयातित प्रौद्योगिकी (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पिछले तीन वर्षो के दौरान आयातित) – शून्य

iv) कार्य योजना :

(क) निम्नलिखित उत्पाद विकास के प्रक्रियाधीन हैं :

1) अर्धसैनिक बल के लिए सुरक्षा फैक्स
2) आईआरएनएसएस रिसीवर
3) उच्च क्षमता रेडियो रिले
4) एकीकृत चयन प्रणाली (बहु पद ईवीएम)
5) रगेहाईज्ड एमसीईयू
6) स्मार्ट एनर्जी मीटर

(v) अनुसंधान एवं विकास व्यय :

(क) पूँजी	1.22 करोड़ रुपये
(ख) राजस्व	12.99 करोड़ रुपये
योग	**14.21 करोड़ रुपये**

कुल कारोबार(उत्पाद शुल्क. और सेवा कर छोड़कर) के प्रतिशत के रूप में कुल अनुसंधान एवं विकास व्यय: 0.69%

ग) विदेशी मुद्रा आय और व्यय :

(i) कुल विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय :

आय : शून्य

व्यय : 33.83 करोड़ रुपये

निदेशक मंडल की ओर से एवं कृते

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 02 नवंबर, 2020

(राकेश मोहन अग्रवाल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का संलग्नक

निगमित अभिशासन पर प्रतिवेदन

कॉरपोरेट गवर्नेंस (डीपीई दिशानिर्देश) पर सार्वजनिक उद्यम दिशानिर्देश विभाग के साथ पठनीय यथासंशोधित भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (लिस्टिंग विनियम) के अनुसार, कॉर्पोरेट शासन के मानदंडों के साथ कंपनी द्वारा अनुपालन का विवरण निम्नानुसार है :

1. हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का दर्शन

कॉर्पोरेट गवर्नेंस शेयरधारक मूल्य को कानूनी, नैतिक और स्थायी रूप से अधिकतम करने के संबंध में है। पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मुख्य सामग्रियाँ हैं। कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में आपकी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों का पालन करने में विश्वास करती है। हमारा मानना है कि निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने और उसे बनाए रखने में सही कॉर्पोरेट गवर्नेंस महत्वपूर्ण है।

2. निदेशक मंडल

(अ) बोर्ड संरचना:

निदेशक मंडल में कार्यकारी (कार्यात्मक) और गैर-कार्यकारी निदेशकों का एक इष्टतम संयोजन है। 31 मार्च 2020 के अनुसार, निदेशक मंडल में 4 कार्यात्मक निदेशक, 2 सरकारी नामित निदेशक और 5 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

आईटीआई लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है और संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, बोर्ड में निदेशक को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित होती है। कंपनी के पास सेबी के तहत (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015, और डीपीई दिशानिर्देशों के तहत पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं। महिला स्वतंत्र निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति के लिए मामला संचार मंत्रालय के साथ उठाया गया है और नियुक्ति प्रक्रिया में है।

(आ) बोर्ड की बैठक और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की 9 बैठकें, 28 मई 2019, 07 अगस्त 2019, 19 सितंबर 2019, 11 अक्तूबर 2019, 15 नवबंर 2019, 06 जनवरी 2020, 17 जनवरी 2020, 22 जनवरी 2020 और 23 मार्च 2020 को संपन्न हुई ।

31 मार्च 2020 के अनुसार, निदेशकों की संरचना, वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों और पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में उनकी उपस्थिति और उनके द्वारा धारित अन्य निदेशक पद/ समिति की सदस्यता की संख्या इस प्रकार है:

निदेशकों का नाम और निदेशक पहचान संख्या	निदेशक की श्रेणी	इस वित्तीय वर्ष में निदेशक के संबंधित सेवाकाल में संपन्न बैठकों की संख्या	भाग ली गई बैठकों की संख्या	एजीएम में अंतिम उपस्थिति	सार्वजनिक कंपनियों में अन्य निदेशकों की संख्या	समितियों में अध्यक्ष सदस्यों की संख्या[11]
श्री के. अलगेसन[1] डीआईएन : 07439659	निदेशक-उत्पादन/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार	3	3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री राकेश मोहन अग्रवाल[2] डीआईएन : 07333145	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक विपणन का अतिरिक्त प्रभार	9	9	जी हाँ	1	1
श्री चितरंजन प्रधान[3] डीआईएन : 08094340	निदेशक-वित्त	9	6	जी नहीं	शून्य	शून्य
श्री शशि प्रकाश गुप्ता डीआईएन : 08254999	निदेशक-मानव संसाधन	9	9	जी हाँ	1	2
डी वेंकटेश्वरलू[4] डीआईएन : 08605954	निदेशक-उत्पादन	5	5	जी हाँ	शून्य	शून्य
लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सभरवाल[5] डीआईएन : 08420761	सरकार द्वारा नामित निदेशक	9	1	जी नहीं	शून्य	शून्य
डॉ. राजेश शर्मा डीआईएन : 08200125	सरकार द्वारा नामित निदेशक	9	8	जी हाँ	1	1
श्री सदय कृष्ण कनोरिया[6] डीआईएन : 00623266	स्वतंत्र निदेशक	5	3	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्रीमती आशा कुमारी जसवाल7 डीआईएन : 07786698	स्वतंत्र निदेशक	9	8	जी हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री सुरेश चंद्र पांडा[8] डीआईएन : 05201584	स्वतंत्र निदेशक	2	2	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री राजेन विध्यार्थी[9] डीआईएन : 08196235	स्वतंत्र निदेशक	9	7	जी नहीं	शून्य	2
श्री मयंक गुप्ता डीआईएन : 03501227	स्वतंत्र निदेशक	9	7	जी नहीं	शून्य	1
डॉ. अखिलेश दुबे डीआईएन : 08195896	स्वतंत्र निदेशक	9	6	जी नहीं	शून्य	शून्य
डॉ. के आर शनमुगम[10] डीआईएन : 08211253	स्वतंत्र निदेशक	9	7	जी नहीं	शून्य	1

ध्यान दें:

1. श्री के. अलगेसन, निदेशक उत्पादन को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, जो 30 सितंबर 2019 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर अपने पद से मुक्त हो गए।
2. श्री राकेश मोहन अग्रवाल, निदेशक (विपणन) को दिनांक 01 अक्टूबर 2019 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। भारत सरकार ने 14 अक्टूबर 2019 के आदेश के माध्यम से श्री राकेश मोहन अग्रवाल को दिनांक 14 अक्टूबर 2019 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया। भारत सरकार ने दिनांक 15 नवंबर 2019 के अपने आदेश के माध्यम से श्री राकेश मोहन अग्रवाल, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को दिनांक 14 अक्टूबर 2019 से निदेशक विपणन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा।
3. श्री चित्तरंजन प्रधान 15.10.2020(अपराह्न) तक निदेशक वित्त (अतिरिक्त प्रभार) का पद संभाला।
4. भारत सरकार के दिनांक 05 नवंबर 2019 के आदेश के माध्यम से श्री डी. वेंकटेश्वरलू को दिनांक 07 नवंबर 2019 से निदेशक उत्पादन के रूप में नियुक्त किया गया।
5. लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सभरवाल, एवीएसएम, वीएसएम को दिनांक 12 अप्रैल 2019 से सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया ।
6. श्री सदय कृष्ण कनोरिया ने 23 नवंबर 2019 को कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल पूरा किया।
7. श्रीमती आशा कुमारी जसवाल ने 05 अप्रैल 2020 को कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यकाल पूरा किया।
8. श्री सुरेश चंद्र पांडा ने व्यक्तिगत कारणों से 09 सितंबर 2019 को कंपनी के एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया।
9. श्री राजेन विद्यार्थी हितधारक संबंध समिति/स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी के अध्यक्ष हैं।
10. डॉ के आर शनमुगम उप विनियमन के अनुसार लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं।
11. सेबी नियमन के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष/सदस्य और सूचीबद्ध कंपनियों में हितधारक की संबंध समिति के साथ केवल विचार-विमर्श किया जाता है।

नोट :

* 31 मार्च, 2020 के निदेशकों से प्राप्त घोषणाओं के अनुसार, कोई भी निदेशक कंपनी में कोई इक्विटी शेयर का धारण नहीं करते हैं।
* 31 मार्च 2020 के अनुसार कोई भी निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक आपस में संबंधित नहीं हैं
* निदेशकों का कंपनी के साथ कोई वित्तीय संबंध या लेन-देन नहीं रहता है (पारिश्रमिक को छोड़कर, बैठेकों के शुल्क सहित, जिसका कि वे हकदार हैं);
* श्री राजेश शर्मा, जो टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड में निदेशक हैं, को छोड़कर कोई अन्य निदेशक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी के बोर्ड में नहीं है
* कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों का सदस्य या सभी कंपनियों की 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है, जिसमें वे निदेशक है जैसा कि सूचीबद्ध नियमों के तहत उल्लेख किया गया है।
* बैठकों में भाग लेने के लिए अन्य स्थानों पर रहने वाले निदेशकों की सुविधा के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का भी उपयोग किया जाता है।
* बोर्ड समय-समय पर कंपनी पर लागू सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा करता है।

(ख) स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किया गया परिचित कार्यक्रम

नए निदेशक को कंपनी, उसके संचालन, कंपनी की विभिन्न नीतियों और प्रक्रियाओं, कंपनी के विभिन्न प्रभागों, शासन और आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं और कंपनी से संबंधित अन्य प्रासंगिक महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ-साथ एक निदेशक के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के विवरण तथा कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 और अन्य लागू विनियमों के तहत उनसे अपेक्षित अनुपालन के बारे में अवगत कराया जाता है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देश और निदेशकों के प्रशिक्षण के संबंध में सूचीकरण विनियमों की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी निदेशकों के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण आयोजित करती है:-

- प्रेरण प्रशिक्षण / जागरूकता/परिचय कार्यक्रम
- बाहरी प्रशिक्षण

सभी बोर्ड सदस्यों को प्रासंगिक नियामक आवश्यकता जैसे सेबी विनियम, कंपनी अधिनियम आदि के संबंध में किसी भी परिवर्तन और नए विकास के संबंध में तुरंत अपडेट किया जाता है।

कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए परिचित कार्यक्रम का विवरण कंपनी की वेबसाइट http://www.itiltd.in/Investor_information पर उपलब्ध है।

(घ) कौशल, विशेषज्ञता और बोर्ड की दक्षताएँ

कार्यात्मक निदेशकों को सीपीएसई के बोर्डों में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) की सिफारिशों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने और इस संबंध में उचित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद नियुक्त किया जाता है। संचार मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के नाम भी कंपनी के निदेशक मंडल का हिस्सा हैं, जो आम तौर पर भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति के लिए संचार मंत्रालय द्वारा सूचित किया जाता है और उनका चयन लोक उद्यम विभाग द्वारा गठित खोज समिति द्वारा किया जाता है।

बोर्ड में नियुक्त होने वाले स्वतंत्र निदेशकों को विभिन्न क्षेत्रों से आहूत किया जाता है और उनके पास विशाल अनुभव होता है और वे अपने अनुभव और संसर्ग/पहुँच के आधार पर बोर्ड को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं।

इसे ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक निदेशक में आवश्यक संगठनात्मक, प्रबंधकीय, वित्तीय, परियोजना आयोजन और बजटीय सक्षमता और अनुभव है।

(ङ) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान श्री सुरेश चंद्र पांडा ने अपने निजी कारणों से, स्वतंत्र निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होने पुष्टि की है कि उल्लेख किए गए कारणों के अलावा कोई अन्य भौतिक कारण नहीं है।

(च) कंपनी सचिव के व्यवहार में एक प्रमाण पत्र यह है कि कंपनी के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक नियुक्त या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है या कंपनी के निदेशक के रूप में जारी है, इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध - क के रूप में संलग्न है।

(छ) वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, बोर्ड ने लेखा-परीक्षा समिति की सभी सिफारिशें मान ली हैं।

3. लेखा परीक्षा समिति :

लेखा परीक्षा समिति की संरचना लिस्टिंग विनियमन के विनियम 17, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार है।

31 मार्च 2020 के अनुसार, लेखापरीक्षा समिति में समिति के सदस्य के रूप में अध्यक्ष सहित तीन स्वतंत्र निदेशक और एक कार्यकारी निदेशक हैं।

श्रीमती आशा कुमारी जसवाल, अध्यक्ष

डॉ. के आर शनमुगम, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य

श्री शशि प्रकाश गुप्ता, निदेशक-मानव संसाधन, सदस्य तथा

श्री राजेन विद्यार्थी, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य

रिपोर्ट की तारीख को, दिनांक 05.04.2020 को श्रीमती आशा कुमारी जसवाल का कार्यकाल पूरा होने पर, डॉ के आर शनमुगम को समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था और श्री मयंक गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक को 26.06.2020 को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। अन्य सदस्य वही रहे।

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की 6 बैठकें, 27 मई 2019, 28 मई 2019, 06 अगस्त 2019, 11 अक्तूबर 2019, 15 नवबंर 2019 और 06 जनवरी 2020 को बुलाई गईं।

समीक्षा वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की बैठक के लिए सदस्यता में परिवर्तन और उनकी उपस्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:

सदस्य का नाम	निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	भाग लिए बैठकों की संख्या
श्री सदय कृष्ण कनोरिया[1]	5	5
श्रीमती आशा कुमारी जसवाल[2]	6	6
श्री राकेश मोहन अग्रवाल[3]	3	3
श्री शशि प्रकाश गुप्ता[4]	3	3
श्री राजेन विद्यार्थी	6	3
डॉ के आर शनमुगम[5]	6	4
श्री मयंक गुप्ता[6]	लागू नहीं	लागू नहीं

[1] दिनांक 23.11.2019 से समिति के सदस्यता समाप्त।

[2] दिनांक 24.11.2019 से समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है और दिनांक 05.04.2020 से समिति की सदस्यता समाप्त हो गई।

[3] दिनांक 10.10.2019 से समिति के सदस्यता समाप्त।

[4] दिनांक 10.10.2019 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

[5] दिनांक 26.06.2020 से समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया।

[6] दिनांक 26.06.2020 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

निदेशक वित्त और सीएफओ समिति के स्थायी आमंत्रित व्यक्ति होते हैं और कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुपालन में हैं, जिसमें नियम, सूचीबद्ध नियम और डीपीई दिशानिर्देश बनाए गए हैं।

4. नामांकन और पारितोषिक समिति

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, सूचीकरण विनियम और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया है।

आईटीआई, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है।

आईटीआई लिमिटेड एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 और सूचीकृत विनियमों के प्रावधानों के अनुसार समिति के संदर्भ की शर्तें, वरिष्ठ प्रबंधन की सीमा तक सीमित है यानी निष्पादन संबंधी वेतन बोर्ड के एक नीचले स्तर और डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार होता है। इसके अलावा, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार होती है। पारिश्रमिक सहित कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें भी भारत सरकार के निर्देशानुसार होती हैं। कर्मचारियों के संबंध में, डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार ही तय किया गया है।

अंशकालिक अधिकारिक नामित निदेशकों का पारिश्रमिक उनके संबंधित नियमों द्वारा शासित होता है। बैठक फीस का भुगतान स्वतंत्र निदेशकों को किया जा रहा है।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई, दिनांक 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना सं 463 (ई) के अनुसरण में, आईटीआई लिमिटेड एक सरकारी कंपनी होने के नाते अपने स्वयं के बोर्ड द्वारा निष्पादन, इसकी समितियों और व्यक्तिगत निर्देशकों के वार्षिक मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में छूट प्राप्त है। इसके अलावा, चूंकि सभी निदेशकों (कार्यकारी, सरकारी नामांकित और स्वतंत्र निदेशक) की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, कंपनी ने स्वतंत्र और निदेशक मंडल के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए कोई मानदंड नहीं रखे हैं। निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है ।

दिनांक 31.03.2020 तक, एनआरसी में निम्न लोग शामिल हैं :

श्रीमती आशा कुमारी जसवाल, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष ;

डॉ. के आर शनमुगम, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य ; तथा

श्री मयंक गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य

रिपोर्ट की तारीख के दिन, श्रीमती आशा कुमारी जसवाल, का कार्यकाल पूरा होने के परिणामस्वरूप डॉ. के आर शनमुगम को पुन: समिति के अध्यक्ष के रूप में और डॉ. राजेश शर्मा को समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री मयंक गुप्ता समिति के सदस्य के रूप में बने रहेंगे।

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, एनआरसी की 07 अगस्त 2019, 11 अक्टूबर 2019 और 23 मार्च 2020 को 3 बार बैठक संपन्न हुई।

सदस्य के कार्यकाल में बदलाव का विवरण, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या और एनआरसी की बैठकों के लिए उनकी उपस्थिति निम्नानुसार है :

सदस्य का नाम	निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	भाग लिए बैठकों की संख्या
श्री सदय कृष्ण कनोरिया[1]	2	2
श्रीमती आशा कुमारी जसवाल[2]	3	3
श्री सुरेश चंद्र पांडा[3]	1	1
श्री मयंक गुप्ता[4]	2	2
डॉ के आर शनमुगम[5]	1	1
डॉ राजेश शर्मा[6]	लागू नहीं	लागू नहीं

[1] दिनांक 23.11.2019 से समिति के सदस्यता समाप्त

[2] दिनांक 05.04.2020 से समिति के सदस्यता समाप्त

[3] दिनांक 09.09.2019 से समिति के सदस्यता समाप्त

[4] दिनांक 19.09.2019 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया

[5] दिनांक 27.12.2019 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया और दिनांक 26.06.2020 से समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया

[6] दिनांक 26.06.2020 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया

निदेशकों को पारिश्रमिक

(i) पूर्णकालिक निदेशकों को पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों के प्रदत्त पारिश्रमिक इस प्रकार है: **(रु. में)**

कर्मचारी सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अनुलाभ	वेतन	पीएफ का योगदान	अन्य	कुल
971	श्री के अलगेसन[1]	निदेशक उत्पादन/ अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार	15,32,915	1,02,096	82,179	26,57,757	43,74,947
20094	श्री राकेश मोहन अग्रवाल[2]	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और निदेशक विपणन का अतिरिक्त प्रभार	25,97,628	3,87,325	3,11,283	–	32,96,236
	श्री चित्तरंजन प्रधान[3]	निदेशक वित्त	–	–	–	–	–
20095	श्री शशि प्रकाश गुप्ता	निदेशक मानव संसाधन	23,80,739	3,51,606	2,82,291	–	30,14,636
2099	श्री डी वेंकटेश्वरलू[4]	निदेशक उत्पादन	5,92,084	–	66,428	–	6,58,512

1. श्री के. अलगेसन, निदेशक (उत्पादन) ने, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभालते हुए 30 सितंबर 2019 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया।

2. श्री राकेश मोहन अग्रवाल, निदेशक (विपणन) को दिनांक 14 अक्टूबर 2019 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। भारत सरकार ने 15 नवंबर 2019 के आदेश के माध्यम से उन्हें दिनांक 14 अक्टूबर 2019 से निदेशक (विपणन) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा।
3. श्री चित्तरंजन प्रधान, निदेशक वित्त (अतिरिक्त प्रभार), कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं। श्री चित्तरंजन प्रधान, 15.10.2020 (अपराह्न) तक निदेशक वित्त का पद संभाला।
4. श्री डी. वेंकटेश्वरलु को दिनांक 07 नवंबर 2019 से निदेशक उत्पादन के रूप में नियुक्त किया गया था।

टिप्पणियाँ:

क. कार्यकारी निदेशकों की सेवाओं के विच्छेद के लिए 3 महीने की नोटिस अवधि या उसके एवज में वेतन आवश्यक है

ख. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कार्यकारी निदेशकों को कोई निष्पादन संबंधी वेतन नहीं दिया गया है।

(ii) अंशकालिक सरकारी निदेशकों का मुआवजा

सरकारी नामित निदेशक को प्रमोटरों के प्रतिनिधि होने के नाते न तो किसी भी पारिश्रमिक का और नहीं किसी बैठक फीस का भुगतान किया जाता है।

(iii) स्वतंत्र निदेशकों का मुआवजा

स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए 10,000/- रुपये और बैठक समिति के लिए 5,000/- रुपये का भुगतान किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष में स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई बैठने की फीस का विवरण इस प्रकार है।

(रु. में)

निदेशक का नाम	बोर्ड की बैठक	समिति की बैठक
श्री सदय कृष्ण कनोरिया	30,000	45,000
श्रीमती आशा कुमारी जसवाल	80,000	55,000
श्री सुरेश चंद्र पांडा	20,000	05,000
श्री मयंक गुप्ता	70,000	15,000
श्री राजेन विद्यार्थी	70,000	20,000
डॉ अखिलेश दूबे	60,000	10,000
डॉ के आर शनमुगम	70,000	30,000

(iv) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने निदेशकों को कोई कमीशन नहीं दिया है और न ही उन्हें कोई स्टॉक विकल्प दिया गया है।

(v) निदेशक मंडल के स्तर के ठीक नीचे वरिष्ठ प्रबंधन का पारिश्रमिक, नियुक्ति या उन्हें हटाने के लिए जिनमें सीएफओ और कंपनी सचिव भी शामिल हैं, जैसा कि सूचीबद्ध विनियमों के अनुसूची ए (ई) के भाग ए (ई) में निर्दिष्ट है, डीपीई के दिशानिर्देश द्वारा शासित होते हैं और समय-समय पर इन्हें बोर्ड को सूचित किया जाता है।

5. हितधारक संबंध समिति

हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) हितधारकों/निवेशकों की शिकायतों, जैसे स्थानांतरण से संबंधित, शेयरों का प्रसारण, वार्षिक रिपोर्ट न मिलना, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करना और शेयरधारकों के हित के विभिन्न पहलूओं के निवारण के मामलों को देखती है। यह समिति रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट और कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई के निष्पादन की देखरेख एवं समीक्षा करती है।

31 मार्च 2020 तक, एसआरसी की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के अनुपालन में है, जिसमें नियम, सूचीकरण नियम और डीपीई दिशानिर्देश, इस प्रकार बनाए गए हैं:

1. श्रीमती आशा कुमारी जसवाल, अध्यक्ष
2. श्री राकेश मोहन अग्रवाल, सदस्य और
3. श्री शशि प्रकाश गुप्ता, सदस्य

रिपोर्ट की तारीख के दिन, श्रीमती आशा कुमारी जसवाल का कार्यकाल पूरा होने के परिणामस्वरूप, श्री राजेन विद्यार्थी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अन्य सदस्य वैसे ही रहे।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, 23 मार्च 2020 को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।

सदस्यों के कार्यकाल में परिवर्तन का विवरण, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान आयोजित बैठक की संख्या और एसआरसी बैठकों के लिए उनकी उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	भाग लिए बैठकों की संख्या
श्री के अलगेसन[1]	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री सदय कृष्ण कनोरिया[2]	लागू नहीं	लागू नहीं
श्रीमती आशा कुमारी जसवाल[3]	1	1
श्री राकेश मोहन अग्रवाल	1	1
श्री शशि प्रकाश गुप्ता[4]	1	1
श्री राजेन विद्यार्थी[5]	1	1

[1] दिनांक 30.09.2019 से समिति के सदस्यता समाप्त

[2] दिनांक 23.11.2019 से समिति के सदस्यता समाप्त

[3] दिनांक 05.04.2020 से समिति के सदस्यता समाप्त

[4] दिनांक 11.10.2019 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया

[5] दिनांक 26.06.2020 से समिति के सदस्य और अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया

श्रीमती एस शनमुगा प्रिया, कंपनी सचिव कंपनी के अनुपालन अधिकारी हैं।

कंपनी निवेशकों की सभी शिकायतों, सुझावों और परिवेदनाओं को त्वरित रूप से संबोधित करती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी को शेयरधारकों से 2 शिकायतें मिली हैं, जिन्हें हल कर दिया गया है।

स्थानांतरण अनुरोधों पर तत्परता से ध्यान दिया जाता हैं और 31 मार्च 2020 तक, शेयर हस्तांतरण के लिए कोई मामले लंबित नहीं थे। रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष के दौरान 35 शेयर हस्तांतरण अनुरोध प्राप्त हुए जिसमें 1178 इक्विटी शेयर शामिल थे, इन्हें संसाधित और हल कर दिया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने 24 जनवरी 2020 को अपना आगे का सार्वजनिक प्रस्ताव खोला था और 05 फरवरी 2020 को ही इसे वापस ले लिया था। केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, जारीकर्ता और आईसीआईसीआई बैंक में रजिस्ट्रार, मुद्दे के लिए बैंकर्स और प्रायोजक बैंक ने निवेशकों के आवेदन पैसे को अन-अवरुद्ध करने की पुष्टि की थी।

निवेशक संबंध सेल:

निवेशकों और विश्लेषकों द्वारा बारंबार मांगी जाने वाली आवश्यक जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.itiltd.in पर निवेशक जानकारी पृष्ठ /इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन पेजफ के तहत उपलब्ध है। वेबसाइट वित्तीय विवरणों, निवेशकों से संबंधित घटनाओं और प्रस्तुतियों, वार्षिक रिपोर्ट और मीडिया रिलीज के साथ शेयरहोल्डिंग पैटर्न, और कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट आदि पर अपडेट प्रदान करती है।

6. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में, निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया था।

31 मार्च 2020 के अनुसार समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री राकेश मोहन अग्रवाल और सदस्य के रूप में श्री शशि प्रकाश गुप्ता, निदेशक मानव संसाधन, श्रीमती आशा कुमारी जसवाल, स्वतंत्र निदेशक रहे।

रिपोर्ट की तिथि के दिन, श्रीमती आशा कुमारी जसवाल की अपनी सेवा पूरी होने के परिणामस्वरूप, समिति के सदस्य से हट गई और दिनांक 26.06.2020 से श्री डी. वेंकटेश्वरलु और डॉ. अखिलेश दूबे को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अन्य सदस्य वही रहे।

समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी के अधिनियम 2013 के प्रावधानों की आवश्यकताओं की पुष्टि करती हैं ।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 06 अगस्त 2019 को सीएसआर समिति की एक बैठक हुई, जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।

सदस्यों के कार्यकाल में परिवर्तन का विवरण, यदि कोई हो, वर्ष के दौरान आयोजित बैठक की संख्या और एनआरसी बैठकों के लिए उनकी उपस्थिति निम्नानुसार है:

सदस्य का नाम	निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	भाग लिए बैठकों की संख्या
श्री के अलगेसन[1]	1	1
श्री राकेश मोहन अग्रवाल[2]	1	1
श्री शशि प्रकाश गुप्ता [3]	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री सदय कृष्ण कनोरिया[4]	1	1
श्री आशा कुमारी जसवाल[5]	लागू नहीं	लागू नहीं
डॉ अखिलेश दुबे[6]	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री डी वेंकटेश्वरलु[7]	लागू नहीं	लागू नहीं

[1] दिनांक 30.09.2019 से समिति के सदस्यता समाप्त

[2] दिनांक 11.10.2019 से समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया

[3] दिनांक 11.10.2019 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया

[4] दिनांक 23.11.2019 से समिति के सदस्यता समाप्त

[5] दिनांक 05.04.2020 से समिति के सदस्यता समाप्त

[6] दिनांक 26.06.2020 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया

[7] दिनांक 26.06.2020 से समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया

7. जोखिम प्रबंधन समिति

लिस्टिंग विनियमों के विनियम 21 के प्रावधानों के संदर्भ में, जोखिम प्रबंधन समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री शशि प्रकाश गुप्ता, निदेशक-मा.सं., अन्य सदस्यों के रूप में श्री चितरंजन प्रधान, निदेशक वित्त, डॉ. अखिलेश दुबे, स्वतंत्र निदेशक, श्री सुनिल कुमार, महाप्रबंधक-प्रचालन और शशिधरन, महाप्रबंधक-परियोजना एवं योजना शामिल हैं।

जोखिम प्रबंधन समिति शमन योजनाओं के साथ प्रमुख जोखिमों की सूचना देगी और आवधिक तौर पर बोर्ड को रिपोर्ट करेगी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की एक बैठक दिनांक 23 मार्च 2020 को आयोजित की गई थी जिसमें समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे।

8. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 23 मार्च 2020 को आयोजित की गई। बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया। इस बैठक में, स्वतंत्र निदेशकों ने निष्पादन का आकलन किया, कंपनी के प्रबंधन और निदेशक मंडल बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता पर पिछली बैठक के कार्यवृत पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई, जो कि बोर्ड के लिए प्रभावी ढंग से और उचित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आवश्यक है।

31 मार्च 2020 पर, स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्रता के प्रमाण पत्र के आधार पर, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और लिस्टिंग अधिनियमों के विनियम 16 में निर्दिष्ट है, आपके बोर्ड की राय है कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशक स्वतंत्रता की शर्तों को पूरा करते हैं और सभी स्वतंत्र निदेशक प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

9. आचार संहिता

कंपनी अधिनियम, 2013 के सूचीकरण अधिनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी ने आचार संहिता को अपनाया है। यह कोड बोर्ड के सदस्यों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू होता है। उक्त कोड कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/investor_information पर रखा गया है।

सभी बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च 2020 के अनुसार आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

इस आशय पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित एक घोषणा अनुलग्नक - ख इस रिपोर्ट में संलग्न है।

10. अंदरूनी व्यक्ति द्वारा कारोबार की रोकथाम के लिए कोड

कंपनी ने आईटीआई लिमिटेड की प्रतिभूतियों से निपटने के लिए सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार, नामित व्यक्तियों और निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए नामित व्यक्तियों और उनके तत्काल रिश्तेदारों द्वारा विनियमन, निगरानी और ट्रेडिंग रिपोर्ट करने के लिए आईटीआई आचरण संहिता को संस्थापित किया है।

इनसाइडर ट्रेडिंग कोड के तहत, एक अंदरूनी व्यक्ति (यूपीएसआई धारक एक व्यक्ति और संबंधित व्यक्ति) या तो अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से यूपीएसआई के धारक होने पर कंपनी के शेयरों में सौदा करने के लिए निषिद्ध है। इसके अलावा, निर्दिष्ट व्यक्तियों को भी ट्रेडिंग विंडो अवधि के बंद होने के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार करने की अनुमति नहीं है। निर्दिष्ट सीमा से अधिक कंपनी की प्रतिभूतियों से निपटने के लिए, अनुपालन अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता होगी। सभी नामित व्यक्तियों को इनसाइडर ट्रेडिंग कोड में परिभाषित संबंधित जानकारी को समय-समय पर प्रकट करना आवश्यक है।

कंपनी का इनसाइडर ट्रेडिंग कोड कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/investor_information पर उपलब्ध है।

11. सतर्क तंत्र / व्हीसल ब्लोअर नीति

कंपनी का सतर्कता विभाग, मुख्य सतर्कता अधिकारी के अधीन होता है, जिसका उद्देश्य कंपनी के सभी कर्मचारियों के बीच अखंडता के स्तर को बनाए रखना है। कंपनी के विभिन्न स्थानों पर "ड्रॉप बॉक्स" को रखा गया है, जहां कर्मचारी और अन्य लोग सतर्कता शाखा को अपनी चिंताओं, यदि कोई हो, अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी आदि के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं, और दर्ज की गई ऐसी शिकायतों की सतर्कता शाखा द्वारा समीक्षा की जाती है, और शिकायतकर्ताओं की पहचान की रक्षा करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाती है, जैसी कि उचित समझी जाती है।

कंपनी ने व्हिसल ब्लोअर नीति को अपनाया है जिसमें कर्मचारी किसी भी अनुचित गतिविधि। नीति यह प्रदान करती है कि उल्लंघन करने वालों की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी और उन्हें किसी भी भेदभावपूर्ण व्यवहार के अधीन नहीं किया जाएगा। किसी भी कर्मचारी को ऑडिट कमेटी तक पहुँचने से वंचित नहीं किया जाता है।

व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/vigilance पर उपलब्ध है।

12. लाभांश वितरण नीति

कंपनी ने लाभांश वितरण नीति को अपनाया है, जिसे मोटे तौर पर कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप और निवेश तथा सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, सेबी और अन्य दिशानिदशों द्वारा लागू सीमा तक, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। किसी भी नियामक प्राधिकारण और/या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संशोधन नीति में कवर होंगे, यदि कोई हैं।

यह नीति कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश के वितरण पर विचार करने और निर्णय लेने और / या निरंतर वृद्धि के लिए कमाई को बनाए रखने के लिए सामान्य ढांचे को निर्दिष्ट करती है।

उक्त नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/investor_information पर उपलब्ध है।

13. सीईओ/सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाण पत्र

सूचीकरण विनियमों के विनियमन 17 (8) के संदर्भ में, वित्तीय विवरण और वर्ष 2019 - 20 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर सीईओ और सीएफओ द्वारा जारी किया गया अनुपालन प्रमाण पत्र इस वित्तीय वार्षिक के **अनुबंध-सी** के रूप में संलग्न है।

14. प्रकटीकरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी संबंधित पार्टी के साथ किसी भी अनुबंध, व्यवस्था और लेनदेन में प्रवेश नहीं किया, जो कि व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया तथा स्वतंत्र एवं समानता के आधार पर नहीं थे। भौतिक रूप से महत्वपूर्ण

किसी भी पार्टी के लेन-देन में प्रवेश नहीं किया जाता है, जिससे कंपनी के हितों के साथ बड़े पैमाने पर संभावित संघर्ष हो सकता है। संबंधित पार्टी लेन-देन की नीति कंपनी की वेबसाइट http://www.itiltd.in/Investor_information पर उपलब्ध है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, कंपनी द्वारा गैर-अनुपालन के कोई मामले नहीं थे और पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कोई जुर्माना/सख्ती नहीं की गई थी।

15. सामान्य बैठकें :

पिछले तीन वर्षों के दौरान पारित विशेष संकल्पं, संपन्न हुई पिछली वार्षिक / असाधारण सामान्य बैठकों की तिथि, समय और स्थान का विवरण इस प्रकार है :

वित्तीय वर्ष	तिथि और समय	स्थान	विशेष संकल्प
2016-17	27 सितंबर, 2017 को पूर्वाह्न 11.30 बजे	बेंगलूरु तमिल संघम्, बेंगलूरु	जी नहीं
2017-18	*05 अप्रैल, 2018 को पूर्वाह्न 11.30 बजे	बेंगलूरु तमिल संघम्, बेंगलूरु	जी हाँ
2017-18	26 सितंबर, 2018 को पूर्वाह्न 11.30 बजे	आईटीआई ऑफिसर्स क्लॉब - न्यू विंग, आईटीआई टॉऊनशिप	जी नहीं
2018-19	27 सितंबर, 2019 को पूर्वाह्न 11.30 बजे	आईटीआई ऑफिसर्स क्लॉब - न्यू विंग, आईटीआई टॉऊनशिप	जी हाँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डाक बैलेट के माध्यम से कोई संकल्प नहीं रखा गया। डाक बैलेट प्रणाली पर यदि शेयर धारकों के अनुमोदन की आवश्यकता हुई तो अधिनियम में दी गई प्रक्रिया के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।

16. संचार के माध्यम

तिमाही / वार्षिक परिणाम:

कंपनी नियमित रूप से बोर्ड की मंजूरी के तुरंत बाद आलेखापरीक्षित और साथ ही लेखापरीक्षित किए गए वित्तीय परिणामों की सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को देती है। ये वित्तीय परिणाम आम तौर पर बिजनेस स्टैंडर्ड/फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी में), संजीवनी (कन्नड़ में) और दक्षिण भारत राष्ट्रमत (हिंदी में) में प्रकाशित होते हैं । वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट- http://www.itiltd.in/investor_information में भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

समाचार विज्ञप्ति, प्रस्तुति आदि:

आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति, मीडिया, संस्थागत निवेशकों, वित्तीय विश्लेषकों आदि के लिए विस्तृत प्रस्तुतियाँ कंपनी की वेबसाइट http://www.itiltd.in / investor_information पर प्रदर्शित की जाती हैं।

वेबसाइट:

कंपनी की वेबसाइट www.itiltd.in में अलग-से समर्पित खंड 'निवेशक संबंध' हैं, जहां शेयरधारकों के लिए जानकारियां उपलब्ध है। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट, शेयरहोल्डिंग पैटर्न, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, स्टॉक एक्सचेंजों के लिए किए गए सभी खुलासे आदि वेब-साइट पर उपलब्ध हैं।

17. सामान्य शेयरधारक जानकारी

क) वित्तीय वर्ष 2020 के लिए वार्षिक सामान्य बैठक

दिनांक : 04 दिसंबर, 2020

समय : पूर्वाह्न 11.30 बजे।

स्थान : कंपनी वीसी/ओवीएएम के माध्यम से बैठक आयोजित कर रही है/दिनांक 5 मई, 2020 के एमसीए के परिपत्र के अनुसार और इस तरह एजीएम के लिए स्थान की आवश्यकता नहीं है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस एजीएम का नोटिस देखें।

जैसा कि सेबी सूचीकरण विनियम और सचिवीय मानक 2 के विनियमन 36 (3) के तहत आवश्यक है, इस एजीएम में फिर से नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों के विवरण इस एजीएम के नोटिस के अनुलग्नक में दिए गए हैं।

ख) वित्तीय कैलेंडर:

2019-20 के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा के लिए प्रयोगात्मक/नमूना कैलेंडर नीचे दिया गया है:

तिमाही समाप्त होने पर तिमाही परिणामों को अपनाना	बोर्ड की बैठक की अस्थायी तारीख
30.06.2020 (सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के साथ)	14.09.2020 को या उससे पहले
30.09.2020 (सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के साथ)	14.11.2020 को या उससे पहले
31.12.2020 (सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के साथ)	14.02.2021 को या उससे पहले
31.03.2021 (लेखापरीक्षित)	30.05.2021 को या उससे पहले

अनुपालन अधिकारी समय-समय पर कंपनी की प्रतिभूतियों में काम करने हेतु ट्रेडिंग विंडो को अंदरूनी सूत्रों के लिए बंद करने को निर्दिष्ट करता है। आम तौर पर प्रत्येक तिमाही के अंत से तिमाही के लिए वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किए जाने के 48 घंटे बाद तक कंपनी की प्रतिभूतियों में लेनदेन के लिए ट्रेडिंग विंडो इनसाइडर्स के लिए बंद रहती है। इस संबंध में सभी संचार स्टॉक एक्सचेंजों को भेजे जाते हैं, मेल के माध्यम से अंदरूनी सूत्रों को और नोटिस को कंपनी की वेबसाइट https://www.itiltd.in/investor_information पर भी अपलोड किया जाता हैं।

(ग) शेयर बाजारों में सूचीबद्ध और सूचीबद्ध शुल्कों का भुगतान

कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है।

नाम एवं पता	टेलीफोन/फैक्स/ई-मेल आईडी/ वेबसाइट आईडी	ट्रेडिंग कोड
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फ़िरोज़ेजीजीभॉय टॉवरस् दलाल स्ट्रीट मुबंई - 400 001	टेलीफोन : 022-22721233/4 फैक्स : 022-22721919 ई-मेल:bsehelp@bseindia.com वेबसाइट:www.bseindia.com	523610
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एक्सलचेंज फ्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई) मुंबई - 400 051	टेलीफोन : 022-26598100-8114 फैक्स : 022-26598120 ई-मेल : ignse@nse.co.in वेबसाइट: www.nse-india.com	आईटीआई

कंपनी ने बीएसई और एनएसई को 2019-20 के लिए लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया है।

घ) अभिरक्षक/कस्टोडियन फीस

कंपनी की इक्विटी के लिए एनएसडीएल और सीएसडीएल के लिए परिरक्षक शुल्क, कोड आईएनई 248ए01017 को वहन करते हुए, वित्तीय वर्ष 2019-20 का भुगतान किया गया है।

ङ) बाजार मूल्य डेटा

बीएसई और एनएसई पर प्रत्येक माह के दौरान कंपनी के शेयरों के उच्च या निम्न बाजार में कीमतों का विवरण निम्नानुसार हैं :

माह	बीएसई (प्रति शेयर रु.)			एनएसई (प्रति शेयर रु.)		
	उच्च कीमत	निम्न कीमत	परिमाण	उच्च कीमत	निम्न कीमत	परिमाण
अप्रैल - 19	106.85	89.80	30,67,138	106.90	89.75	2,29,33,390
मई - 19	104.60	78.35	24,79,399	104.85	78.25	1,65,46,767
जून - 19	98.20	83.15	18,67,209	98.30	83.00	1,13,91,592
जुलाई - 19	98.95	74.40	22,67,494	98.90	74.40	1,36,46,868
अगस्त - 19	83.50	56.15	19,98,187	83.50	56.10	1,29,70,353
सितंबर - 19	87.50	66.80	32,63,065	87.30	66.60	2,23,63,077
अक्तूबर - 19	100.95	78.85	30,14,374	100.95	78.50	1,36,46,868
नवबंर - 19	96.00	85.20	25,40,593	96.00	85.15	2,12,16,059
दिसंबर - 19	97.45	83.25	28,31,029	97.50	83.20	2,27,06,200
जनवरी - 20	107.45	81.80	50,05,523	107.40	81.60	4,93,55,563
फरवरी - 20	94.70	71.00	17,79,213	94.55	71.00	1,41,20,324
मार्च - 20	81.65	44.90	24,83,003	83.00	44.80	2,12,88,298

(च) बीएसई सेंसक्स जैसे व्यापक आधारित सूचकांकों की तुलना में कंपनी के शेयरों का निष्पादन।

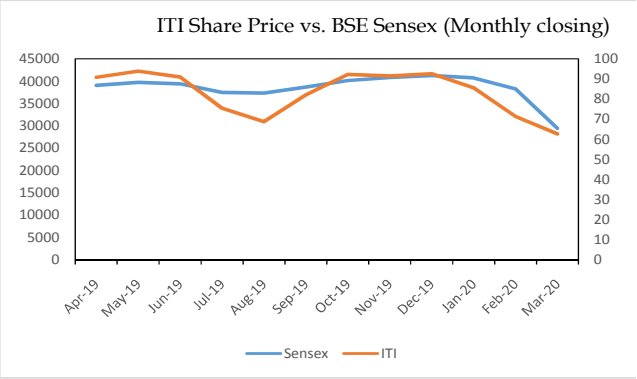

* डेटा संबंधित महीने के आईटीआई समापन मूल्य के साथ-साथ सेंसेक्स पर आधारित है।

(छ) बुक क्लोजर की तिथि :

सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी के शेयर हस्तंतरण रजिस्टर दिनांक 28 नवंबर, 2020 से 04 दिसंबर, 2020 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगें ।

(ज) रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर एजेंट :

मेसर्स एकीकृत रजिस्ट्री प्रबंधन सेवाएं प्राईवेट लिमिटेड, सेबी पंजीकृत श्रेणी I रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट(आरटीए) कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट हैं ।

पता: 30 रमन्ना रेसीडेन्सी, चौथा क्रॉस, संपिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलुरू - 560 003

दूरभाष सं.: 080-23460815-818,

फैक्स: 080 -23460819

ईमेल: irg@integratedindia.in

(झ) शेयर हस्तांतरण/ पारेषण प्रणाली :

सेबी सूचीबद्ध विनियमों के नियमन 40 (1) के संदर्भ में, यथा संशोधित, प्रतिभूतियों के प्रसारण या हस्तांतरण के लिए अनुरोध के मामलों के सिवाय प्रतिभूतियों को केवल 1 अप्रैल, 2019 से अभौतिक रूप में हस्तांतरित किया जा सकता है। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी होल्डिंग को अभौतिक रूप में परिवर्तित करने पर विचार करें। इलेक्ट्रॉनिक रूप में इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण को कंपनी की भागीदारी के साथ डिपॉजिटरी के माध्यम से प्रभावित किया जाता है। प्रतिभूतियों के हस्तांतरण/प्रसारण का सारांश बाद की बोर्ड बैठकों में दिया जाता है।

सूचीबद्ध विनियम-2015 के नियमन 40 (10) के अनुसार, कंपनी द्वारा शेयर हस्तांतरण औपचारिकताओं के अनुपालन की पुष्टि करने वाले छमाही आधार वाले प्रमाण पत्र, सेबी (डिपॉजिटरीज एवं प्रतिभागियों) विनियम, 1996 के अनुसार शेयरों के समय पर अभौतिक रूप के लिए प्रमाण पत्र स्टॉक एक्सचेंजों को भेजे जाते हैं।

इसके अलावा, शेयर पूंजी लेखा परीक्षा का मिलान यह पुष्टि करता है कि कंपनी को जारी की गई कुल पूंजी भौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या के बराबर है और एनएसडीएल और सीएसडीएल के साथ रखे गए अभौतिक रूप में शेयरों की कुल संख्या, स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाती है और इसे तिमाही आधार पर बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

(ञ) 31.03.2020 तक शेयरहोल्डिंग

(i) 31 मार्च 2020 तक शेयरधारिता की श्रेणियां

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	कुल का %
प्रवर्तक : भारत के राष्ट्रपति	1	83,51,07,008	90.27
प्रवर्तक समूह : कर्नाटक के राज्यपाल	1	3,12,500	0.03
म्यूचुअल फंड	3	4,612	0.00
बैंक	8	1,27,776	0.01
वित्तीय संस्था	9	18,700	0.00
एफएलएलएस	4	1,39,897	0.02
बीमा कंपनी	1	800	0.00
केंद्र सरकार : विशेष राष्ट्रीय निवेश निधि(एसएनआईएफ)	1	6,94,80,690	7.51
निकायों कॉर्पोरेट	446	11,61,268	0.13
निवासी व्यक्ति	59,533	1,77,62,009	1.98
समाशोधन सदस्य	274	5,32,840	0.06
अनिवासी भारत	383	4,71,158	0.05
अन्य	1	250	0.00
कुल	**60,665**	**92,51,19,508**	**100.00**

(ii) 31.03.2020 तक शेयरधारिता का वितरण

क्रम संख्या	विवरण	धारकों	धारकों का प्रतिशत	होल्डिंग्स	होल्डिंग्स का प्रतिशत
1	1-500	54517	89.87	6770341	0.73
2	501-1000	3551	5.85	2923265	0.32
3	1001-2000	1460	2.41	2255149	0.24
4	2001-3000	402	0.66	1042370	0.11
5	3001-4000	200	0.33	728837	0.08
6	4001-5000	181	0.30	865016	0.09
7	5001-10000	204	0.34	1503563	0.16
8	10001 से अधिक	150	0.25	909030967	98.26
	कुल	**60665**	**100.00**	**925119508**	**100.00**

(iii) शेयरों और चलनिधियों को अमल में न लाना

कंपनी का शेयर दो संग्रह स्थानों, यथा नेशनल सेक्यूरिटीज डिपॉजिटोरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') 91,70,37,082 शेयर तथा सेन्ट्रल डिपॉजिटोरी सर्विसेज (भारत) लिमिटेड ('सीडीएसएल') 74,38,952 शेयर में स्वीकार किया गया है ।

कंपनी के पास 60,665 शेयरधारकों का आधार है ।

कंपनी के कुल इक्विटी शेयरों का 99.93% निवेशकों द्वारा एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ डिमटेरियलाइज किए गए रूप में आयोजित किया जाता है ।

कंपनी के शेयरों का व्यापार, इण्टरनेशनल सेक्यूरिटीज आईडेण्टीफिकेशन नंबर (आईएसआईएन)-आईएनई 248ए01017 के अंतर्गत किया जा रहा है ।

(ट) जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा बदले जाने वाले किसी उपकरण के बदलने की तिथि तथा इसका इक्विटी पर प्रभाव

कंपनी द्वारा जीडीआर/एडीआर/वारंट अथवा बदले जाने वाले किसी उपकरण को जारी नहीं किया गया है और इसलिए उनका इक्विटी पर कोई प्रभाव नहीं होगा ।

(ड) संयंत्र स्थल

आईटीआई लिमिटेड का बेंगलूरु प्लांट, कर्नाटक राज्य में पालक्काड प्लांट, केरल राज्य में रायबरेली प्लांट, नैनी प्लांट और मनकापुर प्लांट उत्तर प्रदेश राज्य में और श्रीनगर प्लांट केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू एवं काश्मीर में स्थित हैं ।

(ढ) कंपनी के साथ पत्राचार हेतु पता

शेयरधारक/निवेशक अपना पत्र, कंपनी सचिव, मेसर्स आईटीआई लिमिटेड, आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर, बेंगलूरु- 560016, कर्नाटक, भारत को भेज सकते हैं ।

(ण) प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान इकाई द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग का विवरण, जिसमें किसी भी संशोधन के साथ–साथ भारत में या विदेश में इस तरह की इकाई के सभी ऋण विलेख या किसी भी सावधि जमा कार्यक्रम या किसी भी योजना या सूचीबद्ध इकाई के प्रस्तावों के लिए जिसमें निधि जुटाना शामिल है,:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने निम्नलिखित क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की थी :

क्रम सं.	रेटिंग एजेंसी का नाम	रेटिंग	रेटिंग की तारीख
1.	ब्रिकवर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	लंबी अवधि की रेटिंग: बीडब्लयूआर बीबीबी + (सीई) अल्पावधि रेटिंग: बीडब्लयूआर ए2 (सीई) आउटलुक : स्थिर	31.12.2019
2.	आईसीआरए लिमिटेड	लंबी अवधि की रेटिंग: (आईसीआरए) बीबीबी अल्पावधि रेटिंग:(आईसीआरए) ए3 आउटलुक : सकारात्मक	20.01.2020
3.	एक्यूइट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड	लंबी अवधि की रेटिंग: एसीयूआईटीई बीबीबी + (सीई) अल्पावधि रेटिंग: एसीयूआईटीई ए2 (सीई) आउटलुक : स्थिर	13.03.2020

(त) वर्ष 2019–20 के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी को प्रदान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल 51.5 लाख रुपये (कर रहित) की राशि सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई।

(थ) डीमैट सस्पेंस लेखा/लावारिस सस्पेंस लेखा के संबंध में प्रकटीकरण :

31 मार्च, 2020 तक, डीमैट सस्पेंस लेखा/लावारिस सस्पेंस लेखे में अंतरण के लिए लंबित कंपनी के कोई लावारिस शेयर नहीं थे।

(द) निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ़):

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठनीय प्रावधानों के संदर्भ में, दिनांक 31 मार्च 2020 को, आईईपीएफ़ को कोई राशि अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

(ध) कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण को निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार पैकेज के अंश के रूप में, कंपनी को 105 करोड़ रुपये तक का पूंजीगत अनुदान प्राप्त हुआ और वित्तीय वर्ष 2018–19 में 55 करोड़ रुपये का पूंजीगत अनुदान प्राप्त हुआ है । कंपनी ने भारत के राष्ट्रपति को 2,81,19,508 इक्विटी शेयरों को 58.90 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से तरजीही आबंटन के आधार पर आबंटित किए गए थे। कैपेक्स उपयोग पर विस्तृत पखवाड़े की रिपोर्ट संचार मंत्रालय, प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी जा रही है।

(न) गैर अनुपालन

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया जाता है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की थी। हालांकि, कंपनी को सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करना अभी भी बाकी है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते, सभी निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और सभी रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार को सूचित किया गया था। प्रशासनिक मंत्रालय स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नियुक्त करने की प्रक्रिया में है।

प) गैर अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन

सूचीबद्ध विनियम में निर्दिष्ट अनुसार विवेकाधीन आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है :

i. भारत सरकार ने श्री राकेश मोहन अग्रवाल को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया था और इसलिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अलग–अलग नहीं हैं।

ii. शेयरधारकों के साथ संवाद करने की प्रक्रिया बहुत मजबूत है और इस प्रक्रिया को ''संचार के साधन'' के तहत समझाया गया है।

iii. समेकित और एकल वित्तीय विवरण को संशोधित लेखापरीक्षा राय के साथ प्रकट किया गया है।

iv. आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख सीधे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को और लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं और लेखा परीक्षा समिति की बैठक में आमंत्रित होते हैं।

18. डीपीई द्वारा कॉर्पोरेट सरकार पर दिशानिर्देश

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के दौरान राष्ट्रपति के कोई भी निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। व्यय की कोई भी मदें खाता पुस्तकों में डेबिट नहीं की गई है, जो व्यापार के उद्देश्य के लिए नहीं हैं। कोई भी खर्च, जो व्यक्तिगत प्रकृति का हैं, निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए नहीं किया गया हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान सामान्य प्रशासनिक व्यय कुल खर्च का 2% था, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 8% था।

19. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट और पेशेवर कंपनी सचिव का प्रमाणपत्र

कंपनी अधिनियम, 2013, लिस्टिंग विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के लागू प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में श्री डी वेंकटेश्वरलु, पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित की गई है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का अंश है।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट, पेशेवर कंपनी सचिव श्री डी वेंकटेश्वरलु द्वारा जारी की गई थी, जिसे स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किया गया है।

श्री डी वेंकटेश्वरलु, पेशेवर कंपनी सचिव का प्रमाण पत्र लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि करता है, जो **अनुबंध– घ** में संलग्न है।

इसके अलावा, श्री डी वेंकटेश्वरलू ने सूचीबद्ध विनियमों के तहत यथा अपेक्षित प्रमाण–पत्र जारी किया है जिसमें यह संपुष्ट किया गया है कि मंडल के किसी भी निदेशक को कंपनी का निदेशक नियुक्त होने या निदेशक के पद पर बने रहने से विवर्जित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

20. हरित पहल

हरित पहल के एक हिस्से के रूप में, कंपनी वार्षिक सामान्य बैठक बुलाने के नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि उन शेयरधारकों को ई–मेल द्वारा भेजती है, जिन्होंने डीपी/आर एंड टी एजेंटों के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करवा रखी है और वार्षिक रिपोर्ट का भौतिक प्रतिलिपि के रूप में चयन नहीं किया है।

21. अनुपालन

आपकी कंपनी निर्धारित प्रपत्र के अनुसार दूरसंचार मंत्रालय तथा स्टॉक एक्सचेन्ज को तिमाही समाप्त होने के 15 दिनों के अंदर तिमाही कॉर्पोरेट गवर्नेन्स अनुपालन रिपोर्ट भेजती है । स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के तहत माँगी गई, कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन पर कंपनी सचिव का अभ्यास प्रमाणपत्र संलग्न है।

22. डीपीई ग्रेडिंग

आपकी कंपनी संसार मंत्रालय को कॉर्पोरेट गवर्नेन्स के साथ अनुपालन पर वार्षिक तथा तिमाही श्रेणीकरण रिपोर्ट भेजती है । श्रेणीकरण रिपोर्ट के अनुसार, आपकी कंपनी को वर्ष 2019–20 के लिए 97% के मिश्रित स्कोर के साथ 'उत्कृष्ट' श्रेणी दी गई

निदेशक मंडल की ओर से एवं कृते

स्थान : बेंगलूरु — **(राकेश मोहन अग्रवाल)**

दिनांक : 02 नवबंर,2020 — अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वर्ष भर की मुख्य विशेषताएं और सराहना

आईटीआई लिमिटेड ने राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया

आईटीआई लिमिटेड ने 14 अप्रैल से 20 अप्रैल, 2019 तक अपने संयंत्रों / इकाइयों में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया । कर्मचारियों के लिए कार्यालय / कारखाने में आग और इसके खतरों की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, अग्निशमन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

आईटीआई लिमिटेड में 5वाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया

आईटीआई लिमिटेड ने 21 जून, 2019 को आईटीआई बेंगलूरु प्लांट में 5वाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया ।

आईटीआई लिमिटेड ने 16 से 31 अगस्त, 2019 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया

आईटीआई लिमिटेड में 16 अगस्त से 31 अगस्त, 2019 तक सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए निगमित कार्यालय और अपने संयंत्रों / इकाइयों में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया ।

आईटीआई लिमिटेड ने ग्राहकों के लिए क्लाउड सेवाओं का शुभारंभ किया

आईटीआई लिमिटेड ने 26 सितंबर, 2019 को भारत में केंद्र और राज्य सरकार की संस्थाओं, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, लघु और मध्यम उद्यमों और स्टार्ट–अप्स के लिए अपनी क्लाउड सेवाओं और समाधान प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया ।

आईटीआई लिमिटेड ने स्वच्छता ही सेवा का अनुपालन किया

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आईटीआई लिमिटेड ने 2 अक्टूबर, 2019 को अपने संयंत्रों / इकाइयों में 'स्वच्छता ही सेवा' का अनुपालन किया । आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री राकेश मोहन अग्रवाल ने वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों और स्कूली बच्चों के साथ प्लास्टिक और कचरे को उठाकर आईटीआई टाउनशिप के वातावरण को शुद्ध और साफ रखने हेतु स्वच्छता अभियान चलाया ।

आईटीआई लिमिटेड ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आईईएसए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

देश में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थिति के तंत्र को मजबूत करने हेतु, आईटीआई लिमिटेड ने 10 अक्टूबर, 2019 को आईटीआई बेंगलूरु प्लांट में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आईईएसए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया । आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री आर.एम. अग्रवाल ने श्री एस पी गुप्ता, निदेशक–मा.सं. और श्री वाईजीएससी किशोर बाबू, डीडीजी, डीओटी की उपस्थिति में आईईएसए बोर्ड के सदस्य और सलाहकार, श्री अनिल कुमार मुनीस्वामी के साथ समझौते ज्ञापन का आदान–प्रदान किया ।

आईटीआई लिमिटेड ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भाग लिया

आईटीआई लिमिटेड ने 14 से 16 अक्टूबर, 2019 तक इंडिया मोबाइल कांग्रेस, नई दिल्ली में भाग लिया । इस अवसर पर श्री अंशु प्रकाश, अध्यक्ष, डीसीसी और सचिव (दूरसंचार) ने आईटीआई स्टॉल का दौरा किया और आईटीआई स्टॉल पर प्रदर्शित क्रांतिकारी इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार उत्पादों को देखा ।

आईटीआई लिमिटेड ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2019 का अनुपालन किया

28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2019 तक 'अखंडता–जीवन' का एक तरीका विषय के अंतर्गत आईटीआई लिमिटेड ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया । आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री आर.एम. अग्रवाल समापन समारोह का संपादन करते हुए स्कूली बच्चों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किए । आईटीआई सेंट्रल और विद्यामंदिर स्कूल के 200 से अधिक छात्रों द्वारा लोगों को जागरुक करने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता रैली 'वाकथॉन' निकाली गई ।

माननीय राज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के श्री संजय धोत्रे ने आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया

माननीय राज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के श्री संजय धोत्रे ने 12 नवंबर, 2019 को आईटीआई लिमिटेड का दौरा किया । आईटीआई लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्री धोत्रे को आईटीआई डेटा सेंटर, स्टार्ट–अप हब, टेलीकॉम टेस्टिंग लैब, वाई–फाई प्रोडक्शन लाइन, क्रिप्टो लैब, 3 डी प्रिंटिंग और अनुसंधान एवं विकास के कामकाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया । श्री संजय धोत्रे ने श्री आर एम अग्रवाल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री एस पी गुप्ता, निदेशक–मानव संसाधन, श्री डी वेंकटेश्वरलु, निदेशक–उत्पादन की उपस्थिति में सभा को संबोधित किया ।

आईटीआई लिमिटेड ने राष्ट्र का 71वां गणतंत्र दिवस–2020 मनाया

आईटीआई लिमिटेड ने 26 जनवरी, 2020 को देश के 71वें गणतंत्र दिवस को निगमित कार्यालय, बेंगलूरु में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया । आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री आर एम अग्रवाल ने निदेशक–मा सं, श्री शशि प्रकाश गुप्ता, निदेशक–उत्पादन, श्री डी वेंकटेश्वरलु, वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों, कर्मचारी एवं अधिकारी संघ के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया । इस अवसर पर, कंपनी के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री आर एम अग्रवाल ने कर्मचारियों को कॉर्पोरेट प्रदर्शन पुरस्कार भी वितरित किए ।

आईटीआई लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस–2020 मनाया

आईटीआई बेंगलूरु संयंत्र, बेंगलूरु में 9 मार्च, 2020 को आईटीआई लिमिटेड ने "मैं पीढ़ी की समानता हूँ: महिलाओं के अधिकारों को साकार कर रही हूँ" थीम पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया । आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष, श्री आर एम अग्रवाल, निदेशक–मानव संसाधन, श्री शशि प्रकाश गुप्ता, निदेशक–उत्पादन, श्री डी वेंकटेश्वरलु, महाप्रबंधक–बेंगलूरु एवं आर एंड डी, इकाई प्रमुख, बेंगलूरु संयंत्र, श्री ए के बाजोरिया, अध्यक्ष, आईटीआई लेडीज़ क्लब, श्रीमती स्वप्ना अग्रवाल, और मुख्य अतिथि डॉ एस एन सुशीला, अध्यक्ष और संगीत के प्रोफेसर, बेंगलूरु विश्वविद्यालय ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया ।

आईटीआई लिमिटेड ने मीडिया एवं एनालिस्ट मीट का आयोजन किया

आईटीआई लिमिटेड ने 11 जनवरी, 2020 को बेंगलुरु में फॉलो–ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) के संबंध में, मीडिया और एनालिस्ट मीट का आयोजन किया । आईटीआई की पेशकश से परिचित होने और कंपनी की चल रही एफपीओ प्रक्रिया के दौरान ब्रांड आईटीआई की अधिकतम दृश्यता प्राप्त करने के लिए मीडिया और विश्लेषकों के साथ एक दिवसीय परिचित यात्रा का आयोजन विभिन्न डोमेन में किया गया था । यात्रा की शुरुआत आईटीआई बैंगलूरु प्लांट में एक प्रस्तुति के साथ हुई, जिसके बाद टेलीकॉम टेस्टिंग लैब, डेटा सेंटर, स्टार्ट–अप हब, 3 डी प्रिंटिंग, पीसीबी विनिर्माण, रक्षा सुरक्षा उत्पाद, आईओटी समाधान और इकाई प्रबंधन के साथ बातचीत द्वारा हुई ।

आईटीआई लिमिटेड ने कंपनी ऑफ द ईयर पीएसयू अवार्ड प्राप्त किया

आईटीआई लिमिटेड ने सीएनबीसी–आवाज सीईओ पुरस्कार 2019 के दूसरे संस्करण में प्रतिष्ठित "कंपनी ऑफ़ द ईयर – पीएसयू" पुरस्कार प्राप्त किया । आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री आर एम अग्रवाल, निदेशक–मानव संसाधन, श्री शशि प्रकाश गुप्ता ने 7 फरवरी, 2020 को रायपुर में आयोजित भव्य समारोह में श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ से प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया ।

आईटीआई लिमिटेड के निदेशक–मानव संसाधन, श्री शशि प्रकाश गुप्ता को सस्टेनेबल एचआर लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया

वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस द्वारा आईटीआई लिमिटेड के निदेशक–मानव संसाधन, श्री शशि प्रकाश गुप्ता को सस्टेनेबल एचआर लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया । पुरस्कार समारोह 16 फरवरी, 2020 को ताज लैंड्स एंड, मुंबई में आयोजित किया गया था ।

अनुबंध – क

निदेशकों की गैर–अयोग्यता का प्रमाण पत्र

(सेबी (लिस्टिंग देयताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची V पैरा सी उप खंड (10) (i) के अनुसरण में)

सेवा में
आईटीआई लिमिटेड के सदस्यों को
(सीआईएन : एल32202केए1950जीओआई000640)
आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर,
बेंगलूरु – 560 016

मैंने आईटीआई लिमिटेड, जिसका सीआईएन : एल32202केए1950जीओआई000640 है और आईटीआई भवन, दूरवाणी नगर, बेंगलूरु– 560 016 (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में जाना जाता है) में पंजीकृत कार्यालय स्थित है, से भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग देयताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 34 (3) के साथ पठनीय अनुसूची V पैरा सी उप खंड (10) (i) के अनुसरण में, इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत, निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, अभिलेखों, फ़ार्मों, विवरणियों और प्रकटीकरण की जांच की है।

मेरी राय में और मेरी जानकारी के अनुसार और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा मुझे प्रदान किए गए आवश्यक माने गए सत्यापन (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन सहित)) और स्पष्टीकरण के अनुसार, मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक को नीचे उल्लिखित अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय या इस तरह के किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या निरंतरता से निषेध या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्रम सं.	निदेशकों का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1	श्री राकेश मोहन अग्रवाल	07333145	08/06/2016
2	श्री चितरंजन प्रधान	08094340	23/03/2018
3	श्री शशी प्रकाश गुप्ता	08254999	15/10/2018
4	श्री दुव्वारी वेंकटेश्वरलु	08605954	07/11/2019
5	डॉ; राजेश शर्मा	08200125	14/08/2018
6	लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सभरवाल	08420761	12/04/2019
7	श्रीमती आशा कुमारी जसवाल	07786698	06/04/2017
8	डॉ. शनमुगम कोमारपलायम रंगासामी	08211253	30/08/2018
9	श्री राजेन विध्यार्थी	08196235	08/08/2018
10	डॉ. अखिलेश चरण दुबे	08195896	08/08/2018
11	श्री मयंक गुप्ता	03501227	13/08/2018

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करना है। यह प्रमाण पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए और न ही दक्षता या प्रभावशीलता, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के व्यवहारों का संचालन किया है, के लिए एक आश्वासन है।

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 20 अगस्त, 2020

डी वेंकटेश्वरलु
पेशेवर कंपनी सचिव
एफ़सीएस: 8554 :: सीपी: 7773
यूडीआईएन : एफ008554बी000596856

अनुबंध – ख

घोषणा

जैसा कि सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के तहत प्रावधान किया गया है, बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के आचरण संहिता की पुष्टि की है।

निदेशक मंडल की और से एवं कृते

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 26 अगस्त, 2020

(राकेश मोहन अग्रवाल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुबंध – ग

अनुपालन प्रमाण–पत्र अथवा सीएफओ / सीईओ प्रमाणीकरण

(सेबी के नियमन 17(8) के प्रावधान के अनुसार जारी (लिस्टिंग, दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के विनियम 2015)

सेवा में

आईटीआई लिमिटेड के निदेशक मंडल को,

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हमने आईटीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरण और नकदी प्रवाह विवरण एवं निदेशक–प्रतिवेदन की समीक्षा की है और अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमें यह कहना है कि :

(क) (i) यह सभी विवरण किसी भी असत्य कथन से मुक्त हैं अथवा इनमें किसी वास्तविक तथ्य को नहीं छोड़ा गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक विवरण नहीं दिया गया है ।

(ii) यह सभी विवरण कंपनी के मामलों की सत्य एवं स्वच्छ छवि के साथ प्रस्तुत करते हैं तथा यह लेखा–जोखा के मौजूदा मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं ।

(ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने ऐसा कोई कारोबार नहीं किया है, जो कपटपूर्ण, अवैधानिक अथवा कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला हो ।

(ग) वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण की स्थापना और अनुरक्षण का उत्तरदायित्व हम स्वीकार करते हैं। हमने कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभावों का मूल्यांकन किया है और किसी भी कमी, चाहे वह आंतरिक नियंत्रण की संरचना को लेकर हो, चाहे कार्य–विधि को लेकर हो, को दूर करने के लिए उठाए गए, या उठाए जाने के लिए प्रस्तावित कदम को लेखापरीक्षकों और लेखापरीक्षण समिति के समक्ष प्रकट किया है।

(घ) जहाँ कहीं प्रयोज्य था, हमने कंपनी के लेखापरीक्षकों और निदेशक मंडल की लेखापरीक्षण समिति के समक्ष प्रकट किया है।

* वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।
* वर्ष के दौरान लेखा–जोखा नीतियों में सभी अभिप्राय मूलक परिवर्तन यदि कोई रहा हो तो वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में उसे प्रकट किया गया है।
* हमारी जानकारी में आई हुई अभिप्राय मूलक घोखा–धड़ी के मामले, जिसमें प्रबंधक वर्ग अथवा अन्य कर्मचारियों की संलिप्तता रही हो, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही हो।

स्थान: बेंगलूरु	**राजीव श्रीवास्तव**	**राकेश मोहन अग्रवाल**
दिनांक: 26 अगस्त, 2020	मुख्य वित्त अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

अनुबंध – घ

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर प्रमाण पत्र

सेवा में

आईटीआई लिमिटेड के सदस्यों को

मैं, डी वेंकटेश्वरलु, आईटीआई लिमिटेड (एल32202केए1950जीओआई000640) ('कंपनी') के सचिवीय लेखा परीक्षक, ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग देयताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015('सेबी लिस्टिंग विनियमन') के विनियम 17 से 27 तक तथा विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) तक और की अनुसूची V के पैराग्राफ सी, डी और ई के अधीन निर्धारित अनुसार कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी :

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में सेबी लिस्टिंग विनियमों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी :

मेरी जिम्मेदारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर न तो एक लेखापरीक्षा है और न ही एक राय है।

मैंने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रमाणन पर मार्गदर्शी टिप्पणी के संदर्भ में कंपनी के प्रासंगिक अभिलेखों की जांच की है।

राय :

संबंधित अभिलेखों की मेरी जाँच के आधार पर और कंपनी को निदेशकों और प्रबंधन द्वारा मुझे प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, मैं यह प्रमाणित करता हूं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान लिस्टिंग विनियम के विनियम 17 से 27, विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) तक और की अनुसूची V के पैराग्राफ सी, डी और ई के अधीन निर्धारित अनुसार कॉर्पोरेट गवर्नेंस के शर्तों का, निम्नलिखित के अधीन, अनुपालन किया है :

* ***कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्री सदय कृष्ण कनोरिया का कार्यकाल 23 नवंबर 2019 को पूरा होने के परिणामस्वरूप कंपनी ने कंपनी के निदेशक मंडल की रचना के संबंध में एलओडीआर के विनियमन 17 के प्रावधानों (स्वतंत्र निदेशकों का समुचित संतुलन) का अनुपालन नहीं किया है।***

मैं आगे रिपोर्ट करता हूं कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के पास सेबी के विनियमन 38 (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015, प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के साथ 03 अगस्त 2018 को संशोधित अधिसूचना के साथ पढ़ें, के अनुसार पच्चीस (25%) की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की आवश्यकता के अनुपालन के लिए 03 अगस्त 2020 तक का समय है। समय सीमा को दिनांक 31 जुलाई 2020 की अधिसूचना द्वारा 3 अगस्त 2021 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है।

आगे मैं बताता हूं कि इस तरह के अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए और न ही दक्षता या प्रभावशीलता, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के व्यवहारों का संचालन किया है, के लिए एक आश्वासन है।

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 20 अगस्त, 2020

डी वेंकटेश्वरलु
पेशेवर कंपनी सचिव
एफ़सीएस: 8554 :: सीपी: 7773
यूडीआईएन : एफ008554बी000596823

एकल वित्तीय विवरण

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

कॉर्पोरेट जानकारी

भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र इकाई (पीएसयू) - आईटीआई लिमिटेड की स्थापना 1948 में हुई थी। तब से, दूरसंचार के क्षेत्र में एक अग्रणी उद्यम के रूप में, इसने वर्तमान राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क का 50% योगदान दिया है। नवोन्मेष विनिर्माण सुविधाओं के साथ छह स्थानों और विपणन/सेवा आउटलेट के देशव्यापी नेटवर्क में फैले हुए, कंपनी दूरसंचार उत्पादों की पूरी श्रृंखला और स्विचिंग, ट्रांसमिशन, एक्सेस और अभिदाता परिसर उपकरण के पूरे विस्तार को कवर करने वाले सकल समाधान प्रदान करती है।

आईटीआई वर्ष 2005-06 में अपने मानकापुर और रायबरेली संयंत्रों में मोबाइल उपकरण निर्माण सुविधाओं के उद्घाटन के साथ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल (जीएसएम) प्रौद्योगिकी के विश्व स्तरीय विक्रेताओं के लीग में शामिल हो गया। इसने देश में स्वदेशी मोबाइल उपकरण उत्पादन के एक नए युग में शुरुआत की। ये दोनों सुविधाएं घरेलू और निर्यात बाजार दोनों के लिए सालाना नौ मिलियन से अधिक लाइनों की आपूर्ति करती हैं।

1) तैयारी का आधार

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार जैसा कि यहां बताया गया है, उन्हें छोड़कर, वित्तीय विवरणों को, लेखांकन के संचय आधार पर, तैयार किए जाते हैं और प्रस्तुत किए जाते हैं। जीएएपी में अनिवार्य भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान शामिल हैं, जिन्हें लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि एक नया लेखा मानक प्रारंभ में अपनाया गया है या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता है।

मापन का आधार :

निम्नलिखित संपत्तियों और देनदारियों, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, को छोड़कर वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है :

क. व्युत्पन्न वित्तीय साधन, यदि कोई हो

ख. वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा गया है

ग. परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर परिभाषित लाभ संपत्ति/(देयता) योजना संपत्तियों के कम उचित मूल्य मान्यता प्राप्त है।

2). अनुमानों का उपयोग

भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख को प्रकट संपत्तियों, देनदारियों, राजस्व, व्यय और आकस्मिक देनदारियों की प्रकटीकरण की रिपोर्ट की गई राशि तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय पर रिपोर्ट की गई राशि में प्रबंधन को प्राक्कलनों और अनुमानों पर विचार करने की अपेक्षा होती है। हालांकि इस प्रकार के अनुमान सभी उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए एक उचित और विवेकी आधार पर किए जाते हैं, वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और इस तरह के अंतर उस अवधि में मान्यता प्राप्त हैं जिसमें परिणाम निर्धारित किए जाते हैं।

3). कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है और प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा है जिसमें इकाई संचालित होती है। भारतीय रुपए में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी शेयर और प्रति शेयर डेटा को छोड़कर निकटतम लाखों में पूर्णांक की गई है।

4). राजस्व मान्यता

क. माल की बिक्री

माल की बिक्री से राजस्व को प्राप्त या प्राप्त करने योग्य, रिटर्न के शुद्ध, व्यापार छूट और वॉल्यूम छूट के उचित मूल्य पर विचार करते हुए मापा जाता है। जब महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कार को बिक्री समझौते की शर्तों के अनुसार ग्राहक को स्थानांतरित कर दिया गया है, न ही निरंतर प्रबंधन भागीदारी और माल पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा जाता है, विचार की वसूली संभव है, और लागत की लागत और राजस्व विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, तब राजस्व को मान्यता दी जाती है। जोखिम समझौते के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक शर्तों के आधार पर जोखिम और पुरस्कारों के हस्तांतरण का समय मूल्यांकन किया जाता है।

ख. पूर्व-संकर्म अनुबंध

जब आवश्यक माल पूर्व निरीक्षण और स्वीकृति के बाद अनुबंध के लिए बिना शर्त रूप से विनियमित होते हैं, यदि आवश्यक हो।

ग. एफ़ओआर अनुबंध

एफ़ओआर अनुबंध के मामले में, जब बिक्री पूर्व निर्धारित और स्वीकृति के बाद खरीददार को अंतरण के लिए वाहक को माल सौंप दिया जाता है और एफ़ओआर गंतव्य स्थान के अनुबंध के मामले में, यदि लेखांकन अवधि के अंदर गंतव्य तक पहुंचने वाले माल की उचित अपेक्षा होने पर बिक्री की मान्यता दी जाती है।

घ. बिल और होल्ड बिक्री

बिल-और-होल्ड लेनदेन के लिए, जब ग्राहक शीर्षक लेता है तो राजस्व पहचाना जाता है, बशर्ते कि :

i. यह संभव है कि वितरण किया जाएगा;

ii. जब बिक्री की मान्यता दी जाती है, तब खरीददार को मद को तैयार कर, पहचानकर और सुपुर्दगी की जाती है;

iii. खरीददार विशेष रूप से आस्थगित सुपुर्दगी निर्देशों को स्वीकार करता है; सामान्य भुगतान शर्तें लागू होती हैं।

ङ. निर्माण अनुबंध

अनुबंध राजस्व में अनुबंध में सहमत प्रारंभिक राशि शामिल है और अनुबंध काम में कोई बदलाव होने पर, दावों और प्रोत्साहन भुगतान, वे इस हद तक संभव है कि वे राजस्व में परिणाम देंगे और विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

अनुबंध राजस्व अनुबंध के पूरा होने के चरण के अनुपात में मान्यता प्राप्त है। पूरा करने का चरण अनुबंध पूरा करने की अनुमानित कुल लागत तक रिपोर्टिंग तिथि तक अनुबंध पर किए गए वास्तविक लागत के अनुपात के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

अगर परिणाम विश्वसनीय रूप से अनुमानित नहीं किया जा सकता है और जहां लागत वसूल करना संभव है, राजस्व लागत की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

जब यह संभव है कि अनुबंध पूरा होने पर अनुबंध लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो जाएगी, पूरा होने पर अपेक्षित नुकसान तुरंत एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

च. मूल्य की वृद्धि

उन अनुबंधों के मामले में जहां अतिरिक्त विचार ग्राहकों द्वारा निर्धारित और अनुमोदित किया जाना है, ऐसे अतिरिक्त राजस्व को ग्राहक(कों) से पुष्टि प्राप्त होने पर मान्यता दी जाती है।

बेची गई उप इकाइयों की फुटकर कीमत उपलब्ध नहीं होने पर वही अनुमान लगाया जाता है।

छ. इकट्ठा हुए अनुबंध

इकट्ठा किए गए अनुबंध के मामले में, जहां संस्थापन और कमीशनिंग या किसी अन्य अलग पहचानने योग्य घटक के लिए अलग शुल्क निर्धारित नहीं किया जाता है, कंपनी लेनदेन के अलग-अलग पहचाने जाने योग्य घटकों (माल की बिक्री, संस्थापन,

कमीशनिंग इत्यादि) के लिए मान्यता मानदंड लागू करती है और उनके संबंधित उचित मूल्य के आधार पर उन अलग-अलग घटकों को राजस्व आबंटित किया जाता है।

ज. एकाधिक तत्व

ऐसे मामलों में जहां संस्थापन और कमीशनिंग या कोई अन्य अलग पहचान योग्य घटक निर्धारित किया जाता है और इसके लिए कीमत अलग से सहमत की जाती है, कंपनी लेनदेन के अलग-अलग पहचाने गए घटकों (माल की बिक्री, संस्थापन, कमीशनिंग इत्यादि)के लिए मान्यता मानदंड लागू करती है और अनुबंध के आधार पर उन अलग-अलग घटकों को राजस्व आबंटित किया जाता है।

झ. बिक्री में बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर (वैट)/वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)/सेवा कर शामिल नहीं है।

वर्ष के दौरान निष्पादित अनुबंधों के लिए तरल क्षति सहित ग्राहकों द्वारा संभावित अस्वीकृति के लिए निर्यात की बिक्री के मुद्दे पर बिक्री के रूप में निर्यात बिक्री को अलग-अलग माना जाता है।

ञ. सेवाओं की आपूर्ति

जब अनुबंध समय के आधार पर दर्ज किए जाते हैं, तो वर्ष से संबंधित वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध से राजस्व की मान्यता दी जाती है। प्रतिपादन सेवाओं के समय राजस्व मान्यता प्राप्त है।

अन्य निश्चित मूल्य अनुबंधों के लिए (सॉफ्टवेयर से संबंधित सेवाओं की बिक्री सहित) रिपोर्टिंग तिथि पर लेनदेन को पूरा करने के चरण के अनुपात में राजस्व को मान्यता दी जाती है। पूरा करने के चरण को मूल्यांकन किए गए कार्यों के संदर्भ में मूल्यांकित किया जाता है। विचाराधीन वसूली के संबंध में महत्वपूर्ण अनिश्चितता होने पर या यदि खर्च किए गए या किए जाने वाले खर्चों को विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है, तो कोई राजस्व पहचाना नहीं जाता है।

ट. ब्याज आय

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग कर मान्यता दी जाती है।

ठ. लाभांश

जब लाभांश प्राप्त करने हेतु कंपनी का अधिकार स्थापित किया जाता है तो लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

ड. किराए से आय

जब तक किराये में वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति या अन्यथा उचित (उचित मूल्य) के अनुरूप नहीं होती है, परिचालनीय पट्टे से उत्पन्न होने वाली किराये के आय लीज अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर होते हैं।

ढ. शुल्क वापसी

दावों को प्रमुखता देने के संबंध में निर्यात पर शुल्क वापसी का दावा किया जाता है।

ण. अन्य आय

अन्य आय जिसे विशेष रूप से ऊपर वर्णित नहीं है, को अर्जन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

5) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रगतिशील पूंजी कार्य

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को ऐतिहासिक लागत पर संचित अवमूल्यन और क्षति नुकसान, यदि कोई हो, के घाटे पर दर्शाये गए हैं। लागत में खरीद मूल्य और पीपीई को अपने अभिप्रेत उपयोग के लिए कामकाजी स्थिति में लाने की कोई भी जिम्मेदार लागत शामिल है। पीपीई के अधिग्रहण से संबंधित उधार और अन्य जिम्मेदार लागत, जो इसके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है, को भी इस अवधि तक संबंधित सीमा तक भी शामिल किया गया है जब तक कि इस तरह के पीपीई उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। या तो निपटान पर या इस तरह के उपयोग से सेवानिवृत्त होने पर वित्तीय विवरणों से पीपीई को हटा दिया जाता है। जब संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण पुर्जों को अंतराल पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें अलग घटक के रूप में मान्यता दी जाती है।

उपहार के रूप में या मुफ्त में प्राप्त संपत्तियों को उचित मूल्य पर दर्शाई जाती हैं, जिसे अधिग्रहण या प्राप्ति के समय कम संचित मूल्यह्रास और क्षति नुकसान के घाटे पर अन्य इक्विटी में जमा किया जाता है।

प्रगतिशील पूंजी कार्य

तुलनपत्र की तिथि पर संस्थापन या निर्माणाधीन संपत्तियों को प्रगतिशील पूंजी कार्य के रूप में दर्शाई जाती है।

निर्माण अवधि से संबंधित आय, जैसे ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम से ब्याज, निविदा दस्तावेजों की बिक्री इत्यादि, को निर्माण के दौरान व्यय के विरुद्ध समाप्त किया जाता है।

पट्टेधारित भूमि के विकास पर व्यय को भूमि विकास व्यय के रूप में पूंजीकृत किया गया है और पट्टे की अवधि या उपयोगी, जीवनकाल जो भी कम है, पर अमूर्त किया गया है।

पीपीई की पूरी श्रेणी के पुनर्मूल्यांकन की स्थिति में, यदि पुनर्मूल्यांकित राशि पीपीई की ले जाने वाली राशि से अधिक है, तो इस तरह के अंतर को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के रूप में लिया जाता है। यदि पुनर्मूल्यांकित राशि पीपीई की ले जाने वाली राशि से कम है और यदि पीपीई की श्रेणी को पहले से ही पुनर्मूल्यांकित की जा चुकी है,, तो पीपीई की एक ही श्रेणी के लिए पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के तहत उपलब्ध राशि के विरुद्ध अंतर निर्धारित किया गया है और इसके अतिरिक्त, जीवन यदि कोई हो, को लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

6) अमूर्त संपत्तियां, विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

क. आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित सॉफ़्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है) की लागत और इसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण भविष्य के आर्थिक लाभ को, उपयोग के लिए तैयार हो जाने पर अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। अमूर्त संपत्ति, जो तुलनपत्र की तिथि पर उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार नहीं है, को विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

ख. जहां भी योग्य हो, विकासशील कार्य की लागत को उनके पूरा होने पर अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग. जहां भी योग्य हो, प्रगति के तहत विकास कार्यों की लागत को विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

घ. ले जाने वाली राशि में विकास परियोजना (ओं) की ओर बाहरी एजेंसियों को कंपनी द्वारा वित्त पोषित राशि और कंपनी द्वारा भौतिक लागत, कर्मचारी लागत और अन्य प्रत्यक्ष व्यय की ओर किए गए व्यय शामिल है।

7) अनुसंधान और विकास व्यय:

अनुसंधान व्यय लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। उत्पादों की विकास लागत को लाभ और हानि विवरण पर भी दर्शाया जाता है जब तक कि उत्पाद की तकनीकी व्यवहार्यता स्थापित नहीं की जाती है, इस मामले में इस तरह के व्यय को पूंजीकृत किया जाता है। अनुसंधान और विकास में उपयोग की जाने वाली मूर्त संपत्तियां पूंजीकृत हैं।

अन्य विकास गतिविधि की ओर किए गए व्यय, जहां नए या बेहतर उत्पादों या प्रक्रियाओं के विकास के लिए शोध परिणाम या अन्य ज्ञान लागू किया गया है, और यदि भारतीय लेखा मानक 38 में निर्दिष्ट मान्यता मानदंडों को पूरा किया जाता है, को अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है और जब विकसित उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रयोग करने योग्य है, कंपनी के पास विकास को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं और बाद में अमूर्त संपत्ति का उपयोग या बिक्री की जाती है, और उत्पाद या प्रक्रिया भविष्य के आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की संभावना है।

8) गैर-वित्तीय संपत्तियों का नुक़सान

प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि के अंत में, अगर आंतरिक/बाहरी कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत होने हेतु संपत्तियों की ले जानेवाली राशि की समीक्षा की जाती है। यदि अनुमानित वसूली योग्य राशि ले जाने वाली राशि से कम पाई जाती है, तो क्षति नुकसान की मान्यता दी जाती है और संपत्तियां वसूली योग्य राशि पर लिखी जाती हैं।

9) मूल्यह्रास/परिशोधन

संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा के आधार पर की जाती है।

वर्ष के दौरान निश्चित परिसंपत्तियों को जोड़ और हटाने पर मूल्यह्रास को यथानुपात आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

क. महीने के 15वें दिन या उससे पहले की गई संपत्तियों के अतिरिक्त महीने के लिए मूल्यह्रास पूरी तरह से माना जाता है जबकि महीने के 15वें दिन के बाद कमीशन की गई परिसंपत्तियों के अतिरिक्त महीने के लिए कोई मूल्यह्रास माना नहीं जाता है।

ख. महीने के 15वें दिन या उससे पहले बेचे गए, अयोग्य, क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्तियों के संबंध में, हटाने के महीने के लिए कोई मूल्यह्रास माना नहीं जाता है, जबकि महीने के 15वें दिन के बाद बेचे गए, अयोग्य, क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्तियों के लिए हटाने के महीने के लिए पूर्ण रूप में तरह से माना जाता है।

ग. परिसंपत्ति के एक हिस्से की लागत संपत्ति की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण है और उस हिस्से का उपयोगी जीवन शेष संपत्ति के उपयोगी जीवन से अलग है, तो उस महत्वपूर्ण भाग के उपयोगी जीवन को अलग-अलग निर्धारित किया जाता है और इसके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा विधि पर ह्रास की जाती है।

घ. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो, तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

परिशोधन

अमूर्त संपत्तियों को उनके संबंधित व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर, उस तारीख, जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, से अलग किए जाते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन विधियों और उपयोगी जीवन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

अवमूल्यन संपत्तियों के मामले में जो संशोधित किए गए हैं, पुनर्मूल्यांकित राशि पर सीधी रेखा विधि पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन के कारण बढ़ती अवमूल्यन सामान्य रिजर्व को क्रेडिट के रूप में कम किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का निपटान

शुरुआत में मान्यता दी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु और किसी भी महत्वपूर्ण भाग को उनके निपटान पर या इसके उपयोग या निपटान से भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तो उनके निपटान पर विमान्यता की जाती है। परिसंपत्ति की विमान्यता पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की ले जाने वाली राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) को परिसंपत्ति को विमान्यता किए जाने पर लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

	विवरण	(वर्ष)
क.	(क) भवन (कारखाने की इमारतों के अलावा)	60
	(ख) कारखाने की इमारत	30
	(ग) पूरी तरह से अस्थायी निर्माण	3
	(घ) प्लिंथ क्षेत्र में प्रत्येक इकाई के लिए आवास निर्माण 80 वर्गमीटर से अधिक नहीं है।	30
ख.	फर्नीचर और फिटिंग	10
ग.	संयंत्र और मशीनरी	
	(क) सामान्य दर (डबल शिफ्ट आधार पर)	15
	(ख) विशिष्ट दर : - सर्वर और नेटवर्क	6
	(ग) कंप्यूटर सहित डेटा प्रोसेसिंग मशीन	3
घ.	सड़क और कांपैंड वाल	10
ड	कार्यालय मशीनरी और उपकरण	5
च.	वाहन	8
छ.	5,000/- रुपये से कम की लागत वाली परिसंपत्तियाँ 100 प्रतिशत की कमी	
	हालांकि, 50,000/- रुपये और उससे अधिक की मूल लागत वाले परिसंपत्तियों के संबंध में, पुस्तकों में 5/- रुपये की अवशिष्ट शेष राशि बरकरार रखी गई है।	

10) पट्टे

प्रारम्भिक तिथि पर ही किसी पट्टे को वित्तीय या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

वित्तीय पट्टे को उचित मूल्य के नीचे पूंजीकृत किया जाता है और पट्टे के शुरू होने पर न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य होता है। वित्त प्रभार को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है। एक पट्टे वाली संपत्ति को संपत्ति या लीज अवधि के उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, पर मूल्यह्रास किया जाता है।

सिवाय जब पट्टा भुगतान सामान्य मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ता है या अन्यथा उचित है, पट्टे की अवधि के दौरान ऑपरेटिंग लीज भुगतान को लाभ और हानि विवरण में सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

ऑपरेटिंग लीज आय को सीधी रेखा के आधार पर लीज अवधि पर मान्यता प्राप्त होती है, सिवाय इसके कि जब वृद्धि सामान्य मुद्रास्फीति या अन्यथा उचित हो। आकस्मिक किराए, अगर कोई है, तो उसे अर्जित अवधि में राजस्व के रूप में पहचाने जाते हैं।

वित्त पट्टे के मामले में, पट्टे में कंपनी के निवल निवेश के रूप में प्राप्तकर्ताओं के रूप में कमियों के कारण रकम दर्ज की जाती है। वित्त पट्टे की आय लाभ और हानि के वक्तव्य में मान्यता प्राप्त है।

11) उधार लागत

उधार लागत सीधे उस संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है जो आवश्यक उद्देश्य या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है, संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत होती है।

सामान्य उधार लागत को पूंजीकरण दर लागू करके परिसंपत्तियों को अर्हता प्राप्त करने के लिए पूंजीकृत किया जाता है, जो उस उधार के लिए विशिष्ट उधार के अलावा बकाया सामान्य उधार के लिए उधार लेने वाली लागतों का भारित औसत होता है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में व्यय होती है जिसमें वे संभावित हैं। उधार लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो एक इकाई निधि के उधार के संबंध में होती है, साथ ही साथ उधार लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

12) सरकारी अनुदान

सरकार से प्राप्त अनुदान को उचित मूल्य पर मापा जाता है और शुरुआत में आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है।

स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण आस्थगित आय के तहत पड़ी राशि को संबंधित परिसंपत्तियों पर लगाए गए मूल्यह्रास के अनुपात में अधिग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी अनुदान के लिए जिम्मेदार सीमा तक लाभ और हानि विवरण के क्रेडिट में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

राजस्व व्यय के कारण आस्थगित आय के तहत निलंबित राशि को वित्त पोषण के अनुपात में किए गए व्यय की सीमा तक लाभ और हानि विवरण में हस्तांतरित किया जाता है, जो स्वीकृत अनुदान तक ही सीमित स्वीकृत लागत तक सीमित होता है।

13) संयुक्त उद्यम और एसोशिएट में निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम और एसोशिएट में कंपनी की भागीदारी को लागत पर दर्शाया गया है, बल्कि समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी विधि के तहत दर्शाया गया है।

14) मालसूचियाँ

विनिर्माण/उत्पादन गतिविधियों के लिए अप्रचलन के बाद, यदि कोई हो, खरीदी गई कच्ची सामग्रियों, घटकों और भंडार को कम लागत और निवल प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। वर्ष के अंत में भारित औसत दर पर लागत की गणना की जाती है। जहां भी वही सामान खरीदे जाते हैं, विनिर्माण लागत आमतौर पर अपनाई जाती है।

उप साधन और फैब्रिकेटर के साथ कच्चे माल और उत्पादन भंडार को उनके जारी किए जाने पर कम कीमत पर मूल्यांकित किए जाते हैं और अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, निवल निष्पाद्य मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

स्टॉक और स्टॉक-इन-ट्रेड में निर्मित मदों को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, ब्याज शुल्क, प्रशासन ओवरहेड्स और बिक्री ओवरहेड्स और निवल प्राप्य मूल्य पर छोड़कर कम लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

मूल्यवान धातु स्क्रैप को वर्ष के अंत में शुद्ध वास्तविक मूल्य पर बही खाते में लाया जाता है।

15) **चालू कार्य**

क. प्रक्रियाशील कार्य (उत्पादन) के मूल्य को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, ब्याज शुल्क, प्रशासन और बिक्री ओवरहेड्स को छोड़कर और निवल अचल मूल्य पर भौतिक रूप से सत्यापित मात्रा के आधार पर मूल्यांकित है ।

ख. प्रक्रियाशील कार्य (संस्थापन) के मूल्य को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, कार्य आदेशों और निवल प्राप्य मूल्य में दर्ज की गई लागत के कम मूल्य पर मूल्यांकित है।

16) **औज़ार और गेज**

विशेष उद्देश्य के औजारों और जुडनारों पर व्यय शुरू में लागत पर पूंजीकृत है और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, व्यवस्थित आधार पर उत्पादन पर परिशोधित हैं।

फुटकर औजारों को जारी करते समय राजस्व पर प्रभारित किए जाते हैं।

17) **वित्तीय संपत्तियां (प्राप्य व्यापार और अन्य प्राप्य)**

प्राप्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर पहचानी जाती हैं, जो ज्यादातर मामलों में मामूली मूल्य का अनुमान लगाती है। यदि संपत्ति को बाद में क्षति पहुँचने की कोई संकेत है, तो क्षति के लिए भी समीक्षा की जाती है।

18) **त्रुटिय और अनुमान**

यदि भारतीय लेखा मानकों में बदलाव के कारण परिवर्तन की आवश्यकता है या यदि परिवर्तन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है, तो कंपनी अपनी लेखांकन नीतियों को संशोधित करती है।

लेखांकन अनुमान में बदलाव के परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों या लाभ या हानि विवरण के लिए परिवर्तन की अवधि में परिवर्तनों की संभावना है।

त्रुटियों की खोज और परिणामों की तुलनात्मक रूप से पुनरीक्षण में परिणामों को पुन: निरीक्षण में परिणाम, देनदारियों और इक्विटी की पहली पूर्व अवधि की इक्विटी की तुलना में त्रुटि की खोज की जाती है। प्रस्तुत की गई पूर्व अवधि के प्रारम्भिक शेष भी पुनः घोषित किए जाते हैं।

19) **आय कर**

आयकर में वर्तमान और आस्थगित आयकर शामिल हैं।

वर्तमान आयकर

कराधान प्राधिकारियों को देय या से वसूल योग्य राशि को भुगतान की जाने वाली राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर की दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित होते हैं। इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान कर इक्विटी में मान्यता प्राप्त है और लाभ और हानि के विवरण में नहीं।

आस्थगित कर

संपत्ति और देनदारियों के कर आधार और रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उनकी ले जाने वाली रकम के बीच अस्थायी अंतर पर तुलनपत्र विधि का उपयोग करके आस्थगित कर प्रावधान किया जाता है।

आस्थगित कर संपत्ति सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर के लिए पहचानी जाती है, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और किसी भी अप्रयुक्त कर घाटे को आगे बढ़ाते हैं, इस हद तक कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम हो जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या हिस्से को उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

20) **वारंटी दायित्व**

ग्राहकों को बेचे गए उपकरणों के संबंध में संविदात्मक दायित्व के लिए वारंटी दायित्व वार्षिक तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

21) **विदेशी मुद्राएं**

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन को प्रारम्भ में कंपनी द्वारा अपनी संबंधित मुद्रा विनिमय दर पर लेनदेन की तारीख को पहली बार मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त होने पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्तियों और देनदारियों का अनुवाद रिपोर्टिंग तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर पर किया जाता है।

निपटारे या मौद्रिक वस्तुओं के अंतरण पर उत्पन्न अंतर लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

गैर-मौद्रिक वस्तुओं को विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, प्रारंभिक लेनदेन की तारीखों पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर का उपयोग करके अंतरित किया जाता है।

22) **कर्मचारी हितलाभ**

क. अल्पावधि कर्मचारी लाभ को वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में गैर-छूट प्राप्त राशि पर एक व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

ख. रोज़गार के उपरांत के लाभ जैसे उपदान और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे विशेषाधिकार छुट्टी, बीमार छुट्टी और एलएलटीसी को वर्ष के लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं। व्यय आकलन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित देय राशि के वर्तमान मूल्य पर मान्यता प्राप्त है।

ग. बीमांकिक लाभ और हानि तथा योजना संपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) का विवरण और परिसंपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) को अन्य व्यापक आय (ओआईसी) में तुरंत मान्यता दी जाती है। निवल परिभाषित देयता (परिसंपत्तियों) पर निवल ब्याज व्यय (आय) की गणना निवल दर देकर (परिसंपत्ति) को वर्ष के दौरान योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए निवल परिभाषित देयता (परिसंपत्ति) को मापने के बाद वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, गणना दर लागू करने के द्वारा की जाती है। निवल ब्याज व्यय और परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्च लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

घ. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) से संबंधित व्यय को घटनाओं के संबंधित वर्ष में लिखा गया है।

23) **प्रावधान और आकस्मिक देयताएं**

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब पिछले कार्यक्रम के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभव है कि आर्थिक लाभों को जोड़नेवाले संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को सुलझाने के लिए आवश्यक होगा और एक विश्वसनीय अनुमान दायित्व की राशि से किया जा सकता है। जब कंपनी को कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की उम्मीद है, उदाहरणार्थ, एक बीमा अनुबंध के तहत, प्रतिपूर्ति एक अलग संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन केवल प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी निवल प्रतिपूर्ति के लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव महत्त्वपूर्ण है, प्रावधानों को वर्तमान पूर्व कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो दर्शाती है, जब उचित हो, देयता के लिए विशिष्ट जोखिम होता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में पहचाना जाता है।

आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन टिप्पणियों में इसका प्रकटीकरण किया जाता है।

भारयुक्त अनुबंध

जब संविदा से कंपनी द्वारा प्राप्त होनेवाले अपेक्षित लाभ संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं तब निर्माण अनुबंधों के अलावा अन्य कई अनुबंधों के लिए प्रावधान किया जाता है।

प्रावधान को अनुबंध समाप्त होने की उम्मीद की निवल लागत के नीचे के वर्तमान मूल्य और अनुबंध के साथ जारी रखने की उम्मीद की निवल लागत से मापा जाता है।

प्रावधान स्थापित होने से पहले, कंपनी उस अनुबंध से जुड़ी संपत्तियों पर किसी भी क्षति नुकसान को पहचानती है।

24) **उचित मूल्य मापन**

कंपनी प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर उचित मूल्य पर अपने वित्तीय विवरणों में डेरिवेटिव्स और अन्य वस्तुओं जैसे कुछ वित्तीय उपकरणों को मापती है।

सभी संपत्तियों और देनदारियों के लिए जो उचित मूल्यों को वित्तीय विवरणों में मापा या खुलासा किया गया है, वे उचित मूल्य माप के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम के अधीन वर्गीकृत होते हैं जो कि उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है :

स्तर 1 – समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)

स्तर 2 – उद्धृत कीमतों के अलावा इनपुट्स जिसे स्तर 1 के अधीन शामिल किया गया है, जो संपत्ति या देयता के लिए, या तो सीधे (यानी कीमतों के रूप में) या परोक्ष रूप से (यानी कीमतों से व्युत्पन्न) विचारणीय हैं।

स्तर 3 – संपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अप्रचलित इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजनों के लिए, कंपनी ने संपत्ति या देयता के प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्ग निर्धारित किए हैं।

25) निवेश सम्पत्ति

निवेश संपत्तियों को शुरुआत में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत भी शामिल है। प्रारंभिक मान्यता के अनुक्रम में, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति नुकसान, यदि कोई हो, पर उल्लेख किया जाता है।

26) वित्तीय साधन

क. प्रारंभिक मान्यता और मापन

सभी वित्तीय संपत्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया गया है, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार लेनदेन लागत संपत्ति की लागत में शामिल है।

ख. अनुवर्ती मापन

अनुवर्ती मापन के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय संपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :

i. अमूर्त लागत पर ऋण साधन,

ii. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (FVTOCI),

iii. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन, डेरिवेटिव और इक्विटी साधन (FVTPL),

iv. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा इक्विटी साधन (FVTOCI)।

विमान्यता

वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति के हिस्से को तब मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

एम्बेडेड डेरिवेटिव

एम्बेडेड डेरिवेटिव, यदि आवश्यक हो, होस्ट अनुबंध से अलग किया गया है और उचित मूल्य पर मापा जाता है।

27) आगे अनुबंध

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों को संभालने के लिए आगे मुद्रा अनुबंध जैसे डेरिवेटिव वित्तीय उपकरणों का उपयोग करती है। इस तरह के डेरिवेटिव वित्तीय साधनों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है जिस पर एक डेरिवेटिव अनुबंध दर्ज किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है तब डेरिवेटिव वित्तीय संपत्ति के रूप में ले जाते हैं और उचित देनदार होने पर वित्तीय देनदारियों के रूप में ले जाते हैं।

28) नकद और नकद समतुल्य

नकद में मौजूदा नकद और मांग जमा शामिल है। नकद समतुल्य तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक अत्यावधिक तरल निवेश है, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय है एवं मूल्य में परिवर्तन के तुच्छ जोखिम के अधीन है।

तुलनपत्र पर मौजूदा देनदारियों में उधार के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, को दिखाया गया है।

29) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी माप के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है और क्रेडिट जोखिम के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि की पहचान करती है।

क. सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कंपनियों से कालवर्जित देय को आम तौर पर ऐसी वित्तीय संपत्ति के क्रेडिट जोखिम में वृद्धि के रूप में नहीं माना जाता है।

ख. जहां कानूनी कार्यवाही में बकाया राशि विवादित होती है, अगर कंपनी के विरुद्ध कोई निर्णय दिया जाता है तो भी प्रावधान किया जाता है, भले ही इसे उच्च प्राधिकारियों/अदालतों को अपील पर लिया जाता है।

ग. मामला–दर–मामले के आधार पर विशिष्ट समयावधि के लिए बकाया देय के मामले में।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल क्षति नुकसान भत्ता (या उलटा) को लाभ और हानि विवरण में व्यय/(आय) के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह राशि लाभ और हानि विवरण में क्षति लाभ में या हानि के रूप में प्रतिबिंबित करती है।

30) वित्तीय देयताएँ

क. प्रारम्भिक मान्यता और मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक रूप से उपयुक्त, ऋण, उधार, देनदार या डेरिवेटिव के रूप में लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है।

ऋण, उधार और देय, लेनदेन लागत का निवल कहा जाता है जो सीधे जिम्मेदार होते हैं।

ख. बाद के मापन

वित्तीय देनदारियों का मापन उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

i. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां।

ii. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। इस संवर्ग में कंपनी द्वारा प्रवेश किए गए डेरिवेटिव वित्तीय साधन भी शामिल हैं, जो भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज रिश्तों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं हैं। पृथक एम्बेडेड डेरिवेटिव को व्यापार के लिए भी वर्गीकृत किया जाता है जब तक उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए धारित देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।

ग. ऋण और उधार

प्रारंभिक मान्यता के बाद, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके ब्याज–रहित ऋण और उधार को बाद में लागत में मापा जाता है। जब देनदारियों को ईआईआर अमूर्तकरण प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता प्राप्त होती है लाभ और हानि को लाभ या हानि के रूप में पहचानी जाती है।

वित्तीय देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता की विमान्यता की जाती है।

घ. व्यापार और अन्य देनदारियाँ

चाहे आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल किया गया हो या नहीं, देयताओं को भविष्य में प्राप्त की जानेवाली माल और सेवाओं के लिए भुगतान की जानेवाली राशि के रूप में मान्यता दी जाती है।

31) वित्तीय उपकरण का पुन:वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के वर्गीकरण को निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों, जो इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां हैं, के लिए कोई पुन:वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, पुन:वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यावसायिक मॉडल में कोई बदलाव हो। अगर कंपनी वित्तीय संपत्तियों को पुन: वर्गीकृत करती है, तो यह भावी रूप से पुन: वर्गीकरण लागू करती है।

32) **वित्तीय उपकरणों की ऑफसेटिंग**

यदि मान्यता प्राप्त राशि को ऑफ सेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकारी है और निवल आधार निपटाने का इरादा है, तो वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफ सेट किया जाता है और परिसंपत्तियों का एहसास करने तथा देनदारियों को एक साथ व्यवस्थित करने के लिए निवल का तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

33) **इक्विटी शेयरधारकों को नकद लाभांश और गैर–नकद वितरण**

कंपनी इक्विटी धारकों को नकद या गैर–नकदी वितरण करने की देयता को मान्यता देती है, जब वितरण अधिकृत होता है और वितरण अब कंपनी के विवेकानुसार नहीं होता है।

34) **प्रति शेयर अर्जन**

प्रति शेयर की मूल अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के आधार पर इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर कम किया हुआ अर्जन की गणना के उद्देश्य के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए निवल लाभ या हानि और उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी कम किए गए संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

35) **रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ**

समायोजित घटनाएँ ऐसी हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद स्थितियों के आगे प्रमाण करती हैं। इस मुद्दे के लिए प्राधिकरण से पहले वित्तीय विवरणों को इस तरह की घटनाओं के लिए समायोजित किया जाता है।

गैर–समायोजन घटनाएँ ऐसी हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक उठनेवाली स्थिति के संकेतक हैं। रिपोर्टिंग की तारीख के बाद गैर–समायोजन घटनाओं का हिसाब नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें प्रकट किया गया है।

36) **नए मानक और व्याख्याएं जो अभी तक प्रभावी नहीं हैं:**

कई नए मानकों, मानकों के संशोधन और व्याख्याओं, जो 31 मार्च 2020 के लिए अभी तक प्रभावी नहीं हैं, को इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू नहीं किया गया है। इसका प्रभाव कंपनी द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते शंकरन एवं कृष्णन

सनदी लेखाकार

फ़र्म पंजीकरण नं. 03582एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

वी.वी. कृष्णमूर्ति	**एस. शनमुगा प्रिया**	**राजीव श्रीवास्तव**	**आर एम अग्रवाल**
साझेदार एम.सं. 027044	कंपनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु

तारीख : 26.06.2020

31.03.2020 के अनुसार एकल तुलन पत्र

लाख रुपए में

विवरण	नोट सं.	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
I. परिसंपत्तियाँ					
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियाँ					
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	1	**262529.22**		262695.98	
(ख) प्रगतिशील पूंजी कार्य	2	**18863.34**		16484.62	
(ग) निवेश संपत्ति	3	**6747.60**		6756.36	
(घ) साख		**0.00**		0.00	
(ङ) अमूर्त परिसंत्तियाँ		**0.00**		0.00	
(च) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		**0.00**		0.00	
(छ) बैरा संयंत्रों को छोड़कर जैविक परिसंपत्तियाँ		**0.00**		0.00	
(ज) वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
(i) निवेश	4	**40.55**		40.55	
(ii) प्राप्य व्यापार	4(र)	**35935.90**		120.55	
(iii) ऋण	5	**17.02**		16.60	
(iv) अन्य		**0.00**		0.00	
(झ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		**0.00**		0.00	
(ञ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ		**0.00**	**324133.63**	0.00	286114.66
(2) चालू परिसंपत्तियाँ					
(क) माल सूचियाँ	6	**17333.53**		14875.62	
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
(i) निवेश		**0.00**		0.00	
(ii) प्राप्य व्यापार	7	**276113.88**		265740.05	
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	8	**3977.98**		2670.13	
(iv) ऊपर (i) के इतर बैंक शेष	8(र)	**20528.77**		17682.76	
(v) ऋण	9	**57288.16**		47051.33	
(vi) बिल न किया हुआ राजस्व	9(र)	**62329.29**		55024.88	
(vii) अन्य		**0.00**		0.00	
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		**0.00**		0.00	
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	10	**6808.26**	**444379.87**	6738.02	409782.79
कुल			**768513.50**		695897.45
II. इक्विटी और देयताएँ					
इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूँजी	11	**92511.95**		89700.00	
(ख) अन्य इक्विटी	12	**140657.41**	**233169.36**	89669.56	179369.56
देयताएँ					
(1) गैर–चालू देयताएँ					
(क) अप्रयुक्त सरकारी अनुदान	13	**11407.13**		11846.46	
(ख) वित्तीय देयताएँ					
(i) उधार	14	**18000.00**		30000.00	
(ii) व्यापार देनदारियाँ		**0.00**		0.00	
(iii) अन्य	15	**13392.97**		7033.41	
(ग) प्रावधान	16	**7433.80**		8112.85	
(घ) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)		**0.00**		0.00	
(ङ) अन्य गैर–चालू देयताएँ		**0.00**		0.00	
			50233.90		56992.72
(2) चालू देयताएँ					
(क) वित्तीय देयताएँ					
(i) उधार	17	**103558.39**		95870.68	
(ii) व्यापार देनदारियाँ	18	**218305.26**		180486.32	
(iii) अन्य	19	**90232.05**		113107.38	
(ख) प्रावधान	20	**12703.60**		10608.66	
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)		**0.00**		0.00	
(घ) अन्य गैर–चालू देयताएँ	21	**60310.94**	**485110.24**	59462.13	459535.17
कुल			**768513.50**		695897.45

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का अंश है।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स शंकरन एवं कृष्णन
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण नं. 003582एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

वी.वी.कृष्णमूर्ति	**एस. शनमुगा प्रिया**	**राजीव श्रीवास्तव**	**आर एम अग्रवाल**
साझेदार, एम.सं. 027044	कंपनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 26.06.2020

इक्विटी में एकल परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी लाख रुपए में

विवरण	राशि
01.04.2019 के अनुसार शेष	89700
वर्ष के दौरान परिवर्तन	2812
31.03.2020 के अनुसार शेष	92512

ख. अन्य इक्विटी

लाख रुपए में

विवरण	शेयर आवेदन राशि निलंबित आबंटन	आरक्षित और अधिशेष			पुनर्मूल्यांकन अधिशेष	अन्य व्यापक आय के इतर अन्य मद	पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के साथ कुल अन्य इक्विटी
		पूंजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	बनाए रखा अर्जन			
01.04.2018 के अनुसार शेष	**13,700.00**	**274,897.30**	**29.61**	**–441,813.21**	**233,907.98**	**6,062.43**	**86,784.10**
वर्ष के लिए लाभ या हानि	–	–	–	9,253.77	–	–	9,253.77
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	–	–	–	–	–	1,831.69	1,831.69
लाभांश	–	–	–	–	–	–	–
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	–	–	–	–	–	–	–
बनाए रखे अर्जन के लिए अंतरण	–	–	–	–	–450.54	–	–450.54
शेयर आवेदन राशि भारत सरकार	5,500.00	–	–	–	–	–	5,500.00
कोई अन्य परिवर्तन	–	–	–	450.54	–	–	450.54
इक्विटी शेयर पूंजी में अंतरण	–13,700.00	–	–	–	–	–	–13,700.00
01.04.2019 के अनुसार शेष	**5,500.00**	**274,897.30**	**29.61**	**–432,108.90**	**233,457.43**	**7,894.12**	**89,669.56**
वर्ष के लिए लाभ या हानि	–	–	–	15,085.83	–	–	15,085.83
पूर्व अवधि के मदों/समायोजन*				–1,744.41			–1,744.41
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	–	–	–	–	–	391.77	391.77
लाभांश	–	–	–	–	–	–	–
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	10,500.00	–	–	–	–	–	10,500.00
बनाए रखे अर्जन के लिए अंतरण	–	–	–	–	–409.16	–	–409.16
शेयर आवेदन राशि भारत सरकार	–	–	–	–	–	–	–
कोई अन्य परिवर्तन	–13,188.05	30,930.00	11,824.66	409.16	–	–	29,975.77
इक्विटी शेयर पूंजी में अंतरण	–2,811.95	–	–	–	–	–	–2,811.95
31.03.2020 के अनुसार शेष	**0.00**	**305,827.30**	**11,854.27**	**–418,358.32**	**233,048.28**	**8,285.89**	**140,657.41**

टिप्पणी :

*कंपनी ने पूर्व वर्षों से संबंधित वेतन अवकाश नकदीकरण देनदारियों की ओर 1744.41 लाख रुपये का भुगतान किया है। इंड एएस 8 के अनुसार राशि पर विचार किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का अंश बनता है।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स शंकरन एवं कृष्णन
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण नं. 003582एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

वी.वी.कृष्ण मूर्ति
साझेदार, एम.सं. 027044

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
मुख्य वित्त अधिकारी

आर एम अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 26.06.2020

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का एकल विवरण

लाख रुपए में

विवरण	नोट सं.	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
I. संचालन से राजस्व	22	**205886.86**		166836.84	
II. अन्य आय	23	**18389.34**		33647.30	
III. कुल राजस्व (I+II)			**224276.20**		200484.14
IV. **व्यय :**					
खपत सामग्री की लागत	24	**8903.67**		28371.40	
व्यापार में स्टॉक की खरीद	25	**41867.91**		32164.00	
निर्मित माल, प्रगतिशील कार्य और व्यापार में स्टॉक की मालसूचियों में परिवर्तन	26	**(4029.07)**		(1128.78)	
संस्थापन एवं अनुरक्षण प्रभार		**111351.20**		78393.31	
कर्मचारी हितलाभ व्यय	27	**23100.74**		20422.25	
वित्तीय लागत	28	**14065.90**		10647.11	
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	29	**4189.20**		3709.16	
अन्य व्यय	30	**9740.82**		18651.92	
कुल व्यय			**209190.37**		191230.37
V. असाधारण मद एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि) (III+IV)			**15085.83**		9253.77
VI. असाधारण मद					
(i) आय			**0.00**		0.00
(ii) व्यय			**0.00**		0.00
VII. कर से पूर्व लाभ/(हानि) (V+VI)			**15085.83**		9253.77
VIII. कर संबंधी खर्च :					
(1) चालू कर			**0.00**		0.00
(2) आस्थगित कर			**0.00**		0.00
IX. वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII+VIII)			**15085.83**		9253.77
X. अन्य व्यापक आय					
क. (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं होंगे परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन					
ख. (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत होंगे			**391.77**		1831.69
XI. वर्ष के लिए कुल व्याापक आय (IX+X) (वर्ष के लिए लाभ/(हानि) और कुल व्यापक आय शामिल है)			**0.00**		0.00
XII. प्रति शेयर इक्विटी अर्जन (सतत संचालन के लिए) :			**15477.60**		11085.46
मूल एवं कम किया हुआ (अंकित मूल्य प्रति रु. 10/–) :			**1.57**		0.74
शेयरों की भारित औसत संख्या			**897616318**		879875000

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का अंश है ।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स शंकरन एवं कृष्णन
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण नं. 003582एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

वी.वी.कृष्णमूर्ति
साझेदार, एम.सं. 027044

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
मुख्य वित्त अधिकारी

आर एम अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 26.06.2020

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकद प्रवाह विवरण

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
क) प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह: कर से पूर्व निवल लाभ/(हानि)				
निम्नलिखित के लिए समायोजन :		15085.83		9253.77
मूल्यह्रास	4189.20		3709.16	
वित्तपोषण व्यय	14065.90		10647.11	
निवेश के विक्रय से लाभ	0.00		0.00	
प्राप्त ब्याज/लाभांश	(1571.14)		(393.67)	
परिसंपत्तियों के विक्रय से हानि	0.00		0.00	
परिसंपत्तियों के विक्रय से लाभ	(179.31)		0.00	
सहायता अनुदान से अंतरण	(8979.33)		(62.47)	
सहायता अनुदान से अंतरण	0.00		0.00	
अन्य व्यापक आय	391.77		1831.69	
गैर नकद व्यय	1148.67	9065.76	11708.09	27439.91
कार्यशील पूँजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन नकद (लाभ)		24151.59		36693.69
निम्नलिखित के लिए समायोजन				
व्यापार और अन्य प्राप्य	(64665.58)		(10628.11)	
मालसूचियाँ	(2804.24)		707.90	
व्यापार देय	23567.90		(24618.97)	
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	62.13	(43839.79)	20.23	(34518.95)
संचालन से उत्पन्न नकद		(19688.20)		2174.73
प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		(19688.20)		2174.73
(ख) निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह :				
स्थाई परिसंपत्तियों सहित क्रय				
पूँजीगत चालू कार्य	(6392.38)		(12781.72)	
स्थाई परिसंपत्तियों का विक्रय	179.31		0.00	
निवेश	0.00		0.00	
प्राप्त ब्याज	1571.14		393.67	
प्राप्त लाभांश	0.00		0.00	
(ग) निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद (ख)		(4641.93)		(12388.05)
वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह:				
अल्पकालिक उधार से प्राप्त आय	(4312.29)		3238.45	
शेयर आवेदन के पैसे	10500.00		5500.00	
अधिशेष के साथ समायोजन	(3107.80)		0.00	
प्राप्त सहायता अनुदान	39470.00		0.00	
वित्तीय व्यय	(14065.90)		(10647.11)	
वित्त पोषण क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद (ग)		28484.01		(1908.66)
नकद और समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)		4153.87		(12121.97)
नगद और नगद समतुल्य की अथशेष		20352.88		32474.85
नगद और नकद समतुल्य की अंतिम शेष		24506.75		20352.88

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और सहटिप्पणी वित्तीय विवरण के मद से ।

हमारे समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स शंकरन एवं कृष्णन
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण नं. 003582एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

वी.वी.कृष्णमूर्ति
साझेदार, एम.सं. 027044

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
मुख्य वित्त अधिकारी

आर एम अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक : 26.06.2020

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी संख्या 1

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

वित्तीय वर्ष 2019–20
लाख रुपए में

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास					31.03.2020 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2019	वृद्धि	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2020	संचित मूल्यह्रास 01.04.2019	वर्ष के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2020	
भूमि											
–पूर्व स्वामित्व*	221,829.19	–	658.67	–	221,170.52	–	–	–	–	–	221,170.52
–पट्टाधृति****	118.46	658.67	–	–	777.13	0.81	0.27	–	–	1.08	776.05
पट्टे पर दी गई परिसंपति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
भूमि विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
भवन**	11,217.80	1,863.57	–	–	13,081.37	2,270.68	862.17	–	–	3,132.85	9,948.52
संयत्र एवं यंत्र***	34,000.33	2,059.56	–	–	36,059.90	4,889.65	2,914.54	–	–	7,804.19	28,255.70
अन्य् उपकरण	3,034.60	49.04	–	–	3,083.64	583.36	326.00	–	–	909.36	2,174.28
कार्यालय मशीन एवं उपस्करर	257.99	23.18	–	–	281.17	135.60	54.34	–	–	189.93	91.23
उपस्कार जुड़नार एवं पुर्जे	52.17	18.32	–	–	70.49	31.23	5.59	–	–	36.83	33.66
वाहन	138.62	–	–	–	138.62	41.85	17.51	–	–	59.37	79.25
विद्युत प्रतिष्ठापन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**270,649.16**	**4,672.34**	**658.67**	**–**	**274,662.83**	**7,953.18**	**4,180.40**	**–**	**–**	**12,133.60**	**262,529.22**

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

वित्तीय वर्ष 2018–19
लाख रुपए में

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास					31.03.2019 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2018	वृद्धि	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2019	संचित मूल्यह्रास 01.04.2018	वर्ष के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2019	
भूमि :											
–पूर्व स्वामित्वन*	224,683.19	–	2,854.00	–	221,829.19	–	–	–	–	–	221,829.19
–पट्टाधृति****	118.46	–	–	–	118.46	0.54	0.27	–	–	0.81	117.65
पट्टे पर दी गई परिसंपति	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
भूमि विकास	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
भवन**	11,294.03	293.99	370.22	–	11,217.80	1,535.53	751.38	16.23	–	2,270.68	8,947.12
संयत्र एवं यंत्र***	23,568.18	10,432.16	–	–	34,000.33	2,268.65	2,621.00	–	–	4,889.65	29,110.68
अन्य् उपकरण	2,624.73	409.88	–	–	3,034.60	342.73	240.63	–	–	583.36	2,451.25
कार्यालय मशीन एवं उपस्करर	209.28	48.70	–	–	257.99	78.59	57.00	–	–	135.60	122.39
उपस्कार जुड़नार एवं पुर्जे	41.67	10.50	–	–	52.17	27.74	3.49	–	–	31.23	20.94
वाहन	145.98	12.56	–	19.92	138.62	23.37	18.48	–	–	41.85	96.76
विद्युत प्रतिष्ठापन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल	**262,685.51**	**11,207.79**	**3,224.22**	**19.92**	**270,649.16**	**4,277.16**	**3,692.25**	**16.23**	**–**	**7,953.18**	**262,695.98**

लाख रुपए में

नोट :

1. कर्नाटक सरकार के पक्ष में 400 डी और 624 ई टाइप क्वार्टरों के लिए इमदादी औद्योगिक आवास योजना की शर्तों के अनुसार प्राप्त सब्सीडी पर 7 लाख रुपये का प्रभार है।
2. फैक्ट्री भवन पट्टा भूमि पर है, जिसकी माप 36 कनाल्स तथा 13 मर्लास है, पट्टा अवधि बढ़ाने का कार्य जम्मू -कश्मीर सरकार के साथ प्रक्रियाधीन है।
3. लेखानीति सं. 6 के संदर्भ में स्थायी परिसंपत्ति पर लागू मूल्य ह्रास प्रभार धारित निम्नलिखित उपयोगी समय के अनुसार है।

स्थायी परिसंपत्तियाँ	**(वर्ष)**
क. (क) भवन (फैक्ट्री भवन को छोड़कर)	60
(ख) फैक्ट्री भवन	30
(ग) पूर्ण अस्थायी भवन निर्माण	03
(घ) भवन के साथ प्रत्येक 80 वर्गमीटर से अधिक प्लिंथ की आवासी हो।	30
ख. उपस्कर एवं पूर्जे	10
ग. संयंत्र एवं यंत्रावली	
(क) सामान्य दर (द्विपाली आधार पर)	15
(ख) विशेष दर : - सेवाएं और नेटवर्क	06
(ग) डाटा प्रोसेशिंग मशीन सहित कंप्यूटर	03
घ. सड़के एवं चारदीवारी	10
ड. कार्यालय यंत्रावली एवं उपस्कर	05
च. वाहन	08

छ. 5,000/- रुपये लागत के परिसंपत्ति का ह्रास 100 प्रतिशत की दर से किया गया है।

हालांकि 50,000 रुपये से ऊपर मूल लागत वाले परिसंपत्तियों को 5 रू. अवशिष्ट संतुलन के रूप में पुस्तकों में बनाए रखा गया है।

* i) उत्तर प्रदेश सरकार से भेंट में मिली भूमि का मूल्य 25 लाख रुपए (पुनर्मूल्याकंन के पहले) जो पूंजीगत आरक्षित निधि में जमा है, शामिल है।

ii) 31.03.2006 को पंजीकृत मूल्यांककों ने कंपनी के भूमि का पुनर्मूल्यांकन किया है।

*** i) यूएनआईडीओ (संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन) द्वारा नि:शुल्क दिए गए 85 लाख रुपये के संयंत्र और यंत्रावली शामिल है।

ii) 60 लाख रूपये की संयंत्र एवं यंत्रावली की लागत शामिल है, जिसकी लागत सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वहन की गई है।

iii) सन 2004-2005 में भारत सरकार से प्राप्त सहायता से 5000 लाख रु. के मूल्य की अचल परिसंपत्ति भी शामिल है।

iv) रायबरेली इकाई से मुफ्त में प्राप्त 937 लाख रु. के सयत्र यंत्रावली एवं उपस्कर उपस्कर शामिल है ।

**** जम्मू-कश्मीर सरकार को दिया गया 26.94 लाख रुपये का भुगतान शामिल है, जिसके पट्टा विलेख की कार्यवाही हो रही है।

विवरण	**31.03.2020 को**		**31.03.2019 को**	
टिप्पणी संख्या 2				
पूंजीगत चालू कार्य				
लागत पर पूंजीगत चालू कार्य	**6603.03**		6138.39	
घटाएं: प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**6603.03**		6138.39
ठेकेदारों के पास सामग्री	**28.93**		28.93	
घटाएं : प्रावधान	**28.93**		28.93	
कुल		**0.00**		0.00
लागत पर मशीनरी				
मार्गस्थ	**331.63**		342.65	
स्वीकृति/अधिष्ठापन प्रतीक्षित	**11935.21**		10010.11	
	12266.84		10352.76	
घटाएं : प्रावधान	**6.53**		6.53	
कुल		**12260.31**		10346.23
कुल योग		**18863.34**		16484.62

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी......)

टिप्पणी संख्या 3

वित्तीय वर्ष 2019-20

निवेश सम्पत्ति :

लाख रु. में

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्य ह्रास					31.03.2020 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2019	वृद्धि	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2020	संचित मूल्य ह्रास 01.04.2019	वर्ष के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2020	
भूमि	6,395.87	-	-	-	6,395.87	-	-	-	-	-	6,395.87
भवन	372.86	-	-	-	372.86	12.38	8.76	-	-	21.14	351.73
कुल	**6,768.73**	**-**	**-**	**-**	**6,768.73**	**12.38**	**8.76**	**-**	**-**	**21.14**	**6,747.60**

वित्तीय वर्ष 2018-19

निवेश सम्पत्ति :

लाख रु. में

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्य ह्रास					31.03.2019 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2018	वृद्धि	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2020	संचित मूल्य ह्रास 01.04.2018	वर्ष के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2019	
भूमि	1 3,541.87	2,854.00	-	-	6,395.87	-	-	-	-	-	6,395.87
भवन	18.87	353.99	-	-	372.86	1.54	10.84	-	-	12.38	360.48
कुल	**3,560.74**	**3,207.99**	**-**	**-**	**6,768.73**	**1.54**	**10.84**	**-**	**-**	**12.38**	**6,756.36**

नोट :

i) (क) दूरसंचार विभाग को 03.10.1983 को 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई 4653.75 वर्गमीटर भूमि।

(ख) भूमि के संबंध में (बेंगलूरु और मनकापुर के कुछ भूभागों को छोड़कर) औपचारिक हस्तांतर-पत्र/पट्टा विलेख संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित किया गया है।

(ग) दूरसंचार विभाग को 10.07.1991 से 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई 1256.86 वर्गमीटर भूमि।

(घ) मार्च, 1994 से 3 एकड़ भूमि राज्य सरकार को 99 वर्ष की अवधि के लिए मिनि विधान सौधा के निर्माण के लिए पट्टे पर दिया गया है।

ii) 1.83 एकड़ भूमि, दक्षिणी रेलवे को पट्टे पर दी गई है तथा 0.286 एकड़ भूमि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को पट्टे पर दी गई है।

iii) (क) बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज के पास 0.5733 एकड़ जमीन है।

(ख) एचपीसीएल पेट्रोल बंक, आईटीआई कालोनी के पास 0.2222 एकड़ जमीन है।

(ग) एचपीसीएल पेट्रोल बंक, ओल्ड मद्रास रोड, के.आर.पुरम के पास 0.3025 एकड़ जमीन है।

(घ) ईपीएफओ, एफ-28 भवन, के पास 0.6069 एकड़ जमीन है।

(ङ) थंबी एविएशन (हैलीपैड-ईसी प्लांट) के पास 0.9182 एकड़ जमीन है।

(च) एम्बेसी सर्विसस् प्राईवेट लिमिटेड के पास भूमि और भवन की क्रमश: 0.776 एकड़ और 6300 वर्ग मीटर की जमीन है।

लाख रु. में

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
टिप्पणी सं. 4				
अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति – निवेश				
इक्विटी यंत्रों में निवेश				
लागत पर पूर्ण प्रदत्त (अनुदत्त)	**40.55**		40.55	
12,16,350 बोनस शेयरस (49% सीमा तक निवेश) सहित इंडिया सेटकॉम लिमिटेड (संयुक्त उद्यम मेसर्स क्रिस टेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ) के पूर्ण प्रदत्त 10 रु. प्रति शेयर के 16,21,800 इक्विटी शेयर ।				
वर्ष के दौरान उचित मूल्य में परिवर्तन	**0.00**		0.00	
कुल		**40.55**		40.55

भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार अलग वित्तीय विवरण, संयुक्त उद्यमों में निवेश एकल वित्तीय विवरणों के लागत पर किया जा रहा है ।

टिप्पणी सं. 4(क)
अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति का विवरण – माल प्राप्तियाँ

सुरक्षित				
प्राप्त समझी गई	**0.00**		120.55	
संदिग्ध समझी गई	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		120.55	
	0.00		0.00	
कुल		**0.00**		120.55
असुरक्षित				
प्राप्त समझी गई				
– गुजनेट	**0.00**		0.00	
– गुजनेट के अलावा	**35935.90**		0.00	
संदिग्ध समझी गई	**0.00**		0.00	
घटाएं : प्रावधान	**35935.90**		0.00	
	0.00		0.00	
कुल		**35935.90**		0.00
कुल योग		**35935.90**		120.55

टिप्पणी सं. 5
अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति – ऋण

अप्रतिभूत एवं प्राप्त समझा गया माल :				
अग्रिम पूंजी	**0.00**		0.00	
प्रतिभूति निक्षेप(जमा) / सीमांत राशि	**0.00**		0.00	
ऋण एवं अग्रिम	**0.00**		0.00	
संदिग्द्ध समझा गया :				
अग्रिम पूंजी	**1.62**		1.62	
प्रतिभूति जमा	**0.00**		0.00	
ऋण एवं अग्रिम	**0.00**		0.00	
कुल	**1.62**		1.62	
घटाएं : प्रावधान	**1.10**		1.10	
कुल प्रतिभूति ऋण एवं अग्रिम		**0.52**		0.52

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
अप्रतिभूत एवं प्राप्त समझा गया माल :				
अग्रिम पूंजी	0.00		0.00	
प्रतिभूति जमा	0.00		0.00	
ऋण एवं अग्रिम	16.50		16.08	
संदिग्ध समझा गया :				
अग्रिम पूंजी	0.00		0.00	
प्रतिभूति जमा	0.00		0.00	
ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
कुल	16.50		16.08	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल अप्रतिभूत ऋण एवं अग्रिम		16.50		16.08
कुल योग		17.02		16.60

टिप्पणी सं. 6
माल सूचियाँ

क) कच्चा माल और उत्पादन भंडार	8377.69		8800.66	
घटाएं : अप्रचलन के लिए प्रावधान	1755.35		1790.84	
		6622.34		7009.82
ख) फैब्रिकेशन संविदा के प्रति जारी सामग्री	96.91		96.91	
घटाएं : प्रावधान	95.47		95.47	
		1.44		1.44
ग) गैर-उत्पादन भंडार	847.26		850.52	
घटाएं : अप्रचलन के लिए प्रावधान	237.41		237.41	
		609.85		613.11
घ) प्रक्रियाधीन कार्य उत्पादिन	7882.95		4021.81	
घटाएं : प्रावधान	606.76		305.09	
		7276.19		3716.72
ङ) प्रक्रियाधीन कार्य-स्थापना	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
		0.00		0.00
च) विर्निमित घटक	1151.63		984.87	
घटाएं : प्रावधान	40.13		40.13	
		1111.50		944.74
छ) तैयार माल				
भंडार माल	2131.12		2288.89	
उपर्युक्त पर उत्पाद शुल्क	0.44		0.44	
	2131.56		2289.33	
घटाएं : प्रावधान	1019.56		1045.71	
		1112.00		1243.62
ज) स्टॉक समाधान लेखा	10.33		10.33	
घटाएं : प्रावधान	10.33		10.33	
		0.00		0.00
झ) निरीक्षण / स्वीकृति हेतु लंबित माल		0.00		0.00
ञ) मार्गस्थ सामग्री अग्रिम				
प्राप समझी गई	600.22		1346.17	
संदिग्ध समझी गई	238.76		82.23	

लाख रु. में

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
	838.98		1428.40	
घटाएं : प्रावधान	238.76		82.23	
		600.22		1346.17
ट) प्राप्त सामग्री और देय मार्गस्थ अग्रिम		0.00		0.00
ठ) औजार और गेज		0.00		0.00
कुल योग		17333.53		14875.62

टिप्पणी सं. 7

चालू वित्तीय परिसंपत्ती–माल प्राप्तियाँ

सुरक्षित				
6 महीने से ज्यादा समय तक न चुकाया गया और उस तिथि से जब वह भुगतान करने के लिए बकाया हो गया हो ।				
प्राप्त समझी गई	0.00		0.00	
संदिग्ध समझी गई	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
अन्य 6 महीने से अधिक अवधि के लिए नहीं ; प्राप्त समझी गई	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
असुरक्षित				
6 महीने से ज्यादा समय तक न चुकाया गया और उस तिथि से जब वह भुगतान करने के लिए बकाया हो गया हो ।				
प्राप्त समझी गई				
– गुजनेट*	54952.45		0.00	
– गुजनेट के अलावा	206878.77		239007.47	
संदिग्ध समझी गई	4651.61		4651.61	
	266482.83		243659.07	
अन्य 6 महीने से अधिक अवधि के लिए नहीं ; प्राप्त समझी गई				
– गुजनेट*	0.00		0.00	
– गुजनेट के अलावा	14282.66		26732.58	
	280765.48		270391.65	
घटाएं : प्रावधान	4651.61		4651.61	
कुल		276113.88		265740.05
कुल योग		276113.88		265740.05

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी में प्राप्य मूल्यों को अपेक्षित साख हानि मॉडल का इस्तेमाल करके हानि परीक्षण में दिया जाना चाहिए। भारतीय लेखा मानक 109 व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित साख हानि को मापने के दौरान वास्तविक समयोचित के उपयोग की अनुमति देता है, और कहा जाता है कि प्रावधान मैट्रिक्स समयोचित के लिए उदाहरण है। अधिकांश व्यापार प्राप्तियां सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं से उत्पन्न होती हैं, जो उच्च जोखिम के संपर्क में नहीं हैं, कंपनी मामले की समीक्षा और बोर्ड द्वारा अनुमोदित मामले के आधार पर विशिष्ट प्रावधान कर रही है। जबकि, अन्य ग्राहकों के लिए, प्रावधान मामले के आधार पर अपेक्षित साख हानि मॉडल का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

* एसबीआई आईएफबी ने गुजनेट परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपये की कार्यशील पूँजी सुविधा मंजूर की है और जिसका गुजनेट परियोजना से संबंधित चालू परिसंपत्तियों पर अनन्य पहला अधिकार है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
टिप्पणी सं. 8				
चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ – रोकड़ और रोकड़ समकक्ष				
क) मार्गस्थ रोकड़	**618.00**		0.00	
ख) उपलब्ध रोकड़	**59.29**		27.43	
ग) चेक और उपलब्ध स्टैंप	**0.00**		0.13	
घ) बैंकों के पास शेष राशि :				
– चालू खाते में	**3300.69**		2642.56	
कुल		**3977.98**		2670.13
टिप्पणी सं. 8(क)				
चालू वित्तीयाँ परिसंपत्तियाँ – उपयुक्त को छोड़कर बैंक में शेष राशि				
बैंकों के पास शेष राशि :				
– एस्क्रो खाते पर	**1690.53**		3066.90	
– चालू खाते में (प्रशिक्षुओं)	**138.71**		0.00	
लाभांश बकाया	**0.00**		0.00	
सुरक्षा जमा / अन्य–	**0.28**		0.51	
एलसी मार्जिन धन	**0.00**		0.00	
बचत खाते में (प्रशिक्षुओं की प्रतिभूतिजमा)	**0.00**		0.00	
अंशकालिक जमा (मार्जिन धन)	**157.82**		61.07	
चालू खाते में (मार्जिन धन)	**0.00**		0.00	
मियादी जमा पर – 12 महीने से अधिक परिपक्वता	**18541.43**		14554.29	
मियादी जमा पर – 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम परिपक्वता	**0.00**		0.00	
कुल		**20528.77**		17682.76
टिप्पीणी सं. 9				
चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ – ऋण				
वसूली योग्य नकद या वस्तु के रूप में या करने के लिए प्राप्त ना किए जाने वाले मूल्यों के लिए सुरक्षित अग्रिम				
वाहन	**0.00**		0.00	
गृह भवन	**0.00**		0.00	
अन्य जमा	**1046.02**		1048.07	
घटाएं : प्रावधान	**0.00**		0.00	
कुल		**1046.02**		1048.07
वसूली योग्य नकद या वस्तु के रूप में या करने के लिए प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए असुरक्षित अग्रिम				
प्राप्त समझी गई	**26774.28**		25708.79	
संदिग्ध समझी गई	**896.61**		896.61	
	27670.89		26605.40	
घटाएं : प्रावधान	**896.61**		896.61	
		26774.28		25708.79
दावों और वसूली व्यय – अंतर्देशीय				
प्राप्त समझी गई	**25681.22**		17435.72	
संदिग्ध समझी गई	**992.29**		696.73	
	26673.51		18132.45	
घटाएं : प्रावधान	**992.29**		696.73	
		25681.22		17435.72

लाख रु. में

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
दावों और वसूली व्यय – विदेश				
प्राप्त समझी गई	**9.60**		9.60	
संदिग्ध समझी गई	**1204.32**		1204.32	
	1213.92		1213.92	
घटाएं : प्रावधान	**1204.32**		1204.32	
		9.60		9.60
वाहन अग्रिम		**0.00**		0.00
अन्य जमा	**4015.30**		3088.20	
घटाएं : प्रावधान	**256.00**		256.00	
		3759.30		2832.20
अल्पावधि जमा पर ब्याज अर्जित नहीं		**17.74**		16.94
कुल		**56242.14**		46003.25
कुल योग		**57288.16**		47051.33

(क) इसमें 1690.2 लाख रुपए जो कि एचसीएल इंफोसिस्टम से आईटीआई, एचसीएल और एल्काटेल के बीच समझौता के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में वसूली करने योग्य है, का समावेश है। क्योंकि यह राशि आईटीआई लिमिटेड, मनकापुर द्वारा अधिक व्यय कर दी गई है।

ख) दावों और खर्चों वसूली– अंतर्देशीय–रूपये 140.27 लाख रुपये एसबीएआर 01.04.2009 से प्रभावी अधिक व्याज की वजह से पंजाब नेशनल बैंक की ओर से देय है और हमारी राय में, वही है।

(ग) दावा वसूली – भूमि में – 1049.41 लाख रुपये मेसर्स हिमाचल फ्यूचूरिस्टिक कम्यूनिकेशन से परिसमापन हर्जाना के अंतर्गत देय है । कंपनी ने कानूनी मामला दायर किया है जो उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष लंबित है ।

(घ) 31.03.2011 अवधि की समाप्त तक पट्टे पर दिए गए परिसर हेतु 5847.9 लाख रुपए किराए पर प्राप्त हुए है और उसी परिसर के लिए 31.03.2011 के बाद की अवधि के लिए कोई किराये की आय प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण संचित आधार पर मान्यता प्राप्त नहीं है ।

टिप्पणी सं. 09(क)

बिना चुकाया गया राजस्व

सरकार				
– गुजनेट*	**12111.71**		1348.89	
– गुजनेट के अलावा	**50217.58**		53675.99	
गैर–सरकार	**0.00**		0.00	
कुल		**62329.29**		55024.88

* एसबीआई आईएफबी ने गुजनेट परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपये की कार्यशील पूँजी सुविधा मंजूर की है और जिसका गुजनेट परियोजना से संबंधित चालू परिसंपत्तियों पर अनन्य पहला अधिकार है।

टिप्पणी सं. 10

अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

कर और शुल्क निवेश	**6114.52**		6149.89	
सीमा शुल्क विभाग के पास जमा	**268.00**		99.74	
अग्रिम कर का भुगतान (धनवापसी का निवल)	**6.44**		68.57	
उत्पाद शुल्क अधिकारी के पास जमा	**419.29**		419.81	
डब्ल्यूसीटी वसूली योग्य	**0.00**		0.00	
कुल		**6808.26**		6738.02

टिप्पणी सं. 11

I. इक्विटी शेयर पूंजी

(क) प्राधिकृत

2,80,00,00, 000 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/– रू. का है	**280000.00**		280000.00
(ख) निर्गमित			
92,51,19,508 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/– रू. का है	**92511.95**		89700.00

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(ग) अभिदत्त एवं पूर्णरूप से अप्रदत्त		
92,51,19,508 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है	**92511.95**	89700.00
(घ) अभिदत्त एवं पूर्णरूप से अप्रदत्त नहीं	**0.00**	0.00
(ड़) सममूल्य प्रति शेयर	**0.00**	0.00
(च) अदत्त माँग	**0.00**	0.00
(छ) जब्त शेयर	**0.00**	0.00

(ज) प्रारंभ में और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन।

विवरण	शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या
शेयरों की संख्या बकाया अथ शेष	**897000000**	760000000
जोडिए : वर्ष के दौरान निर्गम*	**28119508**	137000000
घटाए : वर्ष के दौरान वापसी क्रय नीति/जब्तीं	**0.00**	0.00
शेयरों की बकाया संख्या अंत शेष	**925119508**	897000000

(झ) अधिकारों एवं अधिमानो एवं उपरोक्त वर्ग के शेयर के साथ प्रतिबंध संलग्न

*भारत सरकार से प्राप्त 160 करोड़ रुपये के पूंजी अनुदान के खिलाफ, कंपनी ने 23.03.2020 को भारत के राष्ट्रपति को 56.90 रुपये में 2,81,19,508 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं।

- इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार
- कंपनी के परिनिर्धारण होने की दशा में, अधिमान्य राशि का वितरण होने के बाद, इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्तियों का वितरण उनके द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा ।

(ञ) शेयरधारकों की सूची जिन्होने 5% से ज्यादा शेयर लिया है।

नाम	रखे गए शेयरों की संख्या	रखे गए शेयरों की संख्या
1 भारत के राष्ट्रपति	**832295057**	867887500

(ट) पिछले पाँच वर्षों के दौरान:

(i) नकद प्राप्त किए बिना आबंटित शेयरों की कुल संख्या	**शून्य**	शून्य
(ii) अधिलाभ शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रूप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या	**शून्य**	शून्य
(iii) वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या एवं वर्ग	**शून्य**	शून्य

II. अधिमानी शेयर पूँजी

प्राधिकृत

7,00,00, 000 इक्विटी शेयर जिसमें से प्रत्येक 100/- रू. का है	**70000.00**	70000.00

टिप्पंणी सं. 12

अन्य इक्विटी

1) आरक्षित पूंजी				
i) उपहार स्वरुप दी गई नि:शुल्क भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**25.30**		25.30	
वृद्धि	**0.00**		0.00	
कुल	**25.30**		25.30	
कटौती	**0.00**		0.00	
इति शेष		**25.30**		25.30
ii) सहायता अनुदान पूँजी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**274872.00**		274872.00	
सहायता अनुदान से अंतरण (पूँजी)	**30930.00**		0.00	

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
इति शेष		305802.00		274872.00
कुल आरक्षित पूंजी		305827.30		274897.30
2) प्रतिभूति बीमा–किस्त आरक्षिति				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	29.61		29.61	
वृद्धि	13188.05		0.00	
कुल	13217.66		29.61	
कटौती : एफपीओ मुद्दे व्यय*	1363.39		0.00	
इति शेष		11854.27		29.61

* कंपनी ने सेबी के साथ एफ.पी.ओ. (अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव) दिनांक 17 जनवरी 2020 के लिए कच्ची विवरणिका दाखिल किया है। बहरहाल, कंपनी ने बाज़ार की मौजूदा परिस्थितियों के कारण निर्गम को वापस ले लिया है। एफ. पी.ओ. के लिए किए गए 1363.39 लाख रुपये के निर्गम व्यय को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम खाते में समंजित कर दिया गया।

3) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति				
i) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति –भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	227238.45		227238.45	
घटाएं – भूमि की बिक्री पर उत्क्रमण	0.00		0.00	
इति शेष		227238.45		227238.45
ii) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति –भवन				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	6218.97		6669.52	
घटाएं – सामान्य संशय पर अंतरण	409.16		450.54	
इति शेष		5809.82		6218.97
कुल पुनर्मूल्यां कित आरक्षिति		233048.27		233457.43
4) प्रतिधारित आय				
i) सामान्य आरक्षिति :				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	1859.21		1408.66	
पूर्व अवधि समायोजन	0.00		0.00	
जोड़े : बांड मोचनीय आरक्षिति से अंतरण	409.16		450.54	
घटाएं – लाभ–हानि में अंतरण	0.00		0.00	
घटाएं – अधिशेष के लिए अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		2268.36		1859.21
ii) अचल संपत्ति की बिक्री पर लाभ				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	0.00		0.00	
घटाएं – अधिशेष के लिए अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		0.00		0.00
iii) तकनीकी जानकारी की बिक्री				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3.50		3.50	
घटाएं – लाभ–हानि में अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		3.50		3.50
iv) औद्योगिक आवास सब्सिडी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	6.79		6.79	
घटाएं – लाभ–हानि में अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		6.79		6.79
v) निवेशीय भत्ता आरक्षिति				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	0.00		0.00	
घटाएं – सामान्य आरक्षिति में अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		0.00		0.00

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
vi) अधिशेष				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**(433978.39)**		(443232.16)	
जोड़े: वर्ष के दौरान लाभ/हानि	**15085.83**		9253.77	
जोड़े: सामान्य आरक्षित से अंतरण	**0.00**		0.00	
जोड़े: अचल संपत्तियों की बिक्री के हानि पर लाभ से अंतरण	**0.00**		0.00	
कुल	**(418892.56)**		(433978.39)	
घटाएं : विनियोग	**1744.41**		0.00	
घटाएं-लाभ और हानि खाते से कम अंतरण(वर्ष के लिए हानि)	**0.00**		0.00	
इति शेष		**(420636.97)**		(433978.39)
कुल – प्रतिधारित कमाई		**(418358.32)**		(432108.90)
5) शेयर अनुप्रयोग में लंबित आबंटित धन राशि		**0.00**		5500.00
6) अन्य व्यापक आय				
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (बीमांकिक लाभ)				
अथशेष	**7894.12**		6062.43	
वर्ष के दौरान परिवर्तन	**391.77**		1831.69	
इति शेष		8285.89		7894.12
कुल योग – अन्य इक्विटी		**140657.41**		89669.56

टिप्पणी सं. 13
अप्रचलित देनदारियाँ

सरकारी अनुदान का अनुपयोग :

i) उपहार स्वरुप दी गई नि:शुल्क उपस्कर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	**0.00**		62.47	
घटाएं – लाभ–हानि में अंतरण	**0.00**		62.47	
इति शेष		**0.00**		0.00
ii) सहायता अनुदान (पूंजीगत)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**4.64**		4.64	
जोड़े : इस वर्ष की प्राप्तियाँ	**0.00**		0.00	
कुल	**4.64**		4.64	
घटाएं : सहायता अनुदान राजस्व में अंतरण:पूंजीगत आरक्षिति	**0.00**		0.00	
घटाएं : लाभ हानि लेखा में अंतरण	**0.00**		0.00	
इति शेष		**4.64**		4.64
iii) सहायता अनुदान(राजस्व)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**11841.82**		11841.82	
जोड़े : इस वर्ष की प्राप्तियाँ*	**8540.00**		0.00	
कुल	**20381.82**		11841.82	
घटाएं : लाभ/हानि लेखे में अंतरण	**8979.33**		0.00	
इति शेष		11402.49		11841.82
कुल योग		**11407.13**		11846.46

* दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.), भारत सरकार ने कर्मचारियों को जिन्हें वी.आर.एस. / वी.एस.एस. दिया गया या जिनका वी.आर.एस. / वी.एस.एस. दिनांक 30.6.2018 को कार्यवाही के तहत था, के भविष्य निधि की देयता को पूरा करने के लिए कंपनी को 8540 लाख रुपये का अनुदान आवंटित किया है जिसे व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया डी.ओ.टी. ने अपने पत्र दिनांक 31 दिसंबर 2019 द्वारा सूचित किया है कि कंपनी अपने संसाधनों से सांविधिक देयों की अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में 85.40 कारोड़ रुपये के आवंटन को हिसाब में ले जिसकी प्रतिपूर्ति डी.ओ.टी. द्वारा की जाएगी। भारतीय ए.एस. 20 के अनुसार, इस राशि को 8540 लाख रुपये के अनुदान में आय के रूप में निर्धारित किया गया है।

– सरकारी अनुदान के अपव्यय हिस्सा (अनुदान दस्तावेज की शर्तों के अनुसार) को अन्य इक्विटी से अलग वर्गीकृत किया गया है और अप्रचलित देनदारियों के रूप में दिखाया गया है

लाख रु. में

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
टिप्पणी सं. 14				
अप्रचलित देनदारियाँ				
वित्तीय देयता – ऋण				
i) सुरक्षित ऋण				
अस्थायी दर बांड	**0.00**		0.00	
बैंक द्वारा सावधि ऋण	**0.00**		0.00	
अन्य	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
ii) **प्रतिभूति ऋण**				
भारत सरकार से ऋण	**18000.00**		30000.00	
उपरोक्त ब्याज अर्जित और देय है	**0.00**		0.00	
चलायमान बॉन्ड दर	**0.00**		0.00	
बैंक से मियादी ऋण	**0.00**		0.00	
आस्थगित भुगतान देयता	**0.00**		0.00	
जमा	**0.00**		0.00	
संबंधित पक्ष द्वारा ऋण एवं अग्रिम	**0.00**		0.00	
वित्तीय पट्टा दायित्वों की दीर्घकालिक परिपक्वता	**0.00**		0.00	
अन्य ऋण–के.यू बैंड	**0.00**		0.00	
कुल		**18000.00**		30000.00
कुल योग		**18000.00**		30000.00
टिप्पणी सं. 15				
अचल वित्तीय देयता –अन्य				
प्राप्त प्रतिभूति जमा	**13392.97**		7033.41	
ब्याज अर्जित और भारत सरकार द्वारा कोई लंबित ऋण नहीं*	**0.00**		0.00	
कुल योग		**13392.97**		7033.41
टिप्पणी सं. 16				
अचल प्रावधान				
विशेषाधिकृत अवकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	7985.89		6601.67	
घटाएं : निगमित से अंतरण	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान	(607.00)		1384.21	
घटाएं : अदायगी	0.00		0.00	
कुल		7378.90		7985.88
रुग्णावकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	62.52		87.87	
घटाएं : निगमित से अंतरण	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान का उत्क्रमण	(7.62)		(25.36)	
घटाएं : अदायगी	0.00		0.00	
कुल		54.90		62.52
(ii) अन्य		0.00		64.46
कुल योग		7433.80		8112.85

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
टिप्पणी सं. 17				
चालू देयताएँ				
i) चालू वित्तीय देयताएँ – ऋण				
माँगने पर ऋण शोध्य				
– जमानती ऋण				
स्टेट बैंक एवं बैंकों के सहायता संघ के सदस्यों से नकदी ऋण, माल स्टाक, भंडार, कच्चा माल, ऋण एवं अग्रिम के दृष्टिबंधक और दोनों चल एवं अचल स्थायी परिसंपत्ति	**103558.39**		95870.68	
– गैर जमानती ऋण				
संबंधित पक्षों से ऋण और अग्रिम	**0.00**		0.00	
जमा	**0.00**		0.00	
अन्य ऋण एवं अग्रिम	**0.00**		0.00	
कुल		**103558.39**		95870.68
टिप्पणी सं. 18				
चालू वित्तीय देयताएँ – व्यापार प्राप्तियाँ				
वस्तुओं के संभरण के लिए				
– सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	**1299.77**		1109.49	
– अन्य				
– गुजनेट	**37219.17**		0.00	
– गुजनेट के अलावा	**167793.10**		144937.24	
कुल	**206312.04**		146046.73	
व्ययों और सेवाओं के लिए				
– गुजनेट	**852.65**		476.82	
– गुजनेट के अलावा	**4536.97**		7815.05	
अन्य देयताओं के लिए	**6603.59**		26147.72	
कुल		**218305.26**		180486.32

जमा, 31.03.2020 को दिखाए गए वर्तमान देयताओं के अनुसार, वापसी के लिए दावा नहीं किया गया है और वह देय है।

सूक्ष्म , छोटे एवं मध्यम उद्यमों की एक सूची जिसका कंपनी ऋणी है, बकाया ब्याज के साथ किसी भी राशि के लिए

अनुलग्नक के अनुसार

कंपनी द्वारा पहचाने गए सूक्ष्म और लघु उद्यमों का देय / भुगतान का प्रकटीकरण।

(क) 31.03.2020 तक न चुकाया हुआ मूल राशि का बकाया है।	**1210.47**	1108.19
(ख) 31.03.2020 तक न चुकाया हुआ ब्याज बकाया है।	**89.30**	1.30
(ग) वर्ष के दौरान नियुक्ति दिन से परे भुगतान किया गया ब्याज और मूलधन की राशि।	**0.00**	0.00
(घ) भुगतान में देरी के कारण हेतु ब्याज राशि की शेष और देय (जो नियुक्त अवधि के दौरान से परे भुगतान की गई) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2007 के अंतर्गत ब्याज को छोड़कर ।	**0.00**	0.00
(ङ) 31.03.2020 तक न चुकाया हुआ अर्जित ब्याज की राशि शेष ।	**0.00**	0.00
(च) सफल वर्ष में भी देय और शेष ब्याज की राशि देय । (जब तक इस तरह के ब्याज का भुगतान छोटे उद्यम को नहीं किया जाता है)	**0.00**	0.00

31.03.2020 को एमएसएमई का बकाया भुगतान

क्रम सं.	आपूर्तिकर्ता का नाम	31.03.2020 को देय राशि
1	मेसर्स एलएस कन्ट्रौल, बेंगलूरु	12.96
2	मेसर्स अव्यया टेक	47.03
3	मेसर्स टेलिमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	5.02
4	मेसर्स मेराकी टेक सल्यूशन	12.90
5	मेसर्स श्रृति इंटरप्राइजेस	0.64
6	मेसर्स वीआईपीआरओएफ इलेक्ट्रॉनिक्स	5.54
7	मेसर्स सीआईपीएल	46.81
8	मेसर्स एपीएसके	112.26
9	मेसर्स केल्विन	80.47
10	मेसर्स ए डी एन	59.34
11	मेसर्स शिवम इलेक्ट्रिकल्स	51.03
12	मेसर्स महालासा	105.80
13	मेसर्स कॉन्सोर्ईसुर इलेक्ट्रॉनिक्स	15.66
14	मैसर्स स्किल बूस्टेन टेक्नलॉजी	5.85
15	मेसर्स सुमुखा वेहजंट प्राइवेट लिमिटेड	7.49
16	मेसर्स ट्रैंगल सॉफ्टवेयर	5.97
17	मेसर्स टूल मेक	3.85
18	मेसर्स मेसंग ग्लोबल कनेक्ट	3.58
19	मेसर्स साइंन्टिफिक मेस	9.11
20	मेसर्स क्यू-मैक्स	1.00
21	मेसर्स डिराइव टेक	18.23
22	मेसर्स फिशर मेशर्मन्ट	10.18
23	मेसर्स ब्राइट प्लैटर्स	12.86
24	मेसर्स केमट्रेस ऑटोमेशन सिस्टम	20.40
25	मेसर्स विजय कुमार	6.53
26	मेसर्स फेरो बिल्डहाइर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	59.61
27	मेसर्स यूनीक कन्स्ट्रक्शन	19.04
28	मेसर्स सूर्या मार्केटिंग कॉर्पोरेशन पुणे	40.34
29	मेसर्स समिटस हाईग्रोनिक्सन	2.81
30	मेसर्स रिलिक सिस्टिम	7.58
31	डीआरओपीओयूटी	18.17
32	मेसर्स सन रेस इन्डस्ट्रीस, बेंगलूरु	2.29
33	इंजीनियरस बाजार	7.10
34	हाईक्रोट्रोनिक्स	0.01
35	भंसाली उद्योग	1.17
36	बख्शीश	0.70
37	मोदी हाईटेक	0.56
38	मेसर्स लॉजिक फ्रूट टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड	181.25
39	मेसर्स डेक्ससेल इलेक्ट्रॉनिक्स	59.88
40	मेसर्स पी सी प्रॉसेस प्राइवेट लिमिटेड	1.66
41	मेसर्स एजवुड नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	31.95
42	मेसर्स ग्लोबल इलेक्ट्रॉलनिक्स	0.45
43	लेखा वायरलेस सल्यूशन	8.79
44	मेसर्स एफटीडी इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड	9.65
45	एलाइड मशीन एण्ड टूलिंग	32.42
46	कैंब्रिज एनर्जी रीसॉर्सिज़ प्राइवेट लिमिटेड	0.85
47	दक्ष एनर्जी सिस्टम	2.74
48	के.वी. इलेक्ट्रॉनिक्स्	8.06
49	तेजस कम्यूनिकेशन पीटीई लिमिटेड	108.61
50	एलाइड ग्लैसज़ प्राइवेट लिमिटेड	9.34
51	जे एम इंडस्ट्रिस	23.83
52	एस कुमार मल्टी प्रोडक्शन	0.40
	कुल योग	**1,299.77**

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
टिप्पणी सं. 19				
चालू वित्तीय देयताएँ – अन्य				
उधार पर नहीं बकाया किन्तु प्रोदभूत ब्याज	**0.00**		0.00	
उधार पर बकाया एवं प्रोदभूत ब्याज	**300.00**		0.00	
अप्रदत परिपक्व जमा एवं उन पर प्रोदभूत ब्याज	**0.00**		0.00	
अप्रदत परिपक्व डिवेंचर एवं उन पर प्रोदभूत ब्याज	**0.00**		0.00	
व्यय एवं सेवा कर के लिए	**2916.03**		3581.91	
अन्य देयता के लिए	**55951.89**		26617.17	
अन्य देय	**644.18**		26829.50	
देय वेतन	**2470.67**		869.34	
दावा न किए गए लाभांश	**0.00**		0.00	
रॉयल्टी देय	**212.80**		212.80	
वेतन संशोधन बकाया	**1056.60**		1076.68	
अधिमान शेयर*	**2500.00**		30000.00	
ठेकेदारों से जमा	**4352.61**		4576.64	
विविध देनदारियाँ	**19827.26**		19343.33	
कुल		**90232.05**		113107.38

*चूंकि अधिमान शेयर अपरिवर्तनीय और अतिदेय हैं, उसे शेयर पूंजी से निकाला गया है और वर्तमान वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। खातें में ब्याज/लाभांश प्रदान नहीं किया गया है।

मोचन की ओर कंपनी को भारत सरकार से अनुदान के रूप में 300 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है :

क) एमटीएनएल को दिनांक 14.02.2003 को जारी 100 करोड़ रुपये के, रु. 100/– प्रत्येक के अंकित मूल्य के 10000000, 8.75% संचयी अप्रतिदेय अधिमान शेयर जिन्हें दिनांक 05.09.2019 को मोचित किया गया।

ख) बीएसएनएल को दिनांक 04.06.2003 को जारी 200 करोड़ रुपये के, रु. 100/– प्रत्येक के अंकित मूल्य के 20000000, 7% संचयी अप्रतिदेय अधिमान शेयर, जिन्हें दिनांक 04.09.2019 को आयोजित मंडल की बैठक में दिनांक 06.09.2019 को मोचित किया गया जिसमें से 175 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और शेष 25 करोड़ रूपये दिनांक 31.03.2020 को बकाया है।

ग) एमटीएनएल और बीएसएनएल को दिनांक 04.09.2019 को मोचित उक्त (क और ख) संचयी अधिमान शेयरों के संबंध में लाभांश की बकाया राशि यथा लागू, प्रचलित नियमों और अधिनियमों के अनुसार दी जाएगी।

अधिमान शेयर

क) प्राधिकृत

70000000 अधिमान शेयर जिसमें से प्रत्येरक 100/– रु. का है	**70000.00**	70000.00
8.75% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर		
ख) निर्गमित		
10000000, 8.75% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर प्रत्येक 100 रु. का प्रतिदेय सममूल्य पर मार्च 2005 से 5 बराबर किश्तों में	**0.00**	10000.00
(ग) अभिदत्त एवं पूर्ण चुकता		
10000000, 8.75% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर प्रत्यक 100 रु. का प्रतिदेय सममूल्य पर मार्च 2005 से 5 बराबर किश्तों में	**0.00**	10000.00
(घ) अभिदत्त एवं पूर्ण चुकता नहीं	**0.00**	0.00
(ङ) अदत् मांग	**0.00**	0.00
(च) जब्त शेयर	**0.00**	0.00

(छ) प्रारंभ में और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन

	रखे गए शेयरों की संख्या	रखे गए शेयरों की संख्या
शेयरों की संख्या बकाया अथ शेष	**10000000**	10000000
जोड़े : वर्ष के दौरान निर्गम	**0.00**	0.00
घटाएं : वर्ष के दौरान वापसी क्रय /जब्ती	**10000000**	0.00
शेयरों की संख्या बकाया अंत शेष	**0.00**	10000000

(ज) अधिकारों एवं अधिमानों एवं उपरोक्त वर्ग के शेयर के साथ प्रतिबंध संलग्न ।

लाख रु. में

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को

- इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार केवल उन्हीं संकल्पों पर है जो कंपनी के समक्ष रखा गया है और अधिमान शेयर से जुड़े अधिकार पर सीधे प्रभाव डालता है ।
- कंपनी के परिनिर्धारण होने की दशा में, अधिमान्य राशि का वितरण होने के बाद, इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्तियों का वितरण उनके द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा ।

(झ) शेयरधारकों की सूची जिन्होने 5% से ज्यादा शेयर लिया है

नाम	रखे गए शेयरों की संख्या	रखे गए शेयरों की संख्या
1. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	**0**	10000000

(ञ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान :

(i) नकद प्राप्त किए बिना आवंटित शेयरों की कुल संख्या	**0.00**	0.00
(ii) अधिलाभ शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रूप में आवंटित शेयरों की कुल संख्या	**0.00**	0.00
(iii) वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या एवं वर्ग	**0.00**	0.00
निम्नलिखित वर्ग के संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर के संबंध में लाभांश बकाया राशि में है		
क) 2002-03 से संचयी अधिमान शेयर 8.75% पर	**15251.37**	14875.00
(दर्शाए गए आँकडे लाभांश वितरण कर से वाहर है)		
मोचन किश्त जो कि संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर के संबंध में कंपनी द्वारा जारी किया गया लेकिन निधि दवाब के कारण उसका भुगतान नहीं किया गया		
31 मार्च, 2005 से 31 मार्च, 2009 तक मोचन किश्त देय 8.75%, 1000 लाख रूपये का अधिमान शेयर	**0.00**	10000.00
7% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर		
(क) निर्गमित		
20000000, 7.00% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर, जिसके प्रत्येक शेयर का मूल्य् 100 रूपये है, मार्च 2006 से 5 बराबर किश्तों प्रतिदेय पर सममूल्य है, बीएसएनएल को कॉल विकल्प के साथ निवेश तिथि 31.03.2003 से एक वर्ष की समाप्ति के बाद	**0.00**	20000.00
(ख) अभिदत्तत एवं पूर्णत: चुकता		
20000000, 7.00% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर, जिसके प्रत्येक शेयर का मूल्य 100 रूपये है, मार्च 2006 से 5 बराबर किश्तों प्रतिदेय पर सममूल्य् है, बीएसएनएल को कॉल विकल्प के साथ निवेश तिथि 31.03.2003 से एक वर्ष की समाप्ति के बाद	**0.00**	20000.00
(ग) अभिदत् एवं पूर्णत: चुकता नहीं		
(घ) सममूल्य् प्रति शेयर (रु 100)	**0.00**	0.00
(ङ) अदत् माँग	**0.00**	0.00
(च) जब्त शेयर	**0.00**	0.00

(छ) प्रारंभ में और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन

	रखे गए शेयरों की संख्या	रखे गए शेयरों की संख्या
शेयरों की संख्या बकाया अथ शेष	**20000000**	20000000
जोड़े : वर्ष के दौरान निर्गम	**0.00**	0.00
घटाएं : वर्ष के दौरान वापसी क्रय /जब्ती	**20000000**	0.00
शेयरों की बकाया संख्या अंत शेष	**0.00**	20000000

(ज) अधिकारों एवं अधिमानों एवं उपरोक्त वर्ग के शेयर के साथ प्रतिबंध संलग्न

- इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार केवल उन्हीं संकल्पों पर है जो कंपनी के समक्ष रखा गया है और अधिमान शेयर से जुड़े अधिकार पर सीधे प्रभाव डालता है।
- कंपनी के परिनिर्धारण होने की दशा में, अधिमान्य राशि का वितरण होने के बाद, इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्तियों का वितरण उनके द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा।

(झ) शेयरधारकों की सूची जिन्होने 5% से ज्यादा शेयर लिया है।

नाम	रखे गए शेयरों की संख्या	रखे गए शेयरों की संख्या
1. भारत संचार निगम लिमिटेड	**0**	**20000000.00**

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
(ञ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान:				
(i) नकद प्राप्त किए बिना आवंटित शेयरों की कुल संख्या		**0.00**		0.00
(ii) अधिलाभ शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रूप में आवंटित शेयरों की कुल संख्या		**0.00**		0.00
(iii) वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या एवं वर्ग		**0.00**		0.00
निम्नलिखित वर्ग के संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर के संबंध में लाभांश बकाया राशि में है				
क) 2003–04 से संचयी अधिमान शेयर 7.00% पर		**23006.03**		22400.00
(दर्शाए गए आँकड़े लाभांश वितरण कर से बाहर है)				
मोचन किश्त जो कि संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर के संबंध में कंपनी द्वारा जारी किया गया लेकिन निधि दवाब के कारण उसका भुगतान नहीं किया गया।				
31 मार्च, 2006 से 31 मार्च, 2010 तक मोचन किश्तं देय 7.00%, 2000 लाख रूपये का अधिमान शेयर		**0.00**		20000.00

टिप्पणी सं. 20
चालू प्रावधान

कराधन के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**0.00**		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	**0.00**		0.00	
घटाएं : पूर्व वर्ष के लिए प्रावधान का समायोजन	**0.00**		0.00	
कुल		**0.00**		0.00
उपदान के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**9678.61**		8539.70	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	**1077.45**		1138.91	
घटाएं : उपदान न्यास में अंतरण	**0.00**		0.00	
जोड़े : उपदान न्यास से अंतरण	**343.76**		1708.67	
जोड़े : निगमित से अंतरण	**0.00**		0.00	
घटाएं : भुगतान	**343.76**		1708.67	
कुल		**10756.06**		9678.61
अर्जित अवकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**633.29**		3288.35	
घटाएं: निगम को अंतरण	**0.00**		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	**1769.24**		(1735.83)	
घटाएं : भुगतान	**725.86**		919.23	
कुल		**1676.67**		633.29
रूग्णावकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**2.05**		2.41	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान	**1.71**		(0.36)	
घटाएं : अदायगी	**0.00**		0.00	
कुल		**3.75**		2.05
लंबी दूरी के लिए रियायती यात्रा भत्ता				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	**294.72**		175.33	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान का उत्क्रमण	**(25.27)**		136.25	
घटाएं : भुगतान	**2.33**		16.86	
कुल		**267.11**		294.72
कुल योग		**12703.60**		10608.66

लाख रु. में

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
टिप्पणी सं. 21				
अन्य चालू देयताएँ				
अग्रिम में प्राप्त आय	0.00		0.00	
शुल्क और कर	3744.96		4548.09	
ग्राहकों से अग्रिम	56565.98		54914.04	
कुल		60310.94		59462.13

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को सामाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी सं. 22				
परिचालन से राजस्व				
i) उत्पादों की बिक्री (जीएसटी का निवल)				
तैयार माल की बिक्री	5400.77		41861.31	
व्यापार माल की बिक्री	12698.37		23645.16	
कुल		18099.14		65506.47
ii) सेवाओं की बिक्री		187787.72		101310.67
iii) अन्य प्रचालन राजस्व :				
क) स्क्रैप की बिक्री	0.00		19.70	
ख) डीएलआरसी परियोजना से आय	0.00		0.00	
ग) गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क	0.00		0.00	
घ) सहायता-राजस्व में अनुदान	0.00	0.00	0.00	19.70
कुल		205886.86		166836.84

कंपनी ने 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी भारतीय लेखा मानक 115 ''ग्राहकों के साथ अनुबंध हेतु राजस्व'' को अपनाया है।

मुख्य शीर्षक अंतर्गत बिक्री

1. एनपीआर	0.00	753.75
2. इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग उपस्कर	458.43	1102.07
3. एमएलएलएन	0.19	1629.57
4. सिम कार्ड	0.00	0.00
5. संचरण उपस्कर	0.00	16441.97
6. टेलीफोन	4.09	4971.24
7. जी-पॉन	16.67	4314.07
8. डीडब्ल्यूडीएम	0.00	0.00
9. सोलर पैनल	217.88	0.00
10. एसडब्यूएएन	0.00	0.00
11. एपीडीआरपी	0.00	0.00
12. आईटी उत्पाद	7316.96	9375.02
13. एनजीएन	0.00	591.10
14. एनएफएस	637.38	3049.79
15. एस्कॉन	0.00	885.56
16. रक्षा	323.81	0.00
17. स्मार्ट ऊर्जा मीटर	1014.89	4703.52
18. बीबीडब्ल्यूटी	0.00	0.00
19. एचडीपीई पाइप	2199.20	0.00
20. ओएफसी	0.00	538.22
21. महानेट	0.00	0.00
22. वाईफाई हॉटस्पॉट	23.65	27.90
23. गुजनेट	0.00	0.00
24. बीएनजी	0.00	7044.10

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को सामाप्त वर्ष के लिए
25. डीडीओएस	0.00	0.00
26. मिनी पीसी विनिर्माण/टैब पीसी	1087.32	0.00
27. सीसीएमएस	0.00	0.00
28. मोबाइल शोरूम	223.71	321.27
29. राज्य सरकार	4231.54	6512.58
30. अन्य	343.42	3244.73
कुल	18099.14	65506.47
मुख्य शीर्ष के अंतर्गत सेवाएँ से लाभ		
1. एएमसी	5237.23	12099.19
2. एसएसटीपी	18.33	874.32
3. एनपीआर	0.00	71.50
4. एसईसीसी	0.00	0.00
5. डाटा सेंटर	1491.23	1633.64
6. आईटी	594.98	2131.85
7. एसडब्ल्यूएएन	0.00	0.00
8. जीएसएम	3429.43	2761.13
9. एनएफएस	18938.79	21299.94
10. जीपॉन	89.84	0.00
11. एस्कॉन	7202.16	0.00
12. रक्षा	267.51	8524.45
13. एनजीएन	515.38	0.00
14. बीबीडब्ल्यूटी	0.00	0.00
15. महानेट	52304.26	39809.58
16. वाई-फाई हॉटस्पॉट	223.94	0.00
17. गुजनेट	90701.83	1299.10
18. बीएनजी	178.98	650.69
19. डीडीओएस	0.00	0.00
20. एमएलएलएन	87.17	552.73
21. सीसीएमएस	653.56	315.84
22. ई-निविदा	3806.98	2008.50
23. एसएमपीएस, कौशल विकास	0.00	910.96
24. फाइबर नेटवर्क	(1701.41)	500.45
25. रेलवे	388.14	1341.68
26. एनएमएस	(755.86)	448.27
27. अन्य	4115.25	4076.84
कुल	187787.72	101310.67
विदेशी मुद्रा में आय		
माल के निर्यात का एफओबी के आधार पर गणना	0.00	0.00
रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, व्यावसायिक और परामर्श शुल्क	0.00	0.00
ब्याज और लाभांश	0.00	0.00
सेवाएँ	0.00	0.00
कुल	0.00	0.00

लाख रु. में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को सामाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी सं. 23				
अन्य आय				
क) आय पर ब्याज				
i) अंतर कार्यालय अग्रिम पर ब्याज	**0.00**		0.00	
ii) ब्याज - अन्य	**1571.14**		393.67	
कुल		**1571.14**		393.67
ख) गैर-व्यापार निवेश से लाभांश		**0.00**		0.00
ग) निवेश के बिक्री से निवल लाभ / हानि		**0.00**		0.00
घ) अन्य गैर-प्रचालन आय (ऐसी आय के कारण निवल खर्च)				
i) परिसंपत्ति के बिक्री से लाभ	**50.64**		0.00	
घटाएं : पूँजीगत खाते का आरक्षण	**0.00**		0.00	
कुल	**50.64**		0.00	
ii) कमीशन	**0.00**		0.00	
iii) किराया	**2105.31**		1857.75	
iv) पट्टे का किराया	**309.15**		40.48	
v) परिवहन प्रभार	**0.00**		0.10	
vi) रद्दी की बिक्री	**558.68**		541.82	
vii) जल प्रभार / विद्युत प्रभार	**5.87**		5.30	
viii) जब्त बैंक गारंटी	**0.00**		450.00	
ix) अतिरिक्त वापस लिया हुआ प्रावधान	**0.00**		0.00	
x) वीआरएस की प्रतिपूर्ति	**0.00**		0.00	
xi) गैर जरूरत देनदारियों की वापसी	**4407.04**		29851.75	
xii) परिनिर्धारित हानि की छूट	**62.55**		2.24	
xiii) श्रीनगर की हानि की क्षतिपूर्ति	**0.00**		0.00	
xiv) ब्याज प्रभार पर छूट	**0.00**		0.00	
xv) अनुदान सहायता से स्थानांतरण	**0.00**		0.00	
xvi) राजस्व अनुदान सहायता - वीआरएस	**439.33**		0.00	
xvii) राजस्व अनुदान सहायता - अन्य	**8540.00**		62.49	
xviii) पूंजीगत सहायता अनुदान से स्थानांतरण	**0.00**		0.00	
xix) एनएचएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा	**128.67**		0.00	
xx) विविध आय	**210.96**		441.70	
कुल (i से xx)		**16818.20**		33253.63
ड) निवेश का कैरिंग वैल्यू के लिए समायोजन (प्रतिलेखन)		**0.00**		0.00
च) पिछले साल से संबंधित अनुदान		**0.00**		0.00
छ) विदेशी मुद्रा अनुवाद और लेन-देन पर निवल लाभ / हानि (वित्तीय लागत के रूप में माने जाने के अलावा)		**0.00**		0.00
कुल योग		**18389.34**		33647.30

* दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.), भारत सरकार ने कर्मचारियों को जिन्हें वी.आर.एस. / वी.एस.एस. दिया गया या जिनका वी.आर.एस. / वी.एस.एस. दिनांक 30.6.2018 को कार्यवाही के तहत था, के भविष्य निधि की देयता को पूरा करने के लिए कंपनी को 8540 लाख रुपये का अनुदान आवंटित किया है जिसे व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया डी.ओ.टी. ने अपने पत्र दिनांक 31 दिसंबर 2019 द्वारा सूचित किया है कि कंपनी अपने संसाधनों से सांविधिक देयों की अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में 85.40 करोड़ रुपये के आवंटन को हिसाब में ले जिसकी प्रतिपूर्ति डी.ओ.टी. द्वारा की जाएगी। भारतीय ए.एस. 20 के अनुसार, इस राशि को 8540 लाख रुपये के अनुदान में आय के रूप में निर्धारित किया गया है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को सामाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी संख्या 24				
कच्चे माल तथा उत्पादन भंडार की खपत				
आरंभिक स्टॉक	**8880.93**		7198.38	
जोड़े : पुनरीक्षण के कारण पूर्व अवधि समायोजन	**0.00**		0.00	
क्रय / स्थानांतरण	8279.81		30005.92	
स्थापना और अनुरक्षण के लिए सामग्री	0.00		0.00	
कुल		**17160.74**		37204.30
घटाएं :				
अंतिम स्टॉक	7970.89		8880.93	
राजस्व एवं अन्य को निर्गम	282.56		165.21	
सामग्री अन्य यूनिटों में स्थानांतरण	0.00		0.00	
कुल		**8253.45**		9046.14
जोड़े : कच्चे माल और उत्पादन भंडार से संबंधित भंडार अप्रत्यक्ष व्यय		(3.61)		213.24
उपभोग		**8903.67**		28371.40
मुख्य शीर्षक जिनके अंतर्गत कच्चे माल का खपत होता है विवरण				
विवरण				
1. इलेक्ट्रॉनिक माल और घटक	9113.06		28450.46	
2. एमएनआईसी	31.76		139.72	
कुल		**9144.80**		28590.18
सीआईएफ आधार पर आयातित वस्तुओं का मूल्य				
कच्चे माल और उत्पादन भंडार		3183.51		7161.75
घटक और अतिरिक्त पुर्जे		0.00		0.00
मार्गस्थ सामग्री		0.00		0.00
पूँजीगत माल		1214.87		3163.57
कुल		**4398.38**		10325.32

आयातित कच्चे माल का मूल्य, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की खपत और स्वदेशी वस्तुओं की खपत और कुल खपत में प्रत्येक की प्रतिशतता

विवरण	**लाख रु.**	**%**	**लाख रु.**	**%**
आयातित	**3242.28**	**35.45**	2220.55	7.77
स्वदेशी	**5902.52**	**64.55**	26369.63	92.23
कुल	**9144.80**	**100.00**	28590.18	100.00

टिप्पणी संख्या 25				
व्यापार में स्टॉक की खरीद		**41867.91**		32164.00
मुख्य शीर्षक के तहत खरीदे गए सामान				
विवरण				
1. टेलीफोन		**0.00**		0.00
2. एसटीएम		**0.00**		0.00
3. डीडब्ल्यूडीएम		**0.00**		0.00
4. सोलर		**848.60**		1551.28
5. एसएसटीपी		**0.00**		0.00
6. सीडीएमए		**0.00**		0.00
7. एसएमपीएस		**61.45**		102.51
8. एस्कॉन		**0.00**		425.40
9. जीएसएम		**0.00**		0.00
10. आईटी		**6660.68**		9527.66

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को सामाप्त वर्ष के लिए
11. एपीडीआरपी	0.00	0.00
12. एनजीएन	0.00	0.00
13. स्मार्ट ऊर्जा मीटर	0.00	1932.00
14. सौर पेनल	0.00	0.00
15. महानेट	0.00	0.00
16. वाई-फाई हॉटस्पॉट	20.10	0.00
17. गुजनेट	27536.41	422.82
18. बीएनजी	0.00	5599.46
19. डीडीओएस	0.00	0.00
20. मिनी पीसी विनिर्माण/टैब पीसी	0.00	0.00
21. सीसीएमएस	0.00	0.00
22. मोबाइल शोरूम	223.04	319.85
23. एमएलएलएन	0.00	980.46
24. एसईएम (एनईटी)	0.00	137.59
25. मिनी पी सी	0.00	241.90
26. ओएफसी	0.00	603.82
27. ओएनटी/ओएलटी	122.65	1157.85
28. राज्य सरकार	4232.89	5994.32
29 . अन्य	2162.09	3167.08
कुल	41867.91	32164.00

टिप्पणी संख्या 26

तैयार माल की वस्तु सूची में परिवर्तन, प्रक्रियाधीन कार्य और व्यापार में स्टॉक

प्रक्रियाधीन कार्य में वृद्धि / (ह्रास)				
प्रक्रियाधीन – उत्पादन :				
इति शेष	7851.61		3718.23	
घटाएं : अथ शेष	3718.24		3070.03	
कुल	4133.37		648.20	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	0.00		31.34	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	0.00		0.00	
कुल		4133.37		679.54
प्रक्रियाधीन कार्य – संस्थापन :				
इति शेष	0.00		0.00	
घटाएं : अथ शेष	0.00		0.00	
कुल	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	0.00		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
विनिर्मित घटकों में वृद्धि / (ह्रास)				
इति शेष	1137.55		970.79	
घटाएं : अथ शेष	970.79		887.74	
कुल	166.76		83.05	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	0.00		0.00	

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को सामाप्त वर्ष के लिए	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	0.00		0.00	
कुल		166.76		83.05
प्रक्रियाधीन कार्य – संस्थापन :				
इति शेष	0.00		0.00	
घटाएं : अथ शेष	0.00		0.00	
कुल	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	0.00		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप/ संस्थापन में प्रभाव	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
प्रक्रियाधीन कार्य में वृद्धि / (ह्रास)				
व्यापार में स्टॉक:				
इति शेष	1830.98		2172.71	
घटाएं : अथ शेष	2172.71		1806.52	
कुल	(341.73)		366.19	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	70.67		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	0.00		0.00	
कुल		(271.06)		366.19
रद्दी का स्टॉक				
इति शेष	0.00		0.00	
घटाएं : अथ शेष	0.00		0.00	
जोड़े : पूर्व अवधि समायोजन	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
कुल योग		4029.07		1128.78

टिप्पणी संख्या 27

कर्मचारी हित पर व्यय:

i) वेतन और मजदूरी :				
वेतन और मजदूरी	16798.71		14961.16	
घटाएं : अन्य राजस्व लेखा	0.00		0.00	
कुल	16798.71		14961.16	
बोनस	1.87		4.78	
वेतन संशोधन बकाया भुगतान	0.00		0.27	
प्रोत्साहन	48.55		145.30	
कुल		16849.13		15111.51
ii) भविष्य निधि और अन्य निधियों को कंपनी का अंशदान :				
भविष्य निधि और पेंशन निधि	2074.80		1748.41	
कर्मचारी राज्य बीमा	7.99		7.28	
उपदान न्यास निधि	1077.44		1138.91	
छुट्टी वेतन – पीएल	1162.24		(454.84)	
रुग्ण अवकाश	(5.91)		(25.72)	
जमा बद्ध बीमा / ग्रुप बीमा	9.12		17.28	
कुल		4325.68		2431.31

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को सामाप्त वर्ष के लिए	
iii) कर्मकार और कर्मचारी कल्याण व्यय				
कल्याण व्यय – कैंटीन	**343.37**		267.46	
कल्याण व्यय – शिक्षा	**38.81**		36.00	
चिकित्सा व्यय	**576.59**		435.98	
एलटीसी / एलएलटीसी	**(24.91)**		138.34	
वर्दी	**0.36**		0.24	
अन्य	**156.45**		169.73	
कुल		**1090.66**		1047.74
iv) स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना				
वीआरएस भुगतान		**443.49**		0.00
v) बीमांकिक लाभ / (हानि)		**391.77**		1831.69
कुल योग		**23100.74**		20422.25

संबंधित पार्टी लेनदेन

प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों – वेतन और परिलब्धियाँ

नाम	**2019–20**	**2018–19**
श्री आर एम अग्रवाल – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**32.96**	28.77
श्री शशि प्रकाश गुता – निदेशक (मानव संसाधन)	**30.15**	12.72
श्री राजीव श्रीवास्तव – मुख्य वित्त अधिकारी (06.01.2020 से प्रभावी)	**5.60**	0.00
श्री वेंकटेश्वरलु – निदेशक (उत्पादन)	**6.59**	0.00
श्रीमती शनमुगा प्रिया – कंपनी सचिव	**10.73**	9.50
श्री अलगेशन के – भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**43.75**	16.35
श्री गोपू – भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (मानव संसाधन)	**–**	38.51
श्रीमती मालत्ती एम – भूतपूर्व मुख्य वित्त अधिकारी (05.01.2020 तक)	**15.92**	13.22

भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण रिपोर्ट

परिभाषित लाभ योजना

ट्रस्ट द्वारा कर्मचारियों की उपदान निधि योजना परिभाषित लाभ योजना है । दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है । अवकाश नकदीकरण का दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है जो कि अपव्ययी है ।

I. परिणाम का सारांश

		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्ण अवकाश	
क्र.सं.	**परिसंपत्ती / देयता**	**31–03–2020**	**31–03–2019**	**31–03–2020**	**31–03–2019**	**31–03–2020**	**31–03–2019**
क	दायित्व का वर्तमान मूल्य	21,655	20,525	9,056	8,619	59	65
ख	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	10,899	10,847	--	--	--	--
ग	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल संपत्ति / (देयता)	-10,756	-9,679	-9,056	-8,619	-59	-65

II. बीमांकिक और जनसांख्यिकीय धारणा

क्र.सं.	**विवरण**	**31–03–2020**	**31–03–2019**	**31–03–2020**	**31–03–2019**	**31–03–2020**	**31–03–2019**
क	छूट दर	6.31	7.31	6.31	7.32	6.31	7.32
ख	भविष्य में वेतन वृद्धि	2.00	5.10	2.00	5.10	2.00	5.10
ग	उम्र के संघर्षण	0.50	4.84	0.81	4.84	0.50	4.84

III. योजना दायित्व

क्र.सं.	**समाप्त तिथि**	**31–03–2020**	**31–03–2019**	**31–03–2020**	**31–03–2019**	**31–03–2020**	**31–03–2019**
क	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	21,655	20,525	9,056	8,619	56	65

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

IV. सेवा लागत

		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्ण अवकाश	
क्र.सं.	विवरण	31–03–2020	31–03–2019	31–03–2020	31–03–2019	31–03–2020	31–03–2019
क)	वर्तमान सेवा लागत	673	677	316	297	2	2
ख)	पिछली सेवा लागत में कटौती लाभ / हानि शामिल	--	--	--	--	--	--
ग)	गैर दिनचर्या निपटान पर लाभ या हानि	--	--	--	--	--	--
घ)	कुल सेवा लागत	673	677	316	297	2	2

V. निवल ब्याज लागत

क्र.सं.	विवरण	31–03–2020	31–03–2019	31–03–2020	31–03–2019	31–03–2020	31–03–2019
क)	परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	1,502	1,500	631	723	5	7
ख)	योजना परिसंपत्ति पर ब्याज आय	774	876	--	--	--	--
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	728	624	631	723	5	7

VI. लाभ दायित्व में परिवर्तन

क्र.सं.	विवरण	31–03–2020	31–03–2019	31–03–2020	31–03–2019	31–03–2020	31–03–2019
क)	अवधि की प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	20,525	20,521	8,619	9,890	65	90
ख)	अधिग्रहण समायोजन	--	--	--	--	--	--
ग)	ब्याज लागत	1,502	1,500	631	723	5	7
घ)	सेवा लागत	673	677	316	297	2	2
ङ)	पिछली सेवा लागत में कटौती लाभ / हानि शामिल	--	--	--	--	--	--
च)	लाभ का भुगतान	-344	-1,709	-721	-925	--	--
छ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	-702	-464	211	-1,366	-13	-35
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	21,655	20,525	9,056	8,619	59	65

VII. दायित्व पर वास्तविक लाभ / हानि का विभाजन

क्र.सं.	विवरण	31–03–2020	31–03–2019	31–03–2020	31–03–2019	31–03–2020	31–03–2019
क	जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	-215	-858	-84	-378	-1	-3
ख	वित्तीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-1,265	-4	-640	-271	-4	-2
ग	अनुभव समयोजन होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	778	398	935	-716	-8	-30

VIII. परिसंपत्ति योजना पर बीमांकिक लाभ/हानि

क्र.सं.	विवरण	31–03–2020	31–03–2019	31–03–2020	31–03–2019	31–03–2020	31–03–2019
क	अपेक्षित ब्याज आय	774	876	--	--	--	--
ख	योजना संपत्ति पर वास्तविक आय	663	843	--	--	--	--
ग	वर्ष के संपत्ति पर बीमांकिक लाभ/हानि	-112	-32	--	--	--	--

IX. तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण

क्र.सं.	विवरण	31–03–2020	31–03–2019	31–03–2020	31–03–2019	31–03–2020	31–03–2019
क	अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	21,655	20,525	9,056	8,619	59	65
ख	योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	10,899	10,847	--	--	--	--
ग	तुलन पत्र में अपव्ययी दायित्व / प्रावधान	-10,756	-9,679	-9,056	-8,619	-59	-65

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी......)

लाख रु. में

X. आय विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्ण अवकाश	
क्र.सं.	विवरण	31-03-2020	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2019
क	कुल सेवा लागत	673	677	316	297	2	2
ख	निवल ब्याज लागत	728	624	631	723	5	7
ग	अवधि में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	0	0	211	-1,366	-13	-35
घ	आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1,401	1,301	1,158	-346	-6	-26

XI. अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

क्र.सं.	विवरण	31-03-2020	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2019
क	निवल संचयी न पहचाना गया लाभ/(हानि) खोलना	--	--	--	--
ख	पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	702	464	--	--
ग	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	-112	-32	--	--
घ	वर्ष में न पहचाना गया बीमांकिक लाभ/(हानि)	590	431	--	--

XII. परिसंपत्ति योजना में परिवर्तन

क्र.सं.	विवरण	31-03-2020	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2019
क	अवधि की शुरुआत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	10,847	11,981	--	--	--	--
ख	खोलने में अंतर	-266	-269	--	--	--	--
ग	योजना संपत्ति पर वास्तविक वापसी	663	843	--	--	--	--
घ	नियोक्ता योगदान	--	--	--	--	--	--
ङ	लाभ का भुगतान	-344	-1,709	--	--	--	--
च	अवधि के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	10,899	10,847	--	--	--	--

XIII. योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजना परिसंपत्तियों का प्रतिशत)

क्र.सं.	विवरण	31-03-2020	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2019
क	भारत सरकार की प्रतिभूतियों	--	--	--	--	--	--
ख	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों	--	--	--	--	--	--
ग	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड	--	--	--	--	--	--
घ	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	--	--	--	--	--	--
ङ	परिसंपत्ति	--	--	--	--	--	--
च	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित धन	100%	100%	--	--	--	--
छ	बैंक शेष	--	--	--	--	--	--
	कुल	100%	100%	--	--	--	--

XIV. निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन योजना

क्र.सं.	विवरण	31-03-2020	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2019	31-03-2020	31-03-2019
क	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	9,679	8,540	8,619	9,890	65	90
ख	अधिग्रहण समायोजन	--	--	--	--	--	2
ग	कुल सेवा लागत	673	677	316	297	2	3
घ	निवल ब्याज लागत (आय)	728	624	631	723	5	7
ङ	पुनः माप	-590	-431	211	-1,366	-13	-35
	खोलने में अंतर	266	269	--			
च	निधि के लिए योगदान का भुगतान	--	--		--	--	--
छ	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान लाभ		--	-721	-925	--	--
ज	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	10,756	9,679	9,056	8,619	59	65

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

XV. चालू और गैर –चालू वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन

		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्णअवकाश	
क्र.सं.	विवरण	31–03–2020	31–03–2019	31–03–2020	31–03–2019	31–03–2020	31–03–2019
क	चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	4,010	1,306	1,677	633	4	2
ख	गैर–चालू देयता (एक वर्ष से अधिक की देय राशि)	17,645	19,219	7,379	7,986	55	63
	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	21,655	20,525	9,056	8,619	59	65

XVI. अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान

क्र.सं.	विवरण	31–03–2020	31–03–2019	31–03–2020	31–03–2019	31–03–2020	31–03–2019
क	सेवा लागत	637	734	284	314	6	7
ख	निवल ब्याज लागत	679	708	571	631	4	5
ग	अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	1,316	1,442	855	945	10	12

XVII. परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता विश्लेषण।

क) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का असर

		31–03–2020	31–03–2020	31–03–2020
क्रम सं.	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	21,655	9,056	59
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	–327	–146	–1
ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	338	151	1

ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का असर

क्रम सं.	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	21,655	9,056	59
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	340	157	1
ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	–335	–153	–1

XVIII. परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफ़ाइल।

		31–03–2020	31–03–2020	31–03–2020
क्रम सं.	वर्ष	राशि	राशि	राशि
क)	0 से 1 वर्ष			4
ख)	1 से 2 वर्ष			5
ग)	2 से 3 वर्ष			9
घ)	3 से 4 वर्ष			8
ङ)	4 से 5 वर्ष			8
च)	5 से 6 वर्ष			8
छ)	6 साल बाद			16

XIX. परिणाम का सारांश **छुट्टी यात्रा रियायत**

क्र.सं.	परिसंपत्ति / दायित्व	31–03–2020	31–03–2019
क	दायित्व का वर्तमान मूल्य	267	295
ख	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	--	--
ग	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्तियाँ / (दायित्व)	–267	–295

लाख रु. में

XX. बीमांकिक एवं जनसांख्यिकीय धारणाएँ **छुट्टी यात्रा रियायत**

क्र.सं.	विवरण	31–03–2020	31–03–2019
क	छूट दर	6.31	7.32
ख	भविष्य में वेतन वृद्धि	2.00	5.1
ग	उम्र के संघर्षण	0.50	4.84

XXI. बीमांकिक मूल्य

अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य (31.03.2019)	267	295

XXII. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन

क्र.सं.	विवरण	31–03–2020	31–03–2019
क	चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	47	29
ख	गैर–चालू देयता (एक वर्ष से अधिक की देय राशि)	221	266
ग	**वर्ष के अंत में कुल पीबीओ**	**267**	295

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी संख्या 28				
वित्तपोषण लागत				
i) ब्याज व्यय				
नकद ऋण	**10655.11**		10670.80	
सार्वजनिक जमा	**0.00**		0.00	
बांड	**0.00**		0.00	
अवधि ऋण	**0.00**		0.00	
अन्य	**1984.02**		–835.02	
ii) बैंक प्रभार	**1356.02**		743.55	
iii) सरकारी गारंटी शुल्क	**0.00**		0.00	
iv) बांड / ऋण जारी करने में व्यय	**0.00**		0.00	
v) विदेशी मुद्रा अनुवाद और लेनदेन से निवल लाभ/हानि	**70.74**		67.79	
कुल		**14065.89**		10647.11
पीएफ से ट्रस्ट में विलंबित भुगतान पर ब्याज सहित अन्य ब्याज व्यय।				
टिप्पणी संख्या 29				
मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति व्यय :				
स्थाई परिसंपत्ति	4189.16		3703.09	
औजर और गेज	0.04		6.07	
कुल	**4189.20**		**3709.16**	
घटाएं : पूनर्मूल्यांकन आरक्षित से स्थानांतरण	0.00		0.00	
निवल मूल्यह्रास		**4189.20**		3709.16

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी संख्या 30				
अन्य व्यय				
डीआरई बट्टे खाते में डाले गए		0.00		0.00
वीआरएस व्यय		0.00		0.00
विनिर्माण व्यय :				
भंडार और पुर्जों की खपत		241.14		218.77
पावर और लाइट		1447.55		1370.67
जल प्रभार		220.57		161.41
उत्पाद शुल्क		0.00		0.00
रखरखाव और मरम्मत :				
i) प्लांट मशीनरी और उपस्कर	221.83		131.84	
ii) वाहन	40.74		60.03	
iii) भवन	678.66		648.95	
iv) अन्य उपस्कर	80.08	1021.30	65.95	906.76
लागत और औजारों पर व्यय		0.00		0.10
प्रयोगात्मक कार्य और प्रशिक्षण पर व्यय		35.50		52.89
लघु उपस्कर और कार्य पर व्यय		2.53		7.93
रॉयल्टी		0.00		0.00
कबाड़ और रद्दी		0.11		0.00
फैक्ट्री व्यय		456.22		43.94
टीओटी प्रभार :				
i) तकनीकी सहायता	0.00		4.65	
ii) तकनीकी जानकारी शुल्क	0.00		0.00	
iii) प्रलेखन प्रभार	0.00		0.00	
iv) प्रशिक्षण सहायता	0.00		0.00	
v) अन्य	(31.70)	(31.70)	0.00	4.65
परिनिर्धारित नुकसानी		1554.98		938.04
विलंब शुल्क प्रभार		10.85		1.25
विदेशी मुद्रा अनुवाद और संचालन में निवल लाभ / हानि (वित्त लागत के रूप में माने जाने के अलावा)		0.00		0.00
कुल विनिर्माण व्यय		4959.04		3706.40
प्रशासनिक व्यय :				
किराया	246.97		175.70	
दर और कर	120.46		72.09	
बीमा	45.40		22.89	
यात्रा व्यय				
अंतर्देशीय	385.75		421.49	
विदेशी	0.10		7.29	
कानून शुल्क	214.30		117.88	
डाक, टेलीग्राम, टेलेक्स व्यय	29.11		31.46	
टेलीफोन और ट्रंक-कॉल देय	72.13		71.70	
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक				
लेखापरीक्षा शुल्क	23.35		17.64	
कराधान मामले के लिए	0.76		0.81	
कंपनी कानून मामलों के लिए	0.00		0.00	
प्रबंधन सेवाओं के लिए	2.80		2.80	

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को सामाप्त वर्ष के लिए	
प्रतिपूर्ति व्यय के लिए	0.27		0.58	
अन्य सेवाओं के लिए	1.49		5.60	
सीआईएसएफ / निजी सुरक्षा व्यय	1009.12		942.50	
मुद्रण और स्टेशनरी और नकल प्रभार	70.93		88.14	
परिवहन व्यय	480.44		393.25	
समाचार पत्र, पत्रिका और पत्र-पत्रिकाएं	21.42		21.01	
यंत्रीकृत लेखा व्यय	0.16		2.97	
पट्टा प्रभार	0.00		0.00	
लाइसेंस शुल्क / खण्डप्रभार	2.86		1.70	
सीएसआर व्यय	64.00		0.00	
कार्यालय व्यय	607.79		528.36	
कच्चे माल भंडार के अप्रचलन के लिए प्रावधान	305.74		0.00	
अप्रचलित कच्चा माल और उत्पादन भंडार बट्टे खाते में डाले गए	40.44		0.00	
प्रक्रियाधीन कार्य के पूँजीगत बट्टे खाते में डाले गए	0.00		0.00	
देनदार / अग्रिम के लिए प्रावधान	559.78		0.00	
अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डाले गए	242.60		11669.82	
दावे एवं व्यय बंद प्रभारी	0.00		38.27	
परिसंपत्तियों की बिक्री के कारण हानि	0.00		0.00	
अवसलीय उत्पादन शुल्क	0.00		0.00	
रखरखाव हेतु राशि का समायोजन के लिए निवेश	0.00		0.00	
बिक्री के कारण होने वाली निवल हानि के लिए निवेश	0.00		0.00	
कुल प्रशासन व्यय		**4548.16**		14633.95
विक्रय व्यय				
विक्रय एजेंसी कमीशन	6.16		7.78	
विज्ञापन व्यय	24.69		20.72	
प्रदर्शनी और प्रचार व्यय	5.20		29.72	
पैकिंग व्यय	1.74		15.20	
अग्रेषण व्यय	154.04		154.65	
प्रदत्त छूट	0.00		0.00	
आश्वतस्ति व्यय	1.02		8.24	
विक्रय बढ़ोतरी व्यय	38.29		72.38	
मनोरजन व्यय	0.87		0.36	
निविदा प्रपत्र की लागत	1.60		2.50	
कुल विक्रय व्यय		**233.61**		311.57
कुल अन्य व्यय		**9740.81**		18651.92

सी-डॉट के पर्याप्त देय राशि को ध्यान में रखते हुए रॉयल्टीं पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है। (यह राशि रॉयल्टीन की राशि से ज्यादा है) क्योंकि सी-डॉट द्वारा पट्टे पर लिए गए भवन का किराया लंबे समय से बकाया है।

बैक-टू-बैक व्यवस्था होने की दशा में, परिनिर्धारित नुकसान की गणना निवल आधार पर की जाएगी।

विदेशी मुद्रा में व्यय :

रॉयलटी	0.00		0.00	
जानकारी	0.00		0.00	
वृत्तिक / परामर्श शुल्क	0.00		0.00	
ब्याज	0.00		0.00	
अन्य	0.00		0.00	
कुल		**0.00**		0.00

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण	31.03.2020	31.03.2019

टिप्पणी संख्या 31

निगमित सूचना :

1 आईटीआई लिमिटेड एक सार्वजनिक कंपनी है जो कि भारत की स्थायी और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समाविष्ट है। कंपनी मुख्य रूप से दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण, सेवा और बिक्री के कारोबार में लगी हुई है।

2 वर्ष 2003–04 के दौरान डीआरडीओ को 2600 लाख रु. की बेची गई परिसंपत्ति के लिए बिक्री नामे का निष्पादन एवं पंजीकरण पर कार्रवाई की जा रही है।

3 सरकार से 16500 लाख रुपये की राशि 2014–2015 के दौरान वेतन संशोधन बकाया राशि प्राप्त हुआ है। 15443.40 लाख रुपये का भुगतान वेतन संशोधन बकाया राशि के रुप में और शेष राशि 1056.60 लाख रुपये का मौजूदा देनदारियों के तहत रखा गया है।

4 लेनदारों, देनदारों के खातों में शेयर राशियाँ, ग्राहकों से अग्रिम, कुछ बैंक खाते, वसूली योग्य दावे, ऋण और अग्रिम, फैब्रिकेटरों, उप–ठेकेदार / अन्य के पास सामग्री, मार्गस्थ सामग्री, जमा राशियों, ऋण, जीएसटी, जमा और अन्य देनदारियाँ जो पुष्टि / समाधान के अधीन हैं। हालांकि प्रबंधन की राय में, यदि सामान्य व्यवसाय के दौरान महसूस किया गया हो, व्यापार प्राप्तियाँ, मौजूदा संपत्ति, ऋण और अग्रिम के रूप में व्यक्त किए गए है।

5 कंपनी मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार और दूरसंचार उपकरणों की सर्विसिंग के कारोबार और सहायक सेवाओं के प्रतिपादन के व्यवसाय में लगी हुई है और अलग से रिपोर्ट करने योग्य कोई खंड नहीं है। कंपनी को मुख्य रूप से एक ही भौगोलिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है, जो भारत में काम कर रही है। कंपनी रक्षा परियोजनाओं में भी लगी हुई है। दिनांक 23.02.2018 को अधिसूचित के अनुसार एमसीए ने सेगमेंट रिपोर्टिंग की आवश्यकता से रक्षा उत्पादन में लगे कंपनियों की पहचान की है।

6. क) संबंधित पार्टी प्रकटीकरणों पर लेखाकरण मानक (इंड एएस)24 के अनुसार इंडिया सेटकॉम लिमिटेड (आईएसएल) – इन संयुक्ति उद्यम कंपनियों के साथ निम्न लेन–देन किए गए।

	2019–20	2018–19
माल सेवाओं का खरीद	**0.00**	0.00
माल सेवाओं का विक्रय	**0.00**	0.00
बकाया रकम :	**0.00**	0.00
– संबंधित पार्टी से देय		
– संबंधित पार्टी को देय	**0.00**	0.00
संबंधित पार्टी से संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	**0.00**	0.00
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	**0.00**	0.00

ख) कुंजी प्रबंधन कर्मियों को प्रतिपूर्ति भुगतान किया गया। (इंड एएस–24 यथा अपेक्षित)

श्री आर एम अग्रवाल – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**32.96**	28.77
श्री शशि प्रकाश गुप्ता – निदेशक (मानव संसाधन)	**30.15**	12.72
श्री राजीव श्रीवास्तव – मुख्य वित्त अधिकारी (06.01.2020 से प्रभावी)	**5.60**	0.00
श्री वेंकटेश्वरलु – निदेशक (उत्पादन)	**6.59**	0.00
श्रीमती शनमुगा प्रिया – कंपनी सचिव	**10.73**	9.50
श्री अलगेसन के – भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**43.75**	16.35
श्री गोपू – भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**0.00**	38.51
श्रीमती मालती – भूतपूर्व मुख्य वित्त अधिकारी (05.01.2020 तक)	**15.92**	13.22

7 आय प्रति शेयर (प्रचालन जारी रखने के लिए)

कर पूर्व लाभ	**15085.83**	9253.77
(–) अधिमान लाभांश	**982.40**	2275.00
लाभांश कर	**0.00**	463.14
इक्विटी शेयरधारकों को उपलब्ध लाभ	**14103.44**	6515.63
वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	**897000000**	760000000
वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	**925119508**	897000000
अवधि के दौरान शेयरों का भारित औसत संख्या	**897616318**	879875000
आय प्रति इक्विटी शेयर (प्रचालन जारी रखने के लिए) बेसिक और तनुकृत (रु. में)	**1.57**	0.74

8 चूँकि कंपनी की पर्याप्त भावी कर योग्य आय की कोई यथार्थ अवधारणा नहीं है, भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस)–12 ''आयकरों'' के अंतर्गत अनवशोषित मूल्यह्रास और कंपनी के अग्रेषित हानि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को नहीं लिया जा रहा है।

9 संयुक्त उद्यम:

इंड एएस 28 के अनुसार संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग

(क) इंडिया सैटकॉम लिमिटेड

सं.2, काडुगोडी इंडस्ट्रियल एरिया, व्हाईट फिल्ड, बेंगलूरु–67

कंपनी की इक्विटी भागीदारी	**49%**	49%

संयुक्त उद्यम के निगमीकरण का स्थान–जे.वी, भारत

लाख रु. में

	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
10	पूँजी खाते में निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की प्राक्कलित राशि जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम का निवल)	**0.00**	0.00
	अन्य संविदाओं के संबंध में प्रतिबद्धता नहीं दी गई।	**0.00**	0.00
11	(क) इनके बारे में प्रासंगिक देयता		
	– माल/सेवाओं की बिक्री	**0.00**	0.00
	– बकाया साखपत्र एवं गारंटी	**69168.64**	109276.47
	– बिक्री कर मांग / सेवा कर / आय कर	**14618.63**	15002.89
	– अप्राप्त सी/डी फार्म	**22150.80**	28118.39
	– विवादित उत्पाद शुल्क माँग / सेनवेट अस्वीकृति	**2225.78**	2334.06
	– ईएसआई माँग	**0.00**	0.00
	– केवीएटी द्वारा ब्याज और जुर्माने की माँग ।	**226.04**	226.04
	– ऋण के रूप में कंपनी के खिलाफ दावा स्वीकार नहीं।	**6395.02**	5027.31

ख) लंबित मुकदमा :–

i) दावा वसूली– भूमि में 1049.41 लाख रूपये मेसर्स हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस से एलडी देय है। कंपनी ने कानूनी मामला दायर किया है जो दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।

ii) विक्रेताओं ने कुल राशि 272.21 लाख रूपये कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया जो कि विभिन्न विभागों के समक्ष लंबित है।

iii) विवादित 17671.96 लाख रूपये की वैद्यानिक देनदारियां।

iv) एलईआरसी आईटीआई के अनुमति के बिना आईटीआई भूमि में 5310 वर्गफुट में अस्थायी सड़क उपयोग कर रहा है और यह मामला विचाराधीन है।

v) ब्रुहत बेंगलूरु महानगर पालिका का (बीबीएमपी) ने आईटीआई की अनुमति के बिना आईटीआई भूमि कृष्णाराजपुरम में सड़क का निर्माण, कर्नाटक हाइकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद किया गया जिसका उपयोग आम जनता द्वारा किया जाता है।

सभी अतिदेय सांविधिक देनदारियों (निर्विवाद सहित) के बकाया और दंड पर संबंधित अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन और निर्धारित किया जा सकता है।

12. पिछले वर्षों देनदारियों से 44 करोड़ रुपए वापस लिया गया, उसमें पालक्काड इकाई के 8 करोड़ रुपए, नैनी यूनिट के 4 करोड़ रुपए, एनएस यूनिट के 2 करोड़ रुपए, मानकापुर इकाई 20 करोड़ रुपए, बेंगलूरु प्लांट के 1 करोड़ रुपए और 9 करोड़ रुपए क्षेत्रीय कार्यालयों का शामिल हैं।

13 प्रयुक्त आयातित कच्चे माल, भंडार और अतिरिक्त पूर्जों का मूल्य तथा प्रयुक्त देशी सामग्री का मूल्य प्रत्येक की प्रतिशतता।

विवरण	2019–20	%	2018–19	%
आयातित	**3242.28**	35.45	2220.55	7.77
देशी	**5902.52**	64.55	26369.62	92.23
कुल	**9144.80**	100.00	28590.17	100.00

14 प्रारंभिक स्टॉक के संदर्भ में सीमा शुल्क तथ्य में देय विभिन्न समायोजनों को ध्यान में रखने के पश्चात् प्राप्त स्टॉक में अभिवृद्धि / कमी।

15 रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम(एसआईसीए), 1985 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी एक रुग्ण कंपनी है। पुनर्व्यवस्था योजना के अंतर्गत सीसीईए द्वारा आईटीआई के पुनरुद्धार के लिए फरवरी, 2014 में 4156.79 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता के रुप में अनुमोदित की गई। अनुमोदित आर्थिक सहायता के एक हिस्से के रुप में 192 करोड़ रु. इक्विटी शेयर आवेदन के पैसे की दिशा में कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया है और वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान शेयरों को आबंटित किया गया और 2016–17 के वित्तीय वर्ष में शेयर पूंजी के मुकाबले अतिरिक्त रूप से 80 करोड़ रूपये प्राप्त किए गए । वर्ष 2017–18 के दौरान पूंजी अनुदान सहायता के लिए 337 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, और इसमें से 200 करोड़ रुपए वर्ष 2017–18 के दौरान आबंटित किए गए हैं और वर्ष 2018–19 के दौरन 137 करोड़ रुपये शेष है। वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी को लंबित आबंटन के लिए 55 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ, जो शेयर आवेदन राशि के रुप में है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी ने 10500 लाख रुपये का पूँजीगत अनुदान प्राप्त किया है। आई.टी.आई. द्वारा प्राप्त 160 करोड़ रुपये (50 करोड़ रु. + 5 करोड़ रु. + 35 करोड़ रु. + 70 करोड़ रु.) की कुल कैपेक्स राशि के लिए, कंपनी ने भारत के राष्ट्रपति को 56.90 रुपये प्रति शेयर (46.90 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्रत्येक 10 रु. पूर्ण चुकता शेयर) की दर से 2,81,19,508 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। यह आवंटन की तारीख से तीन महीने पहले के प्रचलित बाज़ार दर या औसत शेयर कीमत, इनमें से जो भी कम हो, पर संचार मंत्रालय के आदेश सं. 20–36/2012–एफ.ए.सी.II(पी.टी.) दिनांक 06.09.2019 और दिनांक 14.01.2020 के अनुसार किया गया।

कंपनी को वीआरएस व्यय के लिए 15500 लाख रुपये भी मिले, जिसमें से 3658.19 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2016–17 और 2017–18 के दौरान वीआरएस के लिए खर्च किए गए और वर्ष 2016–17 के दौरान 3350 लाख रुपये का खर्च पूरा करने के लिए इकाइयों / आरओ को स्थानांतरित कर दिया गया और शेष राशि 308.18 लाख वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान स्थानांतरित किया जाएगा । वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी ने वीआरएस खर्च का भुगतान नहीं किया है, और वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने 439.33 लाख रुपये के वीआरएस व्यय का भुगतान किया है, शेष राशि खाते में पड़ी है।

16 12.15 एकड़ भूमी में से जो बेंगलूरु मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन(बीएमटीसी) को पट्टे के रुप में देना है (जिसका पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है) 12.15 एकड़ भूमी जो पहले से ही बीएमटीसी के कब्जे में है, भारत सरकार के पट्टे के नियमों व शर्तानुसार अनुमोदन देना है। पट्टे को पहचानित कर किराए को शर्तों के अनुसार अंतिम रुप दिया जाएगा। 285 लाख रु. पूर्व में बीएमटीसी से प्राप्त हो चुकी है जिसको जमा किया गया है।

17 बेंगलूरु संयंत्र द्वारा दावा किए गए आपूर्तिकर्ता पर 1049.41 रुपए के परिसमापन हर्जाना (एलडी), मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है और मामला दिल्ली की उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

18 कर्नाटक विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड के पास 5 एकड़ भूमि उसके कब्जे में है (जो पुर्नमूल्यांकन नहीं किया गया है) और कोई पट्टा समझौता उसके लिए दर्ज नहीं किया गया है।

19 ईएसआईसी के साथ पट्टा समझौता जुलाई 2016 के महीने में समाप्त हो गया है और पट्टे का नवीकरण समझौते नहीं किया गया है, क्योंकि संशोधित पट्टा किराया ईएसआईसी के साथ फैसला नहीं किया गया है।

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

विवरण		31.03.2020	31.03.2019

20 77 एकड भूमि का मूल्य (बाजार मूल्य) से 194.70 करोड़ रुपये है केरल सरकार द्वारा फिर से शुरू और सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णयन के तहत किया गया है, जो तुलन पत्र में दिखाया गया है। भूमि का मूल्य केरल सरकार द्वारा फिर से ग्रहण करना, शीर्ष अदालत से निर्णय लंबित शामिल है ।

21 सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य

कच्चा माल और उत्पादन भंडार		**3183.51**	**7894.78**
घटक तथा अतिरिक्त पुर्जे		**0.00**	**0.00**
मार्गस्थ सामग्री		**0.00**	**0.00**
पूँजीगत माल		**1214.87**	**3163.57**
कुल		**4398.38**	**11058.35**

22 सी–डॉट, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय से 2005–06 से 2010–11 तक 5847.90 लाख रुपये अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है। उगाही/वसूली के अनिश्चितता के चलते, सकल किराया राजस्व, की पहचान जिसकी कुल रकम 9079.92 लाख रुपये है जो प्रोद्भवन आधार पर वित्तीय वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के लिए है, आस्थगित किया गया है और एएस–18 के अनुरूप है।

23 नैनी यूनिट से संबंधित 2.43 करोड़ रुपये की पूर्व प्राप्य वर्षों के व्यापार प्राप्य का बट्टे खाते ।

24 निष्पादन सूचक – अनुपात

– कुल परिसंपत्तियों की तुलना में विक्रय	अवधि	**0.31**	0.27
विक्रय में कर /कुल परिसंपत्तियां शमिल है (निवल स्थाई परिसंपत्तियां+निवेश+सकल चालू परिसंपत्तियां)			
– प्रयुक्त पूँजी से परिचालन लाभ	[%]	**12.50%**	9.51%
कर पूर्व लाभ/(शेयरधारकों की निधियाँ+ऋण निधियाँ)			
– विक्रय से लाभ	[%]	**6.28%**	6.84%
(करोपरांत लाभ/शेयर धारकों की निधियां)			

25 वित्तीय विवरणों पर कोविड–19 की वैश्विक स्वास्थ्य महामारी के प्रभाव संबंधी प्रकटण। कंपनी ने आंतरिक स्रोतों से यह अनुमान लगाया है कि कोविड–19 के कारण कुल कारोबार में लगभग 10%–15% तक की कमी आई है। इसके अलावा, दिनांक 23 मार्च 2020 से किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण, कंपनी का कामकाज मई 2020 के दूसरे सप्ताह से सीमित मात्रा में दोबारा शुरु किए गए। इसके अतिरिक्त, चूँकि ज्यादातर ग्राहक सरकारी विभाग हैं, देनदारों के किसी स्थायी ह्रास का अनुमान नहीं है और कंपनी को नियत समय में इन परिसंपत्तियों की वहनीय राशि वसूल करने की अपेक्षा है। बहरहाल, वित्तीय वर्ष 2020–21 की पहली तिमाही के दौरान भुगतान की वसूली में अस्थायी देरी देखी गई जो दूसरी तिमाही के दौरान भी जारी रह सकती है। वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का भावी प्रभाव अनिश्चित है जो इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख पर किए गए अनुमान से अलग हो सकता है। कंपनी भावी आर्थिक परिस्थितियों में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों की गहन निगरानी करेगी।

26 पिछले वर्ष के आंकड़े को चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरुप जहाँ आवश्यक हो पुन: वर्गीकृत किया गया है।

27 वह ऑकड़े जो ब्रैकेट में दर्शाएं गए हैं, वह श्रणात्मक ऑकड़ों को प्रदर्शित करते हैं।

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते, मेसर्स शंकरन एंड कृष्णन
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.नं.: 003582एस

कृते निदेशक मंडल की ओर से

वी.वी. कृष्णमूर्ति	एस.शनमुगा प्रिया	राजीव श्रीवास्तव	आर एम अग्रवाल
साझेदार एम सं.027044	कंपनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थांन : बेंगलूरू
दिनांक : 26.06.2020

32 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क. एसोशिएट/संयुक्त उद्यम

उद्यम का नाम	व्यवसाय का स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित		गैर–नियंत्रण हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		प्रमुख गतिविधियां
		मार्च 31, 2020 पर	मार्च 31, 2019 पर	मार्च 31, 2020 पर	मार्च 31, 2019 पर	
इंडिया सैटकॉम लिमिटेड	इंडिया	49.00%	49.00%	51.00%	51.00%	वीसैट विनिर्माण एवं सर्वीसिंग

एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रु. में

ख. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण

निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम	2019–20	2018–19
श्री गोपू – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (मानव संसाधन) के रुप में नामित – वेतन और अनुलाभ	–	38.51
श्री अलगेसन के – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (उत्पादन)	43.75	16.35
श्री आर एम अग्रवाल – सरकार द्वारा नामित निदेशक (विपणन)	32.96	28.77
श्री शशि प्रकाश गुप्ता – निदेशक (मानव संसाधन)	30.15	12.72
श्री वेंकटेश्वरलु – निदेशक (उत्पादन)	6.59	–
श्री सदय कृष्ण कनोरिया – स्वतंत्र निदेशक	0.75	0.58
श्रीमती आशा कुमारी जसवाल – स्वतंत्र निदेशक	1.35	0.58
श्री राजेन विध्यार्थी – स्वतंत्र निदेशक	0.90	0.48
श्री सुरेश चंद्र पांडा – स्वतंत्र निदेशक	0.25	0.31
श्री मयंक गुप्ता – स्वतंत्र निदेशक	0.85	0.23
डॉ. अखिलेश दुबे – स्वतंत्र निदेशक	0.70	0.28
डॉ. के. आर. शनमुगम – स्वतंत्र निदेशक	1.00	0.25
श्री राजीव श्रीवास्तव–मुख्य वित्त अधिकारी–वेतन और अनुलाभ(06.01.2020 से प्रभावी)**	5.60	–
श्रीमती मालती एम – मुख्य वित्त अधिकारी – वेतन और अनुलाभ (05.01.2020 तक)**	15.92	13.22
श्रीमती एस शनमुगा प्रिया – कंपनी सचिव	10.73	9.50

** वर्ष का अंश

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के इतर संबंधित परतियों के साथ लेनदेन निम्नानुसार है (पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शित है) : –

विवरण	एसोशिएट/संयुक्त उद्यम
संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	इंडिया सैटकॉम लिमिटेड
माल का क्रय	शून्य
माल की बिक्री	
सेवाएँ प्रदान करना	
प्राप्त सेवाएँ	
प्राप्त किराया (लीज़)	
ब्याज आय	
निवेश पर लाभांश आय	
31.03.2020 पर बकाया ऋण (ब्याज सहित)	
31.03.2020 पर बकाया व्यापार देनदारियाँ	
31.03.2020 पर बकाया प्राप्य व्यापार	
31.03.2020 पर इक्विटी में निवेश	40.55 लाख रु.
31.03.2020 पर बकाया कराया के लिए अग्रिम	शून्य

घ. संबंधित पार्टियों के साथ निपटाए गए सभी लेनदेन सरल रूप में पहुँच के आधार पर है।

ङ. सभी बकाया शेष राशि (ऋण के इतर) असुरक्षित हैं और अगले 6 महीनों के अंदर नकद में प्रतिदेय है। ऋण के बकाया शेष राशि के लिए नीचे टिप्पणी ज का संदर्भ लें।

च. संबंधित पार्टियों को ऋण

शून्य

छ. कर्मचारियों की प्रतिनियुक्त सहित प्रबंध अनुबंध:–

शून्य

ज. ''सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन :–

जैसा कि आईटीआई दूरसंचार मंत्रालय (डीओटी) के नियंत्रणाधीन एक सरकारी संस्था है, सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन के संबंध में भारतीय लेखा मानक 24 के अधीन अपेक्षित अनुसार कंपनी ने विवरणात्मक प्रकटीकरण का प्रावधान किया है।

भारतीय लेखा मानक 24 के अधीन अपेक्षित अनुसार, व्यक्तिगत रूप में महत्वपूर्ण लेनदेन नीचे दिये जाते हैं : –

1. शेयरों की पुनर्खरीद।
2. जारी बोनस।
3. प्रदत्त लाभांश।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के संबंध में कंपनी के कारोबार का लगभग 98.36%, प्राप्य व्यापार का लगभग 97.06% और ग्राहक के अग्रिम का लगभग 100% हैं।''

2019–20 सुख–सुविधाओं पर पूंजीगत व्यय

करोड़ रु. में

विवरण	लागत पर सकल निरुद्ध					मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	31.03.2019 तक	इस वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बेची/ रद्द परिसंपत्तियाँ	अंतरण तथा समायोजन	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक	इस वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान बेची/ रद्द परिसंपत्तियाँ	अंतरण तथा समायोजन	31.03.2020 तक	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक
	1	2	3	4	5= 1+2–3–4	6	7	8	9	10= 6+7–8–9	11= 5–10	12
टाउनशीप	1103.67	0.11	0.00	0.00	1103.78	107.69	1.23	0.00	0.00	108.92	**994.86**	995.98
परिवहन	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.08	0.15	0.00	0.00	6.23	**0.77**	0.92
चिकित्सा	7.77	0.00	0.00	0.00	7.77	3.54	0.03	0.00	0.00	3.57	**4.20**	4.23
कैंटीन	6.45	0.00	0.00	0.00	6.45	3.38	0.04	0.00	0.00	3.42	**3.03**	3.07
स्कूल, क्लब, अडिटोरियम, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप	13.42	0.00	0.00	0.00	13.42	5.95	0.08	0.00	0.00	6.03	**7.39**	7.47
सब्जी की खेती और उद्यान आदि	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	**0.02**	0.02
कुल	**1138.36**	**0.11**	**0.00**	**0.00**	**1138.47**	**126.67**	**1.53**	**0.00**	**0.00**	**128.20**	**1010.27**	**1011.69**

2019–20 सुख–सुविधाओं पर राजस्व व्यय

करोड़ रु. में

विवरण	टाउनशीप	परिवहन	चिकित्सा	कैंटीन	स्कूल, क्लब, अडिटोरियम, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप	सब्जी की खेती और उद्यान आदि	2019–20	2018–19
वेतन और भत्ते	3.75	1.24	2.59	1.22	0.09	0.15	**9.04**	11.24
वर्दी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	**0.41**	0.52
आपूर्ति एवं अन्य सेवाएँ	0.02	1.15	5.10	3.29	0.17	0.11	**9.84**	8.94
ऊर्जा, बिजली और जल	3.05	0.12	0.09	0.18	0.05	0.03	**3.52**	3.84
परिवहन प्रभार	0.10	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.86**	0.81
किराया, दर, कर और बिमा	0.57	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	**0.60**	1.05
अनुरक्षण एवं मरम्मत	1.01	0.33	0.18	0.09	0.12	0.32	**2.05**	1.65
मूल्यह्रास – भवन	0.25	0.01	0.03	0.09	0.08	0.00	**0.46**	0.77
मूल्यह्रास- संयंत्र मशीनरी	0.63	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.68**	0.69
उपस्कर और वाहन सामान्य उपरिव्यय	0.01	0.03	0.02	0.03	0.00	0.00	**0.09**	0.07
	9.39	**3.71**	**8.01**	**4.91**	**0.92**	**0.61**	**27.55**	29.58
घटाएँ :								
वसूली/समायोजन किराया	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**17.51**	18.52
ऊर्जा, बिजली और जल	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**1.43**	1.22
परिवहन प्रभार	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.10**	0.08
प्रति व्यक्ति शुल्क और अन्य वसूली	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	**0.15**	0.15
विक्रय राशियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.20
अप्रत्यक्ष व्यय	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	**0.28**	0.28
टाउनशिप, चिकित्सा और कार्यालय प्रयोग के लिए विनिधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00
	18.94	**0.10**	**0.15**	**0.28**	**0.00**	**0.00**	**19.47**	20.45
निवल व्यय	–9.55	3.61	7.86	4.63	0.92	0.61	**8.08**	9.13
पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज कल्पित	0.32	0.36	0.19	0.18	0.07	0.00	**1.12**	1.11
कुल व्यय	**–9.23**	**3.97**	**8.05**	**4.81**	**0.99**	**0.61**	**9.20**	10.24
पिछले वर्ष	**–7.62**	**3.98**	**7.86**	**4.24**	**1.16**	**0.62**	**10.24**	10.24

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

आईटीआई लिमिटेड के सदस्यों के लिए

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने **आईटीआई लिमिटेड (''कंपनी'')** के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों, जिसमें दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के तुलन-पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए (अन्य व्यापक आय सहित) लाभ व हानि की विवरणी, इक्विटी में परिवर्तन के विवरण, नकद प्रवाह विवरण तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ सम्मिलित हैं, (इसके बाद ''एकल वित्तीय विवरण'' के रूप में वर्णित होगा) की लेखापरीक्षा की है।

हमारे राय में व हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर एकल वित्तीय विवरण उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण यथा अपेक्षित रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा वादित जानकारी देता है और 31 मार्च, 2020 तक के कंपनी के कार्य मामलों तथा उक्त तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए उनके लाभ, और अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और उसके नकद प्रवाह का कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, (''इंड एएस'') के साथ पठनीय अधिनियम की धारा 133 के अधीन निहित भारतीय लेखांकन मानक तथा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही व उचित विचार देता है।

राय के लिए आधार

हमने अधिनियम (एसए) की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी की गई आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो स्वतंत्रता की आवश्यकताओं के साथ अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। इसके बाद, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

योग्य राय की योग्यता का आधार मात्रात्मक नहीं है।

i) पट्टे की शर्तों और समझौते को अंतिम रूप देने पर भारत सरकार से निलंबित मंजूरी, बेंगलूरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (बीएमटीसी) को पट्टे पर दी गई भूमि पर किराये की आय, बीएमटीसी को पट्टे पर देने के लिए प्रस्तावित 12.15 एकड़ की सीमा तक पहले ही बीएमटीसी के कब्जे में है, आगे हमें दी गई जानकारी के आधार पर, बीएमटीसी के पास अतिरिक्त 1.85 एकड़ जमीन है, जिसे आय के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। बेचने के लिए एक समझौते के तहत बीएमटीसी से पहले प्राप्त 285.00 लाख रुपए की राशि जमा के तहत धारित है। (टिप्पणी सं.31.16 का संदर्भ लें।);

ii) कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीटीसी) को पट्टे पर दी गई भूमि पर किराये की आय (केपीटीसी को पट्टे पर देने के लिए प्रस्तावित 5 एकड़ की एक सीमा तक केपीटीसी के कब्जे में है), को पट्टा-करार के अंतिम रूप देने के लिए लंबित आय के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। (टिप्पणी सं.31.18 का संदर्भ लें।)

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित है।

मात्रात्मक योग्यताएँ

i) वसूली के संदेहास्पद दावों की ओर 5847.90 लाख रुपए का गैर-प्रावधान, जो 31.03.2011 को समाप्त अवधि तक सी-डॉट को पट्टे पर दी गई परिसर से प्राप्य किराए से संबंधित है, और उक्त परिसर के लिए 31.03.2011 के बाद की अवधि के लिए कोई किराये की आय प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण आकस्मिक आधार पर मान्यता दी गई है। (टिप्पणी सं.31.22 का संदर्भ लें;)

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित है।

ज़ोर देने का विषय

i) हम वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित नोट 31.25 पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें कंपनी कोविड-19 महामारी से उत्पन्न प्रभाव का वर्णन करती है।

ii) हम वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियों में निम्नलिखित बातों पर ध्यान आकर्षित करते हैं :

क) बेंगलूरु और मनकापुर में भूमि के कुछ अंश को छोड़कर, भूमि के संबंध में औपचारिक विवरण / पट्टे के कार्य को अभी तक संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है। (टिप्पणी सं.1 का संदर्भ लें।)

ख) व्यापार देनदारियों, ग्राहकों से अग्रिम, प्राप्य व्यापार, वसूलीय दावे, ऋण और अग्रिम, उप-ठेकेदार/अन्य, जमा, ऋण के खातों में शेष राशि और अन्य भुगतान/प्राप्य जैसे बिक्री कर, वैट, उत्पाद शुल्क, सेनवैट, सेवा कर, आयकर, जीएसटी, टीडीएस, आदि पुष्टि/सुलह के तहत हैं। समायोजन, यदि कोई है, तो इस तरह की सुलह/प्राप्ति की पुष्टि के पूरा होने पर किया जाएगा और हम कंपनी के खातों पर उसी के प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। (टिप्पणी सं.31.4 का संदर्भ लें।);

ग) कंपनी कमजोर औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एसआईसीए), 1985 के प्रावधानों के अनुसार एक कमजोर कंपनी है। सीसीईए ने राजस्व योजना के तहत आईटीआई के पुनरुद्धार के लिए फरवरी, 2014 में 4156.79 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। (टिप्पणी सं.31.15 का संदर्भ लें।);

घ) ईएसआईसी के साथ पट्टा समझौता जुलाई 2016 के महीने में समाप्त हो गया है और नवीकरण पट्टे समझौते में प्रवेश नहीं किया गया है। (टिप्पणी सं.31.19 का संदर्भ लें।);

ङ) केरल सरकार द्वारा 77 एकड़ की भूमि को फिर से ले ली गई है और मामला एपेक्स न्यायालय के निर्णय के तहत है। तुलन पत्र में दर्शित भूमि के मूल्य में केरल सरकार द्वारा फिर से ली गई भूमि का मूल्य भी शामिल है। (टिप्पणी सं.31.20 का संदर्भ लें।)

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है।

क्रम सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षकों का उत्तर
1.	कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 115, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व (115 इंड एएस 115) को अपनाया है जो नया राजस्व लेखा मानक है। इस लेखांकन मानक के लिए अनुप्रयोग और अंतरण जटिल है और लेखापरीक्षा में ध्यान देने का क्षेत्र है। राजस्व मानक यह निर्धारित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा स्थापित करता है कि क्या, कितना और कब राजस्व मान्यता प्राप्त है। इसमें विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों की पहचान से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय शामिल हैं, जो किसी अवधि में मान्यता प्राप्त राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए गए आधार की उपयुक्तता है। कंपनी ने इंड एएस 115 को अपनाया और उसमें उपलब्ध छूट को लागू किया, न कि तुलनात्मक अवधियों को बहाल किया। कृपया एकल वित्तीय विवरणों में टिप्पणी सं.22 को देखें।	**प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया** हमने नए राजस्व लेखा मानक को अपनाने के प्रभाव की पहचान करने के लिए कंपनी की प्रक्रिया का आकलन किया। हमारी लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण में, डिजाइन का परीक्षण और आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन की प्रभावशीलता शामिल थी और मौलिक परीक्षण निम्नानुसार है: निरंतर और नए अनुबंधों के नमूने का चयन किया और निम्नलिखित प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया: – परियोजना के विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के चरण के लिए कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, यथा कार्यादेश, और आरएफपी, क्रयादेश और प्रमाण पत्र का पठन तथा विश्लेषण। – उपयुक्त वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की और बिल न किए गए राजस्व, जिसे संबंधित परियोजना/इकाई और वित्त प्रमुखों द्वारा विधिवत प्रमाणित बहीखाते में आय के रूप में मान्यता प्राप्त है, के आकलन में प्रबंधन की अंतर्निहित महत्वपूर्ण धारणाओं का मूल्यांकन किया है। दिनांक 25.06.2020 को आयोजित बैठक में लेखा परीक्षा समिति के साथ चर्चा की गई 24.06.2020 का कार्यवृत को प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदन का सत्यापित किया गया। – कंपनी द्वारा पहचाने और दर्ज किए गए इन प्रदर्शन दायित्वों की तुलना की है। – राजस्व की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेनदेन मूल्य को सत्यापित करने और चर विचार के आकलन के आधार का परीक्षण करने के लिए किसी भी चर विचार सहित लेनदेन की कीमत निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तों पर विचार किया। – भारतनेट– II परियोजनाओं के नमूनों के संबंध में अभिलेखित किए गए राजस्व की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि की प्रगति को अनुमान के साथ उस चरण तक वास्तविक लागत के साथ सत्यापित किया गया था। हमने इन प्रणालियों से संबंधित पहुँच और परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रण का भी परीक्षण किया। – प्रकार और सेवा ऑफर द्वारा प्रकट राजस्व की तर्कशीलता के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया।
2.	सरकारी विभागों के साथ प्राप्य व्यापार, अग्रिम, शेष राशि की पुनर्प्राप्ति और मूल्यांकन। कंपनी के पास प्राप्य व्यापार (टिप्पणी संख्या 4क और 7) 312049.78 लाख रुपए और ऋण और अग्रिम शेष (टिप्पणी संख्या 5 और 9) 57305.18 लाख रुपए और सरकारी विभागों के साथ जमा (टिप्पणी संख्या 10), कर और शुल्क 6808.26 लाख रुपए है। कंपनी के सरकारी विभागों के साथ प्राप्य व्यापार, अग्रिम, शेष में मुख्य रूप से प्राप्य हैं जो उत्पादों के निर्माण और बिक्री के संबंध में, विक्रेताओं और कर और शुल्क आदि के लिए अग्रिम हैं। इन शेष राशि को उनके प्रत्याशित वास्तविक मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, जो गैर–वसूली योग्य मूल्य के लिए मूल चालान राशि/भुगतान कम प्रावधान (अनुमानित के लिए) है। सरकारी विभागों के साथ प्राप्य व्यापार, अग्रिम, और शेष राशि की वैधता लेखा–परीक्षा में एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला है, इसकी होल्डिंग के आकार और हानि प्रावधान के निर्धारण में उपयोग किए जाने वाले उच्च प्रबंधन स्तर का निर्णय है।	**प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया** हमने प्राप्य व्यापार की पुनर्प्राप्ति के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रियाएं की हैं: – वर्ष के अंत में नमूना आधार पर सरकारी विभागों के साथ प्राप्य व्यापार, अग्रिम, उम्र बढ़ने की सटीकता का परीक्षण किया गया। – बकाया प्राप्तियों की एक सूची प्राप्त की और किसी भी देनदार की पहचान की जहां सहमति शर्तों पर भुगतान में देरी हो। – हमारे ग्राहकों के क्रेडिट प्रोफाइल, ग्राहकों के ऐतिहासिक भुगतान पैटर्न और ग्राहकों के साथ नवीनतम पत्राचार के संदर्भ में प्रबंधन के मूल्यांकन के माध्यम से और एक अतिरिक्त प्रावधान किए जाने पर विचार करने के लिए नमूने के आधार पर अनसुलझी प्राप्तियों की पुनर्प्राप्ति को स्वीकार किया जाता है; – नमूना आधार पर तुलनपत्र की तारीख के बाद व्यापार और प्राप्य, यदि कोई हो, के बाद के निपटान का परीक्षण किया। – हमें उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों और मान्यताओं को प्राप्य व्यापार की पुनर्प्राप्ति योग्यता के आकलन में उपयोग करने योग्य पाया गया।
3.	विवाद और संभावित मुकदमे: एकल वित्तीय विवरण में (टिप्पणी 31.11 को देखें): – कंपनी विवादित कर मांगों पर कानूनी कार्यवाही में शामिल है। कंपनी / प्रबंधन ने आकलन किया है कि मांग की सफलता की संभावना दुर्लभ है और तदनुसार विवादित मांगों के लिए प्रावधान नहीं किया है। प्रबंधन का निर्णय मांगों के लिए लेखांकन का आकलन करने में, और विशेष रूप से एक मांग के सफल होने की संभावना पर विचार करने में है शामिल है और हमने इसे लेखापरीक्षा के ध्यान केंद्रित क्षेत्र के रूप में नामित किया है। दावों से संबंधित जोखिम मुख्य रूप से प्रकटीकरण और वित्तीय विवरण में प्रावधानों की पूर्णता के साथ जुड़ा हुआ है।	वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण और प्रावधानों की पूर्णता के जोखिम के उत्तर में, हमने प्रबंधन के साथ मामलों पर चर्चा की और विवादों में शामिल कंपनी और अधिवक्ताओं/कानूनी व्यवसायियों के दलों के बीच आदान–प्रदान किए गए पत्राचार और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा की। हमने लेखांकन अभिलेखों में दर्ज प्रावधानों का परीक्षण किया और ऊपर वर्णित हमारी प्रक्रियाओं के आधार पर पूर्णता के प्रकटीकरण की समीक्षा की।

एकल वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के इतर अन्य सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट के लिए अनुबंध, व्यावसायिक दायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और शेयरधारकों के लिए जानकारी सहित बोर्ड की रिपोर्ट शामिल है, बल्कि इसमें एकल वित्तीय विवरण और तत्संबंधी हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने में, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

अगर, हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम, की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों में निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इन एकल वित्तीय विवरणी, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह की सही और निष्पक्ष स्थिति प्रकट करती है, को तैयार करने के संबंध में उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और जालसाजियों और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने और उसका पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और प्रयोग करने, ऐसे निर्णय और अनुमान

करने जो उचित और विवेकपूर्ण हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने जो लेखांकन अभिलेखों की सत्यता और पूर्णता सूचिश्चित करने के लिए प्रभावी तरीके से कार्य कर रहे थे, सही और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करनेवाले तथा तथ्यात्मक गलतबयानी, चाहे छल-कपट या त्रुटि से मुक्त वित्तीय विवरणी को तैयार और प्रस्तुत करने से संबन्धित हों, के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का अनुरक्षण भी शामिल हैं।

एकल वित्तीय विवरणी को तैयार करने में, प्रबंधन के एक लाभकारी संगठन प्रकटीकरण, यथा लागू, संबन्धित विषयों से संबन्धित मामलों और लेखांकन के लाभकारी संगठन के आधार पर जारी रहने हेतु कंपनी दक्षता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त या इसका संचालन बंद नहीं करता, या ऐसा करने के लिए इसके अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल भी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण समग्र रूप से सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार आयोजित एक लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतियाँ, जो धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि अगर, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर की गई हो, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

अन्य मामले

i) हमने पाँच इकाइयों के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा नहीं किया है मार्च 31,2020 तक जिनके वित्तीय विवरण 485722.71 लाख रुपए की कुल परिसंपत्ति तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 33921.41 लाख रुपए का कुल राजस्व (15621.74 लाख रुपए) के कर के उपरांत लाभ/(हानि) को दर्शाते हैं। ये वित्तीय विवरण भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त संबंधित इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित किए जाते हैं, जिनकी रिपोर्ट हमें और हमारे विचारों को प्रस्तुत की गई है, यह इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, ही पूरी तरह से इस तरह के अन्य लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट पर आधारित है।

ii) कंपनी के बेंगलूरु, चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई और भुवनेश्वर में स्थित 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। हमने 8 क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा किया है, मार्च 31,2020 तक जिनके वित्तीय विवरण 67288.08 लाख रुपए की कुल परिसंपत्ति तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 18672.55 लाख रुपए का कुल राजस्व और 308.55 लाख रुपए के कर के उपरांत लाभ को दर्शाते हैं। वर्तमान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पी एवं टी के प्रमुख निदेशक के दिल्ली पत्र दिनांक 11 मई, 2020 द्वारा दिए गए अनुमति के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों का लेखापरीक्षा रीमोट्ली/इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया गया।

iii) भारतीय लेखा मानक 108 के अधीन अपेक्षित अनुसार, हम खंड की जानकारी के प्रकटीकरण के संबंध में टिप्पणी सं.31.5 पर ध्यान आकर्षित करते हैं।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर रिपोर्ट करते हैं कि :-

   क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की और प्राप्त की जो हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे संज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे।

   ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा संबन्धित कानून द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तिकाओं का अनुरक्षण किया गया है, जो हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त है।

   ग) तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ व हानि विवरणी, इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरणी और नकदी प्रवाह विवरणी, जो इस रिपोर्ट के व्यवहार में लाए गए हैं, संबन्धित प्रासंगिक लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप हैं।

   घ) हमारी राय में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में हैं।

   ड) निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2020 तक अभिलेखित निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, अधिनियम की धारा 164 (2) के संदर्भ में 31 मार्च 2020 को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से कोई भी निदेशक अनर्ह घोषित नहीं है।

   च) कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनीय प्रभावशीलता के संबंध में कृपया ''अनुबंध क'' में हमारी अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

   छ) यथा संशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में :

   ज) यथा संशोधित कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय एवं हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित है :-

      i. कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है। (एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.31.11 को देखें।)

      ii. कंपनी ने प्रचलित कानून या लेखांकन मानकों के तहत अपेक्षा अनुसार, जैसा कि कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न संविदा नहीं है, तो भी दीर्घावधि संविदा पर निकट भविष्य में होनेवाले भौतिक नुकसान, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किए गए हैं।

      iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोश में अंतरण हेतु अपेक्षित कोई राशि नहीं है।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (11) के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा अपेक्षित अनुसार, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर अनुबंध ख में विवरण देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143 (5) द्वारा अपेक्षित अनुसार, हमने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों, इसके बाद की कार्रवाई और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव पर विचार किया है - संदर्भ अनुबंध ग संलग्न है।

कृते शंकरन एंड कृष्णन
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण सं.003582एस

वी.वी. कृष्णमूर्ति
साझेदार
सदस्यता सं.: 027044
यूडीआईएन 20027044एएएएबीएम7670

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 26 जून, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध ''क''

(आईटीआई लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी समदिनांक रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' खंड के अंतर्गत पैराग्राफ 1(च) से संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 के उपधारा 3 के खंड के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2020 तक **आईटीआई लिमिटेड (''कंपनी'')** के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय विवरणों को उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के साथ लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मण्डल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आधारित आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए जवाबदेह है। इस जवाबदेही में, कंपनी की आस्ति की सुरक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित अनुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण, जो कि कंपनी की नीतियों, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाना एवं रोकथाम, लेखा अभिलेखों की यथार्थता और पर्याप्तता, विश्वसनीय वित्तीय विवरणों की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय को विवेकपूर्ण एवं सशक्त रूप में संचालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय व्यक्त करनी है। हमने अपनी लेखापरीक्षा को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी (''दिशानिर्देश टिप्पणी'') तथा लेखापरीक्षा के मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होने के अनुसार किया है। उन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणियों की यह अपेक्षा होती है कि हम नीतिगत आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाएँ और उचित आश्वासन/विश्वास प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें चाहे वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हों तथा ऐसे नियंत्रण सभी यथार्थ मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हों।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्राभविकता प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, मौजूद भौतिक कमजोरियों की जोखिम का आकलन करना, आकलित जोखिम के आधार आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन एवं परिचालन प्रभाविकता को मूल्यांकित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के पथार्थ गलत अनुमान की जोखिम, चाहे वह धोखा या त्रुटि से हो, का आकलन करने सहित चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त एवं उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आमतौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में नीतियाँ और प्रक्रियाँ सम्मिलित हैं कि–

(1) समुचित विवरणों के साथ सही अभिलेखों के अनुरक्षण को कंपनी की आस्तियों के लेनदेन तथा स्वभाव को यथार्थतः एवं प्रतिबिंबित करने के संबंध में प्रदान करता है;

(2) आमतौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आवश्यक लेनदेन अभिलेखित किए जाए और प्रबंधन एवं कंपनी के निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय तैयार किए जाने का समुचित आश्वासन प्रदान करना; और

(3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डालनेवाले कंपनी की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण के रोकथाम या समय पर पता लगाना, उपयोग, या स्वभाव के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की कपटसंधि या अनुचित प्रबंधन प्रत्यादिशती सहित त्रुटि या धोखाधड़ी की वजह से भौतिक गलत बयान हो सकते हैं और पता लगाया नहीं जाता। इसके अलावा, भावी समय के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन के अनुमान उस जोखिम पर निर्भर होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन, या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन बिगड़ जाने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी जानकारी और हमें दी गई स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने सभी यथार्थ मामलों में परिचालनीय पर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा 31 मार्च, 2020 के अनुसार प्रभावी रूप से परिचालनीय वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपनाया है, जो भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी के अधीन निर्धारित अनुसार उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

कृते शंकरन एंड कृष्णन
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण सं.003582एस

वी.वी. कृष्णमूर्ति
साझेदार
सदस्यता सं.: 027044

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 26 जून, 2020

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध ''ख''

(आईटीआई लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट के ''अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट'' के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं:

i) कंपनी ने सभी स्थाई परिसंपत्तियों के लिए समुचित अभिलेखों का रख-रखाव, परिणात्मक विवरण तथा उसकी स्थिति को दर्शाते हुए किया है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, अन्य सभी स्थानों पर स्थाई परिसंपत्तियों को प्रबंधन द्वारा समय-समय पर चरणबद्ध तरीके से भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है और इस तरह के सत्यापन में कोई भी भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं।

ii) हमारे द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रतिवर्ष प्रबंधन द्वारा मालसूची का भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, उन स्थानों पर मालसूची के भौतिक सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं, जहां प्रबंधन ने भौतिक सत्यापन किया था।

iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है। अतः आदेश का पैरा 3 (iii) कंपनी पर लागू नहीं होता।

iv) कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 के तहत शामिल पार्टियों को कोई ऋण या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। कंपनी ने अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है जो धारा 186 के तहत शामिल किए गए पार्टियों को प्रदत्त ऋण से संबंधित है।

v) कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 तक के प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जनता से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं किया है।

vi) हमने कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत निर्दिष्ट लागत अभिलेखों की व्यापक रूप से समीक्षा की है, और हमने राय की है कि, प्रथम दृष्ट्या, निर्धारित लागत अभिलेखों की तैयारी की गई है और बनाए रखा गया है। हालांकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए लागत अभिलेखों की एक विस्तृत परीक्षा नहीं की गई है कि क्या वे सटीक या पूर्ण हैं।

vii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों पर की गई जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, टीडीएस, बिक्री-कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, जीएसटी, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य वैधानिक प्राधिकारियों को देय राशि सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में अनियमितता अपनाई है और कंपनी की खाता बही में भविष्य निधि से संबंधित बकाया राशि के रूप में 22841.20 लाख रुपये की राशि निलंबित है। इसके अलावा 267.21 लाख रुपये की राशि यूपी व्यापार कर की ओर बकाया है, जो विवादित नहीं हैं और वे देय होने के छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया हैं।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, वैधानिक बकाया जो किसी भी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा नहीं किए गए हैं, वे निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	अधिनियम का नाम	बकाए की प्रकृति	लाख रुपये में राशि	अवधि जिससे विवाद संबंधित है	अदालत, जहां विवाद निलंबित है
1.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	सीएई विभाग द्वारा विवादित सॉफ्टवेयर पर प्राप्त शुल्क की शून्य दर (पूर्व जमा राशि का निवल 200.00 लाख रुपये)	637.00	2003-2005	उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
2.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	फील्ड परीक्षण के लिए आरएंडडी प्रोटोटाइप मॉड्यूल पर ईडी की मांग। विस्तृत रोक (पूर्व जमा का 30.00 लाख रुपये)	299.00	2006-2007	उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
3.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा विवादित सॉफ्टवेयर पर प्राप्त शुल्क की शून्य दर (पूर्व जमा राशि 14.00 रुपए)	497.28	2001-2002 2002-2003	उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
4.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	सेनवैट क्रेडिट	376.00	2007-2008	उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
5.	यूपी वैट	बिक्री कर	264.89	1986-1989	यूपी सरकार
6.	यूपी वैट	बिक्री कर	15.32	1989-1996	यूपी सरकार
7.	आयकर अधिनियम, 1961	टीडीएस के लिए जुर्माना / अतिरिक्त शुल्क	4.91	2008-2011	सीपीसी (टीडीएस)
8.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	8435.14	2009-2010 से 2013-2014	न्यायाधिकरण इलाहाबाद
9.	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	1992.19	2009-10 से 2013-2014	न्यायाधिकरण सी
10.	केंद्रीय बिक्री कर, 1956	फार्म सी के विरुद्ध अतिरिक्त कर की मांग 109 109	1013.98	2005-2006	अपर आयुक्त अपील, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद
11.	केंद्रीय बिक्री कर, 1956	फार्म सी के विरुद्ध अतिरिक्त कर की मांग	2.64	2007-2008	उप आयुक्त सेक्टर 14, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद
12.	केंद्रीय बिक्री कर, 1956	फार्म सी / एफ के विरुद्ध अतिरिक्त कर की मांग	9.23	2008-2009	अपर आयुक्त अपील, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद
13.	केंद्रीय बिक्री कर, 1956	अपर आयुक्त अपील वाणिज्यिक कर इलाहाबाद	2.12	2009-2010	संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद

क्रम सं.	अधिनियम का नाम	बकाए की प्रकृति	लाख रुपये में राशि	अवधि जिससे विवाद संबंधित है	अदालत, जहां विवाद निलंबित है
14.	केंद्रीय बिक्री कर, 1956	फार्म सी / एफ के विरुद्ध अतिरिक्त कर की मांग	60.57	2010-2011	उप आयुक्त सेक्टर 14, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद
15.	केंद्रीय बिक्री कर, 1956	प्रदत्त अपील के विरुद्ध रिमांड आदेश	10.96	2011-2012	अपर आयुक्त अपील, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद
16.	केंद्रीय बिक्री कर, 1956	प्रदत्त अपील के विरुद्ध रिमांड आदेश	96.17	2012-2013	उप आयुक्त सेक्टर 14, वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद
17.	केंद्रीय बिक्री कर, 1956, यूपी वैट	कर की मांग	86.75	2013-2014	अपर आयुक्त (अपील), वाणिज्यिक कर, इलाहाबाद
18.	सीएसटी	बिक्री कर	28.04	2001-2002	उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम
19.	सीएसटी	बिक्री कर	24.61	2005-2006	उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम
20.	केंद्रीय बिक्री कर, 1956	बिक्री कर	97.72	2006-2007	केरल का उच्च न्यायालय
21.	केंद्रीय बिक्री कर, 1956	बिक्री कर	0.88	2009-2010	अपील अधिकरण, पालक्काड़
22.	सीएसटी	बिक्री कर	504.13	2003-2004	केवीएटी- अपील
23.	सीएसटी	बिक्री कर	111.20	2013-2014	डीसी- अपील
24.	सीएसटी	बिक्री कर	13.25	2014-2015	डीसी- अपील
25.	सीएसटी	बिक्री कर	13.56	2015-2016	डीसी- अपील
26.	सीएसटी	बिक्री कर	250.00	2016-2017	डीसी- अपील
27.	सीएसटी	बिक्री कर	26.27	2017-2018	डीसी- अपील
28.	वैट	बिक्री कर	84.09	2012-2013	डीसी- अपील
29.	सेवा कर (वित्त अधिनियम, 1994)	सेवा कर	109.44	2010-2011	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कालीकट
30.	सेवा कर (वित्त अधिनियम, 1994)	सेवा कर	140.34	2011-2012	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कालीकट
31.	सेवा कर (वित्त अधिनियम, 1994)	इनपुट सेवाओं पर सेवा कर क्रेडिट से इनकार	161.27	2011-2012	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कालीकट
32.	सेवा कर (वित्त अधिनियम, 1994)	मानवशक्ति आपूर्ति पर सेनवैट क्रेडिट	2.76	2012-2013	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कालीकट
	सेवा कर (वित्त अधिनियम, 1994)	मानवशक्ति आपूर्ति पर सेनवैट क्रेडिट	2.69	2012-2013	आयुक्त कालीकट
33.	बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर	287.18	2005-2006 2007-2008 2008-2009 2010-2011	व्यापार कर न्यायाधिकरण, लखनऊ
34.	बिक्री कर और प्रवेश कर अधिनियम	बिक्री कर	263.43	2006-2007 2009-2010 2011-2012	अपर आयुक्त (व्यापार कर) लखनऊ
35.	कर्नाटक नगरपालिका अधिनियम, 1964	संपत्ति कर की उच्च दर की मांग	827.55	2008-2009 से 2017-2018	कर्नाटक उच्च न्यायालय
36.	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2003	टर्नओवर दमन	26.47	2013-2014	वाणिज्यिक कर अधिकारी, त्रिपुनिथुरा
37.	कर्नाटक वैट अधिनियम, 2003	टर्नओवर दमन	48.92	2014-2015	अपीलीय सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, एर्नाकुलम
38.	सेवा कर	प्राप्त रॉयल्टी भुगतान पर सेवा कर का गैर-भुगतान	44.78	2012-2013 से 2014-2015	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त
39.	केवीएटी	टर्नओवर दमन	65.87	2012-2013	उप आयुक्त(अपील)- वाणिज्यिक कर, एर्नाकुलम
40.	बिक्री कर	बिक्री कर	733.36	1987-1988 से 1989-1990, 1996-1997, 1999-00, 2002-2003	उच्च न्यायालय, जम्मू और कश्मीर
		कुल	**17671.96**		

viii) हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों पर की गई जांच और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी बैंक या सरकार को ऋण और उधार के भुगतान में चूक नहीं किया है।

ix) कंपनी ने सेबी के साथ दिनांक 17 जनवरी 2020 को एफपीओ(आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव) हेतु रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस दायर किया। हालांकि, बाजार की मौजूद परिस्थितियों के कारण कंपनी ने इस मुद्दे को वापस ले लिया है।

x) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, हमारे लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी या उनके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के संबंध में रिपोर्ट नहीं किया गया है।

xi) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) दि.05.06.2015 के मद्देनजर प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के संबंध में आदेश के पैरा 3(xi) कंपनी के लिए लागू नहीं होता।

xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधी कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 (xii) लागू नहीं होता।

xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों पर हमारी परीक्षा के आधार पर, जहां भी लागू है, संबंध पार्टी के साथ लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक (एएस) 18 के अधीन अपेक्षित अनुसार, ऐसे संबंध पार्टी के साथ लेनदेन का विवरण आवश्यक वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

xiv) जैसा कि इक्विटी शेयरों का अधिमान्य इश्यू औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा अनुमोदित औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के तहत पुनर्वास योजना के संदर्भ में बनाया गया है, अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और धारा 62 के प्रावधान और कंपनी (सूचीपत्र और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14 कंपनी के लिए लागू नहीं होते।

xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों पर हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने निदेशक या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 (xv) लागू नहीं होता।

xvi) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अधीन रजिस्टर किए जाने की ज़रूरत नहीं है और तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3(xvi) कंपनी पर लागू नहीं होता।

कृते शंकरन एंड कृष्णन
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण सं.003582एस

वी.वी. कृष्णमूर्ति
साझेदार
सदस्यता सं.: 027044

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 26 जून, 2020

अनुबंध – ग

वर्ष 2019–20 के लिए लेखे का लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए आईटीआई लिमिटेड के सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी नए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन निर्देश

क्रम सं.	क्षेत्र	लेखा परीक्षक की टिप्पणी
क)	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के बाहर सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो, उल्लेख किए जाएँ।	हां, कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है। हमने अवलोकन किया कि खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेखांकन लेनदेन संसाधित नहीं किया जाता है।
ख)	क्या किसी मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना होने या कंपनी को ऋण चुकाने में हुई असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा उधार/ऋण/ब्याज आदि बट्टे खाते में डालने या माफ करने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना होने या कंपनी को ऋण चुकाने में हुई असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा उधार/ऋण/ब्याज आदि बट्टे खाते में डालने या माफ करने का कोई घटना नहीं है। पुनर्वास योजना के तहत आईटीआई के पुनरुद्धार के लिए फरवरी 2014 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित 4156.79 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की स्थिति के संदर्भ में लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 31.15 पर ध्यान आकर्षित किया जाता है।
ग)	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि को समुचित रूप में हिसाब लगाया गया/नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने विभिन्न संयंत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के कैपेक्स कार्यान्वयन को पूरा करने के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से 10500 लाख रुपये प्राप्त किए हैं। खाते की पुस्तकों में निधियों का सही हिसाब लगाया गया था। जारी की गई धनराशि में से, 37.75 करोड़ रुपये का उपयोग कैपेक्स के लिए किया गया है, 67.25 करोड़ रुपये का उपयोग कार्यशील पूंजीगत उद्देश्यों के लिए किया गया था।

कृते शंकरन एंड कृष्णन

सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण सं.003582एस

वी.वी. कृष्णमूर्ति
साझेदार
सदस्यता सं.: 027044

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 26 जून, 2020

अनुपालन प्रमाण पत्र

हम आईटीआई लिमिटेड के वैधानिक लेखापरीक्षक, मेसर्स शंकरन एंड कृष्णन, सनदी लेखाकार, बेंगलूरु, ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के एकल लेखों का लेखा परीक्षा किया है और एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि हमने हमें जारी किए गए उन सभी निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते शंकरन एंड कृष्णन
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण सं.003582एस

वी.वी. कृष्णमूर्ति
सदस्यता सं.: 027044

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 26 जून, 2020

समेकित वित्तीय विवरण

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

कॉर्पोरेट जानकारी

भारत की पहली सार्वजनिक क्षेत्र इकाई (पीएसयू) - आईटीआई लिमिटेड की स्थापना 1948 में हुई थी। तब से, दूरसंचार के क्षेत्र में एक अग्रणी उद्यम के रूप में, इसने वर्तमान राष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क का 50% योगदान दिया है। नवोन्मेष विनिर्माण सुविधाओं के साथ छह स्थानों और विपणन/सेवा आउटलेट के देशव्यापी नेटवर्क में फैले हुए, कंपनी दूरसंचार उत्पादों की पूरी श्रृंखला और स्विचिंग, ट्रांसमिशन, एक्सेस और अभिदाता परिसर उपकरण के पूरे विस्तार को कवर करने वाले सकल समाधान प्रदान करती है।

आईटीआई वर्ष 2005-06 में अपने मानकापुर और रायबरेली संयंत्रों में मोबाइल उपकरण निर्माण सुविधाओं के उद्घाटन के साथ ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल (जीएसएम) प्रौद्योगिकी के विश्व स्तरीय विक्रेताओं के लीग में शामिल हो गया। इसने देश में स्वदेशी मोबाइल उपकरण उत्पादन के एक नए युग में शुरुआत की। ये दोनों सुविधाएं घरेलू और निर्यात बाजार दोनों के लिए सालाना नौ मिलियन से अधिक लाइनों की आपूर्ति करती हैं।

1) **तैयारी का आधार**

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार जैसा कि यहां बताया गया है, उन्हें छोड़कर, वित्तीय विवरणों को, लेखांकन के संचय आधार पर, तैयार किए जाते हैं और प्रस्तुत किए जाते हैं। जीएएपी में अनिवार्य भारतीय लेखा मानक (इंड-एएस) लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान शामिल हैं, जिन्हें लगातार लागू किया गया है, सिवाय इसके कि एक नया लेखा मानक प्रारंभ में अपनाया गया है या मौजूदा लेखा मानक में संशोधन के लिए अब तक लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता है।

मापन का आधार :

निम्नलिखित संपत्तियों और देनदारियों, जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है, को छोड़कर वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है :

क. व्युत्पन्न वित्तीय साधन, यदि कोई हो

ख. वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा गया है

ग. परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर परिभाषित लाभ संपत्ति/(देयता) योजना संपत्तियों के कम उचित मूल्य मान्यता प्राप्त है।

2) **अनुमानों का उपयोग**

भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख को प्रकट संपत्तियों, देनदारियों, राजस्व, व्यय और आकस्मिक देनदारियों की प्रकटीकरण की रिपोर्ट की गई राशि तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय पर रिपोर्ट की गई राशि में प्रबंधन को प्राक्कलनों और अनुमानों पर विचार करने की अपेक्षा होती है। हालांकि इस प्रकार के अनुमान सभी उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए एक उचित और विवेकी आधार पर किए जाते हैं, वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और इस तरह के अंतर उस अवधि में मान्यता प्राप्त हैं जिसमें परिणाम निर्धारित किए जाते हैं।

3) **कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा**

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (आईएनआर) में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है और प्राथमिक आर्थिक परिवेश की मुद्रा है जिसमें इकाई संचालित होती है। भारतीय रुपए में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी शेयर और प्रति शेयर डेटा को छोड़कर निकटतम लाखों में पूर्णांक की गई है ।

4) **राजस्व मान्यता**

क. माल की बिक्री

माल की बिक्री से राजस्व को प्राप्त या प्राप्त करने योग्य, रिटर्न के शुद्ध, व्यापार छूट और वॉल्यूम छूट के उचित मूल्य पर विचार करते हुए मापा जाता है। जब महत्वपूर्ण जोखिम और स्वामित्व के पुरस्कार को बिक्री समझौते की शर्तों के अनुसार ग्राहक को स्थानांतरित कर दिया गया है, न ही निरंतर प्रबंधन भागीदारी और माल पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखा जाता है, विचार की वसूली संभव है, और लागत की लागत और राजस्व विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, तब राजस्व को मान्यता दी जाती है। जोखिम समझौते के अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक शर्तें के आधार पर जोखिम और पुरस्कारों के हस्तांतरण का समय मूल्यांकन किया जाता है।

ख. पूर्व-संकर्म अनुबंध

जब आवश्यक माल पूर्व निरीक्षण और स्वीकृति के बाद अनुबंध के लिए बिना शर्त रूप से विनियमित होते हैं, यदि आवश्यक हो।

ग. एफ़ओआर अनुबंध

एफ़ओआर अनुबंध के मामले में, जब बिक्री पूर्व निर्धारित और स्वीकृति के बाद खरीददार को अंतरण के लिए वाहक को माल सौंप दिया जाता है और एफ़ओआर गंतव्य स्थान के अनुबंध के मामले में, यदि लेखांकन अवधि के अंदर गंतव्य तक पहुंचने वाले माल की उचित अपेक्षा होने पर बिक्री की मान्यता दी जाती है।

घ. बिल और होल्ड बिक्री

बिल-और-होल्ड लेनदेन के लिए, जब ग्राहक शीर्षक लेता है तो राजस्व पहचाना जाता है, बशर्ते कि :

i. यह संभव है कि वितरण किया जाएगा;

ii. जब बिक्री की मान्यता दी जाती है, तब खरीददार को मद को तैयार कर, पहचानकर और सुपुर्दगी की जाती है;

iii. खरीददार विशेष रूप से आस्थगित सुपुर्दगी निर्देशों को स्वीकार करता है; सामान्य भुगतान शर्तें लागू होती हैं।

ङ. निर्माण अनुबंध

अनुबंध राजस्व में अनुबंध में सहमत प्रारंभिक राशि शामिल है और अनुबंध काम में कोई बदलाव होने पर, दावों और प्रोत्साहन भुगतान, वे इस हद तक संभव है कि वे राजस्व में परिणाम देंगे और विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

अनुबंध राजस्व अनुबंध के पूरा होने के चरण के अनुपात में मान्यता प्राप्त है। पूरा करने का चरण अनुबंध पूरा करने की अनुमानित कुल लागत तक रिपोर्टिंग तिथि तक अनुबंध पर किए गए वास्तविक लागत के अनुपात के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

अगर परिणाम विश्वसनीय रूप से अनुमानित नहीं किया जा सकता है और जहां लागत वसूल करना संभव है, राजस्व लागत की सीमा तक मान्यता दी जाती है।

जब यह संभव है कि अनुबंध पूरा होने पर अनुबंध लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो जाएगी, पूरा होने पर अपेक्षित नुकसान तुरंत एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

च. मूल्य की वृद्धि

उन अनुबंधों के मामले में जहां अतिरिक्त विचार ग्राहकों द्वारा निर्धारित और अनुमोदित किया जाना है, ऐसे अतिरिक्त राजस्व को ग्राहक(कों) से पुष्टि प्राप्त होने पर मान्यता दी जाती है।

बेची गई उप इकाइयों की फुटकर कीमत उपलब्ध नहीं होने पर वही अनुमान लगाया जाता है।

छ. इकट्ठा हुए अनुबंध

इकट्ठा किए गए अनुबंध के मामले में, जहां संस्थापन और कमीशनिंग या किसी अन्य अलग पहचानने योग्य घटक के लिए अलग शुल्क निर्धारित नहीं किया जाता है, कंपनी लेनदेन के अलग-अलग पहचाने जाने योग्य घटकों (माल की बिक्री, संस्थापन, कमीशनिंग इत्यादि) के लिए मान्यता मानदंड लागू करती है और उनके संबंधित उचित मूल्य के आधार पर उन अलग-अलग घटकों को राजस्व आबंटित किया जाता है।

ज. एकाधिक तत्व

ऐसे मामलों में जहां संस्थापन और कमीशनिंग या कोई अन्य अलग पहचान योग्य घटक निर्धारित किया जाता है और इसके लिए कीमत अलग से सहमत की जाती है, कंपनी लेनदेन के अलग-अलग पहचाने गए घटकों (माल की बिक्री, संस्थापन, कमीशनिंग इत्यादि)के लिए मान्यता मानदंड लागू करती है और अनुबंध के आधार पर उन अलग-अलग घटकों को राजस्व आबंटित किया जाता है।

झ. बिक्री में बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर (वैट)/वस्तु और सेवा कर (जीएसटी)/सेवा कर शामिल नहीं है।

वर्ष के दौरान निष्पादित अनुबंधों के लिए तरल क्षति सहित ग्राहकों द्वारा संभावित अस्वीकृति के लिए निर्यात की बिक्री के मुद्दे पर बिक्री के रूप में निर्यात बिक्री को अलग-अलग माना जाता है।

ञ. सेवाओं की आपूर्ति

जब अनुबंध समय के आधार पर दर्ज किए जाते हैं, तो वर्ष से संबंधित वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध से राजस्व की मान्यता दी जाती है। प्रतिपादन सेवाओं के समय राजस्व मान्यता प्राप्त है।

अन्य निश्चित मूल्य अनुबंधों के लिए (सॉफ्टवेयर से संबंधित सेवाओं की बिक्री सहित) रिपोर्टिंग तिथि पर लेनदेन को पूरा करने के चरण के अनुपात में राजस्व को मान्यता दी जाती है। पूरा करने के चरण को मूल्यांकन किए गए कार्यों के संदर्भ में मूल्यांकित किया जाता है। विचाराधीन वसूली के संबंध में महत्वपूर्ण अनिश्चितता होने पर या यदि खर्च किए गए या किए जाने वाले खर्चों को विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है, तो कोई राजस्व पहचाना नहीं जाता है।

ट. ब्याज आय

ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग कर मान्यता दी जाती है।

ठ. लाभांश

जब लाभांश प्राप्त करने हेतु कंपनी का अधिकार स्थापित किया जाता है तो लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

ड. किराए से आय

जब तक किराये में वृद्धि अपेक्षित मुद्रास्फीति या अन्यथा उचित (उचित मूल्य) के अनुरूप नहीं होती है, परिचालनीय पट्टे से उत्पन्न होने वाली किराये के आय लीज अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर होते हैं।

ढ. शुल्क वापसी

दावों को प्रमुखता देने के संबंध में निर्यात पर शुल्क वापसी का दावा किया जाता है।

ण. अन्य आय

अन्य आय जिसे विशेष रूप से ऊपर वर्णित नहीं है, को अर्जन के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

5) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, प्रगतिशील पूंजी कार्य

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को ऐतिहासिक लागत पर संचित अवमूल्यन और क्षति नुकसान, यदि कोई हो, के घाटे पर दर्शाये गए हैं। लागत में खरीद मूल्य और पीपीई को अपने अभिप्रेत उपयोग के लिए कामकाजी स्थिति में लाने की कोई भी जिम्मेदार लागत शामिल है। पीपीई के अधिग्रहण से संबंधित उधार और अन्य जिम्मेदार लागत, जो इसके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है, को भी इस अवधि तक संबंधित सीमा तक भी शामिल किया गया है जब तक कि इस तरह के पीपीई उपयोग करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। या तो निपटान पर या इस तरह के उपयोग से सेवानिवृत्त होने पर वित्तीय विवरणों से पीपीई को हटा दिया जाता है। जब संयंत्र और उपकरण के महत्वपूर्ण पुर्जों को अंतराल पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें अलग घटक के रूप में मान्यता दी जाती है।

उपहार के रूप में या मुफ्त में प्राप्त संपत्तियों को उचित मूल्य पर दर्शाई जाती हैं, जिसे अधिग्रहण या प्राप्ति के समय कम संचित मूल्यह्रास और क्षति नुकसान के घाटे पर अन्य इक्विटी में जमा किया जाता है।

प्रगतिशील पूंजी कार्य

तुलनपत्र की तिथि पर संस्थापन या निर्माणाधीन संपत्तियों को प्रगतिशील पूंजी कार्य के रूप में दर्शाई जाती है।

निर्माण अवधि से संबंधित आय, जैसे ठेकेदारों से प्राप्त अग्रिम से ब्याज, निविदा दस्तावेजों की बिक्री इत्यादि, को निर्माण के दौरान व्यय के विरुद्ध समाप्त किया जाता है।

पट्टेधारित भूमि के विकास पर व्यय को भूमि विकास व्यय के रूप में पूंजीकृत किया गया है और पट्टे की अवधि या उपयोगी, जीवनकाल जो भी कम है, पर अमूर्त किया गया है।

पीपीई की पूरी श्रेणी के पुनर्मूल्यांकन की स्थिति में, यदि पुनर्मूल्यांकित राशि पीपीई की ले जाने वाली राशि से अधिक है, तो इस तरह के अंतर को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के रूप में लिया जाता है। यदि पुनर्मूल्यांकित राशि पीपीई की ले जाने वाली राशि से कम है और यदि पीपीई की श्रेणी को पहले से ही पुनर्मूल्यांकित की जा चुकी है,, तो पीपीई की एक ही श्रेणी के लिए पुनर्मूल्यांकन आरक्षित के तहत उपलब्ध राशि के विरुद्ध अंतर निर्धारित किया गया है और इसके अतिरिक्त, जीवन यदि कोई हो, को लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

6) अमूर्त संपत्तियां, विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

क. आंतरिक उपयोग के लिए अधिग्रहित सॉफ़्टवेयर (जो संबंधित हार्डवेयर का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है) की लागत और इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण भविष्य के आर्थिक लाभ को, उपयोग के लिए तैयार हो जाने पर अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। अमूर्त संपत्ति, जो तुलनपत्र की तिथि पर उनके अभिप्रेत उपयोग के लिए तैयार नहीं है, को विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

ख. जहां भी योग्य हो, विकासशील कार्य की लागत को उनके पूरा होने पर अमूर्त संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।

ग. जहां भी योग्य हो, प्रगति के तहत विकास कार्यों की लागत को विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

घ. ले जाने वाली राशि में विकास परियोजना (ओं) की ओर बाहरी एजेंसियों को कंपनी द्वारा वित्त पोषित राशि और कंपनी द्वारा भौतिक लागत, कर्मचारी लागत और अन्य प्रत्यक्ष व्यय की ओर किए गए व्यय शामिल है।

7) अनुसंधान और विकास व्यय:

अनुसंधान व्यय लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। उत्पादों की विकास लागत को लाभ और हानि विवरण पर भी दर्शाया जाता है जब तक कि उत्पाद की तकनीकी व्यवहार्यता स्थापित नहीं की जाती है, इस मामले में इस तरह के व्यय को पूंजीकृत किया जाता है। अनुसंधान और विकास में उपयोग की जाने वाली मूर्त संपत्तियां पूंजीकृत हैं।

अन्य विकास गतिविधि की ओर किए गए व्यय, जहां नए या बेहतर उत्पादों या प्रक्रियाओं के विकास के लिए शोध परिणाम या अन्य ज्ञान लागू किया गया है, और यदि भारतीय लेखा मानक 38 में निर्दिष्ट मान्यता मानदंडों को पूरा किया जाता है, को अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है और जब विकसित उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रयोग करने योग्य है, कंपनी के पास विकास को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं और बाद में अमूर्त संपत्ति का उपयोग या बिक्री की जाती है, और उत्पाद या प्रक्रिया भविष्य के आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की संभावना है।

8) गैर-वित्तीय संपत्तियों का नुक़सान

प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि के अंत में, अगर आंतरिक/बाहरी कारकों के आधार पर हानि का कोई संकेत होने हेतु संपत्तियों की ले जानेवाली राशि की समीक्षा की जाती है। यदि अनुमानित वसूली योग्य राशि ले जाने वाली राशि से कम पाई जाती है, तो क्षति नुकसान की मान्यता दी जाती है और संपत्तियां वसूली योग्य राशि पर लिखी जाती हैं।

9) मूल्यह्रास/परिशोधन

संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास की गणना सीधी रेखा के आधार पर की जाती है।

वर्ष के दौरान निश्चित परिसंपत्तियों को जोड़ और हटाने पर मूल्यह्रास को यथानुपात आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

क. महीने के 15वें दिन या उससे पहले की गई संपत्तियों के अतिरिक्त महीने के लिए मूल्यह्रास पूरी तरह से माना जाता है जबकि महीने के 15वें दिन के बाद कमीशन की गई परिसंपत्तियों के अतिरिक्त महीने के लिए कोई मूल्यह्रास माना नहीं जाता है।

ख. महीने के 15वें दिन या उससे पहले बेचे गए, अयोग्य, क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्तियों के संबंध में, हटाने के महीने के लिए कोई मूल्यह्रास माना नहीं जाता है, जबकि महीने के 15वें दिन के बाद बेचे गए, अयोग्य, क्षतिग्रस्त या नष्ट संपत्तियों के लिए हटाने के महीने के लिए पूर्ण रूप में तरह से माना जाता है।

ग. परिसंपत्ति के एक हिस्से की लागत संपत्ति की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण है और उस हिस्से का उपयोगी जीवन शेष संपत्ति के उपयोगी जीवन से अलग है, तो उस महत्वपूर्ण भाग के उपयोगी जीवन को अलग-अलग निर्धारित किया जाता है और इसके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा विधि पर ह्रास की जाती है।

घ. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास के तरीकों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो, तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

परिशोधन

अमूर्त संपत्तियों को उनके संबंधित व्यक्तिगत अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर, उस तारीख, जब वे उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, से अलग किए जाते हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन विधियों और उपयोगी जीवन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

अवमूल्यन संपत्तियों के मामले में जो संशोधित किए गए हैं, पुनर्मूल्यांकित राशि पर सीधी रेखा विधि पर मूल्यह्रास की गणना की जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार, पुनर्मूल्यांकन के कारण बढ़ती अवमूल्यन सामान्य रिजर्व को क्रेडिट के रूप में कम किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का निपटान

शुरुआत में मान्यता दी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु और किसी भी महत्वपूर्ण भाग को उनके निपटान पर या इसके उपयोग या निपटान से भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तो उनके निपटान पर विमान्यता की जाती है। परिसंपत्ति की विमान्यता पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की ले जाने वाली राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) को परिसंपत्ति को विमान्यता किए जाने पर लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

	विवरण	(वर्ष)
क.	(क) भवन (कारखाने की इमारतों के अलावा)	60
	(ख) कारखाने की इमारत	30
	(ग) पूरी तरह से अस्थायी निर्माण	3
	(घ) प्लिंथ क्षेत्र में प्रत्येक इकाई के लिए आवास निर्माण 80 वर्गमीटर से अधिक नहीं है।	30
ख.	फर्नीचर और फिटिंग	10
ग.	संयंत्र और मशीनरी	
	(क) सामान्य दर (डबल शिफ्ट आधार पर)	15
	(ख) विशिष्ट दर : - सर्वर और नेटवर्क	6
	(ग) कंप्यूटर सहित डेटा प्रोसेसिंग मशीन	3
घ.	सड़क और कांपेंड वाल	10
ङ	कार्यालय मशीनरी और उपकरण	5
च.	वाहन	8
छ.	5,000 / - रुपये से कम की लागत वाली परिसंपत्तियाँ 100 प्रतिशत की कमी	
	हालांकि, 50,000/- रुपये और उससे अधिक की मूल लागत वाले परिसंपत्तियों के संबंध में, पुस्तकों में 5/- रुपये की अवशिष्ट शेष राशि बरकरार रखी गई है।	

10) पट्टे

प्रारम्भिक तिथि पर ही किसी पट्टे को वित्तीय या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

वित्तीय पट्टे को उचित मूल्य के नीचे पंजीकृत किया जाता है और पट्टे के शुरू होने पर न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य होता है। वित्त प्रभार को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है। एक पट्टे वाली संपत्ति को संपत्ति या लीज अवधि के उपयोगी जीवन, जो भी कम हो, पर मूल्यह्रास किया जाता है।

सिवाय जब पट्टा भुगतान सामान्य मुद्रास्फीति के अनुसार बढ़ता है या अन्यथा उचित है, पट्टे की अवधि के दौरान ऑपरेटिंग लीज भुगतान को लाभ और हानि विवरण में सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

पट्टादाता के रूप में कंपनी

ऑपरेटिंग लीज आय को सीधी रेखा के आधार पर लीज अवधि पर मान्यता प्राप्त होती है, सिवाय इसके कि जब वृद्धि सामान्य मुद्रास्फीति या अन्यथा उचित हो। आकस्मिक किराए, अगर कोई है, तो उसे अर्जित अवधि में राजस्व के रूप में पहचाने जाते हैं।

वित्त पट्टे के मामले में, पट्टे में कंपनी के निवल निवेश के रूप में प्राप्तकर्ताओं के रूप में कमियों के कारण रकम दर्ज की जाती है। वित्त पट्टे की आय लाभ और हानि के वक्तव्य में मान्यता प्राप्त है।

11) उधार लागत

उधार लागत सीधे उस संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए जिम्मेदार है जो आवश्यक उद्देश्य या बिक्री के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त समय लेती है, संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत होती है।

सामान्य उधार लागत को पूंजीकरण दर लागू करके परिसंपत्तियों को अर्हता प्राप्त करने के लिए पूंजीकृत किया जाता है, जो उस उधार के लिए विशिष्ट उधार के अलावा बकाया सामान्य उधार के लिए उधार लेने वाली लागतों का भारित औसत होता है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में व्यय होती है जिसमें वे संभावित हैं। उधार लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो एक इकाई निधि के उधार के संबंध में होती है, साथ ही साथ उधार लागत में समायोजन के रूप में माना जाता है।

12) सरकारी अनुदान

सरकार से प्राप्त अनुदान को उचित मूल्य पर मापा जाता है और शुरुआत में आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है।

स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण आस्थगित आय के तहत पड़ी राशि को संबंधित परिसंपत्तियों पर लगाए गए मूल्यह्रास के अनुपात में अधिग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले सरकारी अनुदान के लिए जिम्मेदार सीमा तक लाभ और हानि विवरण के क्रेडिट में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

राजस्व व्यय के कारण आस्थगित आय के तहत निलंबित राशि को वित्त पोषण के अनुपात में किए गए व्यय की सीमा तक लाभ और हानि विवरण में हस्तांतरित किया जाता है, जो स्वीकृत अनुदान तक ही सीमित स्वीकृत लागत तक सीमित होता है।

13) संयुक्त उद्यम और एसोशिएट में निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में संयुक्त उद्यम और एसोशिएट में कंपनी की भागीदारी को लागत पर दर्शाया गया है, बल्कि समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी विधि के तहत दर्शाया गया है।

14) मालसूचियाँ

विनिर्माण/उत्पादन गतिविधियों के लिए अप्रचलन के बाद, यदि कोई हो, खरीदी गई कच्ची सामग्रियों, घटकों और भंडार को कम लागत और निवल प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है। वर्ष के अंत में भारित औसत दर पर लागत की गणना की जाती है। जहां भी वही सामान खरीदे जाते हैं, विनिर्माण लागत आमतौर पर अपनाई जाती है।

उप साधन और फैब्रिकेटर के साथ कच्चे माल और उत्पादन भंडार को उनके जारी किए जाने पर कम कीमत पर मूल्यांकित किए जाते हैं और अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, निवल निष्पाद्य मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

स्टॉक और स्टॉक-इन-ट्रेड में निर्मित मदों को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, ब्याज शुल्क, प्रशासन ओवरहेड्स और बिक्री ओवरहेड्स और निवल प्राप्य मूल्य पर छोड़कर कम लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

मूल्यवान धातु स्क्रैप को वर्ष के अंत में शुद्ध वास्तविक मूल्य पर बही खाते में लाया जाता है।

15) चालू कार्य

क. प्रक्रियाशील कार्य (उत्पादन) के मूल्य को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, ब्याज शुल्क, प्रशासन और बिक्री ओवरहेड्स को छोड़कर और निवल अचल मूल्य पर भौतिक रूप से सत्यापित मात्रा के आधार पर मूल्यांकित है ।

ख. प्रक्रियाशील कार्य (संस्थापन) के मूल्य को, अप्रचलन प्रदान करने के बाद, यदि कोई हो, कार्य आदेशों और निवल प्राप्य मूल्य में दर्ज की गई लागत के कम मूल्य पर मूल्यांकित है।

16) औज़ार और गेज

विशेष उद्देश्य के औजारों और जुडनारों पर व्यय शुरू में लागत पर पूंजीकृत है और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, व्यवस्थित आधार पर उत्पादन पर परिशोधित हैं।

फुटकर औजारों को जारी करते समय राजस्व पर प्रभारित किए जाते हैं।

17) वित्तीय संपत्तियां (प्राप्य व्यापार और अन्य प्राप्य)

प्राप्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर पहचानी जाती हैं, जो ज्यादातर मामलों में मामूली मूल्य का अनुमान लगाती है। यदि संपत्ति को बाद में क्षति पहुँचने की कोई संकेत है, तो क्षति के लिए भी समीक्षा की जाती है।

18) त्रुटियों और अनुमान

यदि भारतीय लेखा मानकों में बदलाव के कारण परिवर्तन की आवश्यकता है या यदि परिवर्तन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है, तो कंपनी अपनी लेखांकन नीतियों को संशोधित करती है।

लेखांकन अनुमान में बदलाव के परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त संपत्तियों या देनदारियों या लाभ या हानि विवरण के लिए परिवर्तन की अवधि में परिवर्तनों की संभावना है।

त्रुटियों की खोज और परिणामों की तुलनात्मक रूप से पुनरीक्षण में परिणामों को पुन: निरीक्षण में परिणाम, देनदारियों और इक्विटी की पहली पूर्व अवधि की इक्विटी की तुलना में त्रुटि की खोज की जाती है। प्रस्तुत की गई पूर्व अवधि के प्रारम्भिक शेष भी पुनः घोषित किए जाते हैं।

19) आय कर

आयकर में वर्तमान और आस्थगित आयकर शामिल हैं।

वर्तमान आयकर

कराधान प्राधिकारियों को देय या से वसूल योग्य राशि को भुगतान की जाने वाली राशि पर मापा जाता है। राशि की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली कर की दरें और कर कानून वे हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित होते हैं। इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान कर इक्विटी में मान्यता प्राप्त है और लाभ और हानि के विवरण में नहीं।

आस्थगित कर

संपत्ति और देनदारियों के कर आधार और रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उनकी ले जाने वाली रकम के बीच अस्थायी अंतर पर तुलनपत्र विधि का उपयोग करके आस्थगित कर प्रावधान किया जाता है।

आस्थगित कर संपत्ति सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर के लिए पहचानी जाती है, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और किसी भी अप्रयुक्त कर घाटे को आगे बढ़ाते हैं, इस हद तक कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम हो जाती है कि अब यह संभव नहीं है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या हिस्से को उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

20) वारंटी दायित्व

ग्राहकों को बेचे गए उपकरणों के संबंध में संविदात्मक दायित्व के लिए वारंटी दायित्व वार्षिक तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

21) विदेशी मुद्राएं

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन को प्रारम्भ में कंपनी द्वारा अपनी संबंधित मुद्रा विनिमय दर पर लेनदेन की तारीख को पहली बार मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त होने पर दर्ज किया जाता है। विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्तियों और देनदारियों का अनुवाद रिपोर्टिंग तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर पर किया जाता है।

निपटारे या मौद्रिक वस्तुओं के अंतरण पर उत्पन्न अंतर लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

गैर-मौद्रिक वस्तुओं को विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के संदर्भ में मापा जाता है, प्रारंभिक लेनदेन की तारीखों पर कार्यात्मक मुद्रा विनिमय दर का उपयोग करके अंतरित किया जाता है।

22) कर्मचारी हितलाभ

क. अल्पावधि कर्मचारी लाभ को वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में गैर-छूट प्राप्त राशि पर एक व्यय के रूप में पहचाने जाते हैं जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की जाती है।

ख. रोज़गार के उपरांत के लाभ जैसे उपदान और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे विशेषाधिकार छुट्टी, बीमार छुट्टी और एलएलटीसी को वर्ष के लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की हैं। व्यय आकलन मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित देय राशि के वर्तमान मूल्य पर मान्यता प्राप्त है।

ग. बीमांकिक लाभ और हानि तथा योजना संपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) का विवरण और परिसंपत्ति की अधिकतम सीमा का प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) को अन्य व्यापक आय (ओआईसी) में तुरंत मान्यता दी जाती है। निवल परिभाषित देयता (परिसंपत्तियों) पर निवल ब्याज व्यय (आय) की गणना निवल दर देकर (परिसंपत्ति) को वर्ष के दौरान योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप किसी भी बदलाव को ध्यान में रखते हुए निवल परिभाषित देयता (परिसंपत्ति) को मापने के बाद वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, गणना दर लागू करने के द्वारा की जाती है। निवल ब्याज व्यय और परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्च लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं।

घ. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) से संबंधित व्यय को घटनाओं के संबंधित वर्ष में लिखा गया है।

23) प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब पिछले कार्यक्रम के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभव है कि आर्थिक लाभों को जोड़नेवाले संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व को सुलझाने के लिए आवश्यक होगा और एक विश्वसनीय अनुमान दायित्व की राशि से किया जा सकता है। जब कंपनी को कुछ या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति की उम्मीद है, उदाहरणार्थ, एक बीमा अनुबंध के तहत, प्रतिपूर्ति एक अलग संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है, लेकिन केवल प्रतिपूर्ति लगभग निश्चित हो। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी निवल प्रतिपूर्ति के लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

यदि पैसे के समय मूल्य का प्रभाव महत्त्वपूर्ण है, प्रावधानों को वर्तमान पूर्व कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो दर्शाती है, जब उचित हो, देयता के लिए विशिष्ट जोखिम होता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में पहचाना जाता है।

आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन टिप्पणियों में इसका प्रकटीकरण किया जाता है।

भारयुक्त अनुबंध

जब संविदा से कंपनी द्वारा प्राप्त होनेवाले अपेक्षित लाभ संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं तब निर्माण अनुबंधों के अलावा अन्य कई अनुबंधों के लिए प्रावधान किया जाता है।

प्रावधान को अनुबंध समाप्त होने की उम्मीद की निवल लागत के नीचे के वर्तमान मूल्य और अनुबंध के साथ जारी रखने की उम्मीद की निवल लागत से मापा जाता है।

प्रावधान स्थापित होने से पहले, कंपनी उस अनुबंध से जुड़ी संपत्तियों पर किसी भी क्षति नुकसान को पहचानती है।

24) उचित मूल्य मापन

कंपनी प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर उचित मूल्य पर अपने वित्तीय विवरणों में डेरिवेटिव्स और अन्य वस्तुओं जैसे कुछ वित्तीय उपकरणों को मापती है।

सभी संपत्तियों और देनदारियों के लिए जो उचित मूल्यों को वित्तीय विवरणों में मापा या खुलासा किया गया है, वे उचित मूल्य माप के आधार पर उचित मूल्य पदानुक्रम के अधीन वर्गीकृत होते हैं जो कि उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है :

स्तर 1 – समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)

स्तर 2 – उद्धृत कीमतों के अलावा इनपुट्स जिसे स्तर 1 के अधीन शामिल किया गया है, जो संपत्ति या देयता के लिए, या तो सीधे (यानी कीमतों के रूप में) या परोक्ष रूप से (यानी कीमतों से व्युत्पन्न) विचारणीय हैं।

स्तर 3 – संपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अप्रचलित इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

उचित मूल्य प्रकटीकरण के प्रयोजनों के लिए, कंपनी ने संपत्ति या देयता के प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों और उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों और देनदारियों के वर्ग निर्धारित किए हैं।

25) निवेश सम्पत्ति

निवेश संपत्तियों को शुरुआत में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत भी शामिल है। प्रारंभिक मान्यता के अनुक्रम में, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और संचित क्षति नुकसान, यदि कोई हो, पर उल्लेख किया जाता है।

26) वित्तीय साधन

क. प्रारंभिक मान्यता और मापन

सभी वित्तीय संपत्तियों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है। वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ और हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया गया है, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार लेनदेन लागत संपत्ति की लागत में शामिल है।

ख. अनुवर्ती मापन

ग. अनुवर्ती मापन के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय संपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :

i. अमूर्त लागत पर ऋण साधन,

ii. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (FVTOCI),

iii. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन, डेरिवेटिव और इक्विटी साधन (FVTPL),

iv. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा इक्विटी साधन (FVTOCI)।

विमान्यता

वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति के हिस्से को तब मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

एम्बेडेड डेरिवेटिव

एम्बेडेड डेरिवेटिव, यदि आवश्यक हो, होस्ट अनुबंध से अलग किया गया है और उचित मूल्य पर मापा जाता है।

27) आगे अनुबंध

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों को संभालने के लिए आगे मुद्रा अनुबंध जैसे डेरिवेटिव वित्तीय उपकरणों का उपयोग करती है। इस तरह के डेरिवेटिव वित्तीय साधनों को प्रारम्भ में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है जिस पर एक डेरिवेटिव अनुबंध दर्ज किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। जब उचित मूल्य सकारात्मक होता है तब डेरिवेटिव वित्तीय संपत्ति के रूप में ले जाते हैं और उचित देनदार होने पर वित्तीय देनदारियों के रूप में ले जाते हैं।

28) नकद और नकद समतुल्य

नकद में मौजूदा नकद और मांग जमा शामिल है। नकद समतुल्य तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक अत्यावधिक तरल निवेश है, जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय है एवं मूल्य में परिवर्तन के तुच्छ जोखिम के अधीन है।

तुलनपत्र पर मौजूदा देनदारियों में उधार के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, को दिखाया गया है।

29) वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी माप के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है और क्रेडिट जोखिम के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि की पहचान करती है।

क. सरकार/सरकारी विभागों/सरकारी कंपनियों से कालवर्जित देय को आम तौर पर ऐसी वित्तीय संपत्ति के क्रेडिट जोखिम में वृद्धि के रूप में नहीं माना जाता है।

ख. जहां कानूनी कार्यवाही में बकाया राशि विवादित होती है, अगर कंपनी के विरुद्ध कोई निर्णय दिया जाता है तो भी प्रावधान किया जाता है, भले ही इसे उच्च प्राधिकारियों/अदालतों को अपील पर लिया जाता है।

ग. मामला–दर–मामले के आधार पर विशिष्ट समयावधि के लिए बकाया देय के मामले में।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल क्षति नुकसान भत्ता (या उलटा) को लाभ और हानि विवरण में व्यय/(आय) के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह राशि लाभ और हानि विवरण में क्षति लाभ में या हानि के रूप में प्रतिबिंबित करती है।

30) वित्तीय देयताएं

क. प्रारम्भिक मान्यता और मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक रूप से उपयुक्त, ऋण, उधार, देनदार या डेरिवेटिव के रूप में लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया जाता है।

ऋण, उधार और देय, लेनदेन लागत का निवल कहा जाता है जो सीधे जिम्मेदार होते हैं।

ख. बाद के मापन

वित्तीय देनदारियों का मापन उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

i. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां।

ii. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। इस संवर्ग में कंपनी द्वारा प्रवेश किए गए डेरिवेटिव वित्तीय साधन भी शामिल हैं, जो भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज रिश्तों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं हैं। पृथक एम्बेडेड डेरिवेटिव को व्यापार के लिए भी वर्गीकृत किया जाता है जब तक उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए धारित देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है।

ग. ऋण और उधार

प्रारंभिक मान्यता के बाद, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करके ब्याज–रहित ऋण और उधार को बाद में लागत में मापा जाता है। जब देनदारियों को ईआईआर अमूर्तकरण प्रक्रिया के माध्यम से मान्यता प्राप्त होती है लाभ और हानि को लाभ या हानि के रूप में में पहचानी जाती है।

वित्तीय देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त होने पर वित्तीय देयता की विमान्यता की जाती है।

घ. व्यापार और अन्य देनदारियाँ

चाहे आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल किया गया हो या नहीं, देयताओं को भविष्य में प्राप्त की जानेवाली माल और सेवाओं के लिए भुगतान की जानेवाली राशि के रूप में मान्यता दी जाती है।

31) वित्तीय उपकरण का पुन:वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के वर्गीकरण को निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों, जो इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियां हैं, के लिए कोई पुन:वर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण साधन हैं, पुन:वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन संपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यावसायिक मॉडल में कोई बदलाव हो। अगर कंपनी वित्तीय संपत्तियों को पुन: वर्गीकृत करती है, तो यह भावी रूप से पुन: वर्गीकरण लागू करती है।

32) **वित्तीय उपकरणों की ऑफ सेट्टिंग**

यदि मान्यता प्राप्त राशि को ऑफ सेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकारी है और निवल आधार निपटाने का इरादा है, तो वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफ सेट किया जाता है और परिसंपत्तियों का एहसास करने तथा देनदारियों को एक साथ व्यवस्थित करने के लिए निवल का तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

33) **इक्विटी शेयरधारकों को नकद लाभांश और गैर–नकद वितरण**

कंपनी इक्विटी धारकों को नकद या गैर–नकदी वितरण करने की देयता को मान्यता देती है, जब वितरण अधिकृत होता है और वितरण अब कंपनी के विवेकानुसार नहीं होता है।

34) **प्रति शेयर अर्जन**

प्रति शेयर की मूल अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या के आधार पर इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर कम किया हुआ अर्जन की गणना के उद्देश्य के लिए, इक्विटी शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार अवधि के लिए निवल लाभ या हानि और उस अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी कम किए गए संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

35) **रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ**

समायोजित घटनाएँ ऐसी हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद स्थितियों के आगे प्रमाण करती हैं। इस मुद्दे के लिए प्राधिकरण से पहले वित्तीय विवरणों को इस तरह की घटनाओं के लिए समायोजित किया जाता है।

गैर–समायोजन घटनाएँ ऐसी हैं, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक उठनेवाली स्थिति के संकेतक हैं। रिपोर्टिंग की तारीख के बाद गैर–समायोजन घटनाओं का हिसाब नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें प्रकट किया गया है।

36) **नए मानक और व्याख्याएं जो अभी तक प्रभावी नहीं हैं:**

कई नए मानकों, मानकों के संशोधन और व्याख्याओं, जो 31 मार्च 2020 के लिए अभी तक प्रभावी नहीं हैं, को इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू नहीं किया गया है। इसका प्रभाव कंपनी द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है।

37) **समेकित**

आईटीआई ने 40.55 लाख रुपये की लागत के लिए अपने संयुक्त उद्यम ''इंडिया सेटकॉम लिमिटेड'' में इक्विटी शेयर पूंजी का 49% निवेश किया है ।

भारतीय लेखाकंन मानक 28 के अनुसार, संयुक्त उद्यमों में ब्याज की समेकन ''इक्विटी विधि'' का उपयोग कर किया जा सकता है, जिसमें निवेशक के निवल मूल्य में निवेशक का हिस्सा सीधे निवेशक की किताबों में निवेश के मूल्य के रूप में लिया जा सकता है और अंतर पुराने मूल्य और नए मूल्य के बीच अन्य व्यापक आय में जमा/डेबिट किया जाएगा क्योंकि इक्विटी शेयरों में निवेश को ''इक्विटी उपकरणों द्वारा अन्य व्यापक आय'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

हमारी समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स शंकरन एवं कृष्णन
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण नं.03582एस

निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

वी.वी. कृष्णमूर्ति
साझेदार
सदस्यता सं. 027044

एस. शनमुगा प्रिय
कंपनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
मुख्य वित्त अधिकरी

आर.एम अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 26.06.2020

31.03.2020 के अनुसार समेकित तुलन पत्र

लाख रुपए में

विवरण	नोट सं.	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
I. परिसंपत्तियाँ					
(1) गैर–चालू परिसंपत्तियाँ					
(क) संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण	1	262529.22		262695.98	
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	2	18863.34		16484.62	
(ग) निवेश संपत्ति	3	6747.60		6756.36	
(घ) साख		0.00		0.00	
(ङ) अमूर्त परिसंपत्तियाँ		0.00		0.00	
(च) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ		0.00		0.00	
(छ) बियरर संयंत्रों को छोड़कर जैविक परिसंपत्तियाँ		0.00		0.00	
(ज) वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
(i) निवेश	4	3799.03		3976.12	
(ii) प्राप्य व्यापार	4(a)	35935.90		120.55	
(iii) ऋण	5	17.02		16.60	
(iv) अन्य		0.00		0.00	
(झ) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		0.00		0.00	
(ञ) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियाँ		0.00	327892.11	0.00	290050.23
(2) चालू परिसंपत्तियाँ					
(क) मालसूचियाँ	6	17333.53		14875.62	
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ					
(i) निवेश		0.00		0.00	
(ii) प्राप्य व्यापार	7	276113.88		265740.05	
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	8	3977.98		2670.13	
(iv) ऊपर (iii) के इतर बैंक शेष	8(a)	20528.77		17682.76	
(v) ऋण	9	57288.16		47051.33	
(vi) बिल न किया हुआ राजस्व	9(a)	62329.29		55024.88	
(vii) अन्य		0.00		0.00	
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ (निवल)		0.00		0.00	
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	10	6808.26	444379.87	6738.02	409782.79
कुल			772271.98		699833.02
II. इक्विटी और देयताएँ					
इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	11	92511.95		89700.00	
(ख) अन्य इक्विटी	12	144415.89	236927.84	93605.13	183305.13
देयताएँ					
(1) गैर–चालू देयताएँ					
(क) अप्रयुक्त सरकारी अनुदान	13	11407.13		11846.46	
(ख) वित्तीय देयताएँ					
(i) उधार	14	18000.00		30000.00	
(ii) व्यापार देनदारियाँ		0.00		0.00	
(iii) अन्य	15	13392.97		7033.41	
(ग) प्रावधान	16	7433.80		8112.85	
(घ) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)		0.00		0.00	
(ङ) अन्य गैर–चालू देयताएँ		0.00		0.00	
			50233.90		56992.72
(2) चालू देयताएँ					
(क) वित्तीय देयताएँ					
(i) उधार	17	103558.39		95870.68	
(ii) व्यापार देनदारियाँ	18	218305.26		180486.32	
(iii) अन्य	19	90232.05		113107.38	
(ख) प्रावधान	20	12703.60		10608.66	
(ग) वर्तमान कर देयताएँ (निवल)		0.00		0.00	
(घ) अन्य चालू देयताएँ	21	60310.94	485110.24	59462.13	459535.17
कुल			772271.98		699833.02

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है ।

हमारी समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स शंकरन और कृष्णन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण नं. : 003582एस

निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

वी.वी. कृष्णमूर्ति
साझेदार
सदस्य सं. 027044

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
मुख्य वित्त अधिकारी

आर.एम. अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 26.06.2020

इक्विटी में समेकित परिवर्तन का विवरण

लाख रुपए में

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	राशि
01.04.2019 को शेष	89700
वर्ष के दौरान परिवर्तन	2812
31.03.2020 को शेष	92512

ख. अन्य इक्विटी

लाख रुपए में

विवरण	शेयर आवेदन राशि निलंबित आबंटन	आरक्षित और अधिशेष			पुनर्मूल्यांकन अधिशेष	अन्य व्यापक आय के इतर अन्य मद	पुनर्मूयांकन आरक्षित के साथ कुल अन्य इक्विटी
		पूंजी आरक्षित	प्रतिभूति प्रीमियम	प्रतिधारित उपार्जन			
01.04.2018 को शेष	13,700.00	274,897.30	29.61	-441,813.21	233,907.98	9,789.24	90,510.91
वर्ष के लिए लाभ या हानि	-	-	-	9,253.77	-	-	9,253.77
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	2,040.45	2,040.45
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिधारित उपार्जन के लिए अंतरण	-	-	-	-	-450.54	-	-450.54
भारत सरकार के शेयर आवेदन राशि	5,500.00	-	-	-	-	-	5,500.00
अन्य कोई परिवर्तन	-	-	-	450.54	-	-	450.54
इक्विटी शेयर पूंजी में अंतरण	-13,700.00	-	-	-	-	-	-13,700.00
31.04.2019 को शेष	5,500.00	274,897.30	29.61	-432,108.90	233,457.43	11,829.69	93,605.13
वर्ष के लिए लाभ या हानि	-	-	-	15,085.83	-	-	15,085.83
पूर्व अवधि के मदों/समयोजना*				-1,744.41			-1,744.41
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	214.68	214.68
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	10,500.00	-	-	-	-	-	10,500.00
प्रतिधारित उपार्जन के लिए अंतरण	-	-	-	-	-409.16	-	-409.16
भारत सरकार के शेयर आवेदन राशि	-	-	-	-	-	-	-
अन्य कोई परिवर्तन	-13,188.05	30,930.00	11,824.66	409.16	-	-	29,975.77
इक्विटी शेयर पूंजी में अंतरण	-2,811.95	-	-	-	-	-	-2,811.95
31.03.2020 को शेष	0.00	305,827.30	11,854.27	-418,358.32	233,048.28	12,044.37	144,415.89

टिप्पणी :

*कंपनी ने पूर्व वर्षों से संबंधित वेतन अवकाश नकदीकरण देनदारियों की ओर 1744.41 लाख रुपये का भुगतान किया है। इंड एएस 8 के अनुसार राशि पर विचार किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है ।

हमारी समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स शंकरन और कृष्णन

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण नं. : 003582एस

निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

वी.वी. कृष्णमूर्ति
साझेदार
सदस्य सं. 027044

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
मुख्य वित्त अधिकारी

आर.एम. अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 26.06.2020

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का समेकित विवरण

लाख रुपए में

विवरण	नोट सं.	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय	22	205886.86		166836.84	
I. संचालन से राजस्व	23	18389.34		33647.30	
II. अन्य आय			224276.20		200484.14
III. कुल राजस्व (I+II)					
IV. व्यय :	24	8903.67		28371.40	
खपत सामग्री की लागत	25	41867.91		32164.00	
व्यापार में स्टॉक की खरीद	26	(4029.07)		(1128.78)	
निर्मित माल, प्रगतिशील कार्य और व्यापार में स्टॉक की मालसूचियों में परिवर्तन		111351.20		78393.31	
संस्थापन एवं अनुरक्षण प्रभार	27	23100.74		20422.25	
कर्मचारी हितलाभ व्यय	28	14065.90		10647.11	
वित्तीय लागत	29	4189.20		3709.16	
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	30	9740.82		18651.92	
अन्य व्यय			209190.37		191230.37
कुल व्यय			15085.83		9253.77
V. असाधारण मद एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)					
VI. असाधारण मद			0.00		0.00
(i) आय			0.00		0.00
(ii) व्यय			15085.83		9253.77
VII. कर के पूर्व लाभ / (हानि) (V+VI)					
VIII. कर संबंधी खर्च :			0.00		0.00
(1) वर्तमान कर			0.00		0.00
(2) आस्थगित कर			15085.83		9253.77
IX. वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)					
X. अन्य व्यापक आय					
क. (i) वे मद जिन्हें परिभाषित लाभ योजनाओं के लाभ या हानि के पुनर्मूल्यांकन के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया गया है ।			391.77		1831.69
इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन(निवेश) अन्य व्यापक आय के माध्यम से			(177.09)		208.76
ख. (i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत होंगे			0.00		0.00
XI. अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX+X) (अवधि के लिए लाभ/(हानि) और कुल व्यापक आय शामिल है)			15300.51		11294.23
XII. प्रतिशेयर इक्विटी अर्जन (सतत संचालन के लिए):					
मूल एवं कम किया हुआ (अंकित मूल्य प्रति रु.10/-):			1.57		0.74
शेयरों की भारित औसत संख्या			897616318		879875000

टिप्पणी : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है ।

हमारी समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स शंकरन और कृष्णन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण नं. : 003582एस

निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

वी.वी. कृष्णमूर्ति
साझेदार
सदस्य सं. 027044

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
मुख्य वित्त अधिकारी

आर.एम. अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 26.06.2020

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकद प्रवाह विवरण

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
क) प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह:				
कर से पूर्व निवल लाभ/(हानि)		15085.83		9253.77
निम्नलिखित के लिए समायोजन :				
मूल्यह्रास	4189.20		3709.16	
वित्तपोषण व्यय	14065.90		10647.11	
निवेश के विक्रय से लाभ	0.00		0.00	
प्राप्त ब्याज/लाभांश	(1571.14)		(393.67)	
परिसंपत्तियों के विक्रय से हानि	0.00		0.00	
परिसंपत्तियों के विक्रय से लाभ	(179.31)		0.00	
सहायता अनुदान से अंतरण	(8979.33)		(62.47)	
सहायता अनुदान से अंतरण	0.00		0.00	
अन्य व्यापक आय	214.68		2040.45	
गैर नकद व्यय	1148.67	8888.67	11708.09	27648.67
कार्यशील पूँजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन नकद से लाभ/(हानि)		23974.50		36902.44
निम्नलिखित के लिए समायोजन				
व्यापार और अन्य प्राप्य	(64665.58)		(10628.11)	
मालसूचियाँ	(2804.24)		707.90	
व्यापार देय	23567.90		(24618.97)	
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	62.13	(43839.79)	20.23	(34518.95)
संचालन से उत्पन्न नकद		(19865.30)		2383.49
प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		(19865.30)		2383.49
ख) निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह :				
स्थाई परिसंपत्तियों सहित क्रय				
पूँजीगत कार्य प्रगति	(6392.38)		(12781.72)	
स्थाई परिसंपत्तियों का विक्रय	179.31		0.00	
निवेश	177.09		(208.76)	
प्राप्त ब्याज	1571.14		393.67	
प्राप्त लाभांश	0.00		0.00	
निवेश क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद (ख)		(4464.84)		(12596.81)
ग. वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकद प्रवाह:				
अल्पकालिक उधार से प्राप्त आय	(4312.29)		3238.45	
शेयर आवेदन के पैसे	10500.00		5500.00	
अधिशेष के साथ समायोजन	(3107.80)		0.00	
प्राप्त सहायता अनुदान	39470.00		0.00	
वित्तीय व्यय	(14065.90)		(10647.11)	
वित्त पोषण क्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद (ग)		28484.01		(1908.66)
नकद और समतुल्य में निवल वृद्धि (क+ख+ग)		4153.87		(12121.97)
नगद और नगद समतुल्य की अथशेष		20352.88		32474.85
नगद और नकद समतुल्य की अंतिम शेष		24506.75		20352.88

नोट: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और टिप्पणियाँ वित्तीय विवरण का हिस्सा है ।

हमारी समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स शंकरन और कृष्णन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण नं. : 003582एस

निदेशक मंडल तथा उनकी ओर से

वी.वी. कृष्णमूर्ति	**एस. शनमुगा प्रिया**	**राजीव श्रीवास्तव**	**आर.एम. अग्रवाल**
साझेदार	कंपनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्य सं. 027044			

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 26.06.2020

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी संख्या 1

वित्तीय वर्ष 2019–20
लाख रुपए में

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास					31.03.2020 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2019	वृद्धि	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2020	संचित मूल्यह्रास 01.04.2019	वर्ष के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2020	
भूमि											
– पूर्व स्वामित्व*	221,829.19	-	658.67	-	221,170.52	-	-	-	-	-	221,170.52
– पट्टाधृति****	118.46	658.67	-	-	777.13	0.81	0.27	-	-	1.08	776.05
पट्टे पर दी गई परिसंपति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन**	11,217.80	1,863.57	-	-	13,081.37	2,270.68	862.17	-	-	3,132.85	9,948.52
संयत्र एवं यंत्र***	34,000.33	2,059.56	-	-	36,059.90	4,889.65	2,914.54	-	-	7,804.19	28,255.70
अन्य उपकरण	3,034.60	49.04	-	-	3,083.64	583.36	326.00	-	-	909.36	2,174.28
कार्यालय मशीन एवं उपस्कर	257.99	23.18	-	-	281.17	135.60	54.34	-	-	189.93	91.23
उपस्कर जुड़नार एवं पुर्जे	52.17	18.32	-	-	70.49	31.23	5.59	-	-	36.83	33.66
वाहन	138.62	-	-	-	138.62	41.85	17.51	-	-	59.37	79.25
विद्युत प्रतिष्ठापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	270,649.16	4,672.34	658.67	-	274,662.83	7,953.18	4,180.40	-	-	12,133.60	262,529.22

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

वित्तीय वर्ष 2018–19
लाख रुपए में

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास					31.03.2019 को शुद्ध वहन मूल्य
	सकल राशि 01.04.2018	वृद्धि	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2019	संचित मूल्यह्रास 01.04.2018	वर्ष के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2019	
भूमि											
–पूर्व स्वामित्व*	224,683.19	-	2,854.00	-	221,829.19	-	-	-	-	-	221,829.19
–पट्टाधृति****	118.46	-	-	-	118.46	0.54	0.27	-	-	0.81	117.65
पट्टे पर दी गई परिसंपति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भूमि विकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन**	11,294.03	293.99	370.22	-	11,217.80	1,535.53	751.38	16.23	-	2,270.68	8,947.12
संयत्र एवं यंत्र***	23,568.18	10,432.16	-	-	34,000.33	2,268.65	2,621.00	-	-	4,889.65	29,110.68
अन्य उपकरण	2,624.73	409.88	-	-	3,034.60	342.73	240.63	-	-	583.36	2,451.25
कार्यालय मशीन एवं उपस्कर	209.28	48.70	-	-	257.99	78.59	57.00	-	-	135.60	122.39
उपस्कर जुड़नार एवं पुर्जे	41.67	10.50	-	-	52.17	27.74	3.49	-	-	31.23	20.94
वाहन	145.98	12.56	-	19.92	138.62	23.37	18.48	-	-	41.85	96.76
विद्युत प्रतिष्ठापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	262,685.51	11,207.79	3,224.22	19.92	270,649.16	4,277.16	3,692.25	16.23	-	7,953.18	262,695.98

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

नोट :

1. कर्नाटक सरकार के पक्ष में 400 ''डी'' और 624 ''ई'' टाइप क्वार्टरों के लिए इमदादी औद्योगिक आवास योजना की शर्तों के अनुसार प्राप्त सब्सीडी पर 7 लाख रुपये का प्रभार है ।
2. फैक्ट्री भवन पट्टा भूमि पर है, जिसकी माप 36 कनाल्स तथा 13 मर्लास है, पट्टा अवधि बढ़ाने के कार्य जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ प्रक्रियाधीन है।
3. लेखानीति सं. 6 के संदर्भ स्थायी परिसंपत्ति पर लागू मूल्यह्रास प्रभार धारित निम्नलिखित उपयोगी समय के अनुसार है।

स्थायी परिसंपत्तियों		**(वर्ष)**
क.	(क) भवन (फैक्ट्री भवन को छोड़कर)	60
	(ख) फैक्ट्री भवन	30
	(ग) पूर्ण अस्थायी भवन निर्माण	03
	(घ) भवन के साथ प्रत्येक 80 वर्गमीटर से अधिक प्लिंथ की आवासी हो	30
ख.	उपस्कर एवं पूर्जे	10
ग.	प्लांट एवं मशीनरी	
	(क) सामान्य दर (द्विपाली आधार पर)	15
	(ख) विशेष दर : - सेवाएं और नेटवर्क	06
	(ग) डाटा प्रोसेसिंग मशीन सहित कंप्यूटर	03
घ.	सड़के एवं चारदीवारी	10
ड.	कार्यालय मशीनरी एवं उपस्कर	05
च.	वाहन	08

छ. 5,000/- रुपए लागत के परिसंपत्ति का ह्रास 100 प्रतिशत की दर से किया गया है।

हालांकि 50,000 रु. से ऊपर मूल लागत वाले परिसंपत्तियों को 5 रू. अवशिष्ट संतुलन के रूप में पुस्तकों में बनाए रखा गया है।

* i) उत्तर प्रदेश सरकार से भेंट में मिली भूमि का मूल्य 25 लाख रुपए (पुनर्मूल्याकंन के पहले) जो पूंजीगत आरक्षित निधि में जमा है, शामिल है ।

ii) 31.03.2006 को पंजीकृत मूल्यांककों ने कंपनी के भूमि का पुनर्मूल्यांकन किया है ।

*** i) यूएनआईडीओ (संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन) द्वारा नि:शुल्क दिए गए 85 लाख रु. के प्लांट एवं मशीनरी शामिल है।

ii) 60 लाख रू. की प्लांट एवं मशीनरी की लागत शामिल है, जिसकी लागत सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वहन की गई है ।

iii) सन 2004-2005 में भारत सरकार से प्राप्त सहायता से 5000 लाख रु. के मूल्य की अचल परिसंपत्ति भी शामिल है ।

iv) रायबरेली इकाई द्वारा नि:शुल्क 937 लाख रु. के दिए गए प्लांट, मशीनरी तथा उपस्कर शामिल है ।

**** जम्मू-कश्मीर सरकार को दिया गया 26.94 लाख रु. का भुगतान शामिल है, जिसके पट्टा विलेख की कार्यवाही हो रही है।

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
टिप्पणी संख्या 2				
पूंजीगत चालू कार्य				
लागत पर पूंजीगत चालू कार्य	6603.03		6138.39	
घटाएं: प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		6603.03		6138.39
ठेकेदारों के पास सामग्री	28.93		28.93	
घटाएं : प्रावधान	28.93		28.93	
कुल		0.00		0.00
लागत पर मशीनरी				
मार्गस्थ	331.63		342.65	
स्वीकृति/अधिष्ठापन प्रतीक्षित	11935.21		10010.11	
	12266.84		10352.76	
घटाएं : प्रावधान	6.53		6.53	
कुल		12260.31		10346.23
कुल योग		18863.34		16484.62

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

टिप्पणी संख्या 3

वित्तीय वर्ष 2019–20

निवेश सम्पत्ति :

लाख रु. में

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास					31.03.2020 को शुद्ध वहन मूल्य
	01.04.2019 सकल राशि	वृद्धि	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2020	संचित मूल्यह्रास 01.04.2019	वर्ष के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2020	
भूमि	6,395.87	-	-	-	6,395.87	-	-	-	-	-	6,395.87
भवन	372.86	-	-	-	372.86	12.38	8.76	-	-	21.14	351.73
कुल	6,768.73	-	-	-	6,768.73	12.38	8.76	-	-	21.14	6,747.60

निवेश सम्पत्ति :

वित्तीय वर्ष 2018–19

लाख रु. में

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यह्रास					31.03.2019 को शुद्ध वहन मूल्य
	01.04.2018 सकल राशि	वृद्धि	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2019	संचित मूल्यह्रास 01.04.2019	वर्ष के लिए	विलोप	समायोजन	कुल 31.03.2019	
भूमि	3,541.87	2,854.00	-	-	6,395.87	-	-	-	-	-	6,395.87
भवन	18.87	353.99	-	-	372.86	1.54	10.84	-	-	12.38	360.48
कुल	3,560.74	3,207.99	-	-	6,768.73	1.54	10.84	-	-	12.38	6,756.36

नोट :

i) (क) दूरसंचार विभाग को 03.10.1983 को 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई 4653.75 वर्गमीटर भूमि ।

(ख) भूमि के संबंध में (बेंगलूरु और मनकापुर के कुछ भूभागों को छोड़कर) औपचारिक हंस्तातर-पत्र / पट्टा विलेख संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निष्पादित किया गया है ।

(ग) दूरसंचार विभाग को 10.07.1991 से 99 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर दी गई 1256.86 वर्गमीटर भूमि ।

(घ) मार्च, 1994 से 3 एकड़ भूमि, राज्य सरकार को 9 वर्ष की अवधि के लिए मिनि विधान सौधा के निमार्ण के लिए पट्टे पर दिया गया है ।

ii) 1.83 एकड़ भूमि, दक्षिणी रेलवे को पट्टे पर दी गई है तथा 0.286 एकड़ भूमि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) को पट्टे पर दी गई है ।

iii) (क) बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज के पास 0.5733 एकड़ जमीन है।

(ख) एचपीसीएल पेट्रोल बंक, आईटीआई कालोनी के पास 0.2222 एकड़ जमीन है ।

(ग) एचपीसीएल पेट्रोल बंक, ओल्ड मद्रास रोड़, के.आर.पुरम के पास 0.3025 एकड़ जमीन है ।

(घ) ईपीएफओ, एफ-28 बिल्डिंग, कें पास 0.6069 एकड़ जमीन है।

(ङ) थंबी एविएशन (हलीपैड-ईसी प्लांट) जिसमें 0.9182 एकड़ जमीन है ।

(च) एम्बसी सर्विसस् प्राईवेट लिमिटेड के पास भूमि और भवन की क्रमश: 0.776 एकड़ और 6300 वर्ग मीटर का जमीन है।

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
टिप्पणी सं. 4				
अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति – निवेश				
इक्विटी यंत्रों में निवेश				
अथशेष	3,976.12		3,767.37	
16,21,800 बोनस शेयरस (49% सीमा तक निवेश) सहित इंडिया सेटकॉम लिमिटेड (संयुक्त उद्यम मेसर्स क्रिस टेक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ) के पूर्ण प्रदत्त 10 रुपये प्रति शेयर के 12,16,350 इक्विटी शेयर				
वर्ष के दौरान उचित मूल्य में परिवर्तन	(177.09)		208.76	
कुल		3799.03		3976.12
भारतीय सेटकॉम लिमिटेड (49%) में इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन की गणना				
भारतीय सेटकॉम लिमिटेड की कुल परिसंपत्तियाँ		12171.75		12,187.17
घटाएं : भारतीय सेटकॉम लिमिटेड की कुल बाहरी देयताएं		(4,418.62)		(4,072.63)
कुल मूल्य(100%)		7,753.13		8,114.54
आईटीआई का शेयर (49%) / इति शेष		3,799.03		3,976.12
घटाएं : अथ शेष		(3,976.12)		(3,767.37)
वर्ष के दौरान उचित मूल्य में परिवर्तन		(177.09)		208.76

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
टिप्पणी सं. 4(क)				
अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति का विवण – माल प्राप्तियाँ				
सुरक्षित				
प्राप्त समझी गई	0.00		120.55	
संदिग्ध समझी गई	0.00		0.00	
	0.00		120.55	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		0.00		120.55
असुरक्षित				
प्राप्त समझी गई				
– गुजनेट	0.00		0.00	
– गुजनेट के अलावा	35935.90		0.00	
संदिग्ध समझी गई	0.00		0.00	
	35935.90		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		35935.90		0.00
कुल योग्य		35935.90		120.55
टिप्पणी सं. 5				
अप्रचलित वित्तीय परिसंपत्ति – ऋण				
अप्रतिभूत एवं प्राप्त समझा गया माल :				
अग्रिम पूंजी	0.00		0.00	
प्रतिभूति निक्षेप(जमा) / सीमांत राशि	0.00		0.00	
ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
संदिग्द्ध समझा गया :	0.00		0.00	
अग्रिम पूंजी	1.62		1.62	
प्रतिभूति जमा	0.00		0.00	
ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
कुल	1.62		1.62	
घटाएं : प्रावधान	1.10		1.10	
कुल प्रतिभूति ऋण एवं अग्रिम		0.52		0.52
अप्रतिभूत एवं प्राप्त समझा गया माल				
अग्रिम पूंजी	0.00		0.00	
प्रतिभूति जमा	0.00		0.00	
ऋण एवं अग्रिम	16.50		16.08	
संदिग्द्ध समझा गया :	0.00		0.00	
अग्रिम पूंजी	0.00		0.00	
प्रतिभूति जमा	0.00		0.00	
ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
कुल	16.50		16.08	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
संदिग्द्ध पक्ष के बकाया ऋण एवं अग्रिम :				
आईएसएल	0.00		0.00	
कुल अप्रतिभूति ऋण एवं अग्रिम		16.50		16.08
कुल योग		17.02		16.60

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
टिप्पणी सं. 6				
माल सूचियाँ				
क) कच्चा माल और उत्पादन भंडार	8377.69		8800.66	
घटाएं : अप्रचलन के लिए प्रावधान	1755.35		1790.84	
घटाएं : प्रावधान		6622.34		7009.82
ख) फैब्रिकेशन संविदा के प्रति जारी सामग्री	96.91		96.91	
घटाएं : प्रावधान	95.47		95.47	
		1.44		1.44
ग) गैर-उत्पादन भंडार	847.26		850.52	
घटाएं : अप्रचलन के लिए प्रावधान	237.41		237.41	
		609.85		613.11
घ) प्रक्रियाधीन कार्य उत्पादन	7882.95		4021.81	
घटाएं : प्रावधान	606.76		305.09	
		7276.19		3716.72
ङ) प्रक्रियाधीन कार्य-स्थापना	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
		0.00		0.00
च) विर्निमित घटक	1151.63		984.87	
घटाएं : प्रावधान	40.13		40.13	
		1111.50		944.74
छ) तैयार माल				
भंडार माल	2131.12		2288.89	
उपर्युक्त पर उत्पाद शुल्क	0.44		0.44	
	2131.56		2289.33	
घटाएं : प्रावधान	1019.56		1045.71	
		1112.00		1243.62
ज) स्टॉक समाधान लेखा	10.33		10.33	
घटाएं : प्रावधान	10.33		10.33	
		0.00		0.00
झ) निरीक्षण/स्वीकृति हेतु लंबित माल		0.00		0.00
ञ) मार्गस्थ सामग्री अग्रिम				
प्राप्त समझी गई	600.22		1346.17	
संदिग्ध समझी गई	238.76		82.23	
	838.98		1428.40	
घटाएं : प्रावधान	238.76		82.23	
		600.22		1346.17
ट) प्राप्त सामग्री और देय मार्गस्थ अग्रिम		0.00		0.00
ठ) औजार और गेज		0.00		0.00
कुल योग		17333.53		14875.62

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
टिप्पणी सं. 7				
चालू वित्तीय परिसंपत्ती – माल प्राप्तियाँ				
सुरक्षित				
6 महीने से अधिक समय तक न चुकाया गया और उस तिथि से जब वह भुगतान करने के लिए बकाया हो गया हो ।				
प्राप्त समझी गई	0.00		0.00	
संदिग्ध समझी गई	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
अन्य 6 महीने से अधिक अवधि के लिए नहीं ; प्राप्त समझी गई	0.00		0.00	
	0.00		0.00	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
असुरक्षित				
6 महीने से ज्यादा समय तक न चुकाया गया और उस दिनांक से जब वह भुगतान करने के लिए बकाया हो गया हो।				
प्राप्त समझी गई				
– गुजनेट*	54952.45		0.00	
– गुजनेट के अलावा	206878.77		239007.47	
संदिग्ध समझी गई	4651.61		4651.61	
	266482.83		243659.07	
अन्य 6 महीने से अधिक अवधि के लिए नहीं ; प्राप्त समझी गई				
– गुजनेट*	0.00		0.00	
– गुजनेट के अलावा	14282.66		26732.58	
	280765.48		270391.65	
घटाएं : प्रावधान	4651.61		4651.61	
कुल		276113.88		265740.05
कुल योग		276113.88		265740.05

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी में प्राप्य मूल्यों को अपेक्षित साख हानि मॉडल का इस्तेमाल करके हानि परीक्षण में दिया जाना चाहिए। भारतीय लेखा मानक 109 व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट हानि को मापने के दौरान वास्तविक समयोचित के उपयोग की अनुमति देता है, और कहा जाता है कि प्रावधान मैट्रिक्स समयोचित के लिए उदाहरण है। अधिकांश व्यापार प्राप्तियां सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं से उत्पन्न होती हैं, जो उच्च जोखिम के संपर्क में नहीं हैं, कंपनी मामले की समीक्षा और बोर्ड द्वारा अनुमोदित मामले के आधार पर विशिष्ट प्रावधान कर रही है। जबकि, अन्य ग्राहकों के लिए, प्रावधान मामले के आधार पर अपेक्षित साख हानि मॉडल का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

* एसबीआई आईएफबी ने गुजनेट परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपये की कार्यशील पूँजी सुविधा मंजूर की है और जिसका गुजनेट परियोजना से संबंधित चालू परिसंपत्तियों पर अनन्य पहला अधिकार है।

टिप्पणी सं. 8				
चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ – रोकड और रोकड समकक्ष				
क) मार्गस्थ रोकड़	618.00		0.00	
ख) उपलब्ध रोकड़	59.29		27.43	
ग) चेक और उपलब्ध स्टैंप	0.00		0.13	
घ) बैंकों के पास शेष राशि :				
– चालू खाते में	3300.69		2642.56	
कुल		3977.98		2670.13

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
टिप्पणी सं. 8(क)				
चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ – उपयुक्त को छोड़कर बैंक में शेष राशि				
बैंकों के पास शेष राशि :				
– एस्क्रो खाते पर	1690.53		3066.90	
– चालू खाते में (प्रशिक्षुओ)	138.71		0.00	
लाभांश बकाया	0.00		0.00	
सुरक्षा जमा / अन्य	0.28		0.51	
एलसी मार्जिन धन	0.00		0.00	
बचत खाते में (प्रशिक्षुओ की प्रतिभूति जमा)	0.00		0.00	
अंशंकालिक जमा (मार्जिन धन)	157.82		61.07	
चालू खाते में (मार्जिन धन)	0.00		0.00	
मियादी जमा पर – 12 महीने से अधिक परिपक्वता	18541.43		14554.29	
मियादी जमा पर – 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम परिपक्वता	0.00		0.00	
कुल		20528.77		17682.76
टिप्पणी सं. 9				
चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ – ऋण				
वसूली योग्य नकद या वस्तु के रूप में या करने के लिए प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए सुरक्षित अग्रिम				
वाहन	0.00		0.00	
गृह भवन	0.00		0.00	
अन्य जमा	1046.02		1048.07	
घटाएं : प्रावधान	0.00		0.00	
कुल		1046.02		1048.07
वसूली योग्य नकद या वस्तु के रूप में या करने के लिए प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए असुरक्षित अग्रिम				
प्राप्त समझी गई	26774.28		25708.79	
संदिग्ध समझी गई	896.61		896.61	
	27670.89		26605.40	
घटाएं : प्रावधान	896.61		896.61	
		26774.28		25708.79
दावों और वसूली व्यय – अंतर्देशीय				
प्राप्त समझी गई	25681.22		17435.72	
संदिग्ध समझी गई	992.29		696.73	
	26673.51		18132.45	
घटाएं : प्रावधान	992.29		696.73	
		25681.22		17435.72
दावों और वसूली व्यय – विदेश				
प्राप्त समझी गई	9.60		9.60	
संदिग्ध समझी गई	1204.32		1204.32	
	1213.92		1213.92	
घटाएं : प्रावधान	1204.32		1204.32	
		9.60		9.60
वाहन अग्रिम		0.00		0.00
अन्य जमा	4015.30		3088.20	
घटाएं : प्रावधान	256.00		256.00	

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
	3759.30	2832.20
अल्पावधि जमा पर ब्याज अर्जित नहीं	17.74	16.94
कुल	56242.14	46003.25
कुल योग	57288.16	47051.33

(क) इसमें 1690.2 लाख रुपये जो कि एचसीएल इंफोसिस्टम से आईटीआई, एचसीएल और एल्काटेल के बीच समझौता के तहत क्षतिपूर्ति के रूप में वसूली करने योग्य है, का समावेश है। क्योंकि यह राशि आईटीआई लिमिटेड, मनकापुर द्वारा अधिक व्यय कर दी गई है ।

ख) दावों और खर्चों वसूली- अंतर्देशीय-रूपये 140.27 लाख एसबीएआर 01.04.2009 से प्रभावी अधिक ब्याज की वजह से पंजाब नेशनल बैंक की ओर से देय है।

(ग) दावा वसूली - भूमि में - 1049.41 लाख रुपये मेसर्स हिमाचल फ्यूचूरिस्टिक कम्यूनिकेशन से परिसमापन हर्जाना के अंतर्गत देय है । कंपनी ने कानूनी मामला दायर किया है जो उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष लंबित है ।

(घ) 31.03.2011 अवधि की समाप्त तक पट्टे पर दिए गए परिसर हेतु 5847.9 लाख रुपये किराए पर प्राप्त हुए है और उसी परिसर के लिए 31.03.2011 के बाद की अवधि के लिए कोई किराये की आय प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण संचित आधार पर मान्यता प्राप्त नहीं है ।

टिप्पणी सं. 9(क)

बिना चुकाया गया राजस्व

सरकार				
- गुजनेट	12111.71		1348.89	
- गुजनेट के अलावा	50217.58		53675.99	
गैर-सरकार	0.00		0.00	
कुल		62329.29		55024.88

* एसबीआई आईएफबी ने गुजनेट परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपये की कार्यशील पूँजी सुविधा मंजूर की है और जिसका गुजनेट परियोजना से संबंधित चालू परिसंपत्तियों पर अनन्य पहला अधिकार है।

टिप्पणी सं. 10

अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

कर और शुल्क निवेश	6114.52		6149.89	
सीमा शुल्क विभाग के पास जमा	268.00		99.74	
अग्रिम कर का भुगतान (धनवापसी का निवल)	6.44		68.57	
उत्पाद प्राधिकरणों के पास जमा	419.29		419.81	
डब्ल्यूसीटी वसूली योग्य	0.00		0.00	
कुल		6808.26		6738.02

टिप्पणी सं. 11

इक्विटी शेयर पूंजी

(क) प्राधिकृत		
2,80,00,00,000 इक्विटी साझा जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है	280000.00	280000.00
(ख) निर्गमित		
95,51,19,508 इक्विटी साझा जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है	92511.95	89700.00
(ग) अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से अप्रदत		
92,51,19,508 इक्विटी साझा जिसमें से प्रत्येक 10/- रू. का है	92511.95	89700.00
(घ) अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से अप्रदत्त	0.00	0.00
(ड़) सममूल्य प्रति शेयर	0.00	0.00
(च) अदत्त माँग	0.00	0.00
(छ) जब्त शेयर	0.00	0.00

(ज) प्रारंभ में और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन।

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को शेयरों की संख्या	31.03.2019 को शेयरों की संख्या
शेयरों की संख्या बकाया अथ शेष	897000000	760000000
जोडिए : वर्ष के दौरान निर्गम	28119508	137000000
घटाएं : वर्ष के दौरान वापसी क्रय नीति/जब्ती	0.00	0.00
शेयरों की बकाया संख्या अंत शेष	925119508	897000000

(झ) अधिकारों एवं अधिमानो एवं उपरोक्त वर्ग के शेयर के साथ प्रतिबंध संलग्न

* भारत सरकार से प्राप्त 160 करोड़ रुपये के पूंजी अनुदान के खिलाफ, कंपनी ने 23.03.2020 को भारत के राष्ट्रपति को 56.90 रुपये में 2,81,19,508 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं।
- इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार
- कंपनी के परिनिर्धारण होने की दशा में, अधिमान्य राशि का वितरण होने के बाद, इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्तियों का वितरण उनके द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा।

(ञ) शेयरधारकों की सूची जिन्होने 5% से ज्यादा शेयर लिया है।

नाम	रखे गए शेयरों की संख्या	रखे गए शेयरों की संख्या
1 भारत के राष्ट्रपति	832295057	867887500

(ट) पिछले पाँच वर्षों के दौरान:

(i) नकद प्राप्त किए बिना आबंटित शेयरों की कुल संख्या	शून्य	शून्य
(ii) अधिलाभ शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रूप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या	शून्य	शून्य
(iii) वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या एवं वर्ग	शून्य	शून्य

2. अधिमान शेयर पूंजी

प्राधिकृत		
7,00,00,000 इक्विटी साझा जिसमें से प्रत्येक 100/- रू. का है	70000.00	70000.00

टिप्पणी सं. 12
अन्य इक्विटी

1) आरक्षित पूंजी				
i) उपहार स्वरुप दी गई नि:शुल्क भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	25.30		25.30	
वृद्धि	0.00		0.00	
कुल	25.30		25.30	
कटौती	0.00		0.00	
इति शेष		25.30		25.30
ii) सहायता अनुदान पूँजी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	274872.00		274872.00	
सहायता अनुदान से अंतरण (पूँजी)	30930.00		0.00	
इति शेष		305802.00		274872.00
कुल आरक्षित पूंजी		305827.30		274897.30
2) प्रतिभूति किस्त निधि/आरक्षिति				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	29.61		29.61	
वृद्धि	13188.05		0.00	
कुल	13217.66		29.61	
घटाएं : : एफपीओ मुद्दे व्यय*	1363.39		0.00	
इति शेष		11854.27		29.61

* कंपनी ने सेबी के साथ एफ.पी.ओ. (अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव) दिनांक 17 जनवरी 2020 के लिए कच्ची विवरणिका दाखिल किया है। बहरहाल, कंपनी ने बाज़ार की मौजूदा परिस्थितियों के कारण निर्गम को वापस ले लिया है। एफ.पी.ओ. के लिए किए गए 1363.39 लाख रुपये के निर्गम व्यय को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम खाते में समंजित कर दिया गया।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
3) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति				
i) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति –भूमि				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	227238.45		227238.45	
घटाएं – भूमि की बिक्री पर उत्क्रमण	0.00		0.00	
इति शेष		227238.45		227238.45
ii) पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति –भवन				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	6218.97		6669.52	
घटाएं – सामान्य संशय पर अंतरण	409.16		450.54	
इति शेष		5809.82		6218.97
कुल पुनर्मूल्यांकित आरक्षिति		233048.27		233457.43
4) प्रतिधारित आय				
i) सामान्य आरक्षिति :				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	1859.21		1408.66	
पूर्व अवधि समायोजन	0.00		0.00	
जोड़े : बांड मोचनीय आरक्षिति से अंतरण	409.16		450.54	
घटाएं – लाभ–हानि में अंतरण	0.00		0.00	
घटाएं – अधिशेष के लिए अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		2268.36		1859.21
ii) अचल संपत्ति की बिक्री पर लाभ				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	0.00		0.00	
घटाएं – अधिशेष के लिए अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		0.00		0.00
iii) तकनीकी जानकारी की बिक्री				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3.50		3.50	
घटाएं – लाभ–हानि में अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		3.50		3.50
iv) औद्योगिक आवास सब्सिडी				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	6.79		6.79	
घटाएं – लाभ–हानि में अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		6.79		6.79
v) निवेशीय भत्ता आरक्षिति				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	0.00		0.00	
घटाएं – सामान्य आरक्षिति में अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		0.00		0.00
vi) अधिशेष				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	(433978.39)		(443232.16)	
जोड़े: वर्ष के दौरान लाभ / हानि	15085.83		9253.77	
जोड़े: सामान्य आरक्षित से अंतरण	0.00		0.00	
जोड़े: अचल संपत्तियों की बिक्री के हानि पर लाभ से अंतरण	0.00		0.00	
कुल	(418892.56)		(433978.39)	
घटाएं : विनियोग	1744.41		0.00	
घटाएं–लाभ और हानि खाते से कम अंतरण(वर्ष के लिए हानि)	0.00		0.00	
इति शेष		(420636.97)		(433978.39)
कुल – प्रतिधारित कमाई		(418358.32)		(432108.90)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
5) शेयर अनुप्रयोग में लंबित आबंटित धन राशि		0.00		5500.00
6) अन्य व्यापक आय				
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (बीमांकिक लाभ)				
अथ शेष	7894.12		6062.43	
वर्ष के दौरान परिवर्तन	391.77		1831.69	
इति शेष	8285.89		7894.12	
अन्य व्यापक आय के द्वारा इक्विटी उपस्करण (निवेश) के उचित मूल्य में परिवर्तन।				
अथ शेष	3935.57		3726.81	
वर्ष के दौरान परिवर्तन	(177.09)		208.76	
इति शेष	3758.48		3935.57	
अन्य व्यापक आय		12044.37		11829.69
कुल योग – अन्य इक्विटी		144415.89		93605.13

टिप्पणी सं. 13

अचल देयता

सरकारी अनुदान का अनुपयोग :

i) उपहार स्वरुप दी गई नि:शुल्क उपस्कर				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार अथ शेष	0.00		62.47	
घटाएं – लाभ–हानि में अंतरण	0.00		62.47	
इति शेष		0.00		0.00
ii) सहायता अनुदान (पूंजीगत) : :				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	4.64		4.64	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्याँ	0.00		0.00	
कुल	4.64		4.64	
घटाएं : सहायता अनुदान राजस्व में अंतरण: पूंजीगत आरक्षिति	0.00		0.00	
घटाएं : लाभ हानि लेखा में अंतरण	0.00		0.00	
इति शेष		4.64		4.64
iii) सहायता अनुदान(राजस्व)				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	11841.82		11841.82	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्राप्ति*	8540.00		0.00	
कुल	20381.82		11841.82	
घटाएं : लाभ/हानि लेखे में अंतरण	8979.33		0.00	
इति शेष		11402.49		11841.82
कुल योग		11407.13		11846.46

* दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.), भारत सरकार ने कर्मचारियों जिन्हें वी.आर.एस. / वी.एस.एस. दिया गया या जिनका वी.आर.एस. / वी.एस.एस. दिनांक 30.6.2018 को कार्यवाही के तहत था, के भविष्य निधि की देयता को पूरा करने के लिए कंपनी को 8540 लाख रुपये का अनुदान आबंटित किया है जिसे व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया डी.ओ.टी. ने अपने पत्र दिनांक 31 दिसंबर 2019 द्वारा सूचित किया है कि कंपनी अपने संसाधनों से सांविधिक देयों की अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में 85.40 करोड़ रुपये के आवंटन को हिसाब में ले जिसकी प्रतिपूर्ति डी.ओ.टी. द्वारा की जाएगी। भारतीय ए.एस. 20 के अनुसार, इस राशि को 8540 लाख रुपये के अनुदान में आय के रूप में निर्धारित किया गया है।
– सरकारी अनुदान के अपव्यय हिस्सा (अनुदान दस्तावेज की शर्तों के अनुसार) को अन्य इक्विटी से अलग वर्गीकृत किया गया है और अचल देयता के रूप में दिखाया गया है

टिप्पणी सं. 14

अचल देयता

वित्तीय देयता – ऋण

i) सुरक्षित ऋण		
अस्थायी दर बांड	0.00	0.00
बैंक द्वारा सावधि ऋण	0.00	0.00

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
अन्य	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
II) प्रतिभूति ऋण				
भारत सरकार से ऋण	18000.00		30000.00	
उपरोक्त ब्याज अर्जित और देय है	0.00		0.00	
अस्थायी दर बांड	0.00		0.00	
बैंक द्वारा सावधि ऋण	0.00		0.00	
आस्थगित भुगतान देयता	0.00		0.00	
जमा	0.00		0.00	
संबंधित पक्ष द्वारा ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
वित्तीय पट्टा दायित्वों की दीर्घकालिक परिपक्वता	0.00		0.00	
अन्य ऋण–के.यू बैंड	0.00		0.00	
कुल		18000.00		30000.00
कुल योग		18000.00		30000.00

टिप्पणी सं. 15
अचल वित्तीय देयता –अन्य

प्राप्त प्रतिभूति जमा	13392.97		7033.41	
ब्याज अर्जित और भारत सरकार द्वारा कोई लंबित ऋण नहीं*	0.00		0.00	
कुल योग		13392.97		7033.41

टिप्पणी सं. 16
अचल प्रावधान

विशेषाधिकृत अवकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	7985.89		6601.67	
घटाएं : निगमित से अंतरण	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान	(607.00)		1384.21	
घटाएं : अदायगी	0.00		0.00	
कुल		7378.90		7985.88
रुग्णावकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	62.52		87.87	
घटाएं : निगमित से अंतरण	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान का उत्क्रमण	(7.62)		(25.36)	
घटाएं : अदायगी	0.00		0.00	
कुल		54.90		62.52
ii) अन्य		0.00		64.46
कुल योग		7433.80		8112.85

टिप्पणी सं. 17
चालू देयताएँ

i) चालू वित्तीय देयताएँ – ऋण

माँगने पर ऋण शोध्य

– जमानती ऋण

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
स्टेट बैंक एवं बैंकों के सहायता संघ के सदस्यों से नकदी ऋण, माल स्टाक, भंडार, कच्चा माल, ऋण एवं अग्रिम के दृष्टिबंधक और दोनों चल एवं अचल स्थायी परिसंपत्ति	103558.39		95870.68	
– गैर जमानती ऋण				
संबंधित पक्षों से ऋण और अग्रिम	0.00		0.00	
जमा	0.00		0.00	
अन्य ऋण एवं अग्रिम	0.00		0.00	
कुल		103558.39		95870.68

टिप्पणी सं. 18

चालू वित्तीय देयताएँ – व्यापार प्राप्तियाँ

व्यापारिक वस्तुओं के संभरण के लिए				
– सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यम	1299.77		1109.49	
– अन्य				
– गुजनेट	37219.17		0.00	
– गुजनेट के अलावा	167793.10		144937.24	
कुल	206312.04		146046.73	
व्ययों और सेवाओं के लिए				
– गुजनेट	852.65		476.82	
– गुजनेट के अलावा	4536.97		7815.05	
अन्य देयताओं के लिए	6603.59		26147.72	
कुल		218305.26		180486.32

जमा, 31.03.2020 को दिखाए गए वर्तमान देयताओं के अनुसार, वापसी के लिए दावा नहीं किया गया है और वह देय है।
सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम उद्यमों की एक सूची जिसके लिए कंपनी ऋणी है, बकाया ब्याज के साथ किसी भी राशि के लिए

अनुलग्नक के अनुसार

कंपनी द्वारा पहचाने गए सूक्ष्म और लघु उद्यमों का देय / भुगतान का प्रकटीकारण।

(क)	31.03.2020 तक न चुकाए हुआ मूल राशि का बकाया है।	1210.47	1108.19
(ख)	31.03.2020 तक न चुकाया हुआ ब्याज बकाया है।	89.30	1.30
(ग)	वर्ष के दौरान नियुक्ति दिन से परे भुगतान किया गया ब्याज और मूलधन की राशि।	0.00	0.00
(घ)	भुगतान में देरी के कारण हेतु ब्याज राशि की शेष और देय (जो नियुक्त अवधि के दौरान से परे भुगतान की गई) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2007 के अंतर्गत ब्याज को छोड़कर ।	0.00	0.00
(ड)	31.03.2020 तक न चुकाया हुआ अर्जित ब्याज की राशि शेष ।	0.00	0.00
(च)	सफल वर्ष में भी देय और शेष ब्याज की राशि देय । (जब तक इस तरह के ब्याज का भुगतान छोटे उद्यम को नहीं किया जाता है)	0.00	0.00

31.03.2020 को एमएसएमई का बकाया भुगतान

क्रम सं.	आपूर्तिकर्ता का नाम	31.03.2020 को देय राशि
1	मेसर्स एलएस कन्ट्रोल, बेंगलूरु	12.96
2	मेसर्स अव्यया टेक	47.03
3	मेसर्स टेलिमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	5.02
4	मेसर्स मेराकी टेक सल्यूशन	12.90
5	मेसर्स श्रृति एंजर्प्रासज़	0.64
6	मेसर्स वीआईपीआरओएफ इलेक्ट्रॉनिक्स	5.54
7	मेसर्स सीआईपीएल	46.81
8	मेसर्स एपीएसके	112.26
9	मेसर्स केल्विन	80.47
10	मेसर्स ए डी एन	59.34

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को

क्रम सं.	आपूर्तिकर्ता का नाम	31.03.2020 को देय राशि
11	मेसर्स शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स	51.03
12	मेसर्स महालासा	105.80
13	मेसर्स कॉन्सोईसुर इलेक्ट्रॉनिक्स	15.66
14	मेसर्स स्किल बूस्टेन टेक्नलॉजी	5.85
15	मेसर्स सुमुखा वेहजंट प्राइवेट लिमिटेड	7.49
16	मेसर्स ट्रायएंगल सॉफ्टवेयर	5.97
17	मेसर्स टूल मेक	3.85
18	मेसर्स मेसंग ग्लोबल कनेक्ट	3.58
19	मेसर्स साइंन्टिफिक मेस	9.11
20	मेसर्स क्यू–मैक्स	1.00
21	मेसर्स डिराइव टेक	18.23
22	मेसर्स फिशर मेशर्मेन्ट	10.18
23	मेसर्स ब्राइट प्लैटर्स	12.86
24	मेसर्स केमट्रेस ऑटोमेशन सिस्टम	20.40
25	मेसर्स विजय कुमार	6.53
26	मेसर्स फेरो बिल्डहाड्र्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	59.61
27	मेसर्स यूनीक कन्स्ट्रक्शन	19.04
28	मेसर्स सूर्या मार्केटिंग कॉर्पोरेशन पुणे	40.34
29	मेसर्स समिटस हाईग्रोनिक्स	2.81
30	मेसर्स रिलिक सिस्टम	7.58
31	डीआरओपीओयूटी	18.17
32	मेसर्स सन रेस इन्डस्ट्रीस, बेंगलूरु	2.29
33	इंजीनियरस बाजार	7.10
34	हाईक्रोट्रोनिक्स	0.01
35	भंसाली उद्योग	1.17
36	बख्शीश	0.70
37	मोदी हाईटेक	0.56
38	मेसर्स लॉजिक फ्रूट टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड	181.25
39	मेसर्स डेक्ससेल इलेक्ट्रॉनिक्स	59.88
40	मेसर्स पी सी प्रॉसेस प्राइवेट लिमिटेड	1.66
41	मेसर्स एजवुड नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड	31.95
42	मेसर्स ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स	0.45
43	लेखा वायरलेस सल्यूशन	8.79
44	मेसर्स एफटीडी इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड	9.65
45	एलाइड मशीन एण्ड टूलिंग	32.42
46	कैंब्रिज एनर्जी रिर्सोसेस प्राइवेट	0.85
47	दक्ष एनर्जी सिस्टम	2.74
48	के.वी. इलेक्ट्रॉनिक्स	8.06
49	तेजस कम्यूनिकेशन पीटीई लिमिटेड	108.61
50	एलाइड ग्लैसज़ प्राइवेट लिमिटेड	9.34
51	जे एम इंडस्ट्रिस	23.83
52	एस कुमार मल्टी प्रोडक्शन	0.40
	कुल योग	1,299.77

टिप्पणी सं. 19

चालू वित्तीय देयताएँ – अन्य

उधार पर नहीं बकाया किन्तु प्रोदभूत ब्याज	0.00	0.00
उधार पर बकाया एवं प्रोदभूत ब्याज	300.00	0.00
अप्रदत परिपक्व जमा एवं उन पर प्रोदभूत ब्याज	0.00	0.00
अप्रदत परिपक्व डिवेंचर एवं उन पर प्रोदभूत ब्याज	0.00	0.00
व्यय एवं सेवा कर के लिए	2916.03	3581.91
अन्य देयता	55951.89	26617.17
अन्य देय	644.18	26829.50

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
देय वेतन	2470.67	869.34
दावा न किए गए लाभांश	0.00	0.00
रॉयल्टी देय	212.80	212.80
वेतन संशोधन बकाया	1056.60	1076.68
अधिमान शेयर*	2500.00	30000.00
ठेकेदारों से जमा	4352.61	4576.64
विविध देनदारियाँ	19827.26	19343.33
कुल	90232.05	113107.38

*चूंकि अधिमान शेयर अपरिवर्तनीय और अतिदेय हैं, उसे शेयर पूंजी से निकाला गया है और वर्तमान वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। खातें में ब्याज/लाभांश प्रदान नहीं किया गया है।

मोचन की ओर कंपनी को भारत सरकार से अनुदान के रूप में 300 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है :

क) एमटीएनएल को दिनांक 14.02.2003 को जारी 100 करोड़ रुपये के, रु. 100/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के 10000000, 8.75% संचयी अप्रतिदेय अधिमान शेयर जिन्हें दिनांक 05.09.2019 को मोचित किया गया।

ख) बीएसएनएल को दिनांक 04.06.2003 को जारी 200 करोड़ रुपये के, रु. 100/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के 20000000, 7% संचयी अप्रतिदेय अधिमान शेयर, जिन्हें दिनांक 04.09.2019 को आयोजित मंडल की बैठक में दिनांक 06.09.2019 को मोचित किया गया जिसमें से 175 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और शेष 25 करोड़ रुपये दिनांक 31.03.2020 को बकाया है।

ग) एमटीएनएल और बीएसएनएल को दिनांक 04.09.2019 को मोचित उक्त (क और ख) संचयी अधिमान शेयरों के संबंध में लाभांश की बकाया राशि यथा लागू, प्रचलित नियमों और अधिनियमों के अनुसार दी जाएगी।

अधिमान शेयर

क) प्राधिकृत

70000000 अधिमान शेयर जिसमें से प्रत्येक 100/- रु. का है	70000.00	70000.00
8.75% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर		
ख) निर्गमित		
10000000, 8.75% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर प्रत्येक 100 रु. का प्रतिदेय सममूल्य पर मार्च 2005 से 5 बराबर किश्तों में	0.00	10000.00
(ग) अभिदत्त एवं पूर्ण चुकता		
10000000, 8.75% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर प्रत्येक 100 रु. का प्रतिदेय सममूल्य पर मार्च 2005 से 5 बराबर किश्तों में	0.00	10000.00
(घ) अभिदत्त एवं पूर्ण चुकता	0.00	0.00
(ङ) अदत्त मांग	0.00	0.00
(च) जब्त शेयर	0.00	0.00

(छ) प्रारंभ में और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयरों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन।

	रखे गए शेयरों की संख्या	रखे गए शेयरों की संख्या
शेयरों की संख्या बकाया अथ शेष	10000000	10000000
जोड़े : वर्ष के दौरान निर्गम	0.00	0.00
घटाएं : वर्ष के दौरान पिछला/जब्ती	10000000	0.00
शेयरों की संख्या बकाया अंत शेष	0.00	10000000

(ज) अधिकारों एवं अधिमानो एवं उपरोक्त वर्ग के शेयर के साथ प्रतिबंध संलग्न

- इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार केवल उन्हीं संकल्पों पर है जो कंपनी के समक्ष रखा गया है और अधिमान शेयर से जुड़े अधिकार पर सीधे प्रभाव डालता है।
- कंपनी के परिनिर्धारण होने की दशा में, अधिमान्य राशि का वितरण होने के बाद, इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्तियों का वितरण उनके द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा।

i) शेयरधारकों की सूची जिन्होंने 5% से ज्यादा शेयर लिमा है ।

नाम	रखे गए शेयरों की संख्या	रखे गए शेयरों की संख्या
1. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	0	10000000
(ञ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान :		
(i) शेयरों की संख्याओं का पूर्ण योग जो बिना नकद प्राप्त किये आबंटित हुए	0.00	0.00

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
(ii) शेयरों की संख्याओं का पूर्ण योग जो वोनस शेयर के मार्ग से पूर्णत: चुकता किया गया के रुप में आबंटित	0.00	0.00
iii) शेयरों की संख्याओं का पूर्ण योग और शेयरों के वर्गों को पीछे से लाया गया।	0.00	0.00
निम्नलिखित वर्ग के संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर के संबंध में लाभांश बकाया राशि में है।		
क) 2002–03 से संचयी अधिमान शेयर 8.75% पर	15251.37	14875.00
(दर्शाए गए आँकडे लाभांश वितरण कर से बाहर है)		
मोचन किश्त जो कि संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर के संबंध में कंपनी द्वारा जारी किया गया लेकिन निधि दवाब के कारण उसका भुगतान नहीं किया गया।		
31 मार्च, 2005 से 31 मार्च, 2009 तक मोचन किश्त देय 8.75%, 1000 लाख रुपये का अधिमान शेयर	0.00	10000.00
7% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर		
(क) निर्गमित		
20000000, 7.00% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर, जिसके प्रत्येक शेयर का मूल्य 100 रूपये है, मार्च 2006 से 5 बराबर किश्तों प्रतिदेय पर सममूल्य है, बीएसएनएल को कॉल विकल्प के साथ निवेश तिथि 31.03.2003 से एक वर्ष की समाप्ति के बाद	0.00	20000.00
(ख) अभिदत्त एवं पूर्णत: चुकता		
20000000, 7.00% संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर, जिसके प्रत्येक शेयर का मूल्य 100 रूपये है, मार्च 2006 से 5 बराबर किश्तों प्रतिदेय पर सममूल्य है, बीएसएनएल को कॉल विकल्प के साथ निवेश तिथि 31.03.2003 से एक वर्ष की समाप्ति के बाद	0.00	20000.00
(ग) अभिदत्त एवं पूर्णत: चुकता नहीं		
(घ) सममूल्य प्रति शेयर (रु 100)	0.00	0.00
(ङ) अदत्त माँग	0.00	0.00
(च) जब्त शेयर	0.00	0.00
(छ) शेयरों की संख्या का समाधान आरंभ में बकाया तथा प्रतिवेदन अवधि की अंत में		
	आयोजित शेयरों की संख्या	आयोजित शेयरों की संख्या
शेयरों की संख्या बकाया अथ शेष	20000000	20000000
जोड़े : वर्ष के दौरान निर्गम	0.00	0.00
घटाएं : वर्ष के दौरान भुनाया	20000000	0.00
शेयरों की बकाया संख्या अंत शेष	0.00	20000000
(ज) अधिकारों एवं अधिमानों एवं उपरोक्त वर्ग के शेयर के साथ प्रतिबंध संलग्न		
– इक्विटी शेयर के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट देने का अधिकार केवल उन्हीं संकल्पों पर है जो कंपनी के समक्ष रखा गया है और अधिमान शेयर से जुड़े अधिकार पर सीधे प्रभाव डालता है। – कंपनी के परिनिर्धारण होने की दशा में, अधिमान्य राशि का वितरण होने के बाद, इक्विटी शेयर धारकों को कंपनी की शेष परिसंपत्तियों का वितरण उनके द्वारा लिए गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा।		
(झ) शेयरधारकों की सूची जिन्होने 5% से ज्यादा शेयर लिया है।		
नाम	रखे गए शेयरों की संख्या	रखे गए शेयरों की संख्या
1. भारत संचार निगम लिमिटेड	0	20000000.00
(ञ) पिछले पाँच वर्षों के दौरान:		-
i) नकद प्राप्त किए बिना आबंटित शेयरों की कुल संख्या	0.00	-
ii) अधिलाभ शेयरों के माध्यम से पूरी तरह से भुगतान के रूप में आबंटित शेयरों की कुल संख्या	0.00	-
iii) वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या एवं वर्ग	0.00	-
निम्नलिखित वर्ग के संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर के संबंध में लभंश बकाया राशि में है।		
क) 2003–04 से संचयी अधिमान शेयर 7.00% पर	23006.03	22400.00
(दर्शाए गए आँकड़े लाभांश वितरण कर से बाहर है)		
मोचन किश्त जो कि संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयर के संबंध में कंपनी द्वारा जारी किया गया लेकिन निधि दवाब के कारण उसका भुगतान नहीं किया गया।		
31 मार्च, 2006 से 31 मार्च, 2010 तक मोचन किश्त देय 7.00%, 2000 लाख रुपये का अधिमान शेयर	0.00	20000.00

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को		31.03.2019 को	
टिप्पणी सं. 20				
चालू प्रावधान				
कराधन के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	0.00		0.00	
घटाएं : पूर्व वर्ष के लिए प्रावधान का समायोजन	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
उपदान के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	9678.61		8539.70	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	1077.45		1138.91	
घटाएं : उपदान न्यास में अंतरण	0.00		0.00	
जोड़े : उपदान न्यास से अंतरण	343.76		1708.67	
जोड़े : निगमित से अंतरण	0.00		0.00	
घटाएं : भुगतान	343.76		1708.67	
कुल		10756.06		9678.61
अर्जित अवकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	633.29		3288.35	
घटाएं: निगम को अंतरण	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	1769.24		(1735.83)	
घटाएं : भुगतान	725.86		919.23	
कुल		1676.67		633.29
रूग्णावकाश के लिए				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	2.05		2.41	
जोड़े : वर्ष के लिए प्रावधान	1.71		(0.36)	
घटाएं : अदायगी	0.00		0.00	
कुल		3.75		2.05
लंबी दूरी के लिए रियायती यात्रा भत्ता				
पिछले तुलन पत्र के अनुसार	294.72		175.33	
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रावधान	(25.27)		136.25	
घटाएं : भुगतान	2.33		16.86	
कुल		267.11		294.72
कुल योग		12703.60		10608.66
टिप्पणी सं. 21				
अन्य चालू देनदारियां				
अग्रिम में प्राप्त आय	0.00		0.00	
कर एवं शुल्क	3744.96		4548.09	
ग्राहकों से अग्रिम	56565.98		54914.04	
कुल		60310.94		59462.13

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को सामाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी सं. 22				
परिचालन से राजस्व				
i) उत्पादों की बिक्री (जीएसटी का निवल)				
तैयार माल की बिक्री	5400.77		41861.31	
व्यापारिक माल की बिक्री	12698.37		23645.16	
कुल		18099.14		65506.47
ii) सेवाओं की बिक्री		187787.72		101310.67
iii) अन्य प्रचालन राजस्व :				
क) स्क्रैप की बिक्री	0.00		19.70	
ख) डीएलआरसी परियोजना से आय	0.00		0.00	
ग) गैर–प्रतिस्पर्धा शूल्क	0.00		0.00	
घ) सहायता–राजस्व में अनुदान	0.00	0.00	0.00	19.70
कुल		205886.86		166836.84
कंपनी ने 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी भारतीय लेखा मानक 115 ''ग्राहकों के साथ अनुबंध हेतु राजस्व'' को अपनाया है।				
ब्रॉडहेड के अंतर्गत बिक्री				
1. एनपीआर		0.00		753.75
2. इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग उपस्कर		458.43		1102.07
3. एमएलएलएन		0.19		1629.57
4. सिम कार्ड		0.00		0.00
5. संचरण उपस्कर		0.00		16441.97
6. टेलीफोन		4.09		4971.24
7. जी–पॉन		16.67		4314.07
8. डीडब्ल्यूडीएम		0.00		0.00
9. सोलर पैनल		217.88		0.00
10. एसडब्ल्यूएएन		0.00		0.00
11. एपीडीआरपी		0.00		0.00
12. आईटी उत्पाद		7316.96		9375.02
13. एनजीएन		0.00		591.10
14. एनएफएस		637.38		3049.79
15.एस्कॉन		0.00		885.56
16. रक्षा		323.81		0.00
17. स्मार्ट ऊर्जा मीटर		1014.89		4703.52
18. बीबीडब्ल्यूटी		0.00		0.00
19. एचडीपीई पाइप		2199.20		0.00
20. ओएफसी		0.00		538.22
21. महानेट		0.00		0.00
22. वाई–फाई हॉटस्पॉट		23.65		27.90
23. गुजनेट		0.00		0.00
24.बीएनजी		0.00		7044.10
25. डीडीओएस		0.00		0.00
26. मिनी पीसी/टैब पीसी का विनिर्माण		1087.32		0.00
27. सीसीएमएस		0.00		0.00
28. मोबाइल शोरूम		223.71		321.27
29. राज्य सरकार		4231.54		6512.58
30. अन्य		343.42		3244.73
कुल		18099.14		65506.47

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को सामाप्त वर्ष के लिए	
मुख्य शीर्ष के अंतर्गत सेवाएं से लाभ				
1. एएमसी		5237.23		12099.19
2. एसएसटीपी		18.33		874.32
3. एनपीआर		0.00		71.50
4. एसईसीसी		0.00		0.00
5. डाटा सेंटर		1491.23		1633.64
6. आईटी		594.98		2131.85
7. एसडब्ल्यूएएन		0.00		0.00
8. जीएसएम		3429.43		2761.13
9. एनएफएस		18938.79		21299.94
10. जीपॉन		89.84		0.00
11. एस्कॉन		7202.16		0.00
12. रक्षा		267.51		8524.45
13. एनजीएन		515.38		0.00
14. बीबीडब्ल्यूटी		0.00		0.00
15. महानेट		52304.26		39809.58
16. वाई-फाई हॉटस्पॉट		223.94		0.00
17. गुजनेट		90701.83		1299.10
18. बीएनजी		178.98		650.69
19. डीडीओएस		0.00		0.00
20. एमएलएलएन		87.17		552.73
21. सीसीएमएस		653.56		315.84
22. ई-टेंडरिंग		3806.98		2008.50
23. एसएमपीएस, कौशल विकास		0.00		910.96
24. फाइबर नेटवर्क		(1701.41)		500.45
25. रेलवे		388.14		1341.68
26. एनएमएस		(755.86)		448.27
27. अन्य		4115.25		4076.84
कुल		187787.72		101310.67
विदेशी मुद्रा में आय				
माल के निर्यात का एफओबी के आधार पर गणना	0.00		0.00	
रॉयल्टी, तकनीकी जानकारी, व्यावसायिक और परामर्श शुल्क	0.00		0.00	
ब्याज और लाभांश	0.00		0.00	
सेवाएँ	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
टिप्पणी संख्या : 23				
अन्य आय				
क) आय पर ब्याज				
i) अंतर कार्यालय अग्रिम पर ब्याज	0.00		0.00	
ii) ब्याज - अन्य	1571.14		393.67	
कुल		1571.14		393.67
ख) गैर-व्यापार निवेश से लाभांश		0.00		0.00
ग) निवेश के बिक्री से निवल लाभ / हानि		0.00		0.00

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को सामाप्त वर्ष के लिए	
घ) अन्य गैर-प्रचालन आय (ऐसी आय के कारण निवल खर्च)				
i) परिसंपत्ति के बिक्री से लाभ	50.64		0.00	
घटाएं : पूँजीगत खाते का आरक्षण	0.00		0.00	
कुल	50.64		0.00	
ii) कमीशन	0.00		0.00	
iii) किराया	2105.31		1857.75	
iv) पट्टे का किराया	309.15		40.48	
v) परिवाहन प्रभार	0.00		0.10	
vi) रद्दी की बिक्री	558.68		541.82	
vii) जल प्रभार / विद्युत प्रभार	5.87		5.30	
viii) जब्त बैंक गारंटी	0.00		450.00	
ix) अतिरिक्त वापस लिया हुआ प्रावधान	0.00		0.00	
x) वीआरएस की प्रतिपूर्ति	0.00		0.00	
xi) गैर जरूरत देनदारियों की वापसी	4407.04		29851.75	
xii) परिनिर्धारित हानि की छूट	62.55		2.24	
xiii) श्रीनगर की हानि की क्षतिपूर्ति	0.00		0.00	
xiv) ब्याज प्रभार पर छूट	0.00		0.00	
xv) अनुदान सहायता से स्थानांतरण	0.00		0.00	
xvi) राजस्व अनुदान सहायता - वीआरएस	439.33		0.00	
xvii) राजस्व अनुदान सहायता*	8540.00		62.49	
xviii) पूंजीगत सहायता अनुदान से स्थानांतरण	0.00		0.00	
xix) एनएचएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा	128.67		0.00	
xx) विविध आय	210.96		441.70	
कुल (i से xx)		16818.20		33253.63
ङ) निवेश के वाहक मूल्य में समायोजन (प्रतिलेखन)		0.00		0.00
च) पिछले साल से संबंधित अनुदान		0.00		0.00
छ) विदेशी मुद्रा अनुवाद और लेन-देन पर निवल लाभ / हानि (वित्तीय लागत के रूप में माने जाने के अलावा)		0.00		0.00
कुल योग		18389.34		33647.30

* दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.), भारत सरकार ने कर्मचारियों जिन्हें वी.आर.एस. / वी.एस.एस. दिया गया या जिनका वी.आर.एस. / वी.एस.एस. दिनांक 30.6.2018 को कार्यवाही के तहत था, के भविष्य निधि की देयता को पूरा करने के लिए कंपनी को 8540 लाख रुपये का अनुदान आबंटित किया है जिसे व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया डी.ओ.टी. ने अपने पत्र दिनांक 31 दिसंबर 2019 द्वारा सूचित किया है कि कंपनी अपने संसाधनों से सांविधिक देयों की अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में 85.40 करोड़ रुपये के आबंटन को हिसाब में ले जिसकी प्रतिपूर्ति डी.ओ.टी. द्वारा की जाएगी। भारतीय ए.एस. 20 के अनुसार, इस राशि को 8540 लाख रुपये के अनुदान में आय के रूप में निर्धारित किया गया है।

टिप्पणी संख्या 24

कच्चे माल तथा उत्पादन भंडार की खपत

आरंभिक स्टॉक	8880.93		7198.38	
जोड़े : पुनरीक्षण के कारण पूर्व अवधि समायोजन	0.00		0.00	
क्रय / स्थानांतरण	8279.81		30005.92	
स्थापना और अनुरक्षण के लिए सामग्री	0.00		0.00	
कुल		17160.74		37204.30
घटाएं :				
अंतिम स्टॉक	7970.89		8880.93	
राजस्व एवं अन्य को निर्गम	282.56		165.21	
सामग्री अन्य यूनिटों में स्थानांतरण	0.00		0.00	
कुल		8253.45		9046.14

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को सामाप्त वर्ष के लिए	
जोड़े : कच्चे माल और उत्पादन भंडार से संबंधित भंडार अप्रत्यक्ष व्यय		(3.61)		213.24
उपभोग		8903.67		28371.40
मुख्य शीर्षक जिनके अंतर्गत कच्चे माल का खपत होता है				
विवरण				
1. इलेक्ट्रॉनिक माल और घटक	9113.06		28450.46	
2. एमएनआईसी	31.76		139.72	
कुल		9144.80		28590.18
सीआईएफ आधार पर आयातित वस्तुओं का मूल्य				
कच्चे माल और उत्पादन भंडार		3183.51		7161.75
घटक और अतिरिक्त पुर्जे		0.00		0.00
मार्गस्थ सामग्री		0.00		0.00
पूँजीगत माल		1214.87		3163.57
कुल		4398.38		10325.32

आयातित कच्चे माल का मूल्य, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की खपत और स्वदेशी वस्तुओं की खपत और कुल खपत में प्रत्येक की प्रतिशतता

विवरण	लाख रु. में	प्रतिशतता	लाख रु. में	प्रतिशतता
आयातित	3242.28	35.45	2220.55	7.77
स्वदेशी	5902.52	64.55	26369.63	92.23
कुल	9144.80	100.00	28590.18	100.00

टिप्पणी संख्या 25

व्यापार में स्टॉक की खरीद	41867.91	32164.00
मुख्य शीर्षक के तहत खरीदे गए सामान		
विवरण		
1. टेलीफोन	0.00	0.00
2. एसटीएम	0.00	0.00
3. डीडब्ल्यूडीएम	0.00	0.00
4. सोलर	848.60	1551.28
5. एसएसटीपी	0.00	0.00
6. सीडीएमए	0.00	0.00
7. एसएमपीएस	61.45	102.51
8. एस्कॉन	0.00	425.40
9. जीएसएम	0.00	0.00
10. आईटी	6660.68	9527.66
11. एपीडीआरपी	0.00	0.00
12. एनजीएन	0.00	0.00
13. स्मार्ट ऊर्जा मीटर	0.00	1932.00
14. सौर पेनल	0.00	0.00
15. महानेट	0.00	0.00
16. वाई-फाई हॉटस्पॉट	20.10	0.00
17. गुजनेट	27536.41	422.82
18. बीएनजी	0.00	5599.46
19. डीडीओजी	0.00	0.00
20. मिनी पीसी/टैब पीसी का विनिर्माण	0.00	0.00

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2019 को सामाप्त वर्ष के लिए
21. सीसीएमएस	0.00	0.00
22. मोबाइल शोरूम	223.04	319.85
23. एमएलएलएन	0.00	980.46
24. एसईएम (निवल)	0.00	137.59
25. मिनी पीसी	0.00	241.90
26. ओएफसी	0.00	603.82
27. ओएनटी/ओएलटी	122.65	1157.85
28. राज्य सरकार	4232.89	5994.32
29. अन्य	2162.09	3167.08
कुल	41867.91	32164.00

टिप्पणी संख्या 26

तैयार माल की वस्तु सूची में परिवर्तन, प्रक्रियाधीन कार्य और व्यापार में स्टॉक

प्रक्रियाधीन कार्य में वृद्धि / (ह्रास)				
प्रक्रियाधीन – उत्पादन :				
इति शेष	7851.61		3718.23	
घटाएं : अथ शेष	3718.24		3070.03	
कुल	4133.37		648.20	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	0.00		31.34	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	0.00		0.00	
कुल		4133.37		679.54
प्रक्रियाधीन कार्य – संस्थापन :				
इति शेष	0.00		0.00	
घटाएं : अथ शेष	0.00		0.00	
कुल	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	0.00		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
विनिर्मित घटकों में वृद्धि / (ह्रास)				
इति शेष	1137.55		970.79	
घटाएं : अथ शेष	970.79		887.74	
कुल	166.76		83.05	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	0.00		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	0.00		0.00	
कुल		166.76		83.05
प्रक्रियाधीन कार्य – संस्थापन :				
इति शेष	0.00		0.00	
घटाएं : अथ शेष	0.00		0.00	
कुल	0.00		0.00	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	0.00		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप/ संस्थापन में प्रभाव	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को सामाप्त वर्ष के लिए	
प्रक्रियाधीन कार्य में वृद्धि / (ह्रास)				
व्यापार में स्टॉक:				
इति शेष	1830.98		2172.71	
घटाएं : अथ शेष	2172.71		1806.52	
कुल	(341.73)		366.19	
जोड़े : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए	70.67		0.00	
घटाएं : मूल्य संशोधन के कारण पूर्व अवधि समायोजन / प्रावधान का ग्रासिंग रूप	0.00		0.00	
कुल		(271.06)		366.19
रद्दी का स्टॉक				
इति शेष	0.00		0.00	
घटाएं : अथ शेष	0.00		0.00	
जोड़े : पूर्व अवधि समायोजन	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00
कुल योग		4029.07		1128.78
टिप्पणी संख्या 27				
कर्मचारी हित पर व्यय:				
i) वेतन और मजदूरी :				
वेतन और मजदूरी	16798.71		14961.16	
घटाएं : अन्य राजस्व लेखा	0.00		0.00	
कुल	16798.71		14961.16	
बोनस	1.87		4.78	
वेतन संशोधन बकाया भुगतान	0.00		0.27	
प्रोत्साहन	48.55		145.30	
कुल		16849.13		15111.51
ii) भविष्य निधि और अन्य निधियों को कंपनी का अंशदान :				
भविष्य निधि और पेंशन निधि	2074.80		1748.41	
कर्मचारी राज्य बीमा	7.99		7.28	
उपदान न्यास निधि	1077.44		1138.91	
छुट्टी वेतन – पीएल	1162.24		(454.84)	
रुग्ण अवकाश	(5.91)		(25.72)	
जमा बद्ध बीमा / ग्रुप बीमा	9.12		17.28	
कुल		4325.68		2431.31
iii) कर्मकार और कर्मचारी कल्याण व्यय				
कल्याण व्यय – कैंटीन	343.37		267.46	
कल्याण व्यय – शिक्षा	38.81		36.00	
चिकित्सा व्यय	576.59		435.98	
एलटीसी / एलएलटीसी	(24.91)		138.34	
वर्दी	0.36		0.24	
अन्य	156.45		169.73	
कुल		1090.66		1047.74
iv) स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना				
वीआरएस भुगतान		443.49		0.00
v) बीमांकिक लाभ / (हानि)		391.77		1831.69
कुल योग		23100.74		20422.25

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

संबंधित पार्टी लेनदेन

प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों – वेतन और परिलब्धियाँ

नाम	2019–20	2018–19
श्री आर एम अग्रवाल – अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक	32.96	28.77
श्री शशि प्रकाश गुप्ता – निदेशक (मानव संसाधन)	30.15	12.72
श्री राजीव श्रीवास्तव – मुख्य वित्त अधिकारी(06.01.2020 से प्रभावी)	5.60	0.00
श्री वेंकटेश्वरलु–निदेशक (उत्पादन)	6.59	0.00
श्रीमती शनमुगा प्रिया–कंपनी सचिव	10.73	9.50
श्री अलगेसन के – भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	43.75	16.35
श्री गोपू – भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक और निदेशक (मानव संसाधन)	--	38.51
श्रीमती मालती एम – भूतपूर्व मुख्य वित्त अधिकारी (05.01.2020 तक)	15.92	13.22

भारतीय लेखाकरण मानक 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण रिपोर्ट

परिभाषित लाभ योजना

ट्रस्ट द्वारा कर्मचारियों की उपदान निधि योजना परिभाषित लाभ योजना है । दायित्व का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है । अवकाश नकदीकरण का दायित्व को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है जो कि अपव्ययी है ।

I. परिणाम का सारांश

		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्ण अवकाश	
क्र.सं.	परिसंपत्ती / देयता	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	21,655	20,525	9,056	8,619	59	65
ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	10,899	10,847	--	--	--	--
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल संपत्ति / (देयता)	-10,756	-9,679	-9,056	-8,619	-59	-65

II. बीमांकिक और जनसांख्यिकीय धारणा

क्र.सं.	विवरण	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019
क)	छूट दर	6.31	7.31	6.31	7.32	6.31	7.32
ख)	भविष्य में वेतन वृद्धि	2.00	5.10	2.00	5.10	2.00	5.10
ग)	उम्र के संघर्षण	0.50	4.84	0.81	4.84	0.50	4.84

III. योजना दायित्व

क्र.सं.	समाप्त तिथि	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019
क)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	21,655	20,525	9,056	8,619	56	65

IV. सेवा लागत

क्र.सं.	विवरण	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019
क)	वर्तमान सेवा लागत	673	677	316	297	2	2
ख)	पिछली सेवा लागत में कटौती लाभ /हानि शामिल	--	--	--	--	--	--
ग)	गैर दिनचर्या निपटान पर लाभ या हानि	--	--	--	--	--	--
घ)	कुल सेवा लागत	673	677	316	297	2	2

V. निवल ब्याज लागत

क्र.सं.	विवरण	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019
क)	परिभाषित लाभ दायित्व पर ब्याज लागत	1,502	1,500	631	723	5	7
ख)	योजना परिसंपत्ति पर ब्याज आय	774	876	--	--	--	--
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	728	624	631	723	5	7

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

VI. लाभ दायित्व में परिवर्तन

		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्ण अवकाश	
क्र.सं.	विवरण	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019
क)	अवधि की प्रारंभ में दायित्व का वर्तमान मूल्य	20,525	20,521	8,619	9,890	65	90
ख)	अधिग्रहण समायोजन	--	--	--	0	0	0
ग)	ब्याज लागत	1,502	1,500	631	723	5	7
घ)	सेवा लागत	673	677	316	297	2	2
ङ)	पिछली सेवा लागत में कटौती लाभ/ हानि शामिल	--	--	--	--	--	--
च)	लाभ का भुगतान	-344	-1,709	-721	-925	--	--
छ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	-702	-464	211	-1,366	-13	-35
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	21,655	20,525	9,056	8,619	59	65

VII. दायित्व पर वास्तविक लाभ / हानि का विभाजन

क्र.सं.	विवरण	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019
क)	जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	-215	-858	-84	-378	-1	-3
ख)	वित्तीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-1,265	-4	-640	-271	-4	-2
ग)	अनुभव समायोजन होने पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	778	398	935	-716	-8	-30

VIII. परिसंपत्ति योजना पर बीमांकिक लाभ/हानि

क्र.सं.	विवरण	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019
क)	अपेक्षित ब्याज आय	774	876	--	--	--	--
ख)	योजना संपत्ति पर वास्तविक आय	663	843	--	--	--	--
ग)	वर्ष के संपत्ति पर बीमांकिक लाभ/हानि	-112	-32	--	--	--	--

IX. तुलन पत्र और संबंधित विश्लेषण

क्र.सं.	विवरण	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019
क)	अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	21,655	20,525	9,056	8,619	59	65
ख)	योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	10,899	10,847	--	--	--	--
ग)	तुलन पत्र में अपव्ययी दायित्व / प्रावधान	-10,756	-9,679	-9,056	-8,619	-59	-65

X. आय विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

क्र.सं.	विवरण	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019
क)	कुल सेवा लागत	673	677	316	297	2	2
ख)	निवल ब्याज लागत	728	624	631	723	5	7
ग)	अवधि में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ/हानि)	0	0	211	-1,366	-13	-35
घ)	आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1,401	1,301	1,158	-346	-6	-26

XI. अन्य व्यापक आय (ओसीआई)

क्र.सं.	विवरण	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019
क)	निवल संचयी ना पहचान गया लाभ/(हानि) खोलना	--	--	--	--
ख)	पीबीओ पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	702	464	--	--
ग)	परिसंपत्ति पर वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि)	-112	-32	--	--
घ)	वर्ष में न पहचाना गया बीमांकिक लाभ/(हानि)	590	431	--	--

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

XII. परिसंपत्ति योजना में परिवर्तन

		उपदान		विशेषाधिकार अवकाश		रुग्ण अवकाश	
क्र.सं.	विवरण	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019
क)	अवधि की शुरुआत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	10,847	11,981	--	--	--	--
ख)	खोलने में अंतर	-266	-269	--	--	--	--
ग)	योजना संपत्ति पर वास्तविक वापसी	663	843	--	--	--	--
घ)	नियोक्ता योगदान	--	--	--	--	--	--
ङ)	लाभ का भुगतान	-344	-1,709	--	--	--	--
च)	अवधि के अंत में योजना संपत्तियों का उचित मूल्य	10,899	10,847	--	--	--	--

XIII. योजना परिसंपत्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजना परिसंपत्तियों का प्रतिशत)

क्र.सं.	विवरण	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019
क)	भारत सरकार की प्रतिभूतियों	--	--	--	--	--	--
ख)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियों	--	--	--	--	--	--
ग)	उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड	--	--	--	--	--	--
घ)	सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	--	--	--	--	--	--
ङ)	परिसंपत्ति	--	--	--	--	--	--
च)	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित धन	100%	100%	--	--	--	--
छ)	बैंक शेष	--	--	--	--	--	--
	कुल	100%	100%	--	--	--	--

XIV. निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन योजना

क्र.सं.	विवरण	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	9,679	8,540	8,619	9,890	65	90
ख)	अधिग्रहण समायोजन	--	--	--	--	--	2
ग)	कुल सेवा लागत	673	677	316	297	2	3
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	728	624	631	723	5	7
ङ)	पुनः मापन	-590	-431	211	-1,366	-13	-35
	खोलने में अंतर	266	269	--			
च)	निधि के लिए योगदान का भुगतान	--	--		--	--	--
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान लाभ		--	-721	-925	--	--
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	10,756	9,679	9,056	8,619	59	65

XV. चालू और गैर–चालू वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन

क्र.सं.	विवरण	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019
क)	चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	4,010	1,306	1,677	633	4	2
ख)	गैर–चालू देयता (एक वर्ष से अधिक की देय राशि)	17,645	19,219	7,379	7,986	55	63
	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	21,655	20,525	9,056	8,619	59	65

XVI. अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान

क्र.सं.	विवरण	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019	31-3-2020	31-3-2019
क)	सेवा लागत	637	734	284	314	6	7
ख)	निवल ब्याज लागत	679	708	571	631	4	5
ग)	अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित व्यय	1,316	1,442	855	945	10	12

लाख रुपए में

XVII. परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता विश्लेषण।

क) छूट दर में परिवर्तन का असर		31-3-2020	31-3-2020	31-3-2020
क्र.सं.	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	21,655	9,056	59
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	-327	-146	-1
ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	338	151	1

ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का असर		31-3-2020	31-3-2020	31-3-2020
क्र.सं.	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	21,655	9,056	59
क)	0.50 प्रतिशत की वृद्धि के कारण प्रभाव	340	157	1
ख)	0.50 प्रतिशत की कमी के कारण प्रभाव	-335	-153	-1

XVIII. परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफ़ाइल।

क्र.सं.	**वर्ष**	**राशि**	**राशि**	**राशि**
क)	0 से 1 वर्ष			4
ख)	1 से 2 वर्ष			5
ग)	2 से 3 वर्ष			9
घ)	3 से 4 वर्ष			8
ङ)	4 से 5 वर्ष			8
च)	5 से 6 वर्ष			8
छ)	6 साल बाद			16

XIX. परिणाम का सारांश **छुट्टी यात्रा रियायत**

क्र.सं.	**परिसंपत्ति / दायित्व**	31-3-2020	31-3-2019
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	267	295
ख)	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल परिसंपत्तियाँ / (दायित्व)	-267	-295

XX. बीमांकिक एवं जनसांख्यिकीय धारणाएँ

क्र.सं.	**विवरण**	31-3-2020	31-3-2019
क)	छूट दर	6.31	7.32
ख)	भविष्य में वेतन वृद्धि	2.00	5.1
ग)	उम्र के संघर्षण	0.50	4.84

XXI. बीमांकिक मूल्य

अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	267	295

XXII. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में पीबीओ का विभाजन

क्र.सं.	**विवरण**	31-3-2020	31-3-2019
क)	चालू देयता (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	47	29
ख)	गैर-चालू देयता (एक वर्ष से अधिक की देय राशि)	221	266
ग)	वर्ष के अंत में कुल पीबीओ	267	295

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को सामाप्त वर्ष के लिए	
टिप्पणी संख्या 28				
वित्तपोषण लागत				
i) ब्याज व्यय				
नकद ऋण	10655.11		10670.80	
सार्वजनिक जमा	0.00		0.00	
बांड	0.00		0.00	
अवधि ऋण	0.00		0.00	
अन्य	1984.02		-835.02	
ii) बैंक प्रभार	1356.02		743.55	
iii) सरकारी गारंटी शुल्क	0.00		0.00	
iv) बांड / ऋण जारी करने में व्यय	0.00		0.00	
v) विदेशी मुद्रा अनुवाद और लेनदेन से निवल लाभ/हानि	70.74		67.79	
कुल		14065.89		10647.11
पीएफ से ट्रस्ट में विलंबित भुगतान पर ब्याज सहित अन्य ब्याज व्यय।				
टिप्पणी संख्या 29				
मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति व्यय				
स्थाई परिसंपत्ति	4189.16		3703.09	
औजर और गेज	0.04		6.07	
कुल	4189.20		3709.16	
घटाएं : पूनर्मूल्यांकन आरक्षित से स्थानांतरण	0.00		0.00	
निवल मूल्यह्रास		4189.20		3709.16
टिप्पणी संख्या 30				
अन्य व्यय				
डीआरई बट्टे खाते में डाले गए		0.00		0.00
वीआरएस व्यय		0.00		0.00
विनिर्माण व्यय :				
भंडार और पुर्जों की खपत		241.14		218.77
पावर और लाइट		1447.55		1370.67
जल प्रभार		220.57		161.41
उत्पाद शुल्क		0.00		0.00
रखरखाव और मरम्मत :				
i) प्लांट मशीनरी और उपस्कर	221.83		131.84	
ii) वाहन	40.74		60.03	
iii) भवन	678.66		648.95	
iv) अन्य उपस्कर	80.08	1021.30	65.95	906.76
लागत और औजारों पर व्यय		-		0.10
प्रयोगात्मक कार्य और प्रशिक्षण पर व्यय		35.50		52.89
लघु उपस्कर और कार्य पर व्यय		2.53		7.93
राँयल्टी		-		0.00
कबाड़ और रद्दी		0.11		0.00
फैक्ट्री व्यय		456.22		43.94

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
टीओटी प्रभार :				
i) तकनीकी सहायता	0.00		4.65	
ii) तकनीकी जानकारी शूल्क	0.00		0.00	
iii) प्रलेखन प्रभार	0.00		0.00	
iv) प्रशिक्षण सहायता	0.00		0.00	
v) अन्य	(31.70)	(31.70)	0.00	4.65
परिनिर्धारित नुकसानी		1554.98		938.04
विलंब शुल्क प्रभार		10.85		1.25
विदेशी मुद्रा अनुवाद और संचालन में निवल लाभ / हानि (वित्त लागत के रूप में माने जाने के अलावा)		0.00		0.00
कुल विनिर्माण व्यय		4959.04		3706.40
प्रशासनिक व्यय :				
किराया	246.97		175.70	
दर और कर	120.46		72.09	
बीमा	45.40		22.89	
यात्रा व्यय				
अंतर्देशीय	385.75		421.49	
विदेशी	0.10		7.29	
कानून शुल्क	214.30		117.88	
डाक, टेलीग्राम, टेलेक्स व्यय	29.11		31.46	
टेलीफोन और ट्रंक-कॉल देय	72.13		71.70	
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक				
लेखापरीक्षा शुल्क	23.35		17.64	
कराधान मामले के लिए	0.76		0.81	
कंपनी कानून मामलों के लिए	0.00		0.00	
प्रबंधन सेवाओं के लिए	2.80		2.80	
प्रतिपूर्ति व्यय के लिए	0.27		0.58	
अन्य सेवाओं के लिए	1.49		5.60	
सीआईएसएफ / निजी सुरक्षा व्यय	1009.12		942.50	
मुद्रण और स्टेशनरी और नकल प्रभार	70.93		88.14	
परिवहन व्यय	480.44		393.25	
समाचार पत्र, पत्रिका और पत्र-पत्रिकाएं	21.42		21.01	
यंत्रीकृत लेखा व्यय	0.16		2.97	
पट्टा प्रभार	0.00		0.00	
लाइसेंस शुल्क / खण्ड प्रभार	2.86		1.70	
सीएसआर व्यय	64.00		0.00	
कार्यालय व्यय	607.79		528.36	
कच्चे माल भंडार के अप्रचलन के लिए प्रावधान	305.74		0.00	
अप्रचलित कच्चा माल और ऊत्पादन भंडार बट्टे खाते में डाले गए	40.44		0.00	
प्रक्रियाधीन कार्य के पूँजीगत बट्टे खाते में डाले गए	0.00		0.00	
देनदार / अग्रिम के लिए प्रावधान	559.78		0.00	
अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डाले गए	242.60		11669.82	
दावे एवं व्यय बंद प्रभारी	0.00		38.27	
परिसंपत्तियों की बिक्री के कारण हानि	0.00		0.00	
अवसूलीय उत्पादन शुल्क	0.00		0.00	
रखरखाव हेतु राशि का समायोजन के लिए निवेश	0.00		0.00	

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
बिक्री के कारण होने वाली निवल हानि के लिए निवेश	0.00		0.00	
कुल प्रशासन व्यय		4548.16		14633.95
विक्रय व्यय				
विक्रय एजेंसी कमीशन	6.16		7.78	
विज्ञापन व्यय	24.69		20.72	
प्रदर्शनी और प्रचार व्यय	5.20		29.72	
पैकिंग व्यय	1.74		15.20	
अग्रेषण व्यय	154.04		154.65	
प्रदत्त छूट	0.00		0.00	
आश्वस्ति व्यय	1.02		8.24	
विक्रय बढ़ोतरी व्यय	38.29		72.38	
मनोरंजन व्यय	0.87		0.36	
निविदा प्रपत्र की लागत	1.60		2.50	
कुल विक्रय व्यय		233.61		311.57
कुल अन्य व्यय		9740.81		18651.92

सी–डॉट के पर्याप्त देय राशि को ध्यान में रखते हुए रॉयल्टी पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है। (यह राशि रॉयल्टी की राशि से ज्यादा है) क्योंकि सी–डॉट द्वारा पट्टे पर लिए गए भवन का किराया लंबे समय से बकाया है।

बैक–टू–बैक व्यवस्था होने की दशा में, परिनिर्धारित नुकसान की गणना निवल आधार पर की जाएगी।

विदेशी मुद्रा में व्यय :

रॉयलटी	0.00		0.00	
जानकारी	0.00		0.00	
वृत्तिक / परामर्श शुल्क	0.00		0.00	
ब्याज	0.00		0.00	
अन्य	0.00		0.00	
कुल		0.00		0.00

टिप्पणी संख्या 31

निगमित सूचना :

1 आईटीआई लिमिटेड एक सार्वजनिक कंपनी है जो कि भारत की स्थायी और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समाविष्ट है। कंपनी मुख्य रूप से दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण, सेवा और बिक्री के कारोबार में लगी हुई है।

2 वर्ष 2003–04 के दौरान डीआरडीओ को 2600 लाख रुपये की बेची गई परिसंपत्ति के लिए बिक्री नामे का निष्पादन एवं पंजीकरण पर कार्रवाई की जा रही है।

3 16500 करोड़ रुपये की राशि 2014–2015 के दौरान वेतन संशोधन बकाया राशि प्राप्त हुआ है। 15443.40 लाख रुपये का भुगतान वेतन संशोधन बकाया राशि के रुप में और शेष राशि 1056.60 लाख रुपये का मौजूदा देनदारियों के तहत रखा गया है।

4 लेनदारों, देनदारों के खातों में शेयर राशियाँ, ग्राहकों से अग्रिम, कुछ बैंक खाते, वसूली योग्य दावे, ऋण और अग्रिम, फैब्रिकेटरों, उप–ठेकेदार / अन्य के पास सामग्री, मार्गस्थ सामग्री, जमा राशियों, ऋण, जीएसटी, जमा और अन्य देनदारियाँ जो पुष्टि / समाधान के अधीन हैं। हालांकि प्रबंधन की राय में, यदि सामान्य व्यवसाय के दौरान महसूस किया गया हो, व्यापार प्राप्तियाँ, मौजूदा संपत्ति, ऋण और अग्रिम के रूप में व्यक्त किए गए है।

5 कंपनी मुख्य रूप से विनिर्माण, व्यापार और दूरसंचार उपकरणों की सर्विसिंग के कारोबार और सहायक सेवाओं के प्रतिपादन के व्यवसाय में लगी हुई है और अलग से रिपोर्ट करने योग्य कोई खंड नहीं है। कंपनी को मुख्य रूप से एक ही भौगोलिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है, जो भारत में काम कर रही है। कंपनी रक्षा परियोजनाओं में भी लगी हुई है। दिनांक 23.02.2018 को अधिसूचित के अनुसार एमसीए ने सेगमेंट रिपोर्टिंग की आवश्यकता से रक्षा उत्पादन में लगे कंपनियों की पहचान की है।

6 अ) संबंधित पार्टी प्रकटीकरणों पर भारतीय लेखाकरण मानक (भा.ले.मा)24 के अनुसार इंडिया सेटकॉम लिमिटेड (आईएसएल) – इन संयुक्त उद्यम कंपनियों के साथ निम्न लेन–देन किए गए।

	2019-20	2018-19
माल/सेवाओं का खरीद		
माल/सेवाओं का विक्रय	0.00	0.00
बकाया रकम :	0.00	0.00
– संबंधित पार्टी से देय		

लाख रुपए में

	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
	– संबंधित पार्टी को देय	0.00	0.00
	संबंधित पार्टी से संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	0.00	0.00
	ख) कुंजी प्रबंधन कर्मियों को प्रतिपूर्ति भुगतान किया गया। (भा.ले.मा–24 यथा अपेक्षित)		
	श्री आर एम अग्रवाल – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	32.96	28.77
	श्री शशि प्रकाश गुप्ता – निदेशक (मानव संसाधन)	30.15	12.72
	श्री राजीव श्रीवास्तव – मुख्य वित्त अधिकारी (06.01.2020 से प्रभावी)	5.60	0.00
	श्री वेंकटेश्वरलु – निदेशक (उत्पादन)	6.59	0.00
	श्रीमती शनमुगा प्रिया – कंपनी सचिव	10.73	9.50
	श्री अलगेसन के – भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	43.75	16.35
	श्री गोपू – भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	0.00	38.51
	श्रीमती मालती एम–भूतपूर्व मुख्य वित्त अधिकारी (05.01.2020 तक)	15.92	13.22
7	**आय प्रति शेयर (प्रचालन जारी रखने के लिए) :**		
	कर पूर्व लाभ(ओसीआई सहित)	15085.83	9253.77
	(–) अधिमान लाभांश	982.40	2275.00
	लाभांश कर	0.00	463.14
	इक्विटी शेयरधारकों को उपलब्ध लाभ	14103.44	6515.63
	वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की संख्या	897000000	760000000
	वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या	925119508	897000000
	अवधि के दौरान शेयरों का भारित औसत संख्या	897616318	879875000
	आय प्रति इक्विटी शेयर (प्रचालन जारी रखने के लिए): बेसिक और तनुकृत(रु. में)	1.57	0.74
8	चूँकि कंपनी की पर्याप्त भावी कर योग्य आय की कोई यथार्थ अवधारणा नहीं है, भारतीय लेखाकरण मानक (भा.ले.मा)–12 ''आयकरों'' के अंतर्गत अनवशोषित मूल्यह्रास और कंपनी के अग्रेषित हानि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को नहीं लिया जा रहा है।		
9	**संयुक्त उद्यम;**		
	भारतीय लेखाकरण मानक 28 के अनुसार संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग		
	(क) इंडिया सैटकॉम लिमिटेड		
	सं.2, काडुगोडी इंडस्ट्रियल एरिया, व्हाईट फिल्ड, बेंगलूरु–67		
	कंपनी की इक्विटी भागीदारी	49%	49%
	संयुक्त उद्यम के निगमीकरण का स्थान–जे.वी, भारत		
10	पूँजी खाते में निष्पादन के लिए शेष संविदाओं की प्राक्कलित राशि जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (अग्रिम का निवल)	0.00	0.00
	अन्य संविदाओं के संबंध में प्रतिबद्धता नहीं दी गई।	0.00	0.00
11	(क) इनके बारे में प्रासंगिक देयता	31-03-2020	31-03-2019
	– बकाया साखपत्र एवं गारंटी	69168.64	109276.47
	– बिक्री कर मांग / सेवा कर / आय कर	14618.63	15002.89
	– अप्राप्त सी/डी फार्म	22150.80	28118.39
	– विवादित उत्पाद शुल्क माँग / सेनवेट अस्वीकृति	2225.78	2334.06
	– ईएसआई माँग	0.00	0.00
	– केवीएटी द्वारा ब्याज और जुर्माने की माँग ।	226.04	226.04
	– ऋण के रूप में कंपनी के खिलाफ दावा स्वीकार नहीं।	6395.02	5027.31

ख) लंबित मुकदमा :–

i) दावा वसूली– भूमि में –1049.41 लाख रूपये मेसर्स हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशंस से देय है । कंपनी ने कानूनी मामला दायर किया है जो दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है।

ii) विक्रेताओं ने कुल राशि 272.21 लाख रूपये कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया जो कि विभिन्न विभागों के समक्ष लंबित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण	2019–20	2018–19

iii) विवादित 17671.96 लाख रूपये की वैधानिक देनदारियां ।

iv) एलईआरसी, आईटीआई के अनुमति के बिना आईटीआई भूमि में 5310 वर्गफुट में अस्थायी सड़क उपयोग कर रहा है और यह मामला विचाराधीन है।

v) ब्रुहत बेंगलूरु महानगर पालिका का (बीबीएमपी) ने आईटीआई की अनुमति के बिना आईटीआई भूमि कृष्णाराजपुरम में सड़क का निर्माण, कर्नाटक हाइकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद किया गया जिसका उपयोग आम जनता द्वारा किया जाता है।

सभी अतिदेय सांविधिक देनदारियों (निर्विवाद सहित) के बकाया और दंड पर संबंधित अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन और निर्धारित किया जा सकता है।

12 पिछले वर्षों देनदारियों से 44 करोड़ रुपए वापस लिया गया, उसमें पालक्काड़ इकाई के 8 करोड़ रुपए, नैनी यूनिट के 4 करोड़ रुपए, एनएस यूनिट के 2 करोड़ रुपए, मानकापुर इकाई 20 करोड़ रुपए, बेंगलूरु प्लांट के 1 करोड़ रुपए और 9 करोड़ रुपए क्षेत्रीय कार्यालयों का शामिल हैं।

13 प्रयुक्त आयातित कच्चे माल, भंडार और अतिरिक्त पूर्जों का मूल्य तथा प्रयुक्त देशी सामग्री का मूल्य प्रत्येक की प्रतिशतता।

विवरण	2019-20	%	2018-19	%
आयातित	3242.28	35.45	2220.55	7.77
देशी	5902.52	64.55	26369.62	92.23
कुल	9144.80	100.00	28590.17	100.00

14 प्रारंभिक स्टॉक के संदर्भ में सीमा शुल्क तथ्य में देय विभिन्न समायोजनों को ध्यान में रखने के पश्चात् प्राप्त स्टॉक में अभिवृद्धि / कमी।

15 रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम(एसआईसीए), 1985 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी एक रुग्ण कंपनी है। पुनर्व्यवस्था योजना के अंतर्गत सीसीईए द्वारा आईटीआई के पुनरुद्धार के लिए फरवरी, 2014 में 4156.79 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता के रुप में अनुमोदित की गई। अनुमोदित आर्थिक सहायता के एक हिस्से के रुप में 192 करोड़ रु. इक्विटी शेयर आवेदन के पैसे की दिशा में कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया है और वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान शेयरों को आबंटित किया गया और 2016–17 के वित्तीय वर्ष में शेयर पूंजी के मुकाबले अतिरिक्त रूप से 80 करोड़ रूपये प्राप्त किए गए । वर्ष 2017–18 के दौरान पूंजी अनुदान सहायता के लिए 337 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, और इसमें से 200 करोड़ रुपए वर्ष 2017–18 के दौरान आबंटित किए गए हैं और वर्ष 2018–19 के दौरन 137 करोड़ रुपये शेष है। वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी को लंबित आबंटन के लिए 55 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ, जो शेयर आवेदन राशि के रुप में है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी ने 10500 लाख रुपये का पूँजीगत अनुदान प्राप्त किया है। आई.टी.आई. द्वारा प्राप्त 160 करोड़ रुपये (50 करोड़ रु. + 5 करोड़ रु. + 35 करोड़ रु. + 70 करोड़ रु.) की कुल कैपेक्स राशि के लिए, कंपनी ने भारत के राष्ट्रपति को 56.90 रुपये प्रति शेयर (46.90 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर प्रत्येक 10 रु. पूर्ण चुकता शेयर) की दर से 2,81,19,508 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। यह आबंटन की तारीख से तीन महीने पहले के प्रचलित बाज़ार दर या औसत शेयर कीमत, इनमें से जो भी कम हो, पर संचार मंत्रालय के आदेश सं. 20–36/2012–एफ.ए.सी.II(पी.टी.) दिनांक 06.09.2019 और दिनांक 14.01.2020 के अनुसार किया गया।

कंपनी को वीआरएस व्यय के लिए 15500 लाख रुपये भी मिले, जिसमें से 3658.19 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2016–17 और 2017–18 के दौरान वीआरएस के लिए खर्च किए गए और वर्ष 2016–17 के दौरान 3350 लाख रुपये का खर्च पूरा करने के लिए इकाइयों / आरओ को स्थानांतरित कर दिया गया और शेष राशि 308.18 लाख वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान स्थानांतरित किया जाएगा । वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान कंपनी ने वीआरएस खर्च का भुगतान नहीं किया है, और वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने 439.33 लाख रुपये के वीआरएस व्यय का भुगतान किया है, शेष राशि खाते में पड़ी है।

16 भूमि को बेंगलूरु मैट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन(बीएमटीसी) को पट्टे पर देने का प्रस्ताव है (जिसका पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है) 12.15 एकड़ भूमी जो पहले से ही बीएमटीसी के कब्जे में है, भारत सरकार के पट्टे के नियमों व शर्तानुसार अनुमोदन देना है । पट्टे को पहचानित कर किराए को शर्तो के अनुसार अंतिम रुप दिया जाएगा । 285 लाख रु. पूर्व में बीएमटीसी से प्राप्त हो चुकी है जिसको जमा किया गया है ।

17 बेंगलूरु संयंत्र द्वारा दावा किए गए आपूर्तिकर्ता पर 1049.41 लाख रुपए के परिनिर्धारित नुकसानी(एलडी), मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है और मामला दिल्ली की उच्च न्यायालय के समक्ष में लंबित है।

18 कर्नाटक विद्युत पारेषण निगम लिमिटेड के पास 5 एकड़ भूमि उसके कब्जे में है (जो पुर्नमूल्यांकन नहीं किया गया है) और कोई पट्टा समझौता उसके लिए दर्ज नहीं किया गया है।

19 ईएसआईसी के साथ पट्टा समझौता जुलाई 2016 के महीने में समाप्त हो गया है और पट्टे का नवीनीकरण समझौते नहीं किया गया है, क्योंकि संशोधित पट्टा किराया ईएसआईसी के साथ नहीं सुलझाया गया है।

20 77 एकड़ भूमि का मूल्य (बाजार मूल्य) से 194.70 करोड़ रु. है केरल सरकार द्वारा फिर से शुरू और सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णयन के तहत किया गया है, जो तुलन पत्र में दिखाया गया है। भूमि का मूल्य केरल सरकार द्वारा फिर से ग्रहण करना, शीर्ष अदालत से निर्णय लंबित शामिल है ।

21 सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य

कच्चा माल और उत्पादन भंडार	3183.51	7894.78
घटक तथा अतिरिक्त पुर्जे	0.00	0.00
मार्गस्थ सामग्री	0.00	0.00
पूँजीगत माल	1214.87	3163.57
कुल	4398.38	11058.35

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

विवरण		2019-20	2018-19

22 सी-डॉट, भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय, से 2005-06 से 2010-11 तक 5847.90 लाख रू. अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है । उगाही/वसूली के अनिश्चितता के चलते, सकल किराया राजस्व की पहचान जिसकी कुल रकम 9079.92 लाख रु. है जो प्रोद्भवन आधार पर वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए है, आस्थगित किया गया है और भारतीय लेखा मानक-18 के अनुरूप है।

23 नैनी यूनिट से संबंधित 2.43 करोड़ रुपये की पूर्व प्राप्य वर्षों के व्यापार प्राप्य का बट्टे खाते ।

24 निष्पादन सूचक - अनुपात

- कुल परिसंपत्तियों की तुलना में विक्रय	अवधि	0.31	0.27
विक्रय में उत्पाद शुल्क शामिल और जीएसटी को छोड़कर/कुल परिसंपत्तियां (निवल स्थाई परिसंपत्तियां+निवेश+सकल चालू परिसंपत्तियां)			
- प्रयुक्त पूँजी से परिचालन लाभ	[%]	12.50%	9.51%
कर पूर्व लाभ/(शेयरधारकों की निधियाँ+ऋण निधियाँ)			
- विक्रय से लाभ	[%]	6.28%	6.84%
(उत्पाद शुल्क सहित विक्रय की तुलना में कर पूर्व लाभ)			

25 वित्तीय विवरणों पर कोविड-19 की वैश्विक स्वास्थ्य महामारी के प्रभाव संबंधी प्रकटण। कंपनी ने आंतरिक स्रोतों से यह अनुमान लगाया है कि कोविड-19 के कारण कुल कारोबार में लगभग 10%-15% तक की कमी आई है। इसके अलावा, दिनांक 23 मार्च 2020 से किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण, कंपनी का कामकाज मई 2020 के दूसरे सप्ताह से सीमित मात्रा में दोबारा शुरु किए गए। इसके अतिरिक्त, चूँकि ज्यादातर ग्राहक सरकारी विभाग हैं, देनदारों के किसी स्थायी ह्रास का अनुमान नहीं है और कंपनी को नियत समय में इन परिसंपत्तियों की वहनीय राशि वसूल करने की अपेक्षा है। बहरहाल, वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान भुगतान की वसूली में अस्थायी देरी देखी गई जो दूसरी तिमाही के दौरान भी जारी रह सकती है। वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का भावी प्रभाव अनिश्चित है जो इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख पर किए गए अनुमान से अलग हो सकता है। कंपनी भावी आर्थिक परिस्थितियों में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों की गहन निगरानी करेगी।

26 पिछले वर्ष के आंकड़े को चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरुप जहाँ आवश्यक हो पुन: वर्गीकृत किया गया है ।

27 वह ऑकड़े जो ब्रैकेट में दर्शाएं गए हैं, वह श्रणात्मक ऑकड़ों को प्रदर्शित करते हैं ।

हमारी समदिनांक रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स शंकरन और कृष्णन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण नं. : 003582एस

वी.वी. कृष्णमूर्ति
साझेदार
सदस्य सं. 027044 एस

एस. शनमुगा प्रिया
कंपनी सचिव

राजीव श्रीवास्तव
मुख्य वित्त अधिकारी

आर.एम. अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 26.06.2020

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी (ज़ारी.....)

लाख रुपए में

32 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क. एसोशिएट/संयुक्त उद्यम

उद्यम का नाम	व्यवसाय का स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित		गैर–नियंत्रण हितों द्वारा धारित स्वामित्व हित		प्रमुख गतिविधियां
		मार्च 31, 2020 पर	मार्च 31, 2019 पर	मार्च 31, 2020 पर	मार्च 31, 2019 पर	
इंडिया सैटकॉम लिमिटेड	इंडिया	49.00%	49.00%	51.00%	51.00%	वीसैट विनिर्माण एवं सर्वीसिंग

ख. निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का विवरण :

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम	2019-20	2018-19
श्री गोपू – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (मानव संसाधन) के रुप में नामित – वेतन और अनुलाभ	-	38.51
श्री अलगेसन के – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (उत्पादन)	43.75	16.35
श्री आर एम अग्रवाल – सरकार द्वारा नामित निदेशक (विपणन)	32.96	28.77
श्री शशि प्रकाश गुप्ता – निदेशक (मानव संसाधन)	30.15	12.72
श्री वेंकटेश्वरलु – निदेशक (उत्पादन)	6.59	-
श्री सदय कृष्ण कनोरिया – स्वतंत्र निदेशक	0.75	0.58
श्रीमती आशा कुमारी जसवाल – स्वतंत्र निदेशक	1.35	0.58
श्री राजेन विध्यार्थी – स्वतंत्र निदेशक	0.90	0.48
श्री सुरेश चंद्र पांडा – स्वतंत्र निदेशक	0.25	0.31
श्री मयंक गुप्ता – स्वतंत्र निदेशक	0.85	0.23
डॉ. अखिलेश दुबे – स्वतंत्र निदेशक	0.70	0.28
डॉ. के. आर. शनमुगम – स्वतंत्र निदेशक	1.00	0.25
श्री राजीव श्रीवास्तव–मुख्य वित्त अधिकारी–वेतन और अनुलाभ(06.01.2020 से प्रभावी)*	5.60	-
श्रीमती मालती एम – मुख्य वित्त अधिकारी – वेतन और अनुलाभ (05.01.2020 तक)*	15.92	13.22
श्रीमती एस शनमुगा प्रिया – कंपनी सचिव	10.73	9.50

**वर्ष का अंश

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के इतर संबंधित परतियों के साथ लेनदेन निम्नानुसार है (पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दर्शित है) : –

विवरण	एसोशिएट/संयुक्त उद्यम
संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	इंडिया सैटकाम लिमिटेड
माल का क्रय	शून्य
माल की बिक्री	
सेवाएँ प्रदान करना	
प्राप्त सेवाएँ	
प्राप्त किराया (लीज़)	
ब्याज आय	
निवेश पर लाभांश आय	
31.03.2020 पर बकाया ऋण (ब्याज सहित)	
31.03.2020 पर बकाया व्यापार देनदारियाँ	
31.03.2020 पर बकाया प्राप्य व्यापार	
31.03.2020 पर इक्विटी में निवेश	40.55 लाख
31.03.2020 पर बकाया कराया के लिए अग्रिम	शून्य

घ. संबंधित पार्टियों के साथ निपटाए गए सभी लेनदेन सरल रूप में पहुँच के आधार पर है।

ड. सभी बकाया शेष राशि (ऋण के इतर) असुरक्षित हैं और अगले 6 महीनों के अंदर नकद में प्रतिदेय है। ऋण के बकाया शेष राशि के लिए नीचे टिप्पणी ज का संदर्भ लें।

च. संबंधित पार्टियों को ऋण :

शून्य

झ. कर्मचारियों की प्रतिनियुक्त सहित प्रबंध अनुबंध:–

शून्य

ञ. सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन :–

जैसा कि आईटीआई दूरसंचार मंत्रालय (डीओटी) के नियंत्रणाधीन एक सरकारी संस्था है, सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ लेनदेन के संबंध में भारतीय लेखा मानक 24 के अधीन अपेक्षित अनुसार कंपनी ने विवरणात्मक प्रकटीकरण का प्रावधान किया है।

भारतीय लेखा मानक 24 के अधीन अपेक्षित अनुसार, व्यक्तिगत रूप में महत्वपूर्ण लेनदेन नीचे दिये जाते हैं : –

1. शेयरों की पुनर्खरीद।
2. जारी बोनस।
3. प्रदत्त लाभांश।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार एवं सरकार से संबंधित संस्थाओं के संबंध में कंपनी के कारोबार का लगभग 83.73%, प्राप्य व्यापार का लगभग 96.09% और ग्राहक के अग्रिम का लगभग 99.95% हैं।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

आईटीआई लिमिटेड के सदस्यों के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने आईटीआई लिमिटेड और उसकी संयुक्त उद्यम कंपनी इंडिया सैटकॉम लिमिटेड (जिसे एक साथ मिलकर ''दि कंपनी'' कहा गया है) के संलग्न समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2020 की तारीख का समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ व हानि की विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), उक्त तारीख को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्राप्ति विवरण तथा इक्विटी में समेकित परिवर्तन का विवरण तथा उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जिसे यहाँ इसके बाद ''समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण'' कहा गया है) का सार शामिल है।

हमारे राय में व हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर एकल वित्तीय विवरण उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण यथा अपेक्षित रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियमम'') द्वारा वादित जानकारी देता है और 31 मार्च, 2020 तक के कंपनी के कार्य मामलों तथा उक्त तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए उनके लाभ, और अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और उसके नकद प्रवाह का कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित, (''इंड एएस'') के साथ पठनीय अधिनियम की धारा 133 के अधीन निहित भारतीय लेखांकन मानक तथा भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही व उचित विचार देता है।

राय के लिए आधार

हमने अधिनियम (एसएए) की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी की गई आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो स्वतंत्रता की आवश्यकताओं के साथ अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। इसके बाद, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अर्हताप्राप्त विचार का आधार

अर्हताएँ जो अर्हता निर्धारित करने योग्य नहीं हैं –

i) पट्टे की शर्तों और समझौते को अंतिम रूप देने पर भारत सरकार से निलंबित मंजूरी, बेंगलूरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (बीएमटीसी) को पट्टे पर दी गई भूमि पर किराये की आय, बीएमटीसी को पट्टे पर देने के लिए प्रस्तावित 12.15 एकड़ की सीमा तक पहले ही बीएमटीसी के कब्जे में है, आगे हमें दी गई जानकारी के आधार पर, बीएमटीसी के पास अतिरिक्त 1.85 एकड़ जमीन है, जिसे आय के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। बेचने के लिए एक समझौते के तहत बीएमटीसी से पहले प्राप्त 285.00 लाख रुपये की राशि जमा के तहत धारित है। (टिप्पणी सं.31.16 का संदर्भ लें।);

ii) कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केपीटीसी) को पट्टे पर दी गई भूमि पर किराये की आय (केपीटीसी को पट्टे पर देने के लिए प्रस्तावित 5 एकड़ की एक सीमा तक केपीटीसी के कब्जे में है), को पट्टा-करार के अंतिम रूप देने के लिए लंबित आय के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।(टिप्पणी सं.31.18 का संदर्भ लें।)

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित है।

मात्रात्मक योग्यताएँ

i) वसूली के संदेहास्पद दावों की ओर 5847.90 लाख रुपये का गैर-प्रावधान, जो 31.03.2011 को समाप्त अवधि तक सी-डॉट को पट्टे पर दी गई परिसर से प्राप्य किराए से संबंधित है, और उक्त परिसर के लिए 31.03.2011 के बाद की अवधि के लिए कोई किराये की आय प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण आकस्मिक आधार पर मान्यता दी गई है। (टिप्पणी सं.31.22 का संदर्भ लें;)

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित है।

ज़ोर देने का विषय

i) हम वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित नोट 31.25 पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी कोविड-19 महामारी से उत्पन्न प्रभाव का वर्णन करती है।

ii) हम वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियों में निम्नलिखित बातों पर ध्यान आकर्षित करते हैं :

iii) मुआवजे की प्राप्ति पर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा 1.375 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए आवश्यक लेखांकन समायोजन, अधिग्रहण की गई भूमि की आनुपातिक लागत के साथ अचल संपत्तियों से वापस ले लिया गया और दावे के रूप में धारित किया गया। (टिप्पणी सं.31.17 का संदर्भ लें।);

iv) व्यापार देनदारियों, ग्राहकों से अग्रिम, प्राप्य व्यापार, वसूलीय दावे, ऋण और अग्रिम, उप-ठेकेदार/अन्य, जमा, ऋण के खातों में शेष राशि और अन्य भुगतान/प्राप्य जैसे बिक्री कर, वैट, उत्पाद शुल्क, सेनवैट, सेवा कर, आयकर, जीएसटी, टीडीएस, आदि पुष्टि/सुलह के तहत हैं। समायोजन, यदि कोई है, तो इस तरह की सुलह/प्राप्ति की पुष्टि के पूरा होने पर किया जाएगा और हम कंपनी के खातों पर उसी के प्रभाव पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। (टिप्पणी सं.31.4 का संदर्भ लें।);

v) कंपनी कमजोर औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एसआईसीए), 1985 के प्रावधानों के अनुसार एक कमजोर कंपनी है। सीसीईए ने राजस्व योजना के तहत आईटीआई के पुनरुद्धार के लिए फरवरी, 2014 में 4156.79 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। (टिप्पणी सं.31.15 का संदर्भ लें।);

vi) ईएसआईसी के साथ पट्टा समझौता जुलाई 2016 के महीने में समाप्त हो गया है और नवीकरण पट्टे समझौते में प्रवेश नहीं किया गया है। (टिप्पणी सं.31.19 का संदर्भ लें।);

vii) केरल सरकार द्वारा 77 एकड़ की भूमि को फिर से ले ली गई है और मामला एपेक्स न्यायालय के निर्णय के तहत है। तुलन पत्र में दर्शित भूमि के मूल्य में केरल सरकार द्वारा फिर से ली गई भूमि का मूल्य भी शामिल है। (टिप्पणी सं.31.20 का संदर्भ लें।)

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

क्रम सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखा परीक्षकों का उत्तर
1.	कंपनी ने भारतीय लेखा मानक 115, 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व' (115 इंड एएस 115) को अपनाया है जो नया राजस्व लेखा मानक है। इस लेखांकन मानक के लिए अनुप्रयोग और अंतरण जटिल है और लेखापरीक्षा में ध्यान देने का क्षेत्र है। राजस्व मानक यह निर्धारित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा स्थापित करता है कि क्या, कितना और कब राजस्व मान्यता प्राप्त है। इसमें विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों की पहचान से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय शामिल हैं, जो किसी अवधि में मान्यता प्राप्त राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए गए आधार की उपयुक्तता है। कंपनी ने इंड एएस 115 को अपनाया और उसमें उपलब्ध छूट को लागू किया, न कि तुलनात्मक अवधियों को बहाल किया। कृपया समेकित वित्तीय विवरणों में टिप्पणी सं.22 को देखें।	**प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया** हमने नए राजस्व लेखा मानक को अपनाने के प्रभाव की पहचान करने के लिए कंपनी की प्रक्रिया का आकलन किया। हमारी लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण में, डिजाइन का परीक्षण और आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन की प्रभावशीलता शामिल थी और मौलिक परीक्षण निम्नानुसार है: निरंतर और नए अनुबंधों के नमूने का चयन किया और निम्नलिखित प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया: – परियोजना के विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के चरण के लिए कंपनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, यथा कार्यादेश, और आरएफपी, क्रयादेश और प्रमाण पत्र का पठन तथा विश्लेषण। – उपयुक्त वरिष्ठ प्रबंधन के साथ चर्चा की और बिल न किए गए राजस्व, जिसे संबंधित परियोजना/इकाई और वित्त प्रमुखों द्वारा विधिवत प्रमाणित बहीखाते में आय के रूप में मान्यता प्राप्त है, के आकलन में प्रबंधन की अंतर्निहित महत्वपूर्ण धारणाओं का मूल्यांकन किया है। दिनांक 25.06.2020 को आयोजित बैठक में लेखा परीक्षा समिति के साथ चर्चा की गई 24.06.2020 का कार्यवृत को प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदन का सत्यासपित किया गया। –कंपनी द्वारा पहचाने और दर्ज किए गए इन प्रदर्शन दायित्वों की तुलना की है। – राजस्व की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेनदेन मूल्य को सत्यापित करने और चर विचार के आकलन के आधार का परीक्षण करने के लिए किसी भी चर विचार सहित लेनदेन की कीमत निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तों पर विचार किया। – भारतनेट– II परियोजनाओं के नमूनों के संबंध में अभिलेखित किए गए राजस्व की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि की प्रगति को अनुमान के साथ उस चरण तक वास्तविक लागत के साथ सत्यापित किया गया था। हमने इन प्रणालियों से संबंधित पहुँच और परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रण का भी परीक्षण किया। – प्रकार और सेवा ऑफर द्वारा प्रकट राजस्व की तर्कशीलता के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया।
2.	सरकारी विभागों के साथ प्राप्य व्यापार, अग्रिम, शेष राशि की पुनर्प्राप्ति और मूल्यांकन। कंपनी के पास प्राप्य व्यापार (टिप्पणी संख्या 4क और 7) 312049.78 लाख रुपये और ऋण और अग्रिम शेष (टिप्पणी संख्या 5 और 9) 57305.18 लाख रुपये और सरकारी विभागों के साथ जमा (टिप्पणी संख्या 10), कर और शुल्क 6808.26 लाख रुपये है। कंपनी के सरकारी विभागों के साथ प्राप्य व्यापार, अग्रिम, शेष में मुख्य रूप से प्राप्य हैं जो उत्पादों के निर्माण और बिक्री के संबंध में, विक्रेताओं और कर और शुल्क आदि के लिए अग्रिम हैं। इन शेष राशि को उनके प्रत्याशित वास्तविक मूल्य पर मान्यता प्राप्त है, जो गैर–वसूली योग्य मूल्य के लिए मूल चालान राशि/भुगतान कम प्रावधान (अनुमानित के लिए) है। सरकारी विभागों के साथ प्राप्य व्यापार, अग्रिम, और शेष राशि की वैधता लेखापरीक्षा में एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला है, इसकी होल्डिंग के आकार और हानि प्रावधान के निर्धारण में उपयोग किए जाने वाले उच्च प्रबंधन स्तर का निर्णय है।	**प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया** हमने प्राप्य व्यापार की पुनर्प्राप्ति के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रियाएं की हैं: – वर्ष के अंत में नमूना आधार पर सरकारी विभागों के साथ प्राप्य व्यापार, अग्रिम, उम्र बढ़ने की सटीकता का परीक्षण किया गया। – बकाया प्राप्तियों की एक सूची प्राप्त की और किसी भी देनदार की पहचान की जहां सहमति शर्तों पर भुगतान में देरी हो। – हमारे ग्राहकों के क्रेडिट प्रोफाइल, ग्राहकों के ऐतिहासिक भुगतान पैटर्न और ग्राहकों के साथ नवीनतम पत्राचार के संदर्भ में प्रबंधन के मूल्यांकन के माध्यम से और एक अतिरिक्त प्रावधान किए जाने पर विचार करने के लिए नमूने के आधार पर अनसुलझी प्राप्तियों की पुनर्प्राप्ति को स्वीकार किया जाता है; – नमूना आधार पर तुलनपत्र की तारीख के बाद व्यापार और प्राप्य, यदि कोई हो, के बाद के निपटान का परीक्षण किया। – हमें उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों और मान्यताओं को प्राप्य व्यापार की पुनर्प्राप्ति योग्यता के आकलन में उपयोग करने योग्य पाया गया।
3.	विवाद और संभावित मुकदमे: एकल वित्तीय विवरण में (टिप्पणी 31.11 को देखें): – कंपनी विवादित कर मांगों पर कानूनी कार्यवाही में शामिल है। कंपनी / प्रबंधन ने आकलन किया है कि मांग की सफलता की संभावना दुर्लभ है और तदनुसार विवादित मांगों के लिए प्रावधान नहीं किया है। प्रबंधन का निर्णय मांगों के लिए लेखांकन का आकलन करने में, और विशेष रूप से एक मांग के सफल होने की संभावना पर विचार करने में है शामिल है और हमने इसे लेखापरीक्षा के ध्यान केंद्रित क्षेत्र के रूप में नामित किया है। दावों से संबंधित जोखिम मुख्य रूप से प्रकटीकरण और वित्तीय विवरण में प्रावधानों की पूर्णता के साथ जुड़ा हुआ है।	वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण और प्रावधानों की पूर्णता के जोखिम के उत्तर में, हमने प्रबंधन के साथ मामलों पर चर्चा की और विवादों में शामिल कंपनी और अधिवक्ताओं/कानूनी व्यवसायियों के दलों के बीच आदान–प्रदान किए गए पत्राचार और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा की। हमने लेखांकन अभिलेखों में दर्ज प्रावधानों का परीक्षण किया और ऊपर वर्णित हमारी प्रक्रियाओं के आधार पर पूर्णता के प्रकटीकरण की समीक्षा की।

समेकित वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के इतर अन्य सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट के लिए अनुबंध, व्यावसायिक दायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और शेयरधारकों के लिए जानकारी सहित बोर्ड की रिपोर्ट शामिल है, बल्कि इसमें समेकित वित्तीय विवरण और तत्संबंधी हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को शामिल नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ने की है और ऐसा करने में, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

अगर, हमने जो कार्य किया है, उसके आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी की सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में इन समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत जिनमें अधिनियम की धारा 133 जिसे उसके तहत जारी संबंधित नियमों के साथ पढ़ा जाना है, में वर्णित

भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय लेखा मानक) शामिल हैं, के अनुसार अन्य व्यापक आय, समेकित नकदी प्राप्ति तथा कंपनी की इक्विटी में समेकित परिवर्तन सहित वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन की सही और सच्ची स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।

समूह तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित स्वत्वों में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित स्वत्वों की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं की रोकथाम करने और उनका पता लगाने के लिए; उचित लेखा नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने; ऐसे निर्णय तथा प्राक्कलन करने जो उचित एवं दूरदर्शी हों; और ऐसे उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाने, उन्हें कार्यान्वित करने और रखने के लिए जो ऐसे भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के संगत लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित थे, जो सच्ची तथा सही स्थिति प्रदान करते हैं और भौतिक मिथ्याकथनों, कपट या त्रुटि, से मुक्त हैं, जिनका उपयोग यथोक्त धारक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ किया गया है, के लिए उत्तरदायी है । संबंधित कंपनी के निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार आयोजित एक लेखा परीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। गलतियाँ, जो धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि अगर, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर की गई हो, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

अन्य मामले

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अपने संयुक्त उपक्रम, इंडिया सैटकॉम लिमिटेड की वित्तीय जानकारी इन वित्तीय विवरणों के अनुसार इन समेकित भारतीय लेखा मानक में शामिल है, इंड एएस के अनुसार तैयार किए गए हैं में अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किया गया है और हमारे द्वारा विश्वास किया गया है।

समेकित भारतीय लेखा मानक में वित्तीय विवरण दर्शाता है कि संयुक्त उपक्रम, इंडिया सैटकॉम लिमिटेड की आस्ति 3758.24 लाख रुपये है, जो ''इक्विटी पद्धति के तहत निवेश'' स्वरूप में है और इसमें कुल मिलाकर संयुक्त उद्यम का निवल लाभ (अन्य व्यापक आय सहित) 177.34 लाख रुपये शामिल है, जिनके वित्तीय विवरणों का हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं किया गया है।

इन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया जाता है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें दी गई है और वित्तीय विवरणों के रूप में समेकित भारतीय लेखा मानक पर हमारी राय, अब तक यह संयुक्त उद्यम के संबंध में शामिल राशियों और खुलासे से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, अब तक यह पूर्वोक्त संयुक्त उद्यम से संबंधित है, केवल अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

हम केवल रूढ़िवादी आधार में निवल मूल्य की गणना के लिए इंडिया सैटकॉम लिमिटेड की भूमि और नकद और नकद समतुल्य को विश्वसनीय संपत्ति के रूप में विचार किया है।

अन्य मामले

क) हमने पाँच इकाइयों के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा नहीं किया है 31 मार्च, 2020 तक जिनके वित्तीय विवरण 485722.71 लाख रुपये की कुल परिसंपत्ति तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 33921.41 लाख रुपये का कुल राजस्व और (15621.74 लाख रुपये) कर के उपरांत लाभ/(हानि) को दर्शाते हैं। ये वित्तीय विवरण भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त संबंधित इकाई लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित किए जाते हैं, जिनकी रिपोर्ट हमें और हमारे विचारों को प्रस्तुत की गई है, यह इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, ही पूरी तरह से इस तरह के अन्य लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट पर आधारित है।

ख) कंपनी के 8 क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु, चेन्नई, हैदराबाद, नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, मुंबई और भुवनेश्वर में स्थित हैं। हमने सभी 8 क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा किया है, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2020 तक 67288.08 लाख रुपये की कुल संपत्ति को दर्शाते हैं । उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व 18672.55 लाख रुपये और कर के बाद लाभ 308.55 लाख रुपये हैं । वर्तमान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पी एवं टी के प्रमुख निदेशक के दिल्ली पत्र दिनांक 11 मई, 2020 द्वारा दिए गए अनुमति के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों का लेखापरीक्षा रीमोट्ली/इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया गया।

ग) भारतीय लेखा मानक 108 के अधीन अपेक्षित अनुसार, हम खंड की जानकारी के प्रकटीकरण के संबंध में टिप्पणी सं.31.5 पर ध्यान आकर्षित करते हैं।

इन अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर रिपोर्ट करते हैं कि :-

   क) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की और प्राप्त की जो हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे संज्ञान और विश्वास के लिए आवश्यक थे।

   ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा संबन्धित कानून द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तिकाओं का अनुरक्षण किया गया है, जो हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त है।

   ग) समेकित तुलन पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ व हानि की समेकित विवरणी, इक्विटी में परिवर्तन संबंधी समेकित विवरण।

   घ) नकदी प्रवाह की विवरणी, जो इस रिपोर्ट के व्यवहार में लाए गए हैं, संबन्धित प्रासंगिक लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप हैं।

   ङ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में हैं।

   च) निदेशक मंडल द्वारा 31 मार्च, 2019 तक अभिलेखित निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, अधिनियम की धारा 164 (2) के संदर्भ में 31 मार्च 2019 को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से कोई भी निदेशक अनर्ह घोषित नहीं है।

   छ) कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनीय प्रभावशीलता के संबंध में कृपया ''अनुबंध क'' में हमारी अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

   ज) यथा संशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में :

   झ) यथा संशोधित कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय एवं हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित है :-

      i. कंपनी ने अपने समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है। (समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.31.11 को देखें।)

      ii. कंपनी ने प्रचलित कानून या लेखांकन मानकों के तहत अपेक्षा अनुसार, जैसा कि कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न संविदा नहीं है, तो भी दीर्घावधि संविदा पर निकट भविष्य में होनेवाले भौतिक नुकसान, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान किए गए हैं।

      iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोश में अंतरण हेतु अपेक्षित कोई राशि नहीं है।

2. अधिनियम की धारा 143 (5) द्वारा अपेक्षित अनुसार, हमने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों, इसके बाद की कार्रवाई और कंपनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव पर विचार किया है - संदर्भ अनुबंध ख संलग्न है।

कृते शंकरन एंड कृष्णन
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण सं.003582एस

वी.वी. कृष्णमूर्ति
साझेदार
सदस्यता सं.:027044
यूडीआईएन 20027044एएएएबीएल9988

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 26 जून, 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की संशोधित रिपोर्ट के लिए अनुबंध ''क''

(आईटीआई लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी समदिनांक रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट', खंड के अंतर्गत पैराग्राफ 1(च) से संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 केआरआर उपधारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के रूप में समेकित भारतीय लेखा मानक के हमारे ऑडिट के साथ, हमने आईटीआई लिमिटेड और उसके संयुक्त उद्यम इंडिया सैटकॉम लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया, जो उस तिथि के अनुसार भारत में शामिल की गई कंपनियाँ हैं (साथ में कंपनी कहा जाता है) ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मण्डल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आधारित आंतरिक नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए जवाबदेह है। इस जवाबदेही में, कंपनी की आस्ति की सुरक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित अनुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण, जो कि कंपनी की नीतियों, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाना एवं रोकथाम, लेखा अभिलेखों की यथार्थता और पर्याप्तता, विश्वसनीय वित्तीय विवरणों की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय को विवेकपूर्ण एवं सशक्त रूप में संचालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय व्यक्त करनी है। हमने अपनी लेखापरीक्षा को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी (''दिशानिर्देश टिप्पणी'') तथा लेखापरीक्षा के मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होने के अनुसार किया है। उन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणियों की यह अपेक्षा होती है कि हम नीतिगत आवश्यकताओं का पालन करें तथा योजना बनाएँ और उचित आश्वासन/विश्वास प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें चाहे वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हों तथा ऐसे नियंत्रण सभी यथार्थ मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हों।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्राभविकता प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, मौजूद भौतिक कमजोरियों की जोखिम का आकलन करना, आकलित जोखिम के आधार आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन एवं परिचालन प्रभाविकता को मूल्यांकित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के पथार्थ गलत अनुमान की जोखिम, चाहे वह धोखा या त्रुटि से हो, का आकलन करने सहित चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है।

हमें विश्वास है कि हमारी द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त एवं उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आमतौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में नीतियाँ और प्रक्रियाँ सम्मिलित हैं कि–

(1) समुचित विवरणों के साथ सही अभिलेखों के अनुरक्षण को कंपनी की आस्तियों के लेनदेन तथा स्वभाव को यथार्थतः एवं प्रतिबिंबित करने के संबंध में प्रदान करता है;

(2) आमतौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आवश्यक लेनदेन अभिलेखित किए जाए और प्रबंधन एवं कंपनी के निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय तैयार किए जाने का समुचित आश्वासन प्रदान करना; और

(3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डालनेवाले कंपनी की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण के रोकथाम या समय पर पता लगाना, उपयोग, या स्वभाव के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की कपटसंधि या अनुचित प्रबंधन प्रत्यादिश्ती सहित त्रुटि या धोखाधड़ी की वजह से भौतिक गलत बयान हो सकते हैं और पता लगाया नहीं जाता। इसके अलावा, भावी समय के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन के अनुमान उस जोखिम पर निर्भर होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन, या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन बिगड़ जाने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी जानकारी और हमें दी गई स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने सभी यथार्थ मामलों में परिचालनीय पर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा 31 मार्च, 2020 के अनुसार प्रभावी रूप से परिचालनीय वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपनाया है, जो भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीखा पर दिशानिर्देश टिप्पणी के अधीन निर्धारित अनुसार उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

कृते शंकरन एंड कृष्णन
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण सं.003582एस

वी.वी. कृष्णमूर्ति
साझेदार
सदस्यता सं.:027044

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 26 जून, 2020

अनुबंध – ख

वर्ष 2019-2020 के लिए समेकित लेखे का लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए आईटीआई लिमिटेड के सांविधिक लेखापरीक्षकों को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी नए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन निर्देश

क्रम सं.	क्षेत्र	लेखा परीक्षक टिप्पणी
क)	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के बाहर सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए कोई प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो, उल्लेख किए जाएँ।	हां, कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है। हमने अवलोकन किया कि खातों की अखंडता पर आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेखांकन लेनदेन संसाधित नहीं किया जाता है।
ख)	क्या किसी मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना होने या कंपनी को ऋण चुकाने में हुई असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा उधार/ऋण/ब्याज आदि बट्टे खाते में डालने या माफ करने का कोई मामला है? यदि हाँ, वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना होने या कंपनी को ऋण चुकाने में हुई असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा उधार/ऋण/ब्याज आदि बट्टे खाते में डालने या माफ करने का कोई घटना नहीं है। पुनर्वास योजना के तहत आईटीआई के पुनरुद्धार के लिए फरवरी 2014 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित 4156.79 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की स्थिति के संदर्भ में लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 31.15 पर ध्यान आकर्षित किया जाता है।
ग)	क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि को समुचित रूप में हिसाब लगाया गया/नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	लेखापरीक्षा वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने विभिन्न संयंत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के कैपेक्स कार्यान्वयन को पूरा करने के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से 10500 लाख रुपये प्राप्त किए हैं। खाते की पुस्तकों में निधियों का सही हिसाब लगाया गया था। जारी की गई धनराशि में से, 37.75 करोड़ रुपये का उपयोग कैपेक्स के लिए किया गया है, 67.25 करोड़ रुपये का उपयोग कार्यशील पूंजीगत उद्देश्यों के लिए किया गया था।

कृते शंकरन और कृष्णन

सनदी लेखाकार

फ़र्म पंजीकरण सं.003582एस

वी.वी. कृष्णमूर्ति

साझेदार

सदस्यता सं.027044

स्थान : बेंगलूरु

तारीख : 26 जून, 2020

अनुपालन प्रमाण पत्र

हम आईटीआई लिमिटेड के वैधानिक लेखापरीक्षक, मेसर्स शंकरन एंड कृष्णन, सनदी लेखाकार, बेंगलूरु, ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के एकल लेखों का लेखा परीक्षा किया है और एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि हमने हमें जारी किए गए उन सभी निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते शंकरन एंड कृष्णन
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण सं.003582एस

वी वी कृष्णमूर्ति
सदस्यता सं.027044

स्थान : बेंगलूरु
तारीख : 26 जून, 2020

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के (एकल) वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार किए गए हैं तथा इसके लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक इन वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित मानकों के अनुसरण में अधिनियम की धारा 143 के अधीन स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनकी दिनांक 29 जून 2020 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताए अनुसार उल्लेख किया हुआ है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक परीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य पत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनित जांच तक सीमित ।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर,, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं, और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं:

1. **लाभ व हानि का विवरण**

   व्यय

   अन्य व्यय (टिप्पणी –30) – 9740.82 लाख रुपये

   कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के विपरीत लाभ व हानि के विवरण के बजाय, अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव से सुरक्षा प्रीमियम खाते में आहरण के प्रति उपगत व्यय के रूप में 1363.39 लाख रुपये प्रभारित किया है।

   इसके कारण समान राशि तक लाभ के अधिकथन के साथ–साथ उक्त शीर्ष का अधोकथन हुआ है।

2. **तुलन–पत्र**

   देयताएँ – गैर–चालू देयताएँ –

   अन्य (टिप्पणी सं.15) 13392.97 लाख रुपये

   उक्त शीर्ष को फरवरी 2014 से लेकर अप्रैल 2014 तक की अवधि के लिए वेतन भुगतान के प्रयोजनार्थ प्राप्त ऋण पर भारत सरकार को प्रदेय दिनांक 17.04.2014 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए ऋण पर ब्याज को शामिल न करने के कारण 1,356.20 लाख रुपये का अधोकथन हुआ है। इसके कारण इसी राशि तक लाभ का अधिकथन हुआ है। इस विषय को वर्ष 2018–19 में लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान भी उठाया गया था। बहरहाल, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

3. **प्रकटण पर टिप्पणी**

   आय कर विभाग से विवादित दावा के लिए प्रदेय 691.71 लाख रुपये की आकस्मिक देयता को 2019–20 के वार्षिक लेखों की टिप्पणियों में नहीं दिखाय गया है। इसलिए, लेखों में उस सीमा तक कमी आई है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 19–10–2020

(मनीष कुमार)
प्रमुख लेखापरीक्षा निदेशक
(वित्त एवं संचार)

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर कंपनियों के अधिनियम 2013 की धारा 129 (4) के साथ पढ़े गए धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार किए गए हैं तथा इसके लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पदे गए पारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक इन वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित मानकों के अनुसरण में अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पदे गए धारा 143 के अधीन स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनकी दिनांक 29 जून 2020 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताए अनुसार उल्लेख किया हुआ है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, मैंने धारा 143(6) (क) के साथ धारा 129 (4) के अधिनियम के तहत 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आईटीआई लिमिटेड के समेकित वित्तिय विवरणों का अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया है । हमने आईटीआई लिमिटेड के वित्तिय विवरणों का अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया है । हमने आईटीआई लिमिटेड के वित्तिय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण किया, लेकिन उस वर्ष के लिए इंडिया सैटकॉम लिमिटेड (संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं) के वित्तिय वक्तव्यों का अनुपूरक लेखा-परीक्षण नहीं किया । **इसके अलावा, अधिनियम की धारा 139(5) और 143 (6) (क) उनके वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए और पूरक लेखा परीक्षा के संचालन के लिए संबंधित कानूनों के तहत, इंडिया सैटकॉम लिमिटेड के लिए एक निजी संस्था होने के लिए लागू नहीं है । तदनुसार,भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा ने न तो वैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इस कंपनी के पूरक लेखा परीक्षा का संचालन किया है ।** यह अनुपूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के काम के कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षाकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ, और कुछ लेखांकन रिकॉर्ड की एक चयनात्मक परीक्षा तक सीमित है । अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान मेरे द्वारा उठाए गए कुछ लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को प्रभावी करने के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट रिपोर्ट को संशोधित किया गया है । इसके अलावा, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आए हैं, और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं:

1. **लाभ व हानि का विवरण**

   व्यय

   अन्य व्यय (टिप्पणी –30) – 9740.82 लाख रुपये

   कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के विपरीत लाभ व हानि के विवरण के बजाय, अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव से सुरक्षा प्रीमियम खाते में आहरण के प्रति उपगत व्यय के रूप में 1363.39 लाख रुपये प्रभारित किया है।

   इसके कारण समान राशि तक लाभ के अधिकथन के साथ-साथ उक्त शीर्ष का अधोकथन हुआ है।

2. **तुलन-पत्र**

   देयताएँ – गैर-चालू देयताएँ –

   अन्य (टिप्पणी सं.15) 13392.97 लाख रुपये

   उक्त शीर्ष को फरवरी 2014 से लेकर अप्रैल 2014 तक की अवधि के लिए वेतन भुगतान के प्रयोजनार्थ प्राप्त ऋण पर भारत सरकार को प्रदेय दिनांक 17.04.2014 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए ऋण पर ब्याज को शामिल न करने के कारण 1,356.20 लाख रुपये का अधोकथन हुआ है। इसके कारण इसी राशि तक लाभ का अधिकथन हुआ है। इस विषय को वर्ष 2018-19 में लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान भी उठाया गया था। बहरहाल, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

3. **प्रकटण पर टिप्पणी**

   आय कर विभाग से विवादित दावा के लिए प्रदेय 691.71 लाख रुपये की आकस्मिक देयता को 2019-20 के वार्षिक लेखों की टिप्पणियों में नहीं दिखाय गया है। इसलिए, लेखों में उस सीमा तक कमी आई है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 21-10-2020

(मनीष कुमार)
प्रमुख लेखापरीक्षा निदेशक
(वित्त एवं संचार)

निदेशकों की रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट (एकल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्ष की टिप्पणियाँ	कंपनी का उत्तर
1. **लाभ व हानि का विवरण** **व्यय** **अन्य व्यय (टिप्पणी** –30) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के विपरीत लाभ व हानि के विवरण के बजाय, अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव से सुरक्षा प्रीमियम खाते में आहरण के प्रति उपगत व्यय के रूप में 1363.39 लाख रुपये प्रभारित किया है। इसके कारण समान राशि तक लाभ के अधिकथन के साथ-साथ उक्त शीर्ष का अधोकथन हुआ है।	सूचित किया जाता है कि कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के पूर्ण अनुपालन में, शेयर प्रीमियम खाते के समक्ष आहरित एफ.पी.ओ. के निर्गम व्यय के रूप में 1363.39 लाख रुपये को समंजित करते हुए कंपनी ने लेखा बहियों में इसका उपचार किया है। धारा 52(2)(ग) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें कंपनी के शेयरों या ऋणपत्रों के निर्गम संबंधी खर्च, अदा किए गए कमीशन, या अनुमत बट्टे को बट्टे खाते में डालने का प्रावधान किया गया है। इस उप धारा में यह निर्दिष्ट है कि कंपनी द्वारा रखे गए शेयर प्रीमियम खाते का उपयोग कंपनी के शेयरों के किसी भी निर्गम से संबंधित व्ययों को बट्टा खाते में डालने के लिए किया जा सकता है। इस उप खंड की जाँच करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई अर्हता या छूट प्राप्त नहीं की गई है। इस खंड के सौहार्द्रपूर्ण अर्थ निर्वचन से यह स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है कि जब शेयरों के निर्गम पर कोई खर्च किया जाता है, तो उसे शेयर प्रीमियम खाते में समायोजित किया जा सकता है। इसके दो पहलू हैं – क. किसी निर्गम के लिए व्यय ख. व्यय किसी निर्गम से संबंधित है न कि आबंटन से इस बात का उल्लेख कहीं नहीं है कि शेयरों के आबंटन से संबंधित व्ययों की अनुमति है जबकि शेयरों के किसी निर्गम के व्यय का उल्लेख है। इसलिए, हम यह संपुष्ट करते हैं कि – क) एफ.पी.ओ. जिसे न्यूनतम अभिदान प्राप्त नहीं होता है, धारा 52(2)(ग) में बताए गए अनुसार अब भी एक निर्गम है। ख) धारा 52(2)(ग) में यह निर्दिष्ट नहीं है कि निर्गम को एक आबंटन में समाप्त होना आवश्यक है क्योंकि इस बात को बड़ी सरल भाषा में बताया गया है कि शेयर प्रीमियम का उपयोग कंपनी के शेयरों या ऋणपत्रों के निर्गम के व्यय को बट्टे खाते में डालने के लिए किया जा सकता है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुपालन में शेयर प्रीमियम खाते के समक्ष आहरित एफ.पी.ओ. के निर्गम व्ययों को समंजित करते हुए कंपनी ने लेखा बहियों में इसका उपचार ठीक तरह से किया है। कंपनी ने इस विषय में अपने पक्ष के समर्थन में कॉर्पोरेट कानूनी मामलों में कॉर्पोरेट अधिवक्ता और विशेषज्ञ की कानूनी राय भी ली है। इसलिए, हम इस संबंध में सीएजी के कार्यालय द्वारा की गई टिप्पणी के संबंध में सम्मान अपनी असहमति व्यक्त करते हैं।
2. **तुलन–पत्र** **देयताएँ – गैर–चालू देयताएँ –** **अन्य (टिप्पणी सं.15) 13392.97 लाख रुपये** उक्त शीर्ष को फरवरी 2014 से लेकर अप्रैल 2014 तक की अवधि के लिए वेतन भुगतान के प्रयोजनार्थ प्राप्त ऋण पर भारत सरकार को प्रदेय दिनांक 17.04.2014 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए ऋण पर ब्याज को शामिल न करने के कारण 1,356.20 लाख रुपये का अधोकथन हुआ है। इसके कारण इसी राशि तक लाभ का अधिकथन हुआ है। इस विषय को वर्ष 2018–19 में लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान भी उठाया गया था। बहरहाल, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।	वर्ष 2014 में पुनरुत्थान योजना के तहत 300 करोड़ रुपये के भारत सरकार से प्राप्त सुलभ ऋण के संबंध में 1356.20 लाख रुपये के ब्याज को शामिल न करने के लिए 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आई.टी.आई. लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर भारत के निसंत्रक एवं महालेखा परीक्ष की टिप्पणियाँ की टिप्पणी के प्रत्युत्तर में, कंपनी ने निदेशकों के प्रतिवेदन के परिशिष्ट में यह उत्तर दिया है कि ब्याज के साथ ऋण की अदायगी वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए लागू होगी। तदनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लाभ व हानि खाते में ब्याज के रूप में 300 लाख रुपये का प्रावधान किया है। हाल ही में, दूरसंयार विभाग ने भी एक पत्र दिनांक 17.08.2020 को जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि मूलधन के किस्तों की अदायगी वित्तीय वर्ष 2020–21 के बाद से शुरु होगी। इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि 300 करोड़ रुपये का सुलभ ऋण कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए वर्ष 2014 में पुनरुत्थान योजना के तहत दूरसंचार विभाग की आकस्मिक निधि से मंजूर किया गया था। ***उक्त पुनरुत्थान योजना के पैरा 13 (xv) (सामान्य निबंधन व शर्तें) में यह निर्दिष्ट है कि प्रवर्तकों द्वारा दिया गया / दिए जाने वाला ऋण गौण ऋण नहीं होगा और ब्याज मुक्त होगा और उसे पुनर्वास की अवधि के दौरान आहरित नहीं किया जाएगा ।*** कंपनी को वर्ष 2016–17 तक प्रचालनीय हानि हो रही थी और लाभार्जन वर्ष 2017–18 से प्रारंभ हुआ जबकि पुनर्वास योजना अब भी लागू है। उक्त बी.आई.एफ.आर. पुनरुत्थान योजना 2014 के आधार पर, कंपनी दूरसंयार विभाग को अपना अभ्यावेदन पेश करेगी और यथोचित हित राहत की मांग करेगी। इसलिए, हमारे विचार से, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लाभों का कोई अतिकथन नहीं हुआ है और लेखांकन ठीक तरह से किया गया है।

3. **प्रकटण पर टिप्पणी** आय कर विभाग से विवादित दावा के लिए प्रदेय 691.71 लाख रुपये की आकस्मिक देयता को 2019-20 के वार्षिक लेखों की टिप्पणियों में नहीं दिखाय गया है। इसलिए, लेखों में उस सीमा तक कमी आई है।	निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आय कर अधिनियम 1961 दिनांक 12.11.2019 की धारा 143(2) के तहत सूचना आदेश के अनुसार, 691.71 लाख रुपये की कर देयता 19.99 करोड़ रुपये की कुछेक अस्वीकृतियों के कारण सृजित हुई है जिसके लिए कंपनी ने आय कर अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधार ज्ञापन दाखिल किया है। अनुचित अस्वीकृतियों के आधार के अतिरिक्त, कंपनी ने निर्धारण अधिकारी के संज्ञान में यह बात भी लाया कि धारा 143(2) के तहत आदेश पारित करते समय, अधिकारी ने कर योग्य आय के समक्ष आगे ले जाई गई हानि को समंजित नहीं किया। यह मामला सुनवाई के लिए लंबित है। इसी समय, पिछले निर्धारण वर्ष 2017-18 में, विभाग ने आय परिकलन एवं निर्धारण आदेश में 56.60 करोड़ रुपये की राशि को अस्वीकृत किया और 23.74 करोड़ रुपये की कर देयता निर्धारित की। तदुपरांत हमने निर्धारण आदेशों के विरुद्ध सुधार आवेदन दाखिल किया जिसमें यह बताया गया कि विभाग ने आदेश पारित करते समय आगे ले जाई गई हानि पर विचार नहीं किया था। हमारे सुधार आवेदन पर विचार करने के बाद विभाग ने अपने आदेश में संशोधन किया और कर योग्य आय का पुन:परिकलन किया, कर देयता वापस ली और कंपनी को राहत प्रदान की। उक्त परिस्थितियों में, निर्धारण वर्ष 2018-19 के निर्धारण आदेश से संबंधित मामला पिछले निर्धारण वर्ष 2017-18 के समान है जिसमें विभाग द्वारा की गई पूर्व कर की मांग को कंपनी द्वारा दाखिल सुधार आवेदन के बाद वापस ले लिया गया था। तथ्य यह है कि कंपनी में आय कर अधिनियम 1961 के अनुसार आगे ले जाने वाली बड़ी हानियाँ हैं जिनका समंजन अनुवर्ती वर्षों के लाभों में किया जाना है। इसलिए, 691.71 लाख रुपये के कर की मांग को ऐसी देय राशि नहीं माना जा सकता जिसे कंपनी के वार्षिक लेखों में आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाए और इस विषय में लेखों में उचित उपचार किया गया है।

निदेशकों की रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट (समेकित)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्ष की टिप्पणियाँ	कंपनी का उत्तर
1. **लाभ व हानि का विवरण** **व्यय** **अन्य व्यय (टिप्पणी –30)** कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के विपरीत लाभ व हानि के विवरण के बजाय, अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव से सुरक्षा प्रीमियम खाते में आहरण के प्रति उपगत व्यय के रूप में 1363.39 लाख रुपये प्रभारित किया है। इसके कारण समान राशि तक लाभ के अधिकथन के साथ–साथ उक्त शीर्ष का अधोकथन हुआ है।	सूचित किया जाता है कि कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के पूर्ण अनुपालन में, शेयर प्रीमियम खाते के समक्ष आहरित एफ.पी.ओ. के निर्गम व्यय के रूप में 1363.39 लाख रुपये को समंजित करते हुए कंपनी ने लेखा बहियों में इसका उपचार किया है। धारा 52(2)(ग) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें कंपनी के शेयरों या ऋणपत्रों के निर्गम संबंधी खर्च, अदा किए गए कमीशन, या अनुमत बट्टे को बट्टे खाते में डालने का प्रावधान किया गया है। इस उप धारा में यह निर्दिष्ट है कि कंपनी द्वारा रखे गए शेयर प्रीमियम खाते का उपयोग कंपनी के शेयरों के किसी भी निर्गम से संबंधित व्ययों को बट्टा खाते में डालने के लिए किया जा सकता है। इस उप खंड की जाँच करने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई अर्हता या छूट प्राप्त नहीं की गई है। इस खंड के सौहार्द्रपूर्ण अर्थ निर्वचन से यह स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है कि जब शेयरों के निर्गम पर कोई खर्च किया जाता है, तो उसे शेयर प्रीमियम खाते में समायोजित किया जा सकता है। इसके दो पहलू हैं – क. किसी निर्गम के लिए व्यय ख. व्यय किसी निर्गम से संबंधित है न कि आबंटन से इस बात का उल्लेख कहीं नहीं है कि शेयरों के आबंटन से संबंधित व्ययों की अनुमति है जबकि शेयरों के किसी निर्गम के व्यय का उल्लेख है। इसलिए, हम यह संपुष्ट करते हैं कि – क) एफ.पी.ओ. जिसे न्यूनतम अभिदान प्राप्त नहीं होता है, धारा 52(2)(ग) में बताए गए अनुसार अब भी एक निर्गम है। ख) धारा 52(2)(ग) में यह निर्दिष्ट नहीं है कि निर्गम को एक आबंटन में समाप्त होना आवश्यक है क्योंकि इस बात को बड़ी सरल भाषा में बताया गया है कि शेयर प्रीमियम का उपयोग कंपनी के शेयरों या ऋणपत्रों के निर्गम के व्यय को बट्टे खाते में डालने के लिए किया जा सकता है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 के अनुपालन में शेयर प्रीमियम खाते के समक्ष आहरित एफ. पी.ओ. के निर्गम व्ययों को समंजित करते हुए कंपनी ने लेखा बहियों में इसका उपचार ठीक तरह से किया है। कंपनी ने इस विषय में अपने पक्ष के समर्थन में कॉर्पोरेट कानूनी मामलों में कॉर्पोरेट अधिवक्ता और विशेषज्ञ की कानूनी राय भी ली है। इसलिए, हम इस संबंध में सीएजी के कार्यालय द्वारा की गई टिप्पणी के संबंध में ससम्मान अपनी असहमति व्यक्त करते हैं।
2. **तुलन–पत्र** **देयताएँ – गैर–चालू देयताएँ –** **अन्य (टिप्पणी सं.15) 13392.97 लाख रुपये** उक्त शीर्ष को फरवरी 2014 से लेकर अप्रैल 2014 तक की अवधि के लिए वेतन भुगतान के प्रयोजनार्थ प्राप्त ऋण पर भारत सरकार को प्रदेय दिनांक 17.04.2014 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए ऋण पर ब्याज को शामिल न करने के कारण 1,356.20 लाख रुपये का अधोकथन हुआ है। इसके कारण इसी राशि तक लाभ का अधिकथन हुआ है। इस विषय को वर्ष 2018–19 में लेखों की लेखा परीक्षा के दौरान भी उठाया गया था। बहरहाल, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।	वर्ष 2014 में पुनरुत्थान योजना के तहत 300 करोड़ रुपये के भारत सरकार से प्राप्त सुलभ ऋण के संबंध में 1356.20 लाख रुपये के ब्याज को शामिल न करने के लिए 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आई.टी.आई. लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर सीएजी की टिप्पणी के प्रत्युत्तर में, कंपनी ने निदेशकों के प्रतिवेदन के परिशिष्ट में यह उत्तर दिया है कि ब्याज के साथ ऋण की अदायगी वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए लागू होगी। तदनुसार, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लाभ व हानि खाते में ब्याज के रूप में 300 लाख रुपये का प्रावधान किया है। हाल ही में, दूरसंचार विभाग ने भी एक पत्र दिनांक 17.08.2020 को जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि मूलधन के किस्तों की अदायगी वित्तीय वर्ष 2020–21 के बाद से शुरु होगी। इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि 300 करोड़ रुपये का सुलभ ऋण कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए वर्ष 2014 में पुनरुत्थान योजना के तहत दूरसंचार विभाग की आकस्मिक निधि से मंजूर किया गया था। ***उक्त पुनरुत्थान योजना के पैरा 13 (xv) (सामान्य निबंधन व शर्तें) में यह निर्दिष्ट है कि प्रवर्तकों द्वारा दिया गया / दिए जाने वाला ऋण गौण ऋण नहीं होगा और ब्याज मुक्त होगा और उसे पुनर्वास की अवधि के दौरान आहरित नहीं किया जाएगा।*** कंपनी को वर्ष 2016–17 तक प्रचालनीय हानि हो रही थी और लाभार्जन वर्ष 2017–18 से प्रारंभ हुआ जबकि पुनर्वास योजना अब भी लागू है। उक्त बी.आई.एफ.आर. पुनरुत्थान योजना 2014 के आधार पर, कंपनी दूरसंचार विभाग को अपना अभ्यावेदन पेश करेगी और यथोचित हित राहत की मांग करेगी। इसलिए, हमारे विचार से, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लाभों का कोई अतिकथन नहीं हुआ है और लेखांकन ठीक तरह से किया गया है।
3. **प्रकटण पर टिप्पणी** आय कर विभाग से विवादित दावा के लिए प्रदेय 691.71 लाख रुपये की आकस्मिक देयता को 2019–20 के वार्षिक लेखों की टिप्पणियों में नहीं दिखाय गया है। इसलिए, लेखों में उस सीमा तक कमी आई है।	निर्धारण वर्ष 2018–19 के लिए आय कर अधिनियम 1961 दिनांक 12.11.2019 की धारा 143(2) के तहत सूचना आदेश के अनुसार, 691.71 लाख रुपये की कर देयता 19.99 करोड़ रुपये की कुछेक अस्वीकृतियों के कारण सृजित हुई है जिसके लिए कंपनी ने आय कर अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधार ज्ञापन दाखिल किया है। अनुचित अस्वीकृतियों के आधार के अतिरिक्त, कंपनी ने निर्धारण अधिकारी के संज्ञान में यह बात भी लाया कि धारा 143(2) के तहत आदेश पारित करते समय, अधिकारी ने कर योग्य आय के समक्ष आगे ले जाई गई हानि को समंजित नहीं किया। यह मामला सुनवाई के लिए लंबित है। इसी समय, पिछले निर्धारण वर्ष 2017–18 में, विभाग ने आय परिकलन एवं निर्धारण आदेश में 56.60 करोड़ रुपये की राशि को अस्वीकृत किया और 23.74 करोड़ रुपये की कर देयता निर्धारित की। तदुपरांत हमने निर्धारण आदेशों के विरुद्ध सुधार आवेदन दाखिल किया जिसमें यह बताया गया कि विभाग ने आदेश पारित करते समय आगे ले जाई गई हानि पर विचार नहीं किया था। हमारे सुधार आवेदन पर विचार करने के बाद विभाग ने अपने आदेश में संशोधन किया और कर योग्य आय का पुन:परिकलन किया, कर देयता वापस ली और कंपनी को राहत प्रदान की। उक्त परिस्थितियों में, निर्धारण वर्ष 2018–19 के निर्धारण आदेश से संबंधित मामला पिछले निर्धारण वर्ष 2017–18 के समान है जिसमें विभाग द्वारा की गई पूर्व कर की मांग को कंपनी द्वारा दाखिल सुधार आवेदन के बाद वापस ले लिया गया था। तथ्य यह है कि कंपनी में आय कर अधिनियम 1961 के अनुसार आगे ले जाने वाली बड़ी हानियाँ हैं जिनका समंजन अनुवर्ती वर्षों के लाभों में किया जाना है। इसलिए, 691.71 लाख रुपये के कर की मांग को ऐसी देय राशि नहीं माना जा सकता जिसे कंपनी के वार्षिक लेखों में आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाए और इस विषय में लेखों में उचित उपचार किया गया है।

आईटीआई के उत्पाद एवं सेवाएँ

विश्वव्यापी संचार के लिए संपूर्ण समाधान

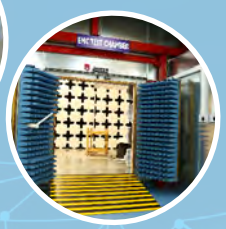

आईटीआई लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय :
आईटीआई भवन, दूरवाणीनगर, बेंगलूरु–560 016,
फोन : +91(80) 2561 4466, फैक्स : +91(80) 2561 7525
वेबसाइट : http://www.itiltd.in

itilimitedindia ITILTDINDIA itilimited ITI Limited itiltdindia